ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

अप्रैल 2024
वर्ष : 06 | अंक : 06
मूल्य : ₹140

dhyeyaias.com

मार्कोस:
समुद्री डकैती से निपटते नौसेना के जांबाज योद्धा

मुख्य विशेषताएं
- राज्य समाचार
- ब्रेन बूस्टर
- पॉवर पैक्ड न्यूज
- वन लाइनर
- यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक पेपर

विशेष
प्रीलिम्स स्पेशल

विविध
- प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक
- महत्त्वपूर्ण पुरस्कार
- प्रमुख शब्दावली
- मुख्य समितियां

NOW MONTHLY
Out Now...
DHYEYA IAS
PERFECT 7
Monthly Current Affairs Magazine
April 2024
Year: 06 No: 06
Price: ₹ 140
MARCOS:
Counter Piracy Operations in Blue Waters
SPECIAL FEATURES
State News
Brain Boosters
Power Packed News
One Liners
UPSC Prelims Mock Paper
FEATURED INSIDE
Prelims Special
Reports & Indexes
Awards
Key Words
Important Committees

टीम
परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
समीक्षक एवं	:	नितिन अस्थाना
सलाहकार	:	शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
सोशल मीडिया	:	केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग	:	प्रियांक, अंकित
तकनीकी सहायक	:	वसीफ खान
कार्यालय सहायक	:	चंदन, गुड्डू
	:	अरूण, राहुल

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	12	1680	1200

Half Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	6	840	600

*Postal charges exta

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. राष्ट्रीय 06-15

- जैव और रासायनिक आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- मराठा आरक्षण कानून
- प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की आपत्ति
- नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024
- वोट के लिए रिश्वत लेना विशेषाधिकार नहीं-सुप्रीम कोर्ट
- आईएनएस जटायु
- 'एक देश-एक चुनाव' की वास्तविकता पर समिति की रिपोर्ट
- सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024
- अकोला पश्चिम विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना रद्द
- भारत में राजनीति का अपराधीकरण
- इलेक्टोरल बॉन्ड से सम्बन्धित डेटा जारी

2. अन्तर्राष्ट्रीय 16-29

- यूरोपीय देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता और इसके आयाम
- नाटो का 32वां सदस्य बना स्वीडन
- चीन के साथ मालदीव रक्षा समझौता
- फ्रांस में गर्भपात का अधिकार
- अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) की रिपोर्ट
- डी-8 संगठन के लिए सामान्य मुद्रा
- अंतरराष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण पर सिपरी रिपोर्ट
- भारत - ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता
- यूएनएससी में सुधार हेतु भारत का जी4 मॉडल प्रस्ताव
- भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा
- हांगकांग का राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक
- भारत और ब्राजील के मध्य पहली '2+2' वार्ता सम्पन्न
- पाकिस्तान में चुनाव सम्पन्न
- व्लादिमीर पुतिन पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित

3. पर्यावरण 30-39

- हिंद महासागर में खोजे गए कोरल सुपरहाईवे का महत्त्वः भारत में प्रवाल भित्ति संरक्षण के उपाय
- बेंगलुरु जल संकट
- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
- भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस
- यूएनईपी वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024
- जैव विविधता पर उच्च समुद्र संधि
- 'मानव-पशु संघर्ष' राज्य-विशिष्ट आपदा
- समुद्री सतह का बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन प्रभाव
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश
- 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा- WMO

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 40-50

- भारत के परमाणु कार्यक्रम को नई दिशा देता दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर
- इंडिया एआई मिशन
- इसरो का नया लॉन्च पोर्ट
- मिशन दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण
- उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान परियोजना को मंजूरी
- एफएओ की इन्फार रिपोर्ट जारी
- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
- ड्रोन रोधी प्रणालियाँ
- मोटापे पर लांसेट अध्ययन
- ओबिलिस्क से मानव शरीर को खतरा
- केरल में लाइम रोग
- भारत में सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
- भारत में डायलिसिस परिणाम पैटर्न को समझना

5. आर्थिकी 51-62

- ☑ भारत में बेरोजगारी दर की वास्तविक स्थिति पर एनएसओ का आकलन
- ☑ ई-किसान उपज निधि
- ☑ राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस
- ☑ गिग वर्कर पर अध्ययन
- ☑ उन्नति योजना
- ☑ भारत को लेकर क्रिसिल का अनुमान
- ☑ मानव विकास रिपोर्ट
- ☑ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
- ☑ ई-वाहन नीति को मंजूरी
- ☑ 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सम्पन्न
- ☑ आरबीआई की विनियमित संस्थाएँ
- ☑ भारत में बढ़ती आय असमानता
- ☑ नई टोल संग्रह प्रणाली
- ☑ पीएम-सूरज पोर्टल लॉन्च

6. विविध 63-73

- ☑ समुद्री डकैती से निपटने में इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो की भूमिका का मूल्यांकन
- ☑ महिला, व्यवसाय और कानून रिपोर्ट, 2024
- ☑ जीरो फूड चिल्ड्रेन की बढ़ती संख्या
- ☑ प्रवासियों पर आईओएम रिपोर्ट
- ☑ प्रारंभिक बचपन के लिए राष्ट्रीय ढांचा
- ☑ भारत को मिला खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार
- ☑ याउंडे घोषणा
- ☑ फार्मास्युटिकल फर्म के लिए मार्केटिंग कोड
- ☑ जीआई टैग
- ☑ भारत शक्ति अभ्यास
- ☑ पांडवुला गुट्टा: तेलंगाना में पहला भू-विरासत स्थल चयनित
- ☑ तवी महोत्सव सम्पन्न
- ☑ वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट

7. क्विक लर्न 74-142

राज्य समाचार 74-81

- ☑ उत्तर प्रदेश
- ☑ उत्तराखंड
- ☑ बिहार
- ☑ झारखंड
- ☑ मध्य प्रदेश
- ☑ छत्तीसगढ़
- ☑ राजस्थान

ब्रेन बूस्टर 82-93

- ☑ भारत में जहाज निर्माण उद्योग
- ☑ स्मार्ट सिटी मिशन: एक मूल्यांकन
- ☑ वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल
- ☑ प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना
- ☑ कृषि वानिकी के साथ भारत की बंजर भूमि को हरा-भरा बनाना

समाचार में स्थान 94

पावर पैक्ड न्यूज 95-103

वन लाइनर्स 104-106

प्री स्पेशल 107-120

- ☑ रिपोर्ट और सूचकांक
- ☑ प्रमुख पुरस्कार
- ☑ भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए प्रमुख ऑपरेशन
- ☑ चर्चा में रहे प्रमुख व्यक्तित्व
- ☑ चर्चित स्थान
- ☑ महत्वपूर्ण विज्ञान शब्दावली
- ☑ भारत में खेती की तकनीक
- ☑ महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली
- ☑ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन
- ☑ महत्वपूर्ण समितियां
- ☑ प्रमुख देशों के साथ युद्धाभ्यास

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 121-127

प्रीलिम्स आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 128-142

जैव और रासायनिक आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चलते हाल के समय में बायोलॉजिकल जोखिम के बढ़ने की संभावना देखी गई है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल जैव आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, इससे संबंधित अनुसंधान सामने आए हैं। एआई लैंग्वेज मॉडलों का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल वेपन बनाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडलों के जरिए बायोलॉजिकल डिजाइन क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। ऐसे बायोलॉजिकल डिजाइन टूल्स में प्रोटीन फोल्डिंग मॉडल्स जैसे अल्फा फोल्ड 2 और प्रोटीन डिजाइन टूल जैसे आरएफ डिफ्यूजन (RF diffusion) शामिल हैं। इन आधारों पर कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी जैव आतंकवाद की राह को आसान बना सकता है। चैट जीपीटी बोटुलिनम टॉक्सिन के उत्पादन से जुड़े प्रश्नों का जवाब बेहतर तरीके से दे सकता है और इस पर जरूरी जानकारी दे सकता है। एआई चैटबॉट जीपीटी 4 और ओपन एआई किस प्रकार जैव आतंकी हथियारों के विकास के बारे में ज्ञान प्रदान कर सकता है? इस मुद्दे पर चर्चा यूएन में भी होनी शुरू हो गई है। ओपन एआई अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि आतंकी संगठन इबोला पैंडेमिक जैसा बायोलॉजिकल टेरर अटैक कराने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी बायोलॉजी ट्रेनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संभव हो सकती है। यही कारण है कि आज विश्व भर में आतंकवाद के संदर्भ में जैव सुरक्षा और रासायनिक सुरक्षा की दिशा में कार्यवाही के लिए राष्ट्र चर्चाएं कर रहे हैं। रैंड कारपोरेशन के अध्ययन में भी एआई बेस्ड जैव आतंकवाद की संभावना को एक बड़ा खतरा बताया जा चुका है।

जैव आतंकवाद क्या है?

- जैविक आक्रमण या जैव आतंकवाद हिंसा, भय तथा आतंक फैलाने का तरीका है जिसमें विभिन्न प्रकार के विषाणुओं, जीवाणुओं और कीटाणुओं के जरिए आम नागरिकों, पशुओं तथा फसलों आदि को निशाना बनाया जाता है। इसमें आतंकी संगठनों द्वारा जानबूझकर जीवाणु और विषाणु के जरिए एक बड़ी आबादी को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अमेरिका में 2001 में एक लिफाफे में एंथ्रेक्स फैलाने वाले जीवाणु को डालकर एंथ्रेक्स फैलाया गया था जिससे न केवल 22 लोग बीमार हो गए, बल्कि 5 लोगों की मृत्यु हुई हुई थी। वर्ष 1990 में जापान के टोक्यो में तीन ट्रकों द्वारा तीन अलग अलग स्थलों पर येलो लिक्विड को स्प्रे करने की घटना देखी गई थी। इसमें यूएस के नौसैनिक अड्डे, नरीता एयरपोर्ट और इंपीरियल पैलेस पर ऐसी कार्यवाही की गई थी। जिस ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया था, वे धर्म से प्रेरित होकर आतंकी कार्यवाही कर रहे थे। औम शिनरिकयो नामक इस संगठन ने जैव आतंकवाद की इस घटना को उस समय अंजाम दिया था जब मॉडर्न वेपन टेक्नोलॉजी का विकास हो ही रहा था।

कैसे होता है जैव आतंकी हमला?

- बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया का प्रयोग जैविक हमले के लिए किया जाता है जैसा अमेरिका में एंथ्रेक्स फैलाने में हुआ था। एंथ्रेक्स के बीजाणु प्रकृति में आसानी से पाए जाते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में भी उत्पादित किया जा सकता है। एंथ्रेक्स के माइक्रोस्कोपिक बीजाणुओं को पाउडर, स्प्रेज, खाद्य पदार्थ और जल में डाला जा सकता है। वर्ष 2001 में पाउडर के रूप में एंथ्रेक्स को अमेरिका के पोस्टल सिस्टम के जरिए लिफाफों में पत्र के साथ भर कर भेजा गया था जिससे 12 अमेरिकी डाक कर्मचारियों को एंथ्रेक्स हो गया था।
- आधुनिक युग में जैविक हथियारों का पहली बार प्रयोग जर्मन

सैनिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) में एंथ्रेक्स तथा ग्लैंडर्स के जीवाणुओं द्वारा किया गया था। जापान-चीन युद्ध (1937-1945) तथा द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) में शाही जापानी सेना की विशिष्ट शोध इकाई ने चीनी नागरिकों तथा सैनिकों पर जैविक हथियारों के प्रयोग किये जो बहुत प्रभावशाली नहीं सिद्ध हो पाए परंतु नवीन अनुमानों के अनुसार, लगभग 6,00,000 आम नागरिक प्लेग संक्रमित खाद्य पदार्थों के प्रयोग से प्लेग तथा हैजा बीमारी से पीड़ित हुए थे।

- उल्लेखनीय है कि कीटाणुओं, विषाणुओं अथवा फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों (जिन्हें जैविक हथियार कहा जाता है) का युद्ध में नरसंहार के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। जैव आतंकवाद के वाहक के रूप में तकरीबन 200 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पर्यावरण में मौजूद हैं। एंथ्रेक्स, प्लेग, बोटूलिज्म, टूलेरीमिया, ग्लैन्डर जैसे खतरनाक जीव इसमें शामिल हैं। कई वाहक पाउडर के रूप में होते हैं जिन्हें आसानी से पानी या हवा में छोड़ा जा सकता है या किसी के भोजन में मिलाया जा सकता है। ये 24 घंटे के अंदर प्राणी और अन्य जीवों की जान ले सकते हैं।
- यूएनसीसीटी, यूएनआईसीआरआई और यूएन ग्लोबल काउंटर-टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट जैव आतंकवाद के खतरे को समझने तथा समाधान के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? इस पर अनुसंधान किये जा रहे हैं।

रासायनिक आतंकवाद क्या है?

- जहरीले रसायनों का जानबूझकर प्रयोग करके बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या करने का प्रयास करना, रासायनिक आतंकवाद कहलाता है। इसके जरिए नागरिकों के साथ ही पशुओं को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसमें ऐसे विषाक्त वाष्प, एरोसॉल, तरल या ठोस तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है जो विनाशक प्रभाव उत्पन्न कर सकें। इन्हें बम के जरिए छोड़ा जा सकता है, साथ ही एयरक्राफ्ट, नावों और वाहनों के जरिए इनका छिड़काव किया जा सकता है। लोगों और पर्यावरण पर जोखिम उत्पन्न करने के लिए तरल पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रासायनिक आतंकवाद में जिन रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें निम्न शामिल हैं:
  - मानव के फेफड़ों को नष्ट करने वाले एजेंट जैसे क्लोरीन और सायनाइड।
  - मानव शरीर में फफोले (ब्लिस्टर एजेंट) उत्पन्न करने वाले एजेंट मस्टर्ड गैस, सल्फर और सल्फर मस्टर्ड आदि हैं।
  - नर्व एजेंट जैसे जीडी (सोमान), जीबी (सरीन गैस), जीए (टेबन), जीएफ और वीएक्स कुछ अन्य कीटनाशक हैं।
  - ब्लड एजेंट्स आर्साइन व ऑक्सिन (जिन्हें अमेरिका और वियतनाम के युद्ध में प्रयोग में लाया गया था) आदि हैं।

रूस द्वारा यूक्रेन पर रासायनिक आतंकवाद प्रयोग करने का दावा:

- यूक्रेन के सैन्य अभियान में शामिल कई रूसी सैनिकों को गंभीर रासायनिक विषाक्तता के कारण अस्पताल में भर्ती कराने की घटना सामने आई थी जिसकी पुष्टि रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी की थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कीव पर 'केमिकल आतंकवाद' यानी 'रासायनिक आतंकवाद' का आरोप लगाते हुए कहा था कि बोटुलिनम टॉक्सिन टाइप बी के निशान (जो कृत्रिम मूल का जैविक जहर है) सैनिकों से लिए गए नमूनों में पाया गया है।
- रूस ने कहा कि जापोरोजे क्षेत्र के वासिलीवका गांव के पास तैनात होने के बाद रूसी सैनिकों को गंभीर जहर के संकेतों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मॉस्को ने रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) के लिए सैनिकों से प्रयोगशाला परीक्षण भेजने की योजना बनाई है। बोटुलिनम जहर को अक्सर 'चमत्कार जहर' कहा जाता है जो विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे जहरीले जैविक पदार्थों में से एक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया द्वारा निर्मित एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने से रोकता है जिससे मांसपेशियों का पक्षाघात हो सकता है।
- हाल के दशकों में बोटुलिनम टॉक्सिन टाइप ए का उपयोग दवा में छोटी खुराक में किया गया है, विशेष रूप से अति सक्रिय मांसपेशी मूवमेंट की विशेषता वाले विकारों के इलाज के लिए। यह कॉस्मेटोलॉजी में इसके संक्षिप्त नाम, बोटॉक्स के तहत भी जाना जाता है। हालांकि, बोटुलिनम विष उत्पादन और वितरण में आसानी तथा विषाक्तता के परिणामस्वरूप होने वाली उच्च मृत्यु दर के कारण जैव हथियार के रूप में एक बड़ा खतरा बन गया है।

जैव आतंकवाद और रासायनिक आतंकवाद से निपटने के वैश्विक प्रयास:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई अवसरों पर सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंकवाद के खतरे को विशेष रूप से संबोधित किया है। यूएनएससी के संकल्प 1373 (2001) में सुरक्षा परिषद ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी सामग्रियों के अवैध परिवहन के बीच संबंध को मान्यता दी। इस मुद्दे पर इसकी मौलिक घोषणा संकल्प 1540 (2004) के रूप में हुई जिसके माध्यम से परिषद ने पुष्टि किया कि रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु हथियारों का प्रसार तथा उनके वितरण के साधन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सुरक्षा परिषद ने संकल्प 2325 (2016) में सदस्य देशों से संकल्प 1540 (2004) के कार्यान्वयन में अपने राष्ट्रीय प्रसार विरोधी शासन को मजबूत करने के लिए फिर से आह्वान किया। इस प्रयोजन के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली से निम्नलिखित का आह्वान करती है:

- रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु सामग्री की तस्करी का मुकाबला करना।
- यह सुनिश्चित करना कि जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति का उपयोग आतंकवादी उद्देश्यों के लिए न किया जाए।
- रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु हथियारों, सामग्रियों की अवैध तस्करी को रोकने तथा पता लगाने के लिए सीमा और सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार करना।

- रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु हथियारों या सामग्रियों का उपयोग करके आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया की योजना बनाने में सुधार करना।
- इस वैश्विक खतरे के जवाब में, यूएनसीसीटी ने यूएनसीसीटी के माध्यम से सामूहिक विनाश के हथियारों/रासायनिक जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (डब्ल्यूएमडी/सीबीआरएन) आतंकवाद को रोकने तथा जवाब देने पर योजना बनाई है। आतंकवाद के संबंध में उनके खतरे के बारे में यह सदस्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्तर की समझ को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।
- भारत ने वर्ष 2021 में रासायनिक हथियारों के कथित उपयोग की एक उद्देश्यपूर्ण जांच का आह्वान किया था, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आतंकवादी समूहों के हाथों में पड़ने वाले सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के खतरों के प्रति संज्ञान लेने को लेकर आग्रह किया था। भारत ने सीरिया में रासायनिक हथियारों के विनाश से संबंधित गतिविधियों के लिए ऑर्गनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स (OPCW) ट्रस्ट फंड को एक मिलियन यूएस डॉलर प्रदान किया है।

निष्कर्ष:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की तीव्र प्रगति का विभिन्न क्षेत्रों में गहरा प्रभाव है जिसमें जैविक और रासायनिक हथियारों के विकास की संभावित क्षमता भी शामिल है। एआई का यह अनुप्रयोग विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह गैर-राज्य अभिनेताओं और व्यक्तियों के लिए सुलभ है।
- चैटजीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल संभावित रूप से हानिकारक विषयों पर व्यक्तियों को शीघ्रता से शिक्षित कर सकते हैं। जैसे-जैसे चैटबॉट अधिक परिष्कृत होते जाते हैं, वे अनजाने में दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले व्यक्तियों को उन विषयों पर कौशल बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाने में सक्षम बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, वे इंटरनेट अनुसंधान की तुलना में अधिक तेजी से डेटा एकत्र करने में भी सहायता कर सकते हैं।
- इसके अलावा, एआई प्रौद्योगिकी विकास की गति अक्सर सरकारी नियामक निरीक्षण से आगे निकल जाती है जिससे मौजूदा नियमों में संभावित अंतर पैदा होता है। जैसे-जैसे जैव प्रौद्योगिकी अधिक सुलभ होती जा रही है, यह व्यक्तिगत और जनसंख्या कल्याण में उल्लेखनीय सुधार लाने का वादा करती है। हालाँकि, इस बढ़ी हुई पहुंच से आकस्मिक या दुर्भावनापूर्ण उपयोग के कारण जैव आपदा का खतरा भी बढ़ जाता है।

राष्ट्रीय संक्षिप्त मुद्दे

मराठा आरक्षण कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024 पारित किया जिससे मराठा समुदाय को शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ दिया गया।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण:

- यह तीसरी बार है जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए कानून बनाया है। नया कानून सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2018 के समान है जिसे मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
- यह मौजूदा ओबीसी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं करता है और जो लोग 'क्रीमी लेयर' ब्रैकेट (पिछड़े वर्ग के सदस्य जो सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से अत्यधिक उन्नत हैं) के अंतर्गत आते हैं, वे मराठा आरक्षण लाभ के हकदार नहीं होंगे।
- यह कानून न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुनील बी शुक्रे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। आयोग ने सलाह दी कि 'असाधारण परिस्थितियाँ और असाधारण स्थितियाँ' समुदाय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित 50% सीमा से परे आरक्षण देने को उचित ठहराती हैं।
- आयोग ने मराठों की गिरती स्थिति के कारणों में अत्यधिक गरीबी, कृषि आय में गिरावट और भूमि जोत में विभाजन को भी जिम्मेदार ठहराया, साथ ही राज्य में आत्महत्या से मरने वाले 94% किसान मराठा समुदाय से ही थे।
- महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण है जो अनुसूचित जाति (13%), अनुसूचित जनजाति (7%), ओबीसी (19%), विमुक्त जाति (3%), घुमंतू जनजाति बी (2.5%), घुमंतू जनजाति सी (3.5%), घुमंतू जनजाति डी (2%) और विशेष पिछड़ा वर्ग (2%) में विभाजित है। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण राज्य पर भी लागू है जिससे नए कोटा को शामिल करने के साथ कुल आरक्षण 72% हो गया है।

भारत में आरक्षण की आवश्यकता:

- आरक्षण सकारात्मक कार्यवाही का एक रूप है जिसे सकारात्मक भेदभाव के रूप में भी देखा जा सकता है। यह एक सरकारी नीति है जिसे विभिन्न संशोधनों का उपयोग करके भारतीय संविधान द्वारा समर्थित किया गया है।
- प्रारंभिक भारतीय संविधान में केवल विधायी कोटा के लिए आरक्षण दिया गया था जो अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट 10 वर्षों की अवधि 1960 तक सीमित था। यह आरक्षण केवल एससी/एसटी समुदायों के लिए था। बाद में किए गए संशोधनों ने विधायी कोटा के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया और आरक्षण के दायरे को व्यापक बना दिया। संविधान का लक्ष्य दो मुख्य उद्देश्यों के लिए आरक्षण प्रदान करना है:
  - इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति करना है। इसका उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना और राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इसका लक्ष्य छुआछूत जैसी प्रथाओं को समाप्त करना है।
  - इसका उद्देश्य राज्य के अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(6) के तहत सेवाओं में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व बढ़ाना है।
  - मंडल आयोग की रिपोर्ट (1991) के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शुरू किया गया था।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992:

- यह मामला आरक्षण के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण क्षण था जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जाति-आधारित आरक्षण पर रोक लगाते हुए फैसला सुनाया कि 'आरक्षण या वरीयता के किसी भी प्रावधान को इतनी सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है कि समानता की अवधारणा प्रभावित हो।'
- अदालत ने आगे कहा कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे राज्य और केंद्र सरकार ने काफी हद तक सही माना है।

निष्कर्ष:

मराठा आरक्षण कानून को लेकर मराठों और ओबीसी के बीच खींचतान भारत में आरक्षण राजनीति की जटिलताओं को उजागर करती है। यह दर्शाता है कि सामाजिक-आर्थिक निष्पक्षता, कानूनी ढांचे और विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना बहुत जटिल है। आरक्षण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण के तहत पहले से ही समुदायों के लाभों को कम किए बिना सकारात्मक कार्यवाही वास्तव में उन लोगों की मदद करती है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की आपत्ति

चर्चा में क्यों?

चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में 9 मार्च की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर भारत के समक्ष राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। चीन ने इस क्षेत्र पर अपना दावा दोहराते हुए कहा कि भारत के ऐसे कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करेंगे।

प्रमुख बिन्दु:

- प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया जो रणनीतिक रूप से स्थित तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में सैनिकों की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
- असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले से जोड़ने वाली सड़क पर बनी 825 करोड़ रुपये की सुरंग को इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी द्वि-लेन सड़क सुरंग माना जा रहा है।
- सेला सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ विभिन्न अग्रिम स्थानों पर सैनिकों और हथियारों की बेहतर आवाजाही प्रदान करेगी।

विवाद क्या है?

- चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है लेकिन चीन इसे खारिज करता है। चीन का कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है और इसी के आधार पर वह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है।

चीन के विरोध का कारण:

- चीन (जो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है) अपने दावों को उजागर करने के लिए नियमित रूप से भारतीय नेताओं के राज्य के दौरों पर आपत्ति जताता है। बीजिंग ने इस क्षेत्र का नाम भी जांगनान रखा है।
- भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के क्षेत्रीय दावों को बार-बार खारिज किया है और कहा है कि राज्य देश का अभिन्न अंग है। नई दिल्ली ने इस क्षेत्र को 'मनगढ़ंत' नाम देने के बीजिंग के कदम को भी खारिज करते हुए कहा है कि इससे वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आया है।

निष्कर्ष:

भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश बहुत सामरिक महत्त्व रखता है। अरूणाचल प्रदेश से भारत, चीन पर निगरानी रख सकता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक गेट के रूप में कार्य करता है। अरुणाचल प्रदेश एक टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है और बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, इसलिए अरुणाचल की निगरानी व उसका विकास करना बहुत ही जरुरी हो जाता है।

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024

हाल ही में केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया जो भारत के नागरिकता ढांचे में एक महत्त्वपूर्ण विकास का संकेत है। यह नियम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत लाया गया जिसे 11 मार्च को लागू किया गया है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में:

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 एक विधायी अधिनियम है जिसे भारत की संसद ने 11 दिसंबर, 2019 को 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके पारित किया। इस संशोधन ने हिंदुओं सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने की अनुमति दी। हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न या अन्य किसी डर के कारण पड़ोसी मुस्लिम-बहुल देशों 'पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान' से आए थे, उनके लिए इसमें नागरिकता का प्रावधान है।
- सीएए 2019 संशोधन के तहत, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले प्रवासी फास्ट-ट्रैक भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होंगे। संशोधन ने देशीयकरण के लिए निवास की आवश्यकता को ग्यारह वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दिया।

सीएए से किसे छूट?

- संविधान की छठी अनुसूची के तहत बनाई गई स्वायत्त परिषदों को सीएए के दायरे से छूट दी गई है। इसलिए लागू हुआ कानून पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश आदिवासी हिस्सों में लागू नहीं किया जाएगा। इस विशेष दर्जे के तहत स्वायत्त परिषदों में असम में कार्बी आंगलोंग, दिला हसाओ और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, मेघालय में गारो हिल्स एवं त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों में जिन क्षेत्रों में देश के अन्य हिस्सों के लोगों की यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट (आईएलपी) की आवश्यकता होती है, उन्हें कानून से बाहर रखा गया है। आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में लागू है।

सीएए पर विरोध क्यों?

- कुछ समूहों का मानना है कि यह संशोधन मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है जो संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कुछ लोग तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे क्षेत्रों से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर भी सवाल उठा रहे हैं।
- असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भूमि अधिकारों के संभावित नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। इस कानून के आने से बांग्लादेश सहित अन्य देशों से पलायन बढ़ने की आशंका है जिससे भी इस कानून का विरोध हो रहा है।

निष्कर्ष:

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस कानून को लागू करने से पहले सभी हितधारकों को विश्वास में लेना चाहिए था।

वोट के लिए रिश्वत लेना विशेषाधिकार के दायरे में नहीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि संसद तथा विधानमंडल में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेना सदन के विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आता है यानी अब अगर सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में भाषण देते हैं या वोट देते हैं, तो उन पर कोर्ट में आपराधिक मामला चलाया जा सकता है।

पृष्ठभूमि:

- सर्वप्रथम वर्ष 1998 में पांच जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत गणराज्य मामले में फैसला दिया था कि विधायकों-सांसदों को संसद और विधानमंडल में अपने भाषण या वोटों के लिए रिश्वत लेने के मामले में आपराधिक मुकदमे से छूट होगी क्योंकि यह उनका विशेषाधिकार है यानी सदन में किए गए किसी भी काम के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

वर्तमान फैसला क्या है?

- सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए फैसले से असहमत हैं जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि रिश्वत लेना आपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है।
- माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 सदन के अंदर बहस तथा विचार-विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए हैं। कोई अकेला विधायक या सांसद इस तरह के विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि विशेषाधिकार पूरे सदन को सामूहिक रूप से दिया जाता है। नरसिम्हा राव के मामले में दिया गया फैसला संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194 का विरोधाभासी है।

THE TIMELINE

■ April 17, 1998: A five-judge Constitution Bench held in the Narasimha Rao vs CBI case that lawmakers have immunity against criminal prosecution for any speech made and the vote cast inside the House under Articles 105(2) and 194(2) of the Constitution

■ February 17, 2014: Jharkhand HC refuses to quash criminal case against JMM leader Sita Soren for allegedly taking bribe in Rajya Sabha polls in 2012

■ September 23, 2014: A two-judge SC Bench places before a larger Bench the plea of JMM leader Sita Soren

■ March 7, 2019: A three-judge Bench refers the issue related to immunity of lawmakers to a larger Bench

■ September 20, 2023: A five-judge Bench refers the issue and reconsideration of the 1998 verdict to a Bench of seven judges

■ October 5, 2023: The seven-judge Bench reserves judgment

■ March 4, 2024: Observing that bribery is not protected by parliamentary privileges, the seven-judge Bench overturns five-judge Bench's interpretation in the 1998 verdict in the JMM bribery case

संसदीय विशेषाधिकार के बारे में:

- संविधान का अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194 कहता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य सदन में कही गई कोई बात या सदन में दिए गए वोट को लेकर किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं होगा, साथ ही संसद या विधानमंडल की किसी भी रिपोर्ट या पब्लिकेशन को लेकर भी किसी व्यक्ति की किसी भी अदालत में जवाबदेही नहीं होगी।

निष्कर्ष:

जन प्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि जब वे क्षेत्र में वोट मांगने जाते हैं तो उनके पास किसी विशेष पार्टी का सिम्बल होता है लेकिन जब वे उन मतदाताओं की भावना के खिलाफ किसी दूसरे दल को वोट करते हैं तो इससे लोकतंत्र को चोट पहुँचता है। सांसदों को जो विशेषाधिकार दिया गया है, वह इसलिए है ताकि वे खुलकर अपने क्षेत्र की जनता से सम्बन्धित मुद्दों को उठा सकें विशेषाधिकार का गलत उपयोग करना, अनैतिक तथा असंवैधानिक है।

आईएनएस जटायु

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नौसेना डिटेचमेंट मिनिकॉय को उन्नत नौसैनिक अड्डे आईएनएस जटायु के रूप में कमीशन किया गया था। यह रणनीतिक लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के भारतीय नौसेना के संकल्प में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।

आईएनएस जटायु के बारे में:

- लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु देश का दूसरा नौसैनिक अड्डा होगा। इस द्वीप पर नौसेना का पहला बेस आईएनएस द्वीपरक्षक, कावारत्ती में 2012 में चालू किया गया था।
- आम तौर पर, नौसेना की टुकड़ी के पास प्रशासनिक, रसद और चिकित्सा सुविधाएं होती हैं। आवश्यक पर्यावरणीय और अन्य मंजूरी प्राप्त करने के बाद, आईएनएस जटायु को हवाई क्षेत्र, आवास तथा कर्मियों जैसे अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के साथ एक नौसैनिक अड्डे में अपग्रेड किया जाएगा।

Major commercial routes to Southeast Asia

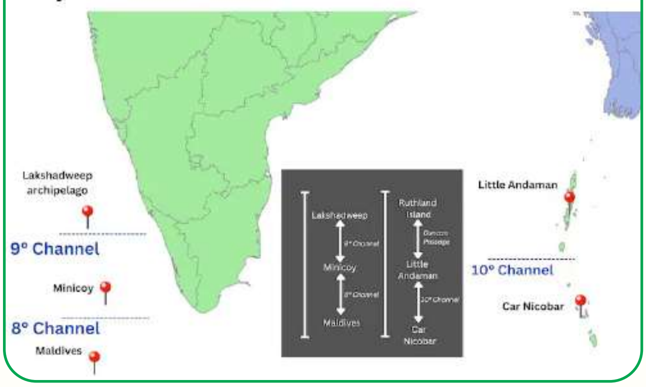

लक्षद्वीप की परिचालन क्षमता पर प्रभाव:

- इस नौसैनिक अड्डे की स्थापना द्वीपों के व्यापक विकास पर सरकार के ध्यान के अनुरूप है।
- अपेक्षित बुनियादी ढाँचे और संसाधनों के साथ एक स्वतंत्र नौसैनिक इकाई की स्थापना से द्वीपों में भारतीय नौसेना की समग्र परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी।
- यह पश्चिमी अरब सागर में भारतीय नौसेना के समुद्री डकैती रोधी और मादक द्रव्य रोधी अभियानों को सुविधाजनक बनाएगा जिससे क्षेत्र में पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में इसकी क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी।
- यह विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और मालदीव के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों के समय में नौसेना की परिचालन निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह के बारे में:

- संस्कृत और मलयालम में लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ 'एक लाख द्वीप' होता है। यह 36 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है जो कोच्चि से 220 किमी से 440 किमी के बीच स्थित है। द्वीपसमूह (जिनमें से केवल 11 पर निवास है) का कुल क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किमी है।
- ये द्वीप हिंद महासागर में कोरलाइन द्वीपों की एक श्रृंखला का हिस्सा हैं जिसमें दक्षिण में मालदीव और भूमध्य रेखा के दक्षिण में

चागोस द्वीपसमूह शामिल हैं।

निष्कर्ष:

हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए लक्षद्वीप भारत के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व रखता है। मिनिकॉय दुनिया के संचार की महत्त्वपूर्ण समुद्री लाइनों (एसएलओसी) तक फैला हुआ है जिसमें आठ डिग्री चैनल (मिनिकॉय और मालदीव के बीच) तथा नौ डिग्री चैनल (मिनिकॉय और लक्षद्वीप द्वीपों के मुख्य समूह के बीच) प्रमुख हैं। नौसैनिक अड्डे के विकास से निश्चित रूप से द्वीप की समग्र क्षमता में वृद्धि होगी।

'एक देश-एक चुनाव' की वास्तविकता पर समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में सभी चुनाव एक साथ कराने को लेकर रामनाथ कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। इस मसौदे में समिति ने 2029 में देश में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव कराने का प्रस्ताव किया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव, जबकि दूसरे चरण में नगर निगम व ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव कराने का सुझाव दिया है।

समिति के मुख्य सुझाव:

- हालांकि समिति ने एक साथ चुनाव को लेकर संवैधानिक संशोधन की भी सिफारिश की ताकि लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव 2029 तक हो सकें।
- समिति ने सुझाव दिया कि पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। तत्पश्चात नगर पालिकाओं तथा पंचायतों के चुनाव को इस तरह से समन्वित किया जाएगा कि यह लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर आयोजित किया जाए।
- त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में, शेष बचे कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं।
- समिति ने भारत सरकार के तीनों स्तरों 'केंद्र (लोकसभा), राज्य (विधान सभा) और स्थानीय (नगर पालिकाओं)' के चुनावों के लिए एकल मतदाता सूची तथा एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र की सिफारिश किया।

एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों?

- देश में हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। इस सबसे बचने के लिये नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया।

इसे लागू करने में वैधानिक समस्या:

- भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी किया था। इसमें कहा गया कि संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में उचित संशोधन करने की आवश्यकता है।
- देश की राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव आना तभी संभव होगा, जब केन्द्र सरकार दो तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में हो। यह संवैधानिक बाध्यता है कि इस कानून को लागू करने से पहले देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे पास कराना पड़ेगा।

निष्कर्ष:

एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं है किन्तु राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, उससे लगता है कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा। अब जरुरत है कि सभी राजनीतिक दल खुले मन से इस मुद्दे पर बहस करें ताकि इसे वास्तविकता में लाया जा सके।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।

मुख्य बिन्दु:

- यह नियम मौजूदा यूए श्रेणी को निम्न तीन भाग में विभाजित करते हुए आयु-आधारित श्रेणियां पेश करता है:
  - यूए 7+ (सात वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए)
  - यूए 13+ (तेरह और उससे अधिक उम्र के लिए)
  - 12 वर्ष के बजाय यूए 16+ (सोलह और उससे अधिक उम्र के लिए)
- ये मार्कर अनुशंसात्मक हैं जिनका उद्देश्य माता-पिता या अभिभावकों को यह तय करते समय विचार करना है कि उनके बच्चों को कोई विशेष फिल्म देखनी चाहिए या नहीं।

लैंगिक समानता बोर्ड:

- सीबीएफसी बोर्ड के भीतर एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी जिसमें आधे सदस्य महिलाएं होने पर लैंगिक समानता हासिल करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रमाणीकरण समयसीमा और सत्यापन:

- एक नया प्रावधान फिल्म रिलीज करने की पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म निर्माताओं द्वारा महसूस की जाने वाली तात्कालिकता

के मामलों में प्रमाणन के लिए फिल्मों की शीघ्र स्क्रीनिंग की अनुमति देता है। इसके अलावा, नए नियम पिछले 10-वर्ष की अवधि की जगह, सीबीएफसी प्रमाणपत्रों के लिए स्थायी वैधता स्थापित करते हैं।

टेलीविजन प्रसारण:

- टेलीविजन प्रसारण के लिए संपादित की गई फिल्मों को पुनः प्रमाणन की आवश्यकता होगी क्योंकि केवल अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी श्रेणी की फिल्में ही टेलीविजन पर दिखाई जा सकती हैं।

विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए समावेशिता:

- श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए फिल्मों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

फीचर फिल्में:

- व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए सिनेमा हॉल या मूवी थिएटरों में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु बनाई गई फीचर फिल्मों को स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

अनुपालन समय-सीमा:

- एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणन की आवश्यकता वाली फिल्मों को छह महीने के भीतर नियमों का पालन करना होगा, जबकि अन्य के लिए अनुपालन की समयसीमा दो साल है।
- 1 जनवरी, 2025 से शुरू होकर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली फिल्मों को स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

क्रियान्वयन के लिए समिति:

- इसकी निगरानी मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समर्पित समिति द्वारा की जाएगी जिसके आधे सदस्य श्रवण या दृश्य विकलांगता वाले व्यक्ति और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि होंगे।

निष्कर्ष:

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2023, पायरेसी से निपटने और भारतीय फिल्म उद्योग के लिए व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। ये नियम श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सिनेमा का पूरा आनंद लेने में सक्षम बनाने तथा समाज की मुख्यधारा में उनके समावेश को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अकोला पश्चिम विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना रद्द

चर्चा में क्यों?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए जारी चुनाव आयोग (ईसी) की अधिसूचना को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि नए आने वाले सदस्य को एक वर्ष से कम की अवधि मिलेगी, इसलिए यह (उपचुनाव कराना) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 (ए) का उल्लंघन होगा।

धारा-151ए के बारे में:

- किसी भी रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव रिक्ति होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा: बशर्ते कि इस धारा में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा यदि- (ए) संबंधित सदस्य के कार्यकाल का शेष एक रिक्ति के लिए एक वर्ष से कम है या (बी) चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर उपचुनाव कराना मुश्किल है।

उप-चुनाव क्या है?

- उप-चुनाव, आम चुनावों के बीच रिक्त निर्वाचित कार्यालयों को भरने के लिए किया जाने वाला चुनाव है। उम्मीदवारों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण एक या कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव होते हैं।
- अप्रत्याशित रिक्तियों को संबोधित करने के लिए चुनावी चक्र में उपचुनाव महत्त्वपूर्ण हैं। उपचुनावों का प्राथमिक उद्देश्य विधायी निकाय में प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र या जिले का समय पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

भारत चुनाव आयोग के बारे में:

- भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।
- मूलतः आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जबकि वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही दो चुनाव आयुक्तों का प्रावधान है।
- भारत के संविधान ने प्रत्येक राज्य की संसद, विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण भारत के चुनाव आयोग को सौंपा है।
- संविधान के तहत आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। चुनावों में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्तियों के मामले जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष आते हैं, उन्हें इस सवाल पर राय के लिए आयोग को भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और यदि हां, तो कितने अवधि के लिए।

निष्कर्ष:

न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कानून का शासन स्थापित करता है जहां नियम, कानून और संविधान सर्वोच्च होते हैं। चुनाव आयोग को भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान इन बारीकियों को समझने की आवश्यकता है ताकि लोकतान्त्रिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ाया जा सके।

भारत में राजनीति का अपराधीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 36% राज्यसभा उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, इनमें से 17% व्यक्तियों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं जिनमें से एक उम्मीदवार पर हत्या के प्रयास का मामला भी हैं।

प्रमुख बिन्दु:

- एडीआर भारत में एक गैर-पक्षपाती और गैर-राजनीतिक संगठन है जो 25 वर्षों से अधिक समय से राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहा है।
- लगभग 21% उम्मीदवार अरबपति हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक है जो कि राजनीतिक क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की गई महत्त्वपूर्ण संपत्ति को दर्शाता है।
- अधिकांश उम्मीदवार (76%) 51-70 आयु वर्ग के हैं जिनमें केवल 19% महिलाएं हैं। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानता को दर्शाता है।
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने पाया है कि नवनिर्वाचित राज्यसभा उम्मीदवारों में से 36% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है जो 2019 से दोगुना है।

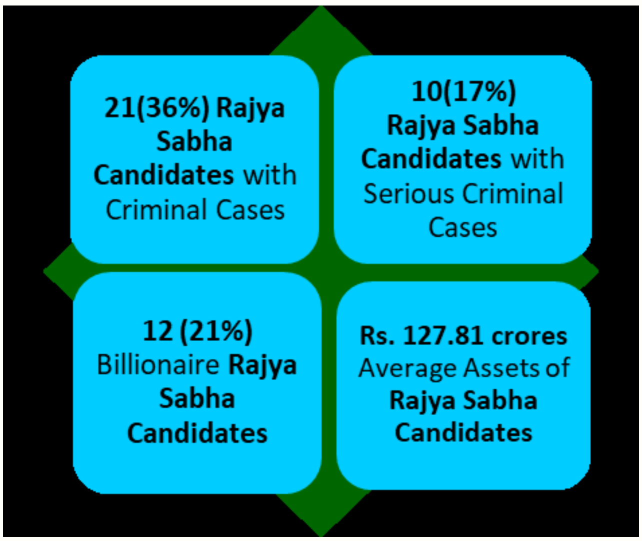

प्रसंग:

- यह भारतीय राजनीति में आपराधिक आरोपों या आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों की भागीदारी को दर्शाता है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के रूप में सुरक्षित स्थान प्राप्त करते हैं।
- इसी संगठन की सक्रियता से उच्चतम न्यायालय ने मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
- एडीआर का तर्क है कि केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति संविधान की मूलभूत विशेषताओं के साथ-साथ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन करती है।

राजनीति में अपराधीकरण का तर्क:

- राजनीतिक दलों का अपराधीकरण अपराधियों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ से उत्पन्न होता है जो वोट-बैंक की राजनीति की गतिशीलता से जुड़ा हुआ है।
- यह मुद्दा राज्य मशीनरी के राजनीतिक हेरफेर और भ्रष्टाचार के व्यापक प्रभाव से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, कानूनों में संशोधन करने या मौजूदा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के प्रति राजनीतिक व्यवस्था की अनिच्छा इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को कायम रखती है।

राजनीति के अपराधीकरण से जुड़ी चिंताएँ:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** शासन का मूल उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं। हालाँकि, जब निर्वाचित प्रतिनिधियों के आपराधिक रिकॉर्ड हों, तो एक प्रभावी और त्वरित न्याय प्रणाली के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संदिग्ध होने की संभावनाएं हो सकती है।
- **दोषसिद्धि दर में कमी:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 के दौरान केवल 10,416 हत्या के मामले सुलझाए गए जिसके परिणामस्वरूप सजा दर केवल 42.4% रही। कानून मंत्री द्वारा विभिन्न अदालतों में 4.7 करोड़ से अधिक लंबित मामलों की स्वीकृति कानूनी प्रणाली की प्रभावकारिता को लेकर चिंताओं को बढ़ाती है।
- **पुलिस स्टेशनों पर प्रभाव:** राजनेताओं का पुलिस स्टेशनों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है जिससे फील्ड स्टाफ की अखंडता और निष्पक्षता से समझौता हो सकता है। यह हस्तक्षेप सामान्य अपराधियों को जबरन वसूली, भूमि अधिग्रहण और आपराधिक मामलों में गवाहों को डराने-धमकाने में लगे सिंडिकेट बनाने में योगदान देता है।

निष्कर्ष:

भारत में राजनीति के अपराधीकरण को संबोधित करना एक अत्यावश्यक मामला है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। राजनीतिक क्षेत्र में अपराधियों की भागीदारी न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करती है, बल्कि राष्ट्र की प्रगति को भी बाधित करती है। भारत के चुनाव आयोग और अन्य संबंधित अधिकारियों को राजनीतिक दलों तथा उनके वित्तपोषण के संबंध में पारदर्शिता उपायों को लागू करना चाहिए। यह जानकारी भारत के नागरिकों के लिए मतदान में निर्णय लेने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस खतरे पर अंकुश लगाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए कड़े निर्णय लागू करना जरूरी है।

इलेक्टोरल बॉन्ड से सम्बन्धित डेटा जारी

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से डेटा की अंतिम सूची जारी करने का आदेश दिया था जो चुनावी वित्तपोषण की लगभग पूरी तस्वीर पेश करता है। यह डेटा पहले सार्वजनिक नहीं था। एसबीआई ने कॉरपोरेट और व्यक्तिगत दाताओं द्वारा खरीदे गए अद्वितीय संख्याओं पर डेटा जारी किया है जो बाद में राजनीतिक दलों द्वारा भुनाये (Encash) जाते हैं।

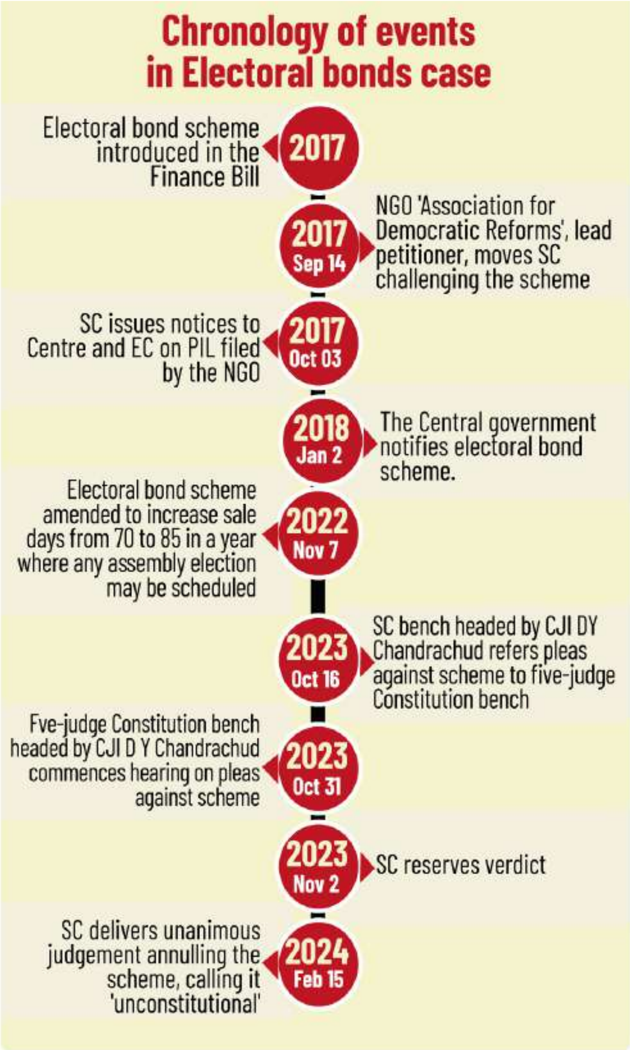

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई मुख्य टिप्पणी:

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार के अन्तर्गत धारा 19(1)(ए) का उल्लंघन करते हैं। इस बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से 'क्विड प्रो क्वो' की स्तिथि बन सकती है।
- **वैकल्पिक योजनाओं की आवश्यकता:** न्यायालय ने सुझाव दिया कि चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने की एकमात्र योजना नहीं है अर्थात यहाँ विकल्पों की आवश्यकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लक्ष्य के कारण सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है।
- **कंपनी अधिनियम संशोधन की असंवैधानिकता:** न्यायालय ने कहा कि कंपनी अधिनियम में संशोधन (जो व्यापक कॉर्पोरेट राजनीतिक फंडिंग की अनुमति देता है) असंवैधानिक है।
- **चुनिंदा गुमनामी और गोपनीयता:** न्यायालय ने इस योजना की आलोचना की क्योंकि यह 'चुनिंदा गुमनामी' और 'चुनिंदा गोपनीयता' प्रदान करती है। चुनावी बॉन्ड का विवरण भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पास उपलब्ध है जिसका एक्सेस कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है।
- **चुनाव आयोग द्वारा डेटा प्रकटीकरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को 30 सितंबर, 2023 तक चुनावी बॉन्ड के योगदान पर डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाये गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

चुनावी बॉन्ड और चुनावी बॉन्ड योजना:

- चुनावी बॉन्ड वचन पत्र (Promissory Notes) के समान वित्तीय साधन हैं जिन्हें भारत में कंपनियां और व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को दान देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से खरीद सकते हैं।
- इन बॉन्ड को केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही दिया जा सकता है। व्यक्तियों के पास अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीदने का विकल्प होता है।
- भारत में राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी करने के उद्देश्य से 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना शुरू की गई थी।
- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना था।
- सरकार ने इस योजना को 'नकद रहित-डिजिटल अर्थव्यवस्था' की ओर बढ़ रहे राष्ट्र में 'चुनावी सुधार' के रूप में वर्णित किया था।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस तर्क की आलोचना की है कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों के फंडिंग के स्रोत को जानने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को एक नई प्रणाली तैयार करने पर विचार करना चाहिए जो आनुपातिकता को संतुलित करके समान अवसर का मार्ग प्रशस्त कर सके।

यूरोपीय देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता और इसके आयाम

भारत की विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति का इस्तेमाल अपने आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भारत वैश्वीकरण और एलपीजी मॉडल के लाभों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का हर संभव प्रयास करता है। इसके लिए विभिन्न देशों और संगठनों के साथ मुक्त व्यापार समझौता तथा वरीयतामूलक व्यापार समझौते के जरिए भारत अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने का काम करता है लेकिन इसके साथ ही घरेलू उत्पादकों के हितों के साथ समझौता न करने के लिए भी भारत कार्य करता है। यही कारण है कि व्यापारिक नियमों कानूनों जैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड फैसिलिटेशन आदि पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही मुक्त व्यापार समझौतों में आगे की कार्यवाही होती है।

हाल ही में भारत ने यूरोपीय देशों के एक समूह (जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं) के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association-EFTA) के सदस्यों ने व्यापक आधार वाले व्यापार तथा निवेश समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 16 वर्षों में 21 दौर की वार्ता की है। इससे पता चलता है कि भारत ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर समझौते की हर धारा का परीक्षण किया है। जब भी किसी देश या संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौता होता है तो हर प्रकार के टैरिफ बाधाओं (प्रशुल्क अवरोध) को दूर करना होता है। वस्तुओं पर लगने वाली ड्यूटी को खत्म करना होता है, लेकिन इस चीज की भी अपनी एक सीमा होती है। मुक्त व्यापार समझौते के जरिए एक देश अपने बाजार को विदेशी वस्तुओं से भर भी नहीं सकता। इसलिए भारत ने ईएफटीए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते में इस बात का ध्यान रखा है। नई दिल्ली को इस समझौते के बाद 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त होने का अनुमान है।

ईएफटीए से भारत को संभावित लाभः

- भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनने, अपने वैश्विक व्यापार घाटे में कमी करने तथा यूरोप के देशों में निर्यात को बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते की राह पर चलना जरुरी हो जाता है। आज भारत कई क्षेत्रों में व्यापारिक रूप से मजबूत है और उसे मजबूती देने के लिए अपने व्यापार को अधिक विविधतामूलक बनाने तथा ग्रेटर मार्केट एक्सेस के लिए कार्य करने की जरूरत है। कई देशों में भारत के उत्पादों पर उच्च प्रशुल्क दरों के चलते भारत का निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार संतुलन आदि प्रभावित होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भारत ने ईएफटीए देशों की तरफ कदम बढ़ाया है।
- भारत आशा करता है कि खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते तथा अब ईएफटीए के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों (दवाओं, वस्त्रों, रसायनों और मशीनरी) के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत इस समझौते के जरिए वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, रेलवे और वित्तीय क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित कर सकेगा, साथ ही भारत के सेवा क्षेत्र को इस समझौते से लाभ मिल सकता है। यह समझौता भारत को अपने सेवा क्षेत्र को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत ईएफटीए का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जिसका कुल द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 25 बिलियन डॉलर से अधिक हो

गया है। इस अवधि में कंपनी ने ईएफटीए को 2.8 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि करीब 22 अरब डॉलर का आयात किया है। ऐसे में भारत व्यापार घाटे का सामना करता है जिसे ठीक करने के लिए उसे इन देशों में निर्यात को बढ़ाने हेतु ग्रेटर मार्केट एक्सेस चाहिए।

- एक करोड़ 30 लाख की आबादी और एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संयुक्त जीडीपी के साथ ईएफटीए देश दुनिया के नौवें सबसे बड़े व्यापारिक कारोबारी हैं जिनका वाणिज्यिक सेवाओं के मामले में पांचवां स्थान है। एफटीए क्षेत्र के फंड में नॉर्वे का $1.6 ट्रिलियन सॉवरेन वेल्थ फंड शामिल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा 'पेंशन' फंड है। इसने टेक्नोलॉजी स्टॉक में अपने निवेश पर 2023 में लगभग 213 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रिटर्न अर्जित किया है।
- एफटीए के इतिहास में पहली बार 100 बिलियन डॉलर के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार की बाध्यकारी प्रतिबद्धता भारत तथा ईएफटीए देशों द्वारा की गई है। यह समझौता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा तथा युवा एवं प्रतिभाशाली श्रमबल को अवसर प्रदान करेगा।

यह एफटीए बड़े यूरोपीय तथा वैश्विक बाजारों तक भारतीय निर्यातकों को पहुंच प्रदान करेगा। इस समझौते में 14 अध्याय शामिल हैं जिसमें मुख्य फोकस वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच (मार्केट एक्सेस), उद्भव के नियमों (रूल्स ऑफ ओरिजिन), व्यापार सुगमीकरण (ट्रेड फैसिलिटेशन), व्यापार उपचारों, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों (सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स), व्यापार से संबंधित तकनीकी बाधाओं, निवेश संवर्धन, सेवाओं पर बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकारों, व्यापार एवं सतत विकास तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों पर है।

इंडिया–ईएफटीए की मुख्य विशेषताएं:

- ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और ऐसे निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को कवर नहीं करता है।
- एफटीए के इतिहास में पहली बार लक्ष्य-उन्मुख निवेश को बढ़ावा देने और रोजगारों के सृजन के बारे में कानूनी प्रतिबद्धता जताई जा रही है।
- ईएफटीए अपनी 92.2 प्रतिशत टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है जो भारत के 99.6 प्रतिशत निर्यात को कवर करता है। ईएफटीए के बाजार पहुंच प्रस्ताव में 100 प्रतिशत गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद (पीएपी) पर टैरिफ रियायत शामिल है। भारत अपनी 82.7 प्रतिशत टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है जिसमें 95.3 प्रतिशत ईएफटीए निर्यात शामिल है जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक आयात सोना है। सोने पर प्रभावी शुल्क अछूता रहा है। इस दौरान फार्मा, चिकित्सा उपकरणों और प्रसंस्कृत खाद्य आदि क्षेत्रों में पीएलआई से संबंधित संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया है। डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों को बहिष्करण सूची में रखा गया है।
- भारत ने ईएफटीए को 105 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है और स्विट्जरलैंड से 128, नॉर्वे से 114, लिकटेंस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं। भारत और ईएफटीए के बीच हुआ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) भारत की रूचि के क्षेत्रों जैसे आईटी सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजक सेवाओं, अन्य शिक्षा सेवाओं, ऑडियो- विजुअल सेवाओं आदि में भारत के निर्यात को प्रोत्साहित करेगा।
- ईएफटीए की सेवाओं की पेशकश में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी (मोड 1), वाणिज्यिक उपस्थिति (मोड 3) और प्रमुख कर्मियों के प्रवेश तथा अस्थायी प्रवास के लिए बेहतर प्रतिबद्धताओं और निश्चितता (मोड 4) के माध्यम से अधिक पहुंच शामिल है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि जैसी व्यावसायिक सेवाओं में पारस्परिक मान्यता

समझौतों के प्रावधान हैं।

- ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएं ट्रिप्स स्तर पर हैं। स्विट्जरलैंड के साथ आईपीआर अध्याय, जहां आईपीआर के लिए उच्च मानक हैं, वह भारत की मजबूत आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) व्यवस्था को दर्शाता है। जेनेरिक दवाओं में भारत के हितों और पेटेंट की एवरग्रीनिंग यानी सदाबहार की प्रक्रिया में शामिल पेटेंट कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के विशिष्ट पहलू से संबंधित चिंताओं को पूरी तरह से संबोधित किया गया है।
- भारत सतत विकास, समावेशी विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देता है। व्यापार प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- टीईपीए हमारे निर्यातकों को विशेष इनपुट तक पहुंच को सशक्त बनाकर अनुकूल व्यापार और निवेश माहौल तैयार करेगा। इससे भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सेवा क्षेत्र को अधिक बाजारों तक पहुंचने के अवसर मिलेंगे। टीईपीए यूरोपीय संघ के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड का 40 प्रतिशत से अधिक वैश्विक सेवा निर्यात यूरोपीय संघ को होता है। भारतीय कंपनियां यूरोपीय संघ तक अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड को आधार के रूप में देख सकती हैं।
- टीईपीए बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, विनिर्माण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके 'मेक इन इंडिया' सहित आत्मनिर्भर भारत को भी गति देगा।
- टीईपीए भारत में अगले 15 वर्षों में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाओं सहित भारत के युवा महत्त्वाकांक्षी कार्यबल हेतु बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन में तेजी लाएगा। टीईपीए सटीक इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, नवोन्मेषण और अनुसंधान एवं विकास में प्रौद्योगिकी सहयोग तथा विश्व की अग्रणी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है।

भारत और स्विट्जरलैंड संबंधों को मजबूती:

- भारत और ईएफटीए करार पर स्विस सरकार ने कहा है कि इससे स्विस मशीनरी, घड़ियों और परिवहन से जुड़े लक्जरी उत्पाद बनाने वाले निर्माताओं को लाभ होगा। भारत ने स्विस परिवहन कंपनियों को रेलवे में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। यह समझौता ईएफटीए देशों को प्रसंस्कृत खाद्य और पेय पदार्थ, इलेक्ट्रिकल मशीनरी तथा अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों को कम टैरिफ पर एक अरब 40 करोड़ लोगों के बाजार में निर्यात करने का अवसर देता है। इस व्यापार समझौते से दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग को भी फायदा हो सकता है।
- भारत को उम्मीद है कि इस समझौते से ईएफटीए के सबसे बड़े साझेदार स्विट्जरलैंड के साथ व्यापारिक संबंध और बेहतर होगा। भारत एशिया में इसका चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि दक्षिण एशिया में ईएफटीए का सबसे बड़ा साझेदार है। यूबीएस जैसे बैंकों के अलावा नेस्ले, होलसिम, सुल्जर और नोवार्टिस जैसी 300 से अधिक स्विस कंपनियां भारत में अपने कारोबार का संचालन करती हैं, जबकि दिग्गज भारतीय आईटी कंपनियां टीसीएस, इंफोसिस तथा एचसीएल स्विट्जरलैंड में काम करते हैं।

ईएफटीए समझौते की सीमाएं:

- भारत ने पहले चार देशों की इस मांग को खारिज कर दिया था कि समझौते में 'डेटा एक्सक्लूसिविटी' के प्रावधानों को शामिल किया जाए। इससे भारतीय कंपनियों के लिए पेटेंट से इतर दवाओं के जेनेरिक वेरिएंट का उत्पादन करना मुश्किल हो जाएगा। भारत और ईएफटीए ने बड़े पैमाने पर 'संवेदनशील' कृषि उत्पादों तथा सोने के आयात को समझौते से बाहर रखने पर सहमति व्यक्त की है। डेयरी, कोयला, सोया और संवेदनशील कृषि उत्पाद शुल्क छूट के दायरे से बाहर रहेंगे। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव ने एक रिपोर्ट में कहा कि स्विट्जरलैंड की किसी भी देश से सभी औद्योगिक वस्तुओं के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश की नीति एक जनवरी से प्रभावी होगी जिससे भारतीय कंपनियों का लाभ प्रभावित हो सकता है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि शुल्कों, गुणवत्ता मानकों और अनुमोदन आवश्यकताओं की जटिलता के कारण भारत को स्विट्जरलैंड में कृषि उपज निर्यात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- रसायनों, उपभोक्ता वस्तुओं, वाहनों और कपड़ों सहित सभी औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ का उन्मूलन भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि वित्त वर्ष 2023 में स्विट्जरलैंड को भारत के 1.3 बिलियन डॉलर के व्यापारिक निर्यात में औद्योगिक वस्तुओं का 98 प्रतिशत हिस्सा है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा है कि शुल्कों, गुणवत्ता मानकों और अनुमोदन आवश्यकताओं की जटिलता के कारण स्विट्जरलैंड को कृषि उपज का निर्यात चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ईएफटीए की ओर से अधिकांश बुनियादी कृषि उपज पर कृषि शुल्क शून्य करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

नाटो का 32वां सदस्य बना स्वीडन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वीडन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दशकों की तटस्थता नीति को छोड़ते हुए नाटो का 32वां गठबंधन सदस्य बन गया।

ऐसे कदम का महत्त्वः

- स्वीडन ने दोनों विश्व युद्धों और संपूर्ण शीत युद्ध के दौरान किसी का भी पक्ष (न तो पश्चिमी देशों का और न ही तत्कालीन सोवियत संघ का) लेने से इंकार कर दिया। अपनी सुरक्षा नीति और अपनी राष्ट्रीय पहचान के मूल में तटस्थता को अपना लिया। हालाँकि, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन दोनों में जनमत बदल गया।

स्वीडन की तटस्थता के पीछे का इतिहासः

- स्वीडन की तटस्थता की परंपरा 19वीं सदी की शुरुआत में नेपोलियन के युद्धों से चली आ रही थी। वह एक ऐसा समय था जब स्वीडन ने यूरोप में चल रहे सत्ता संघर्षों से खुद को दूर करने की कोशिश की थी। नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई में विजयी होने के बावजूद, फिनलैंड की रूस से हार के कारण स्वीडन ने वैश्विक मंच पर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका की आकांक्षाओं को त्याग दिया।
- किंग कार्ल XIV जॉन ने 1834 में स्वीडन की तटस्थता को औपचारिक रूप दिया जिसमें प्रमुख शक्तियों के संघर्षों में उलझने से बचने की देश की इच्छा पर जोर दिया गया।
- पूरे इतिहास में यह धारणा विकसित हुई, खासकर शीत युद्ध के दौरान जब स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो तथा वारसॉ संधि के बीच बफर राज्यों के रूप में कार्य किया। इस स्थिति का उद्देश्य बाल्टिक सागर क्षेत्र में एक प्रमुख पड़ोसी रूस के साथ तनाव को कम करना था। अपनी तटस्थता के बावजूद, स्वीडन ने एक मजबूत सैन्य क्षमता बनाए रखी।
- 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने जैसी घटनाओं ने स्वीडन को अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। नतीजतन, देश ने सैन्य निवेश बढ़ाया और नाटो के साथ संबंधों को मजबूत किया जिसकी झलक 2017 में भर्ती की बहाली और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण गोटलैंड द्वीप पर एक रेजिमेंट की पुनर्स्थापना के रूप में दिखी।
- समय के साथ, स्वीडन की विचारधारा तटस्थता से गुटनिरपेक्षता की ओर स्थानांतरित हुई जो 1995 के बाद से पश्चिमी क्षेत्र में स्वीडन के एकीकरण और यूरोपीय संघ में सदस्यता को दर्शाता है।

नाटो के बारे में

- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इस गठबंधन की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी।
- वर्तमान में इस गठबंधन में मूल सदस्यों के साथ 32 सदस्य हैं जिनमें मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- 1966 में फ्रांस नाटो की एकीकृत सैन्य कमान से हट गया लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा। इसने 2009 में नाटो की सैन्य कमान में अपनी स्थिति फिर से शुरू कर दी।
- मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में ग्रीस व तुर्की (1952), पश्चिम जर्मनी (1955, 1990 से जर्मनी), स्पेन (1982), चेक गणराज्य, हंगरी एवं पोलैंड (1999), बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया (2004), अल्बानिया तथा क्रोएशिया (2009), मोंटेनेग्रो (2017), उत्तरी मैसेडोनिया (2020), फिनलैंड (2023) और स्वीडन (2024) रोमानिया शामिल थे।

स्वीडन को कैसे लाभ होगा?

- **सैन्य महत्त्वः** स्वीडन के पास अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित सशस्त्र बल है। देश वर्षों से सैन्य अभ्यासों के दौरान नाटो के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम कर रहा है। रूस द्वारा आक्रमण शुरू होने के बाद से इसकी निकटता में वृद्धि हुई है। यह नाटो के सकल घरेलू उत्पाद के 2% के रक्षा व्यय लक्ष्य को भी पूरा करता है।
- **वाशिंगटन संधि का अनुच्छेद 5:** एक बार जब कोई देश नाटो का सदस्य बन जाता है, तो उसके क्षेत्र पर हमला अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन पर हमला माना जाता है जिसमें सभी 31 सदस्य एक-दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य होते हैं। यह आर्टिकल अब स्वीडन पर भी लागू होगा।

सामरिक महत्त्वः

- **बाल्टिक और आर्कटिक पर नाटो का प्रभावः** स्वीडन की सदस्यता बाल्टिक सागर के आसपास नाटो क्षेत्र की एक रणनीतिक शृंखला को पूरा करती है। इससे पहले, फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो का सदस्य बना था। यह सदस्यता आर्कटिक पर भी नाटो की मजबूत पकड़ स्थापित करती है जो रूस के प्रभुत्व का रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जहां चीन भी अपने विशाल बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के हिस्से के रूप में पहुंच चाहता है।
- **इंडो-पैसिफिक पर प्रभावः** नाटो की चीन पर नजर रखने से

इंडो-पैसिफिक पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। नाटो सदस्य के रूप में स्वीडन संभवतः चीन पर अधिक कठोर रुख का समर्थन करके अपने पूर्व मिशन को प्रभावित करेगा जिसमें राजनीतिक चेतावनी शामिल है जो नाटो को यूरोपीय सुरक्षा के लिए चीन को सुरक्षा खतरे के रूप में तैयार करने से रोकता है।

- स्वीडन सुरक्षा साझेदारियों के माध्यम से इंडो-पैसिफिक में मजबूत पैठ बनाने की नाटो की वर्तमान रणनीति को महत्त्व देगा जो इंडो-पैसिफिक में साझेदार राज्यों (अर्थात दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के साथ नाटो के अनुरूप कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा।
- **चीन का दृष्टिकोण:** नाटो ने खुले तौर पर चीन और रूस के बीच सहयोग को उजागर किया है। इसने खुले तौर पर चीन की कूटनीतिक, तकनीकी तथा आर्थिक रणनीति को निशाना बनाया है जो उसके साझेदारों के मूल्यों और हितों को बाधित करके बदले में नियम-आधारित व्यवस्था को कमजोर करना चाहती हैं।
- यूरो-अटलांटिक नाटो का मुख्य जनादेश बना हुआ है जो मुख्य रूप से समान विचारधारा वाले इंडो-पैसिफिक राज्यों के साथ गहरी सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से चीन द्वारा प्रस्तुत भू-राजनीतिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा से निपटने के महत्त्व की पहचान करता है।
- चीन द्वारा 'वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी' अपनाने से भी तनाव बढ़ गया है। नाटो सदस्य के रूप में स्वीडन, संभवतः चीन पर अधिक कठोर रुख अपनाकर अपने पूर्व मिशन को प्रभावित करेगा जिसमें राजनीतिक चेतावनी शामिल हो सकती है जो चीन को यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में तैयार करने से रोकता है।
- **भारत पर प्रभाव:** स्वीडन की तटस्थता भारत के अनुरूप है। भारत भी एक ऐसा देश है जिसने सैन्य गठबंधनों में भाग लेने से इंकार कर दिया है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से चीन की शत्रुता का मुकाबला करने के लिए अपनी सुरक्षा साझेदारी को प्रभावी ढंग से बढ़ा रहा है।

निष्कर्षः

जैसे ही स्वीडन और फिनलैंड अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो में प्रवेश करते हैं, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय रक्षा में सुधार के लिए आवश्यक बदलावों के साथ-साथ शांति और स्थिरता हेतु बहुपक्षीय संस्थानों को पुनर्जीवित करने की दिशा में अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी।

चीन के साथ मालदीव रक्षा समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने चीन के साथ एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। यह घोषणा भारत से एक तकनीकी टीम के मालदीव पहुंचने के कुछ दिनों बाद हुई जो उन सैनिकों को प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी जिन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हटाना चाहते थे।

चीन और मालदीव के बीच बढ़ते संबंधः

- यह विकास दोनों देशों द्वारा चीन-मालदीव संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति के अनुरूप है। दोनों पक्षों ने सैन्य सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता भी किया है।
- दोनों देशों ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देते हुए, मालदीव गणराज्य को चीन द्वारा मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, चीन ने मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय को 12 हरित एम्बुलेंस भी दान किया है।

भारत-मालदीव संबंधों पर प्रभावः

- नए राष्ट्रपति की चीन के प्रति बढ़ती उत्सुकता ने भारत को आगाह किया है। इसमें द्वीप राष्ट्र में तैनात अपने सैनिकों को वापस लेना शामिल है। भारत ने विमानों को संचालित करने में मदद करने के लिए एक तकनीकी टीम भेजा है।
- एक उच्च-स्तरीय कोर समूह के बीच द्विपक्षीय चर्चा के बाद, फरवरी की शुरुआत में दोनों पक्ष 10 मई, 2024 तक चरणबद्ध तरीके से भारतीय सैनिकों को हिंद महासागर द्वीपसमूह छोड़ने के आम सहमति पर पहुंचे।
- हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में मालदीव-भारत के संबंध ज्यादातर सौहार्दपूर्ण रहे हैं, लेकिन 2013 से 2018 तक प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) के नेता अब्दुल्ला यामीन के राष्ट्रपति रहते चीन की ओर झुकाव था। अब्दुल्ला यामीन के समय ही मालदीव बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) में शामिल हुआ था।

मालदीव का बहिष्कार अभियानः

- पिछले साल मालदीव के लिए भारत, पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत बाजार था, लेकिन 'मालदीव के बहिष्कार' अभियान के बाद इसमें गिरावट आई है।
- मालदीव ने चीनी यात्रियों से द्वीप राष्ट्र में पर्यटक आगमन में अपना शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया है।
- मालदीव पर्यटन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2024 में दर्ज की गई कुल पर्यटकों की संख्या में चीन की हिस्सेदारी 12.8%, जबकि भारत की हिस्सेदारी 6.4% रही है।

निष्कर्षः

मालदीव भारतीय तट से मात्र 700 किमी और चीन से 6,000 किमी से अधिक दूर है। 2004 में सुनामी से लेकर एक दशक बाद पेयजल संकट तक, मालदीव की सहायता के लिए भारत सबसे पहले आगे आया। हिंद महासागर में चीन के रणनीतिक हित, छोटे तटीय राज्यों को बीजिंग की कूटनीतिक पहुंच के लिए आदर्श लक्ष्य बनाते हैं। दिल्ली को मालदीव के लोगों के साथ जुड़ाव जारी रखना चाहिए ताकि भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत किया जा सके।

फ्रांस में गर्भपात का अधिकार

चर्चा में क्यों?

4 मार्च को फ्रांसीसी संसद ने वर्सेल्स पैलेस में एक ऐतिहासिक संयुक्त सत्र में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। इसके साथ ही फ्रांस महिलाओं को स्वेच्छा से गर्भावस्था समाप्त करने के अधिकार की स्पष्ट रूप से गारंटी देने वाला पहला देश बन गया है।

फ्रांस में गर्भपात के अधिकार:

- फ्रांस में 1975 से गर्भपात वैध था। हालांकि, अब यह अधिकार महिलाओं के लिए गारंटीशुदा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, फ्रांस में गर्भपात का मुद्दा राजनीतिक स्पेक्ट्रम में अत्यधिक विभाजनकारी नहीं है। अधिकांश फ्रांसीसी लोगों का मानना है कि गर्भपात महिला का अधिकार और एक आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है।
- पिछले साल पेश किए गए विधेयक में फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 के 17वें पैरा में संशोधन किया गया है। संशोधन में कहा गया है कि 'कानून उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके द्वारा महिलाओं को स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त करने की स्वतंत्रता मिलती है जिसकी गारंटी होती है।' इसका मतलब यह है कि भविष्य की सरकारें मौजूदा कानूनों में भारी बदलाव नहीं कर पाएंगी जो 14 सप्ताह तक समाप्ति की अनुमति देते हैं।

अन्य यूरोपीय देशों में गर्भपात के अधिकार:

- वर्तमान में 40 से अधिक यूरोपीय देशों में गर्भपात की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कुछ देशों में इस प्रक्रिया तक पहुंच को सीमित करने के प्रयास बढ़ रहे हैं।
- पिछले साल सितंबर में, हंगरी की सरकार ने सुरक्षित गर्भपात कराने से पहले महिलाओं के लिए भ्रूण के दिल की धड़कन सुनना अनिवार्य कर दिया था।
- पोलैंड केवल बलात्कार, अनाचार या मां के स्वास्थ्य या जीवन के लिए खतरा होने की स्थिति में गर्भपात की अनुमति देता है।
- यूनाइटेड किंगडम गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है, अगर इसे दो डॉक्टरों द्वारा अनुमोदित किया गया हो। विलंबित गर्भपात की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब मां के जीवन को कोई खतरा हो। हालाँकि, 24 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने वाली महिलाओं पर व्यक्ति अधिनियम, 1861 के खिलाफ अपराध के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

भारत में गर्भपात के अधिकार:

- भारत में एक केंद्रीय कानून है जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम कहा जाता है जो लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को कानून के तहत विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात करने की अनुमति देता है।
- इससे पहले गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) द्वारा शासित होता था जिसमें धारा 312 से 318 इस खंड का हिस्सा थी। इनमें से अधिकांश प्रावधानों का उद्देश्य गर्भपात को अपराध बनाना है, सिवाय इसके कि जहां प्रक्रिया महिला के जीवन को बचाने के लिए अच्छे विश्वास के साथ की गई थी।

निष्कर्ष:

एक स्वस्थ माँ बच्चे के विकास से जुड़ी होती है, इसलिए प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता जैसे अधिकार अक्सर समाज के समग्र विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों के साथ-साथ पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे और कानूनी रूप से सुरक्षित गर्भपात, सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है जिस पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि ऑनलाइन ड्रग तस्करी का उभरता परिदृश्य, ड्रग नियंत्रण के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहा है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:

- इंटरनेट पर अवैध दवाओं की बढ़ती उपलब्धता, सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन प्लेटफार्मों के आपराधिक समूहों द्वारा शोषण, फेंटेनाइल और अन्य सिंथेटिक ओपिओइड की ऑनलाइन उपस्थिति के कारण ओवरडोज से होने वाली मौतों का बढ़ता जोखिम, ड्रग नियंत्रण के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियां पेश कर रहा है।
- सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ड्रग तस्कर अपने उत्पादों को बड़े वैश्विक ग्राहकों के सामने विज्ञापित कर रहे हैं। विभिन्न पारंपरिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग स्थानीय बाजारों के रूप में किया जा रहा है जिससे

अनुचित सामग्री बच्चों और किशोरों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो रही है।

- एन्क्रिप्शन विधियों, डार्कनेट पर गुमनाम ब्राउजिंग और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग आमतौर पर पता लगाने से बचने के लिए किया जाता है जिससे ऑनलाइन तस्करी के अपराधों पर मुकदमा चलाने में कठिनाई होती है।
- अपराधी अपनी गतिविधियों को कम गहन कानून प्रवर्तन कार्यवाही या हल्के प्रतिबंधों वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर सकते हैं या उन देशों में खुद को आधार बना सकते हैं जहां वे प्रत्यर्पण से बच सकते हैं।
- ऑनलाइन गतिविधि का व्यापक स्तर एक अतिरिक्त जटिलता है।

प्रमुख चिंताएँ:

- मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठन अमेजॅन बेसिन में अवैध खनन, अवैध कटाई और वन्यजीव तस्करी में अपने कार्यों का विस्तार करना जारी रखे हैं।
- कोलंबिया और पेरू में अवैध कोक की खेती के रिकॉर्ड स्तर में क्रमशः 13 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- कई यूरोपीय देशों ने गैर-चिकित्सा प्रयोजनों हेतु भांग के लिए विनियमित बाजार स्थापित करना जारी रखा है। ये कार्यक्रम औषधि नियंत्रण सम्मेलनों के अनुरूप प्रतीत नहीं होते हैं।
- ऐसा प्रतीत होता है कि अफगानिस्तान, यूरोप और ओशिनिया में अवैध रूप से निर्मित मेथामफेटामाइन की तस्करी के लिए दक्षिण एशिया को तेजी से निशाना बनाया जा रहा है।

आईएनसीबी के बारे में:

- आईएनसीबी एक स्वतंत्र, अर्ध-न्यायिक निकाय है जिस पर तीन अंतरराष्ट्रीय दवा नियंत्रण सम्मेलनों के सरकारी अनुपालन को बढ़ावा देने और निगरानी करने का काम सौंपा गया है जो निम्न हैं:
  - 1961 में नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन
  - 1971 में साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन
  - 1988 में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध पर कन्वेंशन
- 1961 के नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन द्वारा स्थापित बोर्ड के तेरह सदस्यों को पांच साल की अवधि के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा व्यक्तिगत क्षमता से चुना जाता है।

निष्कर्ष:

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वैश्विक प्रकृति नए खतरों की पहचान करने और प्रभावी प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बेहद महत्त्वपूर्ण बनाती है। आईएनसीबी नशीली दवाओं की तस्करी के लिए वैध ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के दुरुपयोग से निपटने हेतु सरकारों और ऑनलाइन उद्योगों के बीच स्वैच्छिक सहयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। ग्रिड्स कार्यक्रम जैसी इसकी पहलों के कारण नशीली दवाओं की बरामदगी और गिरफ्तारियां हुई हैं जिससे आपराधिक नेटवर्क भी नष्ट हुए हैं। समय की मांग है कि सभी देश एक साथ मिलकर ड्रग तस्करी के खिलाफ मुहीम में भाग लें।

डी-8 संगठन के लिए सामान्य मुद्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुझाव दिया है कि डी-8 आर्थिक सहयोग संगठन के देश आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए एक सामान्य मुद्रा शुरू करने पर विचार करें। यह सुझाव उन्होंने ढाका में डी-8 देशों के व्यापार मंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान दिया था।

इस मुद्रा के लाभ:

- सभी देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक व सुगम बनाने में सहायता देना।
- इससे लोगों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होना।

बैठक के मुख्य बिन्दु:

- ढाका में डी-8 व्यापार मंत्रियों की बैठक तरजीही व्यापार समझौतों की चर्चा पर केंद्रित थी। प्रतिनिधियों ने 2030 तक आपसी व्यापार को मौजूदा 146 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की।

डी-8 संगठन के बारे में:

- डी-8 आर्थिक सहयोग संगठन (बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्किये) देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक संगठन है।
- आर्थिक सहयोग के लिए डी-8 संगठन की स्थापना की आधिकारिक घोषणा 15 जून, 1997 में इस्तांबुल घोषणा के माध्यम से की गई थी।
- आर्थिक सहयोग के लिए डी-8 संगठन का उद्देश्य वैश्विक

अर्थव्यवस्था में सदस्य देशों की स्थिति में सुधार करना, व्यापार संबंधों में विविधता लाना और नए अवसर पैदा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ाना तथा सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

- आर्थिक सहयोग के लिए डी-8 संगठन एक क्षेत्रीय व्यवस्था के बजाय एक वैश्विक व्यवस्था है, जैसा कि इसके सदस्यों की संरचना से पता चलता है। आर्थिक सहयोग के लिए डी-8 संगठन एक ऐसा मंच है जिसके सदस्य देशों की अन्य अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठनों की सदस्यता से उत्पन्न होने वाली द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- नाइजीरिया के राजदूत इसियाका अब्दुलकादिर इमाम वर्तमान में आर्थिक सहयोग के लिए डी-8 संगठन के महासचिव हैं जिसका सचिवालय इस्तांबुल, तुर्किये में स्थित है।

निष्कर्षः

बैठक के दौरान डी-8 सदस्य देश अपने सदस्य देशों के आर्थिक विकास क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने पर सहमत हुए कि वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया जाये। सदस्य देश आम लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार के लिए सहमत हुए। यह तभी संभव होगा जब सभी देश व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने में सक्षम होंगे।

अंतरराष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण पर सिपरी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वीडिश थिंक टैंक एसआईपीआरआई ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण, 2023 पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षः

- स्वीडिश थिंक टैंक एसआईपीआरआई ने कहा कि भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है। वर्ष 2014-2018 और 2019-2023 के बीच इसका आयात 4.7 प्रतिशत बढ़ा है। रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहा।
- 2019-23 में यूरोपीय राज्यों द्वारा हथियारों के आयात का लगभग 55 प्रतिशत अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई जो 2014-18 में 35 प्रतिशत से अधिक है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने अपने हथियारों के आयात में काफी बढ़ोतरी (43 फीसदी) की है।
- इसमें कहा गया है कि 2019-23 में पाकिस्तान पांचवां सबसे बड़ा हथियार आयातक था। चीन इसके मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में और भी अधिक प्रभावशाली हो गया जिसने अपने हथियारों का 82 प्रतिशत आयात किया।
- चीन के दो पूर्वी एशियाई पड़ोसी देशों के हथियारों के आयात में वृद्धि हुई जिसमें जापान में 155 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।
- चीन के हथियारों के आयात में 44 प्रतिशत की कमी आई क्योंकि आयातित हथियारों की जगह स्थानीय स्तर पर उत्पादित हथियारों ने लिया।
- एशिया और ओशिनिया में जापान सहित अन्य अमेरिकी सहयोगियों द्वारा हथियारों के आयात का निरंतर बना रहना, ये सब चीनी खतरे की धारणा से प्रेरित रहे।
- 2019-23 में तीस प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण मध्य पूर्व में हुआ।
- 2019-23 में तीन मध्य पूर्वी देश 'सऊदी अरब, कतर और मिस्र' शीर्ष 10 आयातकों में थे।
- 2019-23 में सऊदी अरब के हथियार आयात में 28 प्रतिशत की गिरावट आने से सऊदी अरब 2019-23 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा जिसने इस अवधि में वैश्विक हथियार आयात का 8.4 प्रतिशत प्राप्त किया।
- पाँच सबसे बड़े निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी थे।
- 2014-18 और 2019-23 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियारों का निर्यात 17 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि रूस द्वारा हथियारों का निर्यात 53 प्रतिशत कम हो गया। फ्रांस के निर्यात में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो रूस से आगे निकलकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया।
- 2019-23 में पांच सबसे बड़े हथियार आयातक भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान थे।
- 2019-23 में सभी हथियारों के आयात में एशिया और ओशिनियाई देशों की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत थी जिसके बाद मध्य पूर्व (30 प्रतिशत), यूरोप (21 प्रतिशत), अमेरिका (5.7 प्रतिशत) और अफ्रीका (4.3 प्रतिशत) का स्थान था।
- यूरोप में राज्यों द्वारा हथियारों का आयात 2014-18 की तुलना में 2019-23 में 94 प्रतिशत अधिक था।
- यूरोप में सबसे बड़ा आयातक यूक्रेन था जिसे 2019-23 में क्षेत्र के कुल हथियार आयात का 23 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

एसआईपीआरआई के बारे में:

एसआईपीआरआई एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।

निष्कर्षः

दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक के रूप में भारत की स्थिति अपने रक्षा-औद्योगिक आधार का विस्तार करने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए रणनीतिक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। चूंकि देश भू-राजनीतिक चुनौतियों से घिरा हुआ है, इसलिए दीर्घकालिक सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक मजबूत घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना जरूरी है।

भारत – ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किया।

समझौते के मुख्य बिंदु:

- पहली बार, भारत ने चार विकसित देशों (जो यूरोप में एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक है) के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किया है। ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और ऐसे निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को कवर नहीं करता है।
- इस समझौते में 14 अध्याय शामिल हैं जिसमें मुख्य फोकस वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उद्‌भव के नियमों, व्यापार सुगमीकरण, व्यापार उपचारों, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार से संबंधित तकनीकी बाधाओं, निवेश संवर्धन, सेवाओं पर बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकारों, व्यापार और सतत विकास तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों पर है।

टीईपीए के बारे में:

- यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है।
- यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार कर सकता है।
- यह साझेदारी या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक है।

ईएफटीए के बारे में:

- ईएफटीए में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन शामिल हैं। ईएफटीए अपने चार सदस्य देशों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1960 में गठित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- ईएफटीए एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए निरंतर अवसर बढ़ रहे हैं।
- ईएफटीए यूरोप में तीन (अन्य दो ईयू एवं ब्रिटेन) में से एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक है। ईएफटीए देशों में से स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी है जिसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है।

निष्कर्ष:

भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता भारत की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो सकता है क्योंकि यह समझौता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा तथा युवा एवं प्रतिभाशाली श्रमबल को अवसर प्रदान करेगा। यह ईएफटीए बड़े यूरोपीय तथा वैश्विक बाजारों तक भारतीय निर्यातकों को पहुंच प्रदान करेगा, साथ ही यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापर समझौते का मार्ग प्रशस्त करेगा।

यूएनएससी में सुधार हेतु भारत का जी4 मॉडल प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

भारत ने जी4 देशों की ओर से सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार के लिए संवाद और वार्ता एक विस्तृत 'जी4 मॉडल' प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख बिन्दु:

- जी4 मॉडल में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना में सदस्यता की दोनों श्रेणियों में प्रमुख क्षेत्रों का 'स्पष्ट रूप से कम प्रतिनिधित्व या गैर-प्रतिनिधित्व' है जो इसकी वैधता और प्रभावशीलता के लिए 'हानिकारक' है।
- **सदस्यता:** जी4 मॉडल का प्रस्ताव है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता वर्तमान 15 से बढ़कर 25-26 हो। इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या 11 हो, जबकि चार या पांच गैर-स्थायी सदस्य जोड़े जाएं। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष की वर्तमान व्यवस्था पर ही आधारित हो।
- **प्रतिनिधित्व:** छह नए स्थायी सदस्यों में से दो-दो अफ्रीकी राज्यों और एशिया प्रशांत राज्यों से, एक लैटिन अमेरिकी तथा कैरेबियाई राज्यों से, जबकि एक पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों से प्रस्तावित है।

➤ **वीटो और कार्य पद्धतियाँ:** नए स्थायी सदस्यों के पास सिद्धांत रूप में, वर्तमान स्थायी सदस्यों के समान ही जिम्मेदारियाँ और दायित्व होंगे। हालाँकि, वे तब तक वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि समीक्षा के दौरान मामले पर निर्णय नहीं लिया जाता।

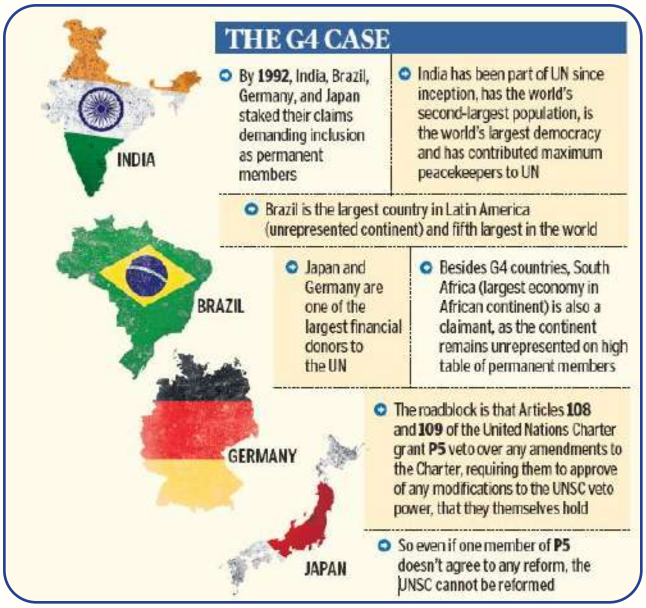

यूएनएससी के बारे में:

➤ यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसके पास ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जिन्हें लागू करने के लिए सदस्य देश बाध्य होते हैं।

–: प्रीलिम्स इनसाइट :–

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य निकाय:

- महासभा
- सुरक्षा परिषद
- आर्थिक और सामाजिक परिषद
- ट्रस्टीशिप परिषद
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय

ये सभी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित किये गये थे।

सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

➤ **बदली हुई भू-राजनीतिक वास्तविकताएँ:** 1945 की वास्तविकताओं (जब परिषद की स्थापना हुई थी) से आधुनिक युग की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं में काफी अंतर होना।

➤ **क्षेत्रीय अल्प/अप्रतिनिधित्व:** स्थायी और अस्थायी सदस्यता की दोनों श्रेणियों में प्रमुख क्षेत्रों का स्पष्ट अल्प-प्रतिनिधित्व तथा अप्रतिनिधित्व है जो इसकी वैधता और प्रभावशीलता पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

➤ **वीटो शक्ति का दुरुपयोग:** कई बार स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो शक्ति का उपयोग अपने उद्देश्यों और एजेंडों को पूरा करने के लिए किया जाता रहा है। इससे परिषद महत्त्वपूर्ण संघर्षों को संबोधित करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है।

निष्कर्ष:

ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने, वैधता और साख में सुधार करने के लिए यह सुधार मॉडल, सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। अफ्रीका, एशिया और अन्य अल्प-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की मांग को शामिल करना, वर्तमान समय की मांग है।

भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के संचालन हेतु सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (आईजीएफए) को पूर्वव्यापी मंजूरी दी।

अंतर-सरकारी रूपरेखा समझौता:

➤ आईजीएफए का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर बंदरगाहों, समुद्री और रसद क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।

➤ आईजीएफए में आईएमईसी के संबंध में भविष्य के संयुक्त निवेश और सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं।

➤ यह सहयोग दोनों देशों के अधिकार क्षेत्र के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुरूप पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों, दिशानिर्देशों तथा समझौतों के एक सेट पर आधारित होगा।

आईएमईसी के बारे में:

➤ आईएमईसी को वैश्विक व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने, परिवहन लागत को कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की व्यापक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है।

➤ यह गलियारा व्यापार, आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत-मध्य पूर्व-यूरोप के रणनीतिक स्थानों का लाभ उठाना है।

- आईएमईसी के समझौता ज्ञापन पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने हस्ताक्षर किए।

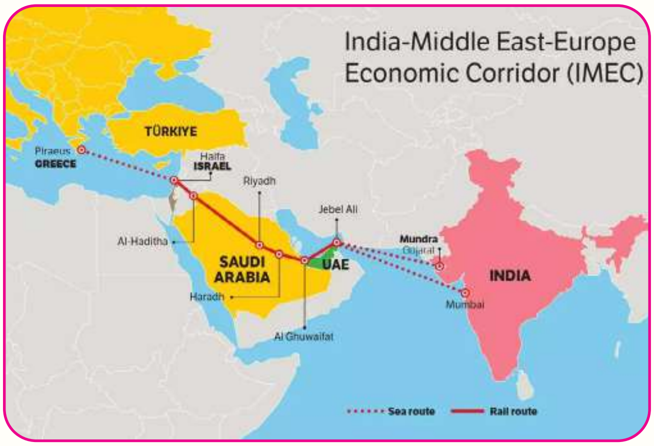

आईएमईसी के घटक:

- आईएमईसी गलियारे में भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है।
- इसमें एक रेलवे और जहाज-रेल पारगमन नेटवर्क तथा सड़क परिवहन मार्गों के साथ-साथ एक बिजली केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगा।

आईएमईसी के तहत सम्मिलित बंदरगाह:

- भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह जुड़ सकते हैं, उनमें मुंद्रा (गुजरात), कांडला (गुजरात) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुंबई) प्रमुख हैं।
- मध्य पूर्व में पांच बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाहों से जोड़ने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनमें संयुक्त अरब अमीरात में फुजैराह, जेबेल अली और अबू धाबी के साथ-साथ सऊदी अरब में दम्मम व रास अल खैर बंदरगाह शामिल हैं।
- कनेक्टिविटी को इजराइल में हाइफा किले और ग्रीस में पीरियस बंदरगाह, दक्षिण इटली में मेसिना, जबकि फ्रांस में मार्सिले तक बढ़ाया जाएगा।
- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में पांच बंदरगाहों से इजराइल में हाइफा बंदरगाह तक आगे की रेल मार्ग कनेक्टिविटी पहले से मौजूद ब्राउनफील्ड परियोजनाओं व ताजा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का मिश्रण होगी।

निष्कर्ष:

आईएमईसी सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों से प्रेरणा लेता है जो इस अवधारणा को आधुनिक भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्यों के अनुकूल बनाता है। इसे वैश्विक व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने, परिवहन लागत को कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है।

हांगकांग का राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हांगकांग की विधायिका ने सर्वसम्मति से एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया जिससे सरकार को असहमति को रोकने के लिए और अधिक शक्ति मिल गई।

हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक के बारे में:

- **सरकारी शक्ति का विस्तार:** नया सुरक्षा कानून अपने शासन के लिए संभावित चुनौतियों को दबाने हेतु सरकार के अधिकार को व्यापक बनाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले कार्यों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान करता है जिसमें देशद्रोह और विद्रोह के लिए आजीवन कारावास शामिल है।
- **विरोध प्रदर्शनों पर प्रभाव:** कानून का उद्देश्य हवाईअड्डे पर कब्जे और रेलवे स्टेशन पर बर्बरता जैसे विघटनकारी विरोध प्रदर्शनों को रोकना हैं, अधिकारियों का सुझाव है कि पहले के कानून ने शहर में स्थिरता बहाल करने में मदद की थी।
- **कम अपराधों के लिए जुर्माना:** देशद्रोही प्रकाशनों को रखने और अन्य छोटे अपराधों के लिए कई वर्षों की कैद हो सकती है। कुछ प्रावधान देश के बाहर किए गए कृत्यों पर भी आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं।

जासूसी और राज्य की गुप्त सूचनाएं:

- नए नियम में जासूसी के लिए 20 साल तक की कैद, जबकि गैरकानूनी तरीके से राज्य के रहस्यों का खुलासा करने के लिए 10 साल तक की कैद का प्रावधान है।

विदेशी संस्थाओं से सहयोग:

- एसोसिएट प्रेस के अनुसार, कुछ अपराध करने के लिए विदेशी सरकारों या संगठनों के साथ सहयोग करते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर सख्त दंड लगाया जाना चाहिए।

विधेयक का प्रभाव:

- नए विधेयक के तहत कार्यकर्ताओं को राजद्रोह कानून तोड़ने के लिए कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा जिसमें देशद्रोही कृत्य करने या देशद्रोही शब्द बोलने पर सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
- संवेदनशील कॉर्पोरेट जानकारी से निपटने वाले लोग राज्य के रहस्यों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों से प्रभावित हो सकते हैं जिसमें मोटे तौर पर मुख्य भूमि का चीन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रहस्य शामिल हैं। ये पारंपरिक सुरक्षा क्षेत्र से परे आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास को कवर करते हैं।
- नए कानून के परिणामस्वरूप निवेशक अपनी पूंजी कहीं और लगा सकते हैं।
- नए कानून के अनुसार, चीनी नागरिकों को अधिकारियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है यदि वे जानते हैं कि अन्य लोग देशद्रोह कर रहे हैं, जबकि रिपोर्ट न करने पर 14 साल तक की जेल

की सजा हो सकती है। हालाँकि सरकार ने विधेयक में जनहित की रक्षा को जोड़ा है, लेकिन इसका दायरा सिफारिशों से कहीं अधिक सीमित है।

निष्कर्षः

हांगकांग में 'राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक' 2019 के लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के कारण हुई राजनीतिक कार्यवाही के बाद लाया गया है। हांगकांग में 2019 का विरोध प्रदर्शन (जिसमें हजारों लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे) 2014 की अम्ब्रेला क्रांति के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। वे प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून में बदलाव से नाराज थे जो संदिग्धों को मुकदमे के लिए मुख्य भूमि चीन भेज सकता था।

भारत और ब्राजील के मध्य पहली '2+2' वार्ता सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ब्राजील ने पहली '2+2' रक्षा तथा विदेश मंत्रिस्तरीय वार्ता में ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद-निरोध के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा किया है।

भारत–ब्राजील संबंधः

- भारत और ब्राजील के मध्य 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए तथा उसी वर्ष दोनों देशों ने एक दूसरे देशों में दूतावास भी खोला। दोनों देश द्विपक्षीय स्तर के साथ-साथ बहुपक्षीय स्तर पर ब्रिक्स, बेसिक, जी-20, जी-4, आईबीएसए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अलावा बड़े बहुपक्षीय निकायों (जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को तथा डब्ल्यूआईपीओ) में बहुत करीबी और बहुआयामी संबंध साझा करते हैं।
- जनवरी 2020 में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की ऐतिहासिक भारत यात्रा के दौरान भारत-ब्राजील संबंधों में और गति आई।
- ब्राजील और भारत की संयुक्त जीडीपी 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है जो उन्हें दुनिया की दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ बनाती है। दोनों देश अंतरिक्ष, रक्षा, सुरक्षा इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग करते रहे हैं।
- भारत और ब्राजील ने हाल ही में अपनी पहली '2+2' रक्षा तथा विदेश मंत्रिस्तरीय वार्ता में ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। सैन्य, अंतरिक्ष, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-रोधी जैसे बहुपक्षीय क्षेत्रों और आपसी चिंता के अन्य मामलों को भी शामिल किया गया।
- ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन में चीनी (Sugar) से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ अपनी इथेनॉल उत्पादन तकनीक साझा करने का प्रस्ताव दिया है। दक्षिण अमेरिकी देश की पेशकश का उद्देश्य इथेनॉल उत्पादन के लिए अपनी अधिशेष चीनी का उपयोग करने में भारत की सहायता करना है जिससे वैश्विक चीनी बाजार में ब्राजील के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है।

–ः प्रीलिम्स इनसाइट ः–

ब्राजीलियाई श्वेत क्रांति की शुरुआत भारतीय मवेशी नस्ल से हुई थी। यह उस समय की बात है जब 18वीं सदी में भावनगर महाराजा द्वारा ब्राजील के एक प्रमुख पशुधन दिग्गज और व्यवसायी सेल्सो गार्सिया सिड को गिर मवेशियों का एक जोड़ा उपहार में दिया गया था। यह नस्ल ब्राजील के दूध उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गई जिसका योगदान लगभग 80 प्रतिशत है। ब्राजील के कृषि मंत्रालय ने 1989 में आधिकारिक तौर पर गिर नस्ल को पंजीकृत किया।

सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए बहु–कार्य योजनाः

- दोनों पक्षों ने 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिसमें तेल, गैस, खनिज संसाधन, पारंपरिक चिकित्सा, पशुपालन, जैव-ऊर्जा, व्यापार और निवेश आदि प्रमुख हैं।
- उनकी अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं क्योंकि ब्राजील खनन और ऊर्जा में मजबूत है, जबकि भारत फार्मास्यूटिकल्स, आईटी तथा इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट है। वर्ष 2022 में द्विपक्षीय व्यापार 15.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2025 तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

निष्कर्षः

ब्राजील और भारत व्यापार, विकास तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बहुपक्षीय मंचों पर समान दृष्टिकोण साझा करते हुए सहयोग करते रहे हैं। दोनों जी-15, जी-20 और ब्रिक्स के सदस्य हैं। उनका लक्ष्य व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंधों को मजबूत करना है। ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस के लिए भारत का प्रस्ताव दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक के रूप में ब्राजील की विशेषज्ञता के अनुरूप है। दोनों राष्ट्र पर्यावरण के अनुकूल जैव ईंधन पर सहयोग कर सकते हैं।

पाकिस्तान में चुनाव सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

दो साल से ज्यादा समय तक चली राजनीतिक उथल-पुथल के बाद

इस वर्ष मार्च में पाकिस्तान में चुनाव सम्पन्न हुए। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लिया।

पाकिस्तान में वर्तमान संकटः

राजनीतिक मुद्देः

- अप्रैल 2022 से पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल जारी रही क्योंकि इसी समय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया था।
- सांप्रदायिक प्रवृत्तियाँ और सैन्य हस्तक्षेप पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ी बाधाएँ रही हैं। इसके अलावा हाफिज सईद जैसे गैर-सरकारी तत्वों ने पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई है।

आर्थिक मुद्देः

- पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन, बढ़ता सार्वजनिक ऋण और घटता विदेशी मुद्रा भंडार शामिल है।
- प्रयासों के बावजूद, सरकार द्वारा आवश्यक सुधार लागू करने में विफल रहने के कारण आईएमएफ से राहत पाने में भी पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है।

सुरक्षा मुद्देः

- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पाकिस्तान में चिंताएँ बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी सेना को तालिबान समर्थित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसने बलूचिस्तान और पंजाब में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।

सामाजिक अशांतिः

- इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद सड़कों पर जनता का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान की सेना की राजनीतिक कमजोरियों को उजागर कर रहा है।
- संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्र (FATA) जिसे 2018 में खैबर-पख्तूनख्वा में मिला दिया गया था, आतंकवाद की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है जो पाकिस्तान की स्थिरता के लिए एक खतरा है। इसके अलावा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली डूरंड रेखा को लेकर पश्तून समुदाय में अशांति जारी है।

क्षेत्रीय अस्थिरताः

- चीनी निवेश, विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के लिए पाकिस्तान के महत्त्वपूर्ण प्रांतों में असंतोष की स्थिति है जिसने पाकिस्तान-चीन संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है।
- पाकिस्तान का भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध न होने से इसकी क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

भारत के लिए निहितार्थः

- **आतंकवादः** पाकिस्तान की अस्थिरता का कोई भी मुद्दा, भारत में आतंकवादी नेटवर्क के विस्तार का कारण बन सकता है जिसका सीधा असर भारत के हितों पर पड़ेगा।
- **शरणार्थियों की संख्या में बढ़ोतरीः** पाकिस्तान में मानवीय संकट मंडरा रहा है, जहाँ लोग बुनियादी जरूरतों और आजीविका के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।
- **व्यापार पर प्रभावः** वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, आर्थिक संकट ने पाकिस्तान भारत के निर्यात को खतरे में डाल दिया है। 2021-2022 में भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय व्यापार कुल $514 मिलियन रहा है जहाँ भारतीय निर्यात, आयात से अधिक था।
- **चीन का दृष्टिकोणः** पाकिस्तान में गहराता आर्थिक संकट चीनी प्रभाव को बढ़ा सकता है जिसका भारत-चीन संबंधों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर।
- हाल ही में, पंजाब के मियांवाली जिले में चीन और पाकिस्तान के बीच 1200 मेगावाट की एक संयुक्त परियोजना चश्मा-5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शुरू किया गया। इसके अलावा, पाकिस्तान ने हाल ही में चीन के साथ एफटीए भी किया है।
- चीन ने हाल ही में युआन-आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते की फिर से समीक्षा करने की घोषणा की है।

निष्कर्षः

भारत अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंधों के महत्त्व पर जोर देता रहा है। भारत शांतिपूर्ण द्विपक्षीय समाधानों के लिए आतंकवाद और हिंसा के उन्मूलन की वकालत करता है। भारत को पाकिस्तान से रचनात्मक संवाद के लिए माहौल बनाने का आह्वान करना चाहिए ताकि दोनों अर्थव्यवस्थाएं अपनी संप्रभुता को खतरे में डाले बिना एक साथ आगे बढ़ सकें।

व्लादिमीर पुतिन पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित

चर्चा में क्यों?

व्लादिमीर पुतिन ने 87.97% वोटों के साथ रूसी राष्ट्रपति चुनाव पुनः जीत लिया है जिससे वे 200 से अधिक वर्षों में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति बन गए। वे अगले छह साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। इस चुनाव में यूक्रेन के उन क्षेत्रों में भी मतदान हुआ जो अब रूस के नियंत्रण में है। पहली बार रूस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक दूरस्थ ऑनलाइन मतदान प्रणाली भी शुरू किया।

वैश्विक निहितार्थः

- 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया जिससे 2014 में शुरू हुआ विवाद युद्ध में बदल गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी यूरोपीय देश पर सबसे बड़ा हमला था जिससे यूक्रेन में 10 हजार नागरिक और सैकड़ों हजार सैन्यकर्मी हताहत हुए।
- जहां एक ओर रूस की कार्यवाहियां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन

करती हैं, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को अमेरिका और उसके नाटो भागीदारों से निरंतर समर्थन के बिना जीत हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- हाल ही में, यूक्रेन ने पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति किए गए उन्नत हथियारों का उपयोग करके रूस के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले किया। दोनों पक्षों में बढ़ता अविश्वास और गलत सूचना भविष्य में हिंसा को अधिक बढ़ा सकती है।
- 2020 में, रूस ने एक कानून पारित किया जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देता है अर्थात यह उन्हें आजीवन राष्ट्रपति बनाता है।

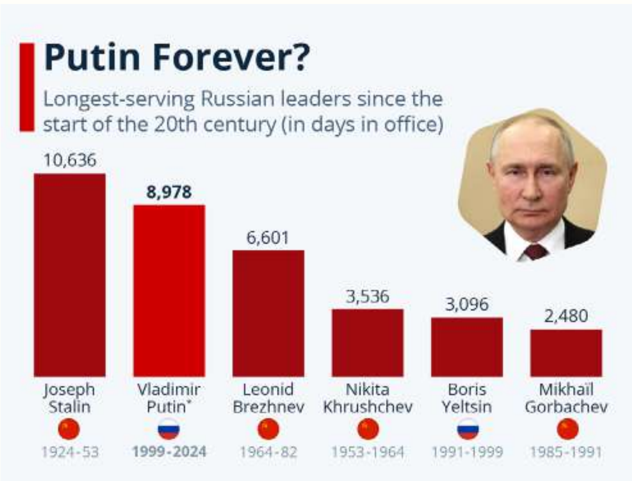

रूस–अमेरिका सम्बन्ध:

- रूस की पहचान एक साम्राज्य के रूप में इसके इतिहास और एक महान शक्ति के रूप में इसकी स्थिति से गहराई से जुड़ी हुई है जिसे यह चुनौतीपूर्ण समय में भी आवश्यक मानता है। इस पहचान के कारण अक्सर सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला सहित विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका व उसके सहयोगियों के साथ रूस का टकराव होता रहा है।
- जासूसी, साइबर हमले आदि जैसी गतिविधियों के कारण भी दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ महत्त्वपूर्ण जुड़ाव रखने वाले देशों को आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से दंडित करने के लिए 2017 में CAATSA कानून लागू किया।
- यह कानून आंशिक रूप से 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप और सीरियाई युद्ध में इसकी भूमिका की प्रतिक्रिया थी। रूस द्वारा क्रीमिया के अधिग्रहण करने के बाद उसे जी8 समूह से बर्खास्त कर दिया गया था।

रूस–चीन सम्बन्ध:

- पश्चिमी देशों के साथ रूस के तनावपूर्ण संबंधों ने चीन–रूस के घनिष्ठ संबंधों को जन्म दिया है। दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं जो वैश्विक मुद्दों पर एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। लद्दाख और यूक्रेन में संघर्ष के बीच यह रणनीतिक संबंध अधिक मजबूत हुआ है। रूस ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान चीन को नियंत्रित करने के प्रयास के लिए अमेरिका, क्वाड (भारत सहित) और AUKUS की आलोचना की।
- रूस अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, सुरक्षा आदि सहित कई मोर्चों पर चीन के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने 2035 तक चंद्रमा पर एक स्वचालित परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए चीन के साथ काम करने की घोषणा की है। प्रस्तावित रिएक्टर, चंद्र बेस को बिजली देने में मदद करेगा जिसे दोनों देश संयुक्त रूप से संचालित करेंगे।

अतिरिक्त पहलू:

- वर्ष 2000 में सत्ता में आने के बाद से पुतिन ने मध्य एशिया के ऊर्जा उत्पादकों, अर्थात् उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ परिवहन तथा ऊर्जा व्यापार स्थापित करने पर जोर दिया है।
- रूस लाल सागर संकट से निपटने के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग यानी एनएसआर के लिए भी प्रयास कर रहा है। पुतिन के फिर से राष्ट्रपति बनने के साथ, रूस एक बार फिर से एनएसआर के विचार को विश्व की समक्ष आगे बढ़ायेगा। उल्लेखनीय है कि भारत भी एनएसआर में रुचि रखता है।

निष्कर्ष:

रूस ने यूरोप और पश्चिम के संबंध में खुद को विभिन्न तरीकों से देखा है। यह खुद को यूरोप के एक ऐसे हिस्से के रूप में देखता है जो पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। पुतिन के सत्ता में आने के साथ रूस, अपनी परमाणु क्षमताओं (अंतरिक्ष में भी) को बढ़ा रहा है जिससे वैश्विक परमाणु स्थिरता को खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यूक्रेन युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बहुत बड़ा है जिससे रूस को निपटना है जिसमें सैन्य खर्च में वृद्धि और पेशेवरों का ब्रेन ड्रेन शामिल है।

हिंद महासागर में खोजे गए कोरल सुपरहाईवे का महत्वः भारत में प्रवाल भित्ति संरक्षण के उपाय

कोरल रीफ महासागरों की जैव विविधता का महत्त्वपूर्ण आधार होते हैं और इनके संरक्षण के बिना बहुत से समुद्री जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में प्रवाल भित्तियों के संरक्षण को प्राथमिक दायित्व के रूप में लिया जाता है जिसके संरक्षण, भौगोलिक वितरण तथा चुनौतियों पर अनुसंधान कार्य भी होते रहे हैं।

हाल ही में समुद्री अनुसंधान की कार्यवाही में हिंद महासागर में एक कोरल सुपरहाइवे की खोज की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस खोज को अंजाम दिया है। इसके लिए कई वैज्ञानिकों द्वारा 19 अलग अलग कोरल साइट्स का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि हिंद महासागर के देश सेशेल्स के सुदूर क्षेत्रों में 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में कोरल सुपरहाईवे फैला हुआ है। अनुसंधान में पाया गया है कि महासागरीय धाराओं ने कोरल के संदर्भ में लार्वा का प्रसार होने से एक कोरल सुपरहाईवे बन गया है। यह खोज इसलिए महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है कि कोरल रीफ रिकवरी में एक प्रमुख बिंदु लार्वा की आपूर्ति (Larval Supply) है। प्रवाल भित्ति के संरक्षण की दिशा में सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस खोज को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रवाल भित्तियों के समक्ष चुनौतीः

- प्रवाल भित्ति को महासागर का वर्षावन कहते हैं जिनको बचाना समुद्र की धारणीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। भारत के कई क्षेत्रों में कोरल रीफ नष्ट हो रहे हैं।
- लक्षद्वीप, केरल तट के पास 36 प्रवालद्वीप और मूंगे की चट्टानों का एक उष्ण कटिबंधीय द्वीप समूह है। समुद्री तापमान बढ़ने से प्रवाल का क्षय हो रहा है और यदि इसे रोका नहीं गया, तो ये समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही कई अन्य द्वीप भी खत्म हो जाएंगे। अल नीनो के कारण प्रवाल या मूंगे का बड़े पैमाने पर क्षय हो रहा है जिसे ब्लीचिंग कहते है। अल नीनो एक गर्म समुद्री धारा है जो दुनिया भर में तापमान बढ़ाती है।
- वर्तमान में जारी प्रवाल भित्ति की ब्लीचिंग वर्ष 2014 के मध्य में हवाई द्वीप से शुरू हुई। इसने कम से कम 38 देशों और द्वीप समूहों की प्रवाल भित्तियों को खोखला कर दिया है। इस ब्लीचिंग ने दुनिया की विशालतम ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ से लेकर भारत में लक्षद्वीप तक सभी को प्रभावित किया है। वर्तमान ब्लीचिंग के चलते वैज्ञानिक 15 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों के स्थाई रूप से नष्ट हो जाने को लेकर चिंतित हैं। हवाई सर्वेक्षण में इस बात का पता चला है कि ग्रेट बैरियर रीफ का 93 फीसदी हिस्सा ब्लीचिंग से प्रभावित है। दुनिया की 50 फीसदी प्रवाल-भित्ति पहले ही समाप्त हो चुकी हैं, शेष बचे प्रवालों का वर्तमान ब्लीचिंग के चलते विनाश हो सकता है। कुल 2300 किलोमीटर लंबे ग्रेट बैरिअर रीफ का उत्तरी हिस्सा इस लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सर्वे की गई 522 मूंगा-चट्टानों में से 81 प्रतिशत में भयंकर ब्लीचिंग हो रही है।
- पृथ्वी पर समुद्री क्षेत्र का केवल 0.2 से 0.25 फीसदी हिस्सा होने के बावजूद प्रवाल समुद्री जीवन की एक चौथाई 20 लाख प्रजातियों का संरक्षण करते हैं। कई द्वीपीय देशों और उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए ये मौसम के प्रभावों से बचाव तथा राहत का काम करते हैं। प्रवाल संरचनाएं जेनेटिक संग्रहालय का भी काम करती हैं जिनकी जैव विविधता के कारण इन्हें समुद्री क्षेत्र के वर्षा वन भी कहा जाता है।
- प्रवाल द्वीप जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं लेकिन वर्तमान में इन्हें जलवायु परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, स्टार फिश सहित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड के विलयन की बढ़ती मात्रा

महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि कर देती है जिससे प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। प्रवाल खनन, अपरदन आदि को रोकने हेतु बनाई गई रोधिका, स्पीडबोट द्वारा होने वाले गाद निक्षेपण से भी प्रवालों को नुकसान पहुँचता है। अधिकांश एटॉल बाह्य प्रजाति प्रवेश तथा परमाणु बम परीक्षण आदि मानवीय गतिविधियों से विरूपित हो गए हैं। औद्योगिक संकुलों से निष्कासित होने वाला जल इनके लिये संकट का कारक बन गया है। इसके अतिरिक्त तेल रिसाव, मत्स्यन, पर्यटन आदि से भी प्रवाल द्वीपों को नुकसान पहुँचता है।

- ❖ काँटों के ताज वाली स्टारफिश (क्राउन ऑफ थॉर्नस या कोट्स) कोरल पॉलिप पर पलती है और उन्हें खाते हुए प्रवाल भित्ति को नष्ट करती है। मूंगा कवर के खत्म होने का एक मुख्य कारण स्टारफिश होती है। पिछले 40 वर्षो में इसने प्रवाल भित्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और कैरिबियाई महासागर में कोरल ब्लीचिंग की घटनाएँ सामान्य रूप से घटित होती रही हैं, परंतु वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार समुद्र के बढ़ते तापमान व अल-नीनो के कारण प्रवाल या मूंगे का बड़े पैमाने पर क्षय हो रहा है।
- ❖ ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री-जल का ताप बढ़ने से प्रवाल भित्ति का विनाश होने लगता है। वर्तमान में लगभग एक-तिहाई प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व, ताप वृद्धि के कारण संकट में पड़ गया है।

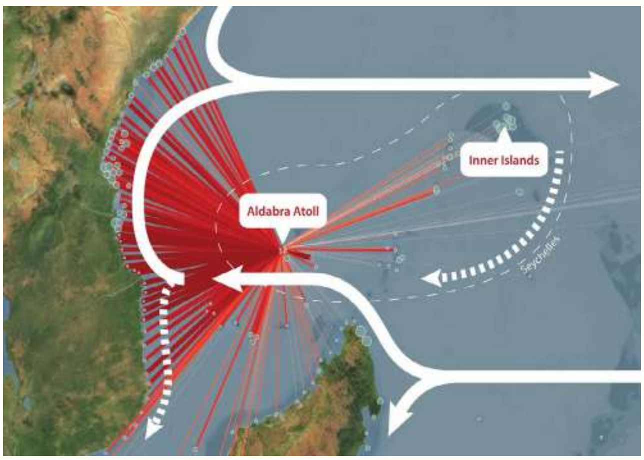

भारत में प्रवाल भित्ति संरक्षण के प्रयास:

- ❖ भारत में चार प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी शामिल हैं। भारत में प्रवाल भित्तियाँ 3,062 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में विस्तृत हैं। कई प्रवाल प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 की अनुसूची-I में शामिल करके संरक्षण प्रदान किया गया है।
- ❖ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत लागू तटीय विनियमन क्षेत्र (कोस्टल रेगुलेशन जोन-सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 में जैविक रूप से मैंग्रोव, समुद्री घास, रेत के टीले (सैंड ड्यून्स), मूंगे (कोरल्स) और मूंगे की चट्टानों (कोरल रीफ्स), जैविक रूप से सक्रिय मडफ्लैट्स, कछुओं के आवास क्षेत्र (टर्टल नेस्लिंग ग्राउंड्स) तथा राज कर्कट (हॉर्स शू क्रैब्स) के आवास जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (इकोलोजिकली सेंसिटिव एरियाज -ईएसए) के संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील तटीय पारिस्थितिक तंत्र में विकासात्मक गतिविधियों और कचरे के निपटान पर रोक लगाई गई है।
- ❖ भारत का यथासंशोधित जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियम 2004 एवं उसके दिशानिर्देश जैव विविधता (समुद्री प्रजातियों सहित) की सुरक्षा तथा संरक्षण, इसके घटकों के स्थायी उपयोग और न्यायसंगत साझाकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि सुनिश्चित करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) मूंगे (कोरल) तथा मैंग्रोव के संरक्षण के लिए समुद्री राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धन दे रहा है।
- ❖ प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिये बायोरॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीक (Biorock or Mineral Accretion Technology) का उपयोग किया जा रहा है। बायोरॉक, इस्पात संरचनाओं पर निर्मित समुद्री जल में विलेय खनिजों के विद्युत संचय से बनने वाला पदार्थ है। इन इस्पात संरचनाओं को समुद्र के तल पर उतारा जाता है और सौर पैनलों की सहायता से इनको ऊर्जा प्रदान की जाती है जिससे ये समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं।
- ❖ 16 सितंबर, 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 'जी-20 देशों की पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक' में 'भू-क्षरण कम करने और प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यक्रम की वैश्विक पहल' लॉन्च की गई थी। इस पहल के अलावा इस वर्ष जी-20 के तहत उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के प्रबंधन से संबंधित जलवायु परिवर्तन पर दो दस्तावेज भी लॉन्च किए गए।

राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र द्वारा प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यवाही:

- ❖ मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली के सिद्धांतों को बढ़ावा देने) के मौजूदा प्रयास के तहत स्कूबा डाइवर्स ने लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में इंसानी बसावट वाले द्वीपों में से एक अगाती द्वीप की प्रवाल भित्तियों में समुद्र तल की सफाई और जागरूकता का अभियान चलाया। भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट से दूर अरब सागर में स्थित इस द्वीप में एक बेहद विविध और जीवंत कोरल रीफ इकोसिस्टम मौजूद है। लक्षद्वीप अत्यधिक पारिस्थितिक और आर्थिक महत्त्व रखता है जो अपने समृद्ध समुद्री जीवन के कारण जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। इन द्वीपों की प्रवाल भित्तियां विस्तृत मात्रा में जीवों का समर्थन करती हैं जिनमें मछली, घोंघे और अन्य रीढ़रहित प्राणी शामिल हैं। इसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहां आते हैं। अपने रंगीन मूंगों और विविधता भरे समुद्री जीवन के साथ इन कोरल

रीफ की प्राचीन सुंदरता उन्हें स्नोर्केलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य जल-आधारित मनोरंजक गतिविधियों के लिए बेहद पसंदीदा जगह बनाती है। इन प्रवाल भित्तियों से जुड़ा पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देकर रोजगार के अवसर प्रदान करता है। उनके पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्त्व को देखते हुए लक्षद्वीप की प्रवाल भित्तियों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। इन बेशकीमती इकोसिस्टम का अस्तित्व और लंबी अवधि में सेहत सुनिश्चित करने में स्थायी प्रबंधन प्रथाएं, सामुदायिक जुड़ाव तथा जागरूकता अभियान खासी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, लक्षद्वीप ने हाल के वर्षों में समुद्री कचरे सहित कई पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना किया है।

- समुद्री तल की सफाई के इस अभियान में एनसीएससीएम ने अगाती द्वीप की प्रवाल भित्तियों में समुद्री तल की सफाई और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अम्माथी स्कूबा के साथ भागीदारी की। गोताखोरों ने खाली बोतलों, खोए हुए या फेंक दिए गए मछली पकड़ने के गियर (एएलडीएफजी), रस्सियों, पैकिंग सामग्री और खाद्य रैपर सहित कई किलोग्राम सीफ्लोर कूड़े को बरामद किया। इस जन जागरूकता अभियान का उद्देश्य सामूहिक कार्यवाही और बड़े पैमाने पर सामुदायिक जनभागीदारी के माध्यम से महासागरों के स्वास्थ्य में सुधार करना है।

पर्यावरणीय संक्षिप्त मुद्दे

बेंगलुरु जल संकट

चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु शहर पानी की कमी और सूखे जैसी स्थिति के लिए सम्पूर्ण देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में बेंगलुरु में बाढ़, पानी की कमी और सूखे जैसी चरम मौसम स्थितियों को महसूस किया गया है।

जल संकट क्या है?

- जल संकट वह स्थिति है जब किसी विशेष क्षेत्र में सुरक्षित, पीने योग्य पानी की आपूर्ति मांग से कम हो जाती है। विश्व बैंक के अनुसार, पानी की कमी तब होती है जब प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम होती है।

बेंगलुरु में वर्तमान आँकड़े:

- उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के अनुसार, बेंगलुरु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और बेंगलुरु जल आपूर्ति व सीवरेज बोर्ड द्वारा प्रबंधित 14,781 बोरवेलों में से लगभग आधे बोरवेल सूख गये हैं।
- कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र के डेटा से पता चलता है कि कावेरी बेसिन में प्रमुख जलाशयों जैसे-हरंगी, हेमवती, केआरएस और काबिनी में 28 फरवरी तक उनकी कुल क्षमता का केवल 39% जल शेष था।
- वर्तमान समय में बेंगलुरु पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा है। इसके लगभग 14 मिलियन निवासियों को प्रति दिन 2,600-2,800 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है जबकि शहर, जरूरतों का 50 प्रतिशत आपूर्ति करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा, शहर के 13,000 से अधिक बोरवेलों में से आधे से ज्यादा सूख गए हैं।

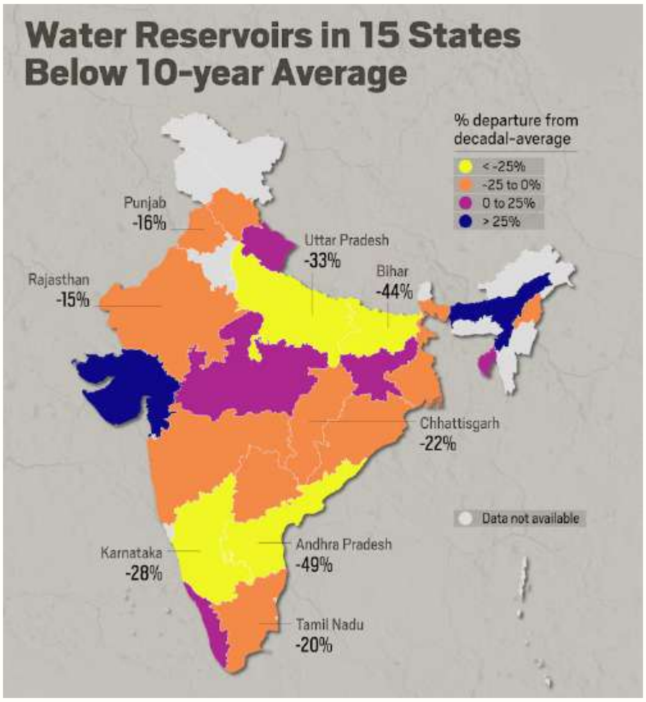

बेंगलुरु में जल संकट के कारण:

- लगभग तीन दशक पहले तक, बेंगलुरु अपने पीने के पानी की जरूरतों के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से मानव निर्मित झीलों पर निर्भर था। कई अन्य प्रमुख भारतीय शहरों के विपरीत, बेंगलुरु में किसी प्रमुख नदी या समुद्र तट से निकटता का अभाव है। हालाँकि, जैसे-जैसे शहर का विस्तार हुआ, विशेष रूप से भारत के आईटी केंद्र के रूप में उभरते हुए शहरी विकास के कारण बेंगलुरु महत्त्वपूर्ण जल भंडारों को खो दिया।

- अतिक्रमणों के कारण झील के जलग्रहण क्षेत्रों का क्षरण हुआ जिससे वे कचरे और मलबे के डंपिंग ग्राउंड में परिवर्तित हो गए। अपर्याप्त वर्षा ने भी कावेरी नदी के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट में योगदान दिया है जिससे कृषि सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता दोनों प्रभावित हुई हैं। बोरवेलों की कमी के कारण स्थिति और खराब हो गई है जो तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता का संकेत देता है।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

बेंगलुरु कावेरी और दक्षिण पिनाकिनी (पोन्नैयार) जलक्षेत्रों के बीच स्थित है जिससे वर्षा जल छोटी नदियां या नालों के माध्यम से नदी में प्रवाहित होता है जिसके बाद एक घाटी प्रणाली बनती है।

ऐतिहासिक रूप से, बेंगलुरु भूजल और झील के पानी पर निर्भर था। हालाँकि, बढ़ती मांग के कारण शुरुआत में हेसरघट्टा झील (1894) से पानी पंप किया गया, फिर अर्कावथी नदी (1933) पर थिप्पगोंडानहल्ली जलाशय से और अंत में कावेरी जल योजना द्वारा शिवानासमुद्र झरने के ऊपर से पानी पंप किया गया। वर्तमान में शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी को सौ किलोमीटर से अधिक और एक हजार फीट की ऊंचाई तक पंप किया जाता है।

ऐसे संकट का प्रभाव:

आर्थिक प्रभाव:

- विश्व बैंक का अनुमान है कि पानी की कमी के कारण 2050 तक भारत की जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है। पानी की कमी से खाद्य उत्पादन में और गिरावट आ सकती है जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा तथा किसानों और कृषि मजदूरों की आजीविका भी प्रभावित होगी।
- इस तरह की कमी का असर औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ेगा क्योंकि कपड़ा और थर्मल पावर प्लांट जैसे क्षेत्र जल आपूर्ति पर निर्भर हैं।

सामाजिक प्रभाव:

- दूषित पानी के सेवन से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मानव पूंजी कम हो सकती है और सबसे कमजोर आबादी प्रभावित हो सकती है।
- महिलाओं को स्कूल छोड़ने और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी लाने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

पारिस्थितिक प्रभाव:

- पानी की कमी से वनस्पतियों और जीवों के विलुप्त होने का भी खतरा है। इसके अलावा आर्सेनिक, कैडमियम और निकल जैसी भारी धातुओं के प्रदूषण के साथ-साथ नदियों तथा महासागरों में तेल फैलने जैसे प्रदूषण से समुद्री जैव विविधता के लिए खतरा पैदा हो गया है।

संघीय संबंधों पर प्रभाव:

- पानी की कमी के कारण कावेरी और कृष्णा जैसे अंतर-राज्य जल विवाद तीव्र हो सकते हैं जिससे भविष्य में नए विवाद उत्पन्न होने की संभावना है।

संभावित समाधान:

- **मिहिर शाह समिति रिपोर्ट:** यह रिपोर्ट भारत में जल प्रशासन के पुनर्गठन पर जोर देती है। इसमें सतही और भूजल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) तथा केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) का विलय करके एक राष्ट्रीय जल आयोग की स्थापना करना शामिल है।
- **पारंपरिक जल संरक्षण:** मानसूनी अपवाह को प्रयोग करने के लिए वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करके पानी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए तमिलनाडु में कुडीमारमथ, बिहार में अहार पाइंस और उत्तर-पूर्व में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसी पारंपरिक जल संरक्षण प्रथाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।
- **स्थानीय समुदायों को शामिल करना:** पानी बचाने के लिए राज्य स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए सहभागी दृष्टिकोण अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, राजेंद्र सिंह द्वारा राजस्थान के रेगिस्तान में जोहड़ों का पुनरुद्धार और उत्तराखंड में स्वजल मॉडल।
- इसके अलावा, जल प्रतिधारण और वन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बाढ़ के मैदानों जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों को लागू करने से तलछट के भार को कम करने में मदद मिल सकती है। ये समाधान मानवीय, पारिस्थितिक और सामाजिक लाभ प्रदान करने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करते हैं।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर पशु सफारी, अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को संबोधित करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। समिति क्षति के लिए जिम्मेदारियाँ निर्धारित करेगी और वसूली के उपाय सुझाएगी। यह बफर जोन में बाघ सफारी के लिए दिशानिर्देशों पर विचार करके पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन प्रथाओं की सिफारिश करेगा।

बाघ इतना महत्त्वपूर्ण क्यों?

- यह एक प्रिडेटर है जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है।
- जंगल में बाघों की मौजूदगी पारिस्थितिकी तंत्र की स्वच्छता का सूचक है।
- बाघ फ्लैगशिप और अंब्रेला दोनों प्रजातियाँ हैं।
- एक प्रमुख प्रजाति के रूप में इसका संरक्षण होना

महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अंब्रेला प्रजाति के रूप में बाघों के संरक्षण से अन्य प्रजातियों का संरक्षण होता है।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में:

- 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित (जिसे बाद में 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया) जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर पहल का भागीदार रहा है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित यह, उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोडा जिलों तक फैला हुआ है। अपनी वैश्विक प्रमुखता के लिए पहचाने जाने वाले इस रिजर्व में बाघों के घनत्व में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई जो चार साल पहले 231 से बढ़कर 2022 में 260 हो गई है।
- यह रिजर्व रामगंगा और सोना जैसी नदियों से होकर गुजरता है जिसकी विशेषता स्थानीय घास के मैदान हैं जिन्हें चौर के नाम से जाना जाता है। इसकी वनस्पति में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क और नम पर्णपाती वन शामिल हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में:

- बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था।
- यह सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना, नामित बाघ अभयारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है क्योंकि बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं।

भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र

चर्चा में क्यों?

बिहार के मुख्यमंत्री ने 4 मार्च को लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (एनडीआरसी) का उद्घाटन किया। यह केंद्र पटना के पास गंगा नदी के करीब स्थित है।

राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के बारे में:

- एनडीआरसी परियोजना को 2013 में प्रोफेसर आरके सिन्हा (जिन्हें भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में भी जाना जाता है) के अनुरोध पर योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा मंजूरी दी गई थी।
- राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को गंगा डॉल्फिन का व्यापक रूप से अध्ययन करने, बदलते व्यवहार, जीवित रहने के कौशल, भोजन की आदतों, मृत्यु के कारणों जैसे अन्य विभिन्न पहलुओं पर शोध करने में सहायता करना है।
- यह केंद्र मछुआरों को मछली पकड़ने के दौरान डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
- गंगा के पास पटना विश्वविद्यालय के परिसर में 4,400 वर्ग मीटर के भूखंड में फैला यह केंद्र, शोधकर्ताओं को प्राकृतिक आवास में डॉल्फिन को करीब से देखने के लिए एक रणनीतिक स्थान प्रदान करता है।

गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में:

- गंगा नदी डॉल्फिन दुनिया की चार मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य तीन चीन में यांग्त्जी नदी (अब विलुप्त), पाकिस्तान में सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेजॅन नदी में पाए जाते हैं।
- भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त गंगा नदी डॉल्फिन, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची I के अन्तर्गत सूचीबद्ध है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया है। यह CITES के परिशिष्ट I के अंतर्गत आता है।
- यह भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है। चूँकि यह अंधा होता है, इसलिए यह इकोलोकेशन के माध्यम से नदी के पानी में अपना रास्ता और शिकार ढूंढ लेता है।
- भारत में अनुमानित 3,000 गंगा डॉल्फिन में से लगभग आधे बिहार में पाए जाते हैं।

निष्कर्ष:

किसी नदी में डॉल्फिन की उपस्थिति नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है। यदि किसी नदी में डॉल्फिन की संख्या अधिक है तो यह अच्छे नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देता है। दुनिया की नदी डॉल्फिन आबादी का 50 प्रतिशत बिहार में रहता है। हालाँकि उनका आवास अब खतरे में है। यह पारिस्थितिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक शोध सुनिश्चित करने के साथ-साथ केंद्र डॉल्फिन के संरक्षण पहल को और मजबूत करने में भी सहायता करेगा।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन की घोषणा की। इसके अतिरिक्त भारत में ही इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के मुख्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के बारे में:

- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस भारत द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान शुरू किया गया एक मेगा वैश्विक गठबंधन है। गठबंधन का लक्ष्य दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है जिसमें बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता शामिल हैं।
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की परिकल्पना 96 बिग कैट रेंज देशों, बिग कैट संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-रेंज देशों, संरक्षण भागीदारों तथा बिग कैट संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक संगठनों के बहु-देशीय, बहु-एजेंसी एलायंस के रूप में की गई है।
- इसमें बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले संरक्षण भागीदार और वैज्ञानिक संगठनों के अलावा बड़ी बिल्लियों के हित में योगदान देने के इच्छुक व्यापारिक समूह तथा कॉर्पोरेट भी शामिल हैं।
- यह नेटवर्क स्थापित करके केंद्रीय तरीके से तालमेल विकसित करता है ताकि वित्तीय सहायता से समर्थित सफल प्रथाओं और कर्मियों को एक मंच पर लाया जा सके। इसका लाभ बड़ी बिल्ली की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए क्षेत्र में संरक्षण एजेंडे को मजबूत करने हेतु किया जा सकता है।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के लाभः

- गठबंधन मौजूदा प्रजाति-विशिष्ट अंतर-सरकारी प्लेटफार्मों, नेटवर्क और संरक्षण तथा सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय पहल को मजबूत करेगा। सदस्य देशों में फ्रंटलाइन स्टाफ को बड़ी बिल्ली संरक्षण और वन्यजीव निगरानी में अनुसंधान तथा विकास के लिए स्थानीय समर्थन जुटाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समग्र और समावेशी संरक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी)

के साथ जैव विविधता नीतियों को एकीकृत करने के महत्त्व को रेखांकित करता है।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस गवर्नेंस क्या है?

- आईबीसीए प्रशासन में सदस्यों की सभा, स्थायी समिति और एक सचिवालय शामिल है जिसका मुख्यालय भारत में है। आईएसए और भारत सरकार की तर्ज पर मेजबान देश समझौता तैयार किया गया है।

निष्कर्ष:

गठबंधन प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करता है और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को कम करता है। बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों की सुरक्षा करके आईबीसीए प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन, जल, खाद्य सुरक्षा और इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर हजारों समुदायों की भलाई में योगदान देता है। यह बड़ी बिल्लियों के संबंध में भारत के संरक्षण प्रयासों को भी मान्यता देता है।

यूएनईपी वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024 रिपोर्ट 'कचरे के युग से परे: कचरे को एक संसाधन में बदलना' नामक शीर्षक से प्रकाशित की गई थी।

रिपोर्ट के बारे में:

- यह रिपोर्ट यूएनईपी और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन (ISWA) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है।
- रिपोर्ट 2018 से वैश्विक अपशिष्ट उत्पादन, कचरे की लागत और इसके प्रबंधन पर एक अपडेट प्रदान करती है।
- रिपोर्ट जीवन चक्र आकलन का उपयोग करके दुनिया को हमेशा की तरह व्यापार जारी रखने, आधे-अधूरे उपायों को अपनाने या शून्य अपशिष्ट और परिपत्र अर्थव्यवस्था वाले समाजों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से फायदे या नुकसान के बारे में जागरूक करती है।
- रिपोर्ट नगरपालिका अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन के तीन संभावित परिदृश्यों का भी मूल्यांकन करके समाज, पर्यावरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों की जांच करती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन 2023 में 2.3 बिलियन टन से बढ़कर 2050 तक 3.8 बिलियन टन होने का अनुमान है।
- 2020 में, अपशिष्ट प्रबंधन की वैश्विक प्रत्यक्ष लागत 252 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित थी। जब खराब अपशिष्ट निपटान प्रथाओं से प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी अव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन की छिपी हुई लागत को ध्यान में रखा जाता है, तो लागत बढ़कर 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाती है।
- अपशिष्ट प्रबंधन पर तत्काल कार्यवाही के बिना 2050 तक यह वैश्विक वार्षिक लागत लगभग दोगुनी होकर 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है।
- रिपोर्ट के मॉडलिंग से पता चलता है कि अपशिष्ट रोकथाम और प्रबंधन उपाय करके कचरे को नियंत्रण में लाने से 2050 तक शुद्ध वार्षिक लागत 270.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक सीमित हो सकती है।
- हालाँकि, अनुमानों से पता चलता है कि एक चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल, जहाँ अपशिष्ट उत्पादन और आर्थिक विकास को अपशिष्ट से बचाव तथा पूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाकर अलग किया जाता है, इसके तहत वास्तव में प्रति वर्ष 108.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्ण शुद्ध लाभ हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के बारे में:

- यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अग्रणी पर्यावरण प्राधिकरण है। यह भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रों और लोगों को प्रेरित, सूचित तथा सक्षम करके पर्यावरण की देखभाल में नेतृत्व प्रदान करने के अलावा साझेदारी को प्रोत्साहित करता है।
- स्थापित: 5 जून 1972
- मुख्यालय: नैरोबी, केन्या

आईएसडब्ल्यूए के बारे में:

- इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन (आईएसडब्ल्यूए) अपशिष्ट पेशेवरों और विशेषज्ञों का दुनिया का अग्रणी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में टिकाऊ और पेशेवर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना है।
- स्थापित: 1970

निष्कर्ष:

रिपोर्ट सुझाव देती है कि दुनिया को कचरे को संसाधन के रूप में मानना चाहिए, शून्य-अपशिष्ट प्रथाओं को लागू करना चाहिए और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए एक उचित परिवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। यह रिपोर्ट कचरा एकत्र करने वाले समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास का भी सुझाव देती है।

जैव विविधता पर उच्च समुद्र संधि

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम 7 मार्च, 2024 को बेल्जियम में आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रों से हाई सी को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाने के लिए एक नई संधि की पुष्टि करने का आग्रह किया गया।

प्रमुख बिन्दु:

- राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम ने बीबीएनजे संधि (उच्च समुद्री संधि) को लागू करने के लिए 2025 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन को एक मंच के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया।

उच्च समुद्र संधि के बारे में:

- हाई सी का तात्पर्य समुद्री जल स्तंभ से है जो किसी एक देश की सीमाओं से परे स्थित है जिसे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र (एबीएनजे) के रूप में भी जाना जाता है। हाई सी तटीय देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों से 200 समुद्री मील से अधिक दूर के क्षेत्र होते हैं।
- सभी राष्ट्र मार्च 2023 में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक नई संधि (बीबीएनजे संधि) पर सहमत हुए।
- संधि का लक्ष्य हाई सी पर संरक्षित क्षेत्रों का प्रतिशत बढ़ाना है। वैश्विक महासागर के दो-तिहाई से अधिक हिस्से को कवर करने के बावजूद, हाई सी का केवल 1.44 प्रतिशत ही संरक्षित है।
- संधि यह भी सुनिश्चित करेगी कि समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (एमजीआर) जैसे पौधे, पशु या सूक्ष्म जीवों की सामग्री से होने वाले लाभ को समान और निष्पक्ष रूप से साझा किया जाए।
- संधि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) के लिए बुनियादी नियम प्रदान करती है जो समुद्र पर किसी गतिविधि के संभावित प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन करने से संबंधित है। कार्बन पृथक्करण गतिविधियों या गहरे समुद्र में खनन के लिए ईआईए करना होगा।
- अब तक 88 देश इस संधि पर हस्ताक्षरकर्ता हैं। अब तक केवल दो देशों (चिली और पलाऊ) ने ही इसकी पुष्टि (Ratified) किया है। बीबीएनजे तब लागू होगा जब कम से कम 60 देश इसकी पुष्टि करेंगे। भारत ने अभी तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

चुनौतियाँ:

- संधि की पुष्टि हो जाने के बाद भी देशों को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। जैसे प्रक्रिया के नियमों, बजट और यहां तक कि सचिवालय कहां स्थित होगा आदि पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा।
- गहरे समुद्र में ईआईए कैसे संचालित किया जाएगा?
- विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जायेगा?

निष्कर्ष:

जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पार्टियों के 15वें सम्मेलन में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के तहत 2022 में सरकारें 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत समुद्री जीवन की रक्षा करने पर सहमत हुई थी। हाई सी (जो महासागर का दो-तिहाई हिस्सा बनाते हैं) इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण होंगे। इस संधि को शीघ्र मंजूरी देना समय की मांग है ताकि 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत समुद्री जीवन की रक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

'मानव-पशु संघर्ष' राज्य-विशिष्ट आपदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल ने मानव-पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। केरल इस प्रकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख कारण:

- मानव-पशु संघर्ष के कारण मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिससे स्थानीय लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर भय होने लगा है।
- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के माध्यम से न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है।
- वर्तमान में, मुख्य वन्यजीव वार्डन ही मानव बस्ती में कहर बरपाने वाले जंगली जानवर पर निर्णय लेते हैं।
- राज्य विशिष्ट आपदा घोषित होने पर डीएम अन्य सभी कानूनों की अधिभावी शक्ति के साथ सीधे कार्यवाही कर सकेगा।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 71 के अनुसार, किसी भी अदालत (सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर) के पास संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए किसी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

घोषणा के बाद क्या बदलाव होगा?

- वर्तमान में, मानव-पशु संघर्ष का प्रबंधन वन विभाग की जिम्मेदारी है जो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अनुसार कार्य करता है। एक बार जब समस्या को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया जाता है, तो इससे निपटने की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर आ जाती है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा संचालित होकर त्वरित और अधिक निर्णायक कार्यवाही कर सकता है।
- एक बार जब किसी मुद्दे को राज्य-विशिष्ट आपदा या राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है, तो जिला कलेक्टर जिला आपदा निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं।

अन्य राज्य-विशिष्ट आपदाएँ:

- वर्ष 2015 में ओडिशा ने सर्पदंश को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया था।
- वर्ष 2020 में, केरल ने कोविड को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया।
- वर्ष 2019 में हीट वेव, सनबर्न और सनस्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया।
- वर्ष 2017 में मिट्टी पाइपिंग की घटना और 2015 में बिजली गिरने व तटीय कटाव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया था।

निष्कर्षः

मानव पशु संघर्ष के लिए राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करना एक बहुत ही अल्पकालिक समाधान है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सभी राज्यों को केन्द्र सरकार के समन्वय से भविष्य में बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता है।

समुद्री सतह का बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन प्रभाव

चर्चा में क्यों?

कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा (C3S) के अनुसार फरवरी 2024 के लिए औसत वैश्विक समुद्री सतह का तापमान (SST) 21.06 डिग्री सेल्सियस रहा जो 1979 से अब तक सबसे अधिक है।

महासागर जल का औसत तापमान क्या है?

- समुद्र की सतह का औसत तापमान आमतौर पर 20 डिग्री के आसपास रहता है। हालाँकि यह जलवायु स्थितियों और स्थानों के आधार पर बदल सकता है या भिन्न हो सकता है। यह तापमान गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, जबकि उच्च अक्षांशों पर यह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है।

समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारणः

- **जलवायु परिवर्तनः** जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों ने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का स्तर बढ़ा दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीनहाउस गैसे हैं जो अनिवार्य रूप से वायुमंडल में गर्मी बढ़ाती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक समय से लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है।
- **एल नीनोः** एल-नीनो एक मौसम पैटर्न है जो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर की सतह को असामान्य रूप से गर्म कर देता है। यह असामान्य महासागरीय गर्मी और सतह के तापमान में वृद्धि में योगदान देती है।
- **सहारा रेगिस्तानी हवाएँः** सहारा रेगिस्तान से उड़ने वाली रेत अटलांटिक जल को छाया देने वाली एक 'विशाल छतरी' के समान कार्य करती है और समुद्र के तापमान को कम करती है। वर्तमान में औसत से कमजोर बहने वाली हवाओं के कारण कम रेत उड़ती हैं जिससे समुद्र का तापमान बढ़ोतरी हो रही है।

समुद्री सतह में तापमान वृद्धि का प्रभावः

- **महासागरीय धाराएँः** समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि, महासागरीय धारा परिसंचरण और उनकी स्थिरता को प्रभावित करती है। ये परिसंचरण पूरे ग्रह में गर्मी और पोषक तत्वों को वितरित करते हैं जो बदले में मौसम के पैटर्न तथा अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करते हैं। ऐसे परिसंचरण में कोई भी बदलाव स्थिरता को बाधित करेगा। उदाहरण के लिए, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC), जो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में सबसे महत्त्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट्स में से एक है, पतन के कगार पर है।
- **महासागर स्तरीकरणः** गर्म महासागर, महासागर स्तरीकरण (महासागर के पानी का क्षैतिज परतों में प्राकृतिक पृथक्करण) को वृद्धि की ओर ले जाते हैं। आमतौर पर महासागर पारिस्थितिकी तंत्र, धाराएँ, हवाएँ और ज्वार इन परतों को मिलाते हैं लेकिन तापमान वृद्धि के कारण ये जल परतें आपस में नहीं मिल पाती हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने तथा पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।
- **कोरल ब्लीचिंगः** समुद्र के तापमान में वृद्धि कोरल ब्लीचिंग में योगदान देती है जो बदले में पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी उत्पादकता को प्रभावित करके समुद्री पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है।
- **लगातार और तीव्र तूफानः** जब तूफान गर्म महासागरों से होकर गुजरते हैं, तो वे ज्यादा जलवाष्प और गर्मी इकट्ठा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप ज्यादा शक्तिशाली हवाएँ चलती हैं जिससे भारी वर्षा होती है जो बाढ़ का कारण बनती है।

निष्कर्षः

जलवायु प्रभावों के संदर्भ में महासागरों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि बहुत सी गर्मी न केवल सतह पर रहती है, बल्कि इसे गहराई तक ले जाती है। भविष्य में इसके कई भीषण परिणाम हो सकते हैं।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था IQAir ने 'विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023' जारी किया है जिसमें भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएंः

- 2023 में 134 देशों में से बांग्लादेश (79.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) और पाकिस्तान (73.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) के बाद भारत की वायु गुणवत्ता तीसरी सबसे खराब थी जहां औसत वार्षिक PM2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी।
- वर्ष 2022 में भारत को 53.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत PM2.5 सांद्रता के साथ आठवें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान दिया गया था।
- **प्रदूषित शहरः** दुनिया के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 42 शहर भारत के हैं। बेगुसराय 2023 का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है जिसके बाद गुवाहाटी और फिर दिल्ली का

स्थान है। दुनिया के शीर्ष दस सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 भारत के हैं। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय शहरों में ग्रेटर नोएडा (11), मुजफ्फरनगर (16), गुड़गांव (17), आरा (18), दादरी (19), पटना (20), फरीदाबाद (25), नोएडा (26), मेरठ (28), गाजियाबाद (35) और रोहतक (47) शामिल हैं।

रिपोर्ट के वैश्विक निष्कर्ष:

- रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में दुनिया के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और बुर्किना फासो शामिल हैं। जो देश WHO की वार्षिक PM2.5 गाइडलाइन (वार्षिक औसत 5 μg/m3 या उससे कम) को पूरा करते हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनेडा, आइसलैंड, मॉरीशस और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
- कनाडा उत्तरी अमेरिका में सबसे प्रदूषित देश है। इस क्षेत्र के 13 सबसे प्रदूषित शहर इसकी सीमाओं के भीतर स्थित है जो रिपोर्ट के इतिहास में पहली बार है।
- लगातार पांच वार्षिक गिरावट के बाद, चीन में भी पिछले साल PM2.5 6.3% बढ़कर 32.5 माइक्रोग्राम हो गया। दूसरी ओर अफ्रीका सबसे कम प्रतिनिधित्व वाला महाद्वीप बना हुआ है जहां एक तिहाई आबादी के पास अभी भी वायु गुणवत्ता डेटा तक पहुंच नहीं है।

निष्कर्ष:

वायु प्रदूषण को केवल एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक मानवाधिकार मुद्दे के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसे 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे ढांचे विकसित करना महत्त्वपूर्ण है जो भारत में स्वच्छ वायु समाधान के लिए निजी वित्तपोषण को आकर्षित कर सकें। स्वच्छ ऊर्जा और ई-मोबिलिटी जैसे हरित क्षेत्र भी वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ठोस समाधान प्रदान करते हैं।

2023 सबसे गर्म वर्ष रहा-WMO

चर्चा में क्यों?

वार्षिक जलवायु रिपोर्ट में डब्ल्यूएमओ ने 2023 को रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है, जबकि पिछले दशक (2014-23) को अब तक का सबसे गर्म दशक बताया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- डब्ल्यूएमओ के अनुसार, 2023 में वैश्विक औसत सतही तापमान 1.45 डिग्री सेल्सियस था जो 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक काल के औसत से अधिक है। यह तापमान 2016 में दर्ज किए गए पूर्व-औद्योगिक समय से 1.29 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से काफी अधिक है।
- 2014 और 2023 के बीच वैश्विक औसत सतही तापमान, दशकीय पूर्व-औद्योगिक औसत से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था जिससे यह दशक रिकॉर्ड सबसे गर्म 10-वर्षीय अवधि बन गई है।

ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता:

- रिपोर्ट में पाया गया कि तीन मुख्य ग्रीनहाउस गैसों 'कार्बन डाइ ऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड' की सांद्रता ने भी 2022 में नए रिकॉर्ड को छुआ जो कि अंतिम वर्ष था जिसके लिए समेकित वैश्विक आंकड़े उपलब्ध थे।
- 2022 में कार्बन डाइ ऑक्साइड सांद्रता 417.9 भाग प्रति मिलियन तक पहुँच गई थी जो कि पूर्व-औद्योगिक समय में देखे गए स्तरों का 150 प्रतिशत था, जबकि मीथेन सांद्रता 1,923 भाग प्रति बिलियन थी जो कि पूर्व-औद्योगिक स्तरों का 264 प्रतिशत थी।
- 2022 में नाइट्रस ऑक्साइड सांद्रता 335.8 भाग प्रति बिलियन देखी गई जो कि पूर्व-औद्योगिक स्तर का 124 प्रतिशत थी।

तापमान में इस तरह की वृद्धि का प्रभाव:

- **आपदाएँ:** पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण अधिक समय तक गर्मी की लहरें, अधिक बार सूखा, भारी वर्षा और अधिक शक्तिशाली तूफानों का आना।
- **स्थायी हिमपात का नुकसान:** अंटार्कटिका ने 1990 के दशक से लगभग चार ट्रिलियन मीट्रिक टन बर्फ खो दी है, जबकि आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है। वर्तमान गति से जीवाश्म ईंधन के निरंतर जलने से बर्फ का नुकसान बढ़ सकता है जिससे अगले 50 से 150 वर्षों में समुद्र का स्तर कई मीटर बढ़ सकता है जिसका दुनिया भर के तटीय समुदायों पर असर पड़ सकता है।
- **जैव विविधता का ह्रास:** ग्लेशियरों के पिघलने, समय से पहले बर्फ पिघलने और गंभीर सूखे के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ रहा है। शहरों, खेतों और जंगलों में अधिक कीट, गर्मी की लहरें, मूसलाधार बारिश तथा बाढ़ का सामना करना पड़ेगा जिससे कृषि और मत्स्य पालन को भी नुकसान होगा।
- **प्रवाल विरंजन:** प्रवाल भित्तियों और अल्पाइन घास के मैदानों में बढ़ते तापमान से भारी नुकसान हो सकता है जिससे कई पौधों तथा जानवरों की प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना है।
- **मानव सभ्यताओं का प्रभाव:** कुछ समूह, जैसे कि स्वदेशी लोग और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोग ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इन समूहों ने जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान दिया है, लेकिन आवास, स्वास्थ्य सेवा और श्रम प्रणालियों में असमानताओं के कारण इसके प्रभावों के प्रति ये ज्यादा संवेदनशील हैं, इसे पर्यावरणीय नस्लवाद कहते है।

निष्कर्ष:

कुशल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, टिकाऊ कृषि में सुधार करना और जीवाश्म ईंधन से सौर तथा पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण करना और तापमान वृद्धि को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह ऊर्जा और पानी के उपयोग को कम करने के लिए लागत प्रभावी तकनीकों का उपयोग करना, कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करके कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत के परमाणु कार्यक्रम को नई दिशा देता दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर

भारत ने उस समय परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की संभावना की कल्पना की थी जब इस क्षेत्र में परमाणु गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से सैन्य उपयोग के लिए तैयार की गई थीं। हिरोशिमा में परमाणु ऊर्जा की विनाशकारी शक्ति प्रदर्शन के एक वर्ष बाद, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार डॉ होमी जहांगीर भाभा ने घोषणा किया था कि 'जब परमाणु ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है, तो ऐसे में कुछ दशकों बाद भारत को विशेषज्ञों के लिए विदेश की ओर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि वे तुरंत तैयार मिलेंगे।' यह कथन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पिछले तीन दशकों में भारत के प्रयासों का सार अर्थात प्रयोगशाला चरण से लेकर औद्योगिक स्तर तक बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को डिजाइन और निष्पादित करने के लिए देश के भीतर वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षमता का विकास होना दर्शाता है।

दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर क्या है?

- दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) एक परमाणु रिएक्टर है जो अपने शीतलक और न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में भारी पानी (ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O) का उपयोग करता है। पीएचडब्ल्यूआर अक्सर ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी-कभी बहुत कम समृद्ध यूरेनियम का भी उपयोग करते हैं।

भारत के परमाणु कार्यक्रम के तीन चरण:

- भारत का तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1950 के दशक में यूरेनियम और थोरियम भंडार के उपयोग के माध्यम से देश की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया था। कार्यक्रम का अंतिम ध्येय भारत के थोरियम भंडार को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग करने में सक्षम बनाने पर है।

स्टेज-I: दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर

- कार्यक्रम के पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) विद्युत का उत्पादन करते हैं, जबकि उप-उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम-239 उत्पन्न करते हैं। पहले चरण को लागू करने के लिए पीएचडब्ल्यूआर एक स्वाभाविक विकल्प था क्योंकि इसमें यूरेनियम उपयोग के मामले में सबसे कुशल रिएक्टर डिजाइन था जिसे 1960 के दशक में मौजूदा भारतीय बुनियादी ढांचे ने पीएचडब्ल्यूआर प्रौद्योगिकी को त्वरित रूप से अपनाने की अनुमति दी थी। भारी पानी (ड्यूटेरियम ऑक्साइड-डी2ओ) का उपयोग मॉडरेटर और शीतलक के रूप में किया जाता है।

स्टेज-II: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

- दूसरे चरण में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) प्लूटोनियम-239 से बने मिश्रित ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन का उपयोग करते हैं जिसे पहले चरण से खर्च किए गए ईंधन और प्राकृतिक यूरेनियम के पुनः प्रसंस्करण द्वारा पुनर्प्राप्त किया जाता है। एफबीआर में प्लूटोनियम-239 ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन से गुजरता है, जबकि मिश्रित ऑक्साइड ईंधन में मौजूद यूरेनियम-238 अतिरिक्त प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार, स्टेज II एफबीआर को उनके उपभोग से अधिक ईंधन 'उत्पादन' के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार प्लूटोनियम-239 की सूची तैयार हो जाने पर थोरियम को रिएक्टर में एक कंबल सामग्री के रूप में पेश किया जा सकता है। तीसरे चरण में उपयोग के लिए यूरेनियम-233 में परिवर्तित किया जा सकता है।

- प्रत्येक तेज रिएक्टर में उत्पन्न अधिशेष प्लूटोनियम का उपयोग ऐसे और अधिक रिएक्टर स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षमता उस बिंदु तक बढ़ सकती है जहां ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करने वाले तीसरे चरण के रिएक्टर लाए जा सकते हैं।

स्टेज-III: थोरियम आधारित रिएक्टर

- चरण III रिएक्टर या उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली में थोरियम-232 -यूरेनियम-233 ईंधन वाले रिएक्टरों की एक आत्मनिर्भर शृंखला शामिल होती है। यह एक ऐसा थर्मल ब्रीडर रिएक्टर होगा जिसे सैद्धांतिक रूप से प्रारंभिक ईंधन चार्ज के बाद, केवल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले थोरियम का उपयोग करके ईंधन भरा जा सकता है। तीन-चरणीय कार्यक्रम के अनुसार, भारतीय परमाणु ऊर्जा घरेलू यूरेनियम द्वारा ईंधन वाले पीएचडब्ल्यूआर के माध्यम से लगभग 10 गीगावॉट तक बढ़ सकती है।

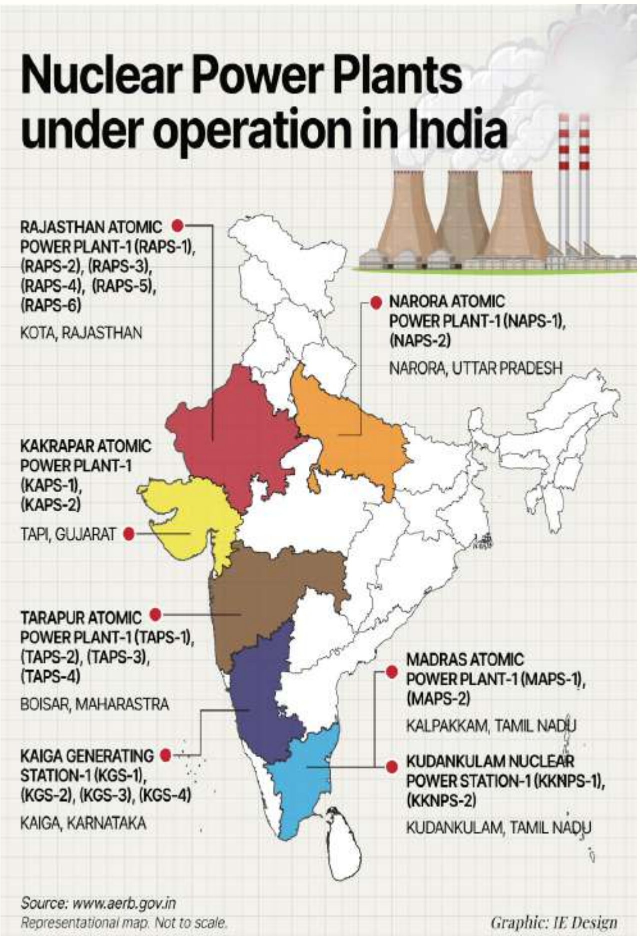

भारत की परमाणु ऊर्जा की स्थितिः

- सभी विकासशील देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्वदेशी रूप से विकसित, प्रदर्शित और तैनात परमाणु रिएक्टरों का उपयोग करके बिजली उत्पन्न किया है।
- भारत दुनिया भर में बिजली उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत के लिए परमाणु ऊर्जा बिजली का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है। परमाणु ऊर्जा वर्तमान में 3% बिजली उत्पादन प्रदान करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार, भारत 2031 तक अपनी परमाणु बिजली उत्पादन को मौजूदा 6,780 मेगावाट से तीन गुना बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की योजना बना रहा है।
- परमाणु रिएक्टरों की संख्या के मामले में भी भारत सातवें स्थान पर है। देश भर में 7 बिजली संयंत्रों में 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर हैं जो 6780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा, कुल 8000 मेगावाट के 10 रिएक्टर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इस बीच, सरकार ने 10 और रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक तथा वित्तीय मंजूरी दी जिससे 7000 मेगावाट की क्षमता जुड़ेगी।

पीएचडब्ल्यूआर का विकासः

- नागरिक उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा भारत में अच्छी तरह से स्थापित है। 1960 के दशक में तारापुर में दो छोटे बॉयल्ड वाटर रिएक्टरों के निर्माण के बाद से, इसकी नागरिक परमाणु रणनीति को परमाणु ईंधन चक्र में पूर्ण स्वतंत्रता की ओर निर्देशित किया गया है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बड़े पैमाने पर अन्य देशों से ईंधन या तकनीकी सहायता के बिना आगे बढ़ा है।
- दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) डिजाइन को 1964 में अपनाया गया था क्योंकि उस समय इसमें उबलते पानी रिएक्टरों की तुलना में कम प्राकृतिक यूरेनियम की आवश्यकता होती थी। भारत में यह प्रौद्योगिकी 1960 के दशक के अंत में संयुक्त भारत-कनाडाई परमाणु सहयोग के तहत कनाडा में डगलस पॉइंट रिएक्टर के समान डिजाइन वाले पहले 220 मेगावाट रिएक्टर 'राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, आरएपीएस-1' के निर्माण के साथ शुरू हुई। कनाडा ने इस पहली इकाई के लिए सभी मुख्य उपकरणों की आपूर्ति की। भारत ने निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग गतिविधियों की जिम्मेदारी अपने पास रखी।
- दूसरी इकाई (आरएपीएस-2) के लिए आयात सामग्री को काफी कम करके उपकरणों के स्तर पर स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया। पोखरण-1 के बाद 1974 में भारतीय परमाणु इंजीनियरों ने निर्माण पूरा किया जिससे संयंत्र को भारत में निर्मित अधिकांश घटकों के साथ चालू किया गया।
- तीसरी पीएचडब्ल्यूआर इकाई (मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, MAPS-1) से दुनिया भर में हो रहे विकासवादी परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने और नए सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के उद्देश्य से डिजाइन का स्वदेशीकरण शुरू हुआ।
- 1960 के दशक में भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पहले चरण के लिए पीएचडब्ल्यूआर को चुनने का मुख्य कारण ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग, ऊर्जा उत्पादन में खनन किए गए यूरेनियम का सर्वोत्तम उपयोग और पूरी तरह से तकनीकी आत्मनिर्भर होने की संभावना थी।
- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और परमाणु ऊर्जा निगम में चार

दशकों के निरंतर अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्य और उनके कुछ उद्योग भागीदारों के योगदान ने भारत को समग्र रूप से प्रौद्योगिकी स्थापित करने में सक्षम बनाया है।

दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर के लाभः

- जहां तक सुरक्षा का सवाल है, पीएचडब्ल्यूआर तकनीक अपनी कई अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं के मामले में अच्छा प्रदर्शन करती है। पीएचडब्ल्यूआर डिजाइन का सबसे बड़ा लाभ प्रेशराइज्ड वेसल्स पोत-प्रकार के रिएक्टरों में उपयोग किए जाने वाले बड़े दबाव वाहिकाओं के बजाय पतली दीवार वाली दबाव ट्यूबों का उपयोग है। इस तरह के डिजाइन में दबाव सीमा के आकस्मिक टूटने के परिणाम की गंभीरता दबाव पोत-प्रकार के रिएक्टर की तुलना में बहुत कम होगी।
- इसके अलावा, इंडियन 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर डिजाइन ने एक समर्पित निष्क्रिय क्षय ताप निष्कासन प्रणाली के माध्यम से सुरक्षा बढ़ा दी है जिसमें फुकुशिमा प्रकार की दुर्घटना को संबोधित करने के लिए जेनरेशन III+ संयंत्रों के लिए अपनाई गई तकनीक के समान किसी भी ऑपरेटर कार्यवाही की आवश्यकता के बिना कोर से क्षय ताप को हटाने की क्षमता है।
- 700 मेगावाट इंडियन पीएचडब्ल्यूआर में रिसाव को कम करने के लिए एक स्टील-लाइन वाली रोकथाम और शीतलक दुर्घटना के नुकसान के मामले में रोकथाम के दबाव को कम करने हेतु एक रोकथाम स्प्रे प्रणाली है।

पीएचडब्ल्यूआर की संभावनाएंः

- खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण, ईंधन और संरचनात्मक सामग्रियों के निर्माण, खर्च किए गए परमाणु ईंधन के पुनर्ससाधन तथा रेडियोधर्मी कचरे के स्थिरीकरण सहित पूरे ईंधन चक्र में महारत हासिल करने से भारत को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक अद्वितीय स्थिति प्राप्त हुई है।
- देश में यूरेनियम के सीमित भंडार की बाधा (जो पहले परमाणु ऊर्जा में तेजी से वृद्धि में बाधक थी) अब स्वदेशी यूरेनियम के संवर्धित उत्पादन और कई देशों के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौतों के तहत यूरेनियम के आयात से कम हो गई है।
- यह निर्णय कि तत्काल भविष्य में 700 मेगावाट के 10 पीएचडब्ल्यूआर स्थापित किए जाएंगे, सटीक विशिष्टताओं के परमाणु घटकों के क्रमिक उत्पादन की चुनौती के लिए उद्योग में पर्याप्त उत्साह पैदा करेगा। परमाणु ऊर्जा गतिविधि में विस्तार से न केवल आपूर्तिकर्ता आधार का विस्तार होगा, बल्कि भाग लेने वाले उद्योग भी अधिक गुणवत्ता के प्रति जागरूक होंगे। वे परमाणु ग्रेड घटकों के निर्यातक बनने के योग्य भी हो सकते हैं। परमाणु संयंत्रों के निर्माण की प्रारंभिक अवधि में कमी से बिजली की लागत को कम करने में गहरा प्रभाव पड़ेगा।
- भारत अब अपने डिजाइन के 900 मेगावाट दबावयुक्त जल रिएक्टर (पीडब्ल्यूआर) का निर्माण शुरू करने की स्थिति में है।
- बड़े आकार के दबाव पोत बनाने की क्षमता अब देश के भीतर उपलब्ध है जो आइसोटोप संवर्धन संयंत्र के भीतर आवश्यक समृद्ध यूरेनियम ईंधन के हिस्से की आपूर्ति करने में सक्षम होंगे।
- ये देश में परमाणु ऊर्जा के त्वरित विकास के उद्देश्य से रूस, फ्रांस और अमेरिका से आयातित पीडब्ल्यूआर के अतिरिक्त होंगे।
- संचालन की सुविधा और उच्च औसत क्षमता कारक ने पीडब्ल्यूआर को दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बना दिया है। सभी बिजली रिएक्टरों में से लगभग 85% पीडब्ल्यूआर प्रकार के हैं। भारत में पीडब्ल्यूआर और पीएचडब्ल्यूआर के मिश्रण को संचालित करने का एक विशेष लाभ होगा क्योंकि पूर्व के खर्च किए गए ईंधन (जिसमें 1% से अधिक यूरेनियम -235 होगा) को पुनः संसाधित किया जा सकता है। यह आगे चलकर पीएचडब्ल्यूआर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह विकसित होता ईंधन चक्र अंततः प्रसिद्ध तीन चरणों वाले कार्यक्रम के पहले चरण से विद्युत उत्पादन को काफी हद तक बढ़ा देगा।
- ऑपरेटिंग पीएचडब्ल्यूआर से खर्च किए गए ईंधन के पुनर्ससाधन द्वारा प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के पूर्ण कोर के लिए प्लूटोनियम-यूरेनियम मिश्रित ऑक्साइड ईंधन बनाने में किया जाता है जिसमें ऑपरेशन शुरू करने से पहले कमीशनिंग गतिविधियों की शुरुआत होती है।
- भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश के साथ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न केवल स्थापित परमाणु क्षमता के विकास को सक्षम करेंगे, बल्कि उपजाऊ आइसोटोप के रूपांतरण द्वारा अधिक विखंडनीय सामग्री, प्लूटोनियम -239, यूरेनियम -233, यूरेनियम-238 और थोरियम-232 भी उत्पन्न करेंगे।
- कार्यक्रम के पहले चरण का बढ़ा हुआ दायरा और त्वरित कार्यान्वयन देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सुरक्षित करने में दूरगामी प्रभाव डालेगा।
- यूरेनियम प्लूटोनियम ईंधन चक्र में कई रीसाइक्लिंग संचालित करके विखंडनीय सामग्री की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है। भारत थोरियम के विशाल रिजर्व का उपयोग करके (वर्तमान अनुमान यूरेनियम का चार गुना है) भारत कई सदियों तक स्वच्छ परमाणु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रख सकता है।

आगे की राहः

भारत परमाणु ऊर्जा पुनरुत्थान के साथ ही परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की राह पर है। 700 मेगावाट क्षमता के दस नए दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) के निर्माण की योजना, सरकार के स्वदेशी पीएचडब्ल्यूआर तकनीक में विश्वास की पुष्टि करती है जिसे लगभग चार दशकों की अवधि में बनाया गया है। वर्तमान सोलह स्वदेशी रूप से निर्मित पीएचडब्ल्यूआर का प्रदर्शन पिछले पांच वर्षों में लगभग 80% की औसत क्षमता कारक द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सभी घटकों का शत-प्रतिशत निर्माण भारतीय उद्योग द्वारा किया जाता है।

इंडिया एआई मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों के लिए 10,372 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है जिसके तहत सरकार देश में एआई कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने वाली निजी कंपनियों को सब्सिडी देने हेतु धन आवंटित करेगी।

इंडिया एआई मिशन के बारे में:

- इंडिया एआई मिशन के विभिन्न घटक हैं। जैसे-इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर (आईएआईसी), इंडिया एआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया एआई फ्यूचरस्किल्स, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग तथा सुरक्षित और विश्वसनीय एआई आदि।
- **इंडिया एआई कंप्यूट क्षमता:** सरकार 10,000 से अधिक जीपीयू की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने पर विचार करेगी जो स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शासन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले डेटासेट पर प्रशिक्षित 100 बिलियन से अधिक मापदंडों की क्षमता वाले मूलभूत मॉडल विकसित करने में भी मदद करेगी।
- **डीपटेक स्टार्टअप:** कैबिनेट ने विकास के विभिन्न स्तरों पर डीपटेक स्टार्टअप के सरकार द्वारा वित्तपोषण को मंजूरी दिया है। कुल परिव्यय में से लगभग 2,000 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किये गये हैं।
- **इंडिया एआई डेटासेट प्लेटफॉर्म:** कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ये प्लेटफॉर्म एआई नवाचार के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटासेट की गुणवत्ता, पहुंच और उपयोग का लाभ उठाने पर ध्यान देंगे। प्लेटफॉर्म को पहचाने गए 'उच्च-गुणवत्ता' एआई-तैयार डेटासेट की मेजबानी करने का काम सौंपा जाएगा।
- **इंडिया एआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर:** सरकार इंडिया एआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर भी स्थापित करेगी जो स्वदेशी बड़े मल्टीमॉडल और डोमेन-विशिष्ट फाउंडेशनल मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बड़े मूलभूत मॉडल के विकास का कार्य करेगा।

कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता:

- एल्गोरिथम नवाचार और डेटा सेट के अलावा कंप्यूटिंग क्षमता या गणना, एक बड़े एआई सिस्टम के निर्माण के सबसे महत्त्वपूर्ण तत्वों में से एक है। उच्च लागत को देखते हुए ऐसे एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने और बनाने की चाहत रखने वाले छोटे व्यवसायों के लिए इसे हासिल करना सबसे कठिन तत्वों में से एक है।
- **अर्थव्यवस्था संचालक:** सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रमुख आर्थिक चालक के रूप में पहचाना है, इसलिए वह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक जोर देने को तैयार है। इसी तरह की रणनीति यूरोपीय संघ भी अपना रहा है।
- यदि भारत में कंप्यूट की कीमतें कम हो जाती हैं, तो निजी इकाई को बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उसी बजट राशि के भीतर अधिक कंप्यूट क्षमता जोड़नी होगी।
- **मानव पूंजी का उपयोग:** भारत में इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का एक बड़ा समूह है जिसमें एआई प्रौद्योगिकियों में अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर जोर दिया जा रहा है।
- **डेटा उपयोग:** अपनी विशाल आबादी के साथ भारत, बड़े पैमाने पर डेटा सेट तैयार करता है जो एआई और मशीन लर्निंग मॉडल के लिए एक अद्वितीय लाभ प्रदान करता है।

एआई के लिए अन्य पहल:

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति:** नीति आयोग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय रणनीति, भारत को एआई में अग्रणी के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है। यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और स्मार्ट शहरों जैसी सामाजिक आवश्यकताओं के लिए एआई का लाभ उठाने पर जोर देता है।
- **सभी के लिए एआई:** यह रणनीति भाषा विविधता को संबोधित करते हुए संपूर्ण भारतीय आबादी के लिए एआई लाभों की पहुंच बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ाने और नैतिक एआई उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **डिजिटल इंडिया:** एआई पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस अभियान का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं को डिजिटल बनाकर एआई-आधारित समाधानों के लिए बुनियादी जमीन तैयार करना है।

चुनौतियाँ:

- **विनियमन:** हालाँकि एआई में कई नवोन्मेषी क्षमताएँ हैं लेकिन इसके नकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि निजी क्षेत्र तेजी से नवप्रवर्तन कर रहा है।

- **डेटा गुणवत्ता:** एआई मॉडल वर्तमान में प्रारंभिक चरण में होने से व्यापक, निष्पक्ष और उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट का अभाव है। ऐसे डेटासेट की आवश्यकता है जो प्रतिनिधित्वपूर्ण हो और पूर्वाग्रह से मुक्त हो।
- **मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान:** एआई अक्सर रचनात्मकता और गुणवत्ता की तुलना में मात्रा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।

निष्कर्ष:

उम्मीद है कि इंडिया एआई मिशन भारत को एआई अनुसंधान और नवाचार में वैश्विक अगुआ के रूप में स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रतिभा विकास में निवेश और जिम्मेदार एआई अपनाने को बढ़ावा देकर, मिशन का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, शासन में सुधार करना और देश के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों का समाधान करना है। भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने में एआई की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए एआई अनुसंधान तथा विकास में निरंतर निवेश करने की आवश्यकता है।

इसरो का नया लॉन्च पोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में इसरो के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की आधारशिला रखी।

नये लॉन्च पोर्ट की आवश्यकता क्यों?

- **बढ़ती वाणिज्यिक मांगें:** भारत की हालिया नीतिगत बदलाव से अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के लिए खोलने से वाणिज्यिक लॉन्च में वृद्धि हुई है। इस बढ़ी हुई मांग को समायोजित करने के लिए एक नए लॉन्च पोर्ट की स्थापना अनिवार्य हो जाती है।
- **ओवरलोड को रोकना:** श्रीहरिकोटा में मौजूदा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एसएचएआर (जो इसरो की प्राथमिक लॉन्च सुविधा है) को भारी-लिफ्ट-ऑफ मिशन और छोटे पेलोड लॉन्च दोनों किये जाने पर अत्यधिक बोझ का सामना करना पड़ता है। इसलिए नई सुविधा छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों पर ध्यान केंद्रित करके इस तनाव को कम करेगी।

नया लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु में ही क्यों?

- कुलसेकरपट्टिनम लॉन्च पोर्ट अपने स्थान के कारण एक रणनीतिक लाभ प्रदान करता है जो छोटे उपग्रह लॉन्च वाहन (एसएसएलवी) का उपयोग करके लॉन्च के लिए सीधे दक्षिण की ओर प्रक्षेपवक्र की अनुमति देता है।
- हल्के पेलोड और कम ईंधन ले जाने के लिए डिजाइन किए गए एसएसएलवी, छोटे तथा अधिक कुशल लॉन्च प्रक्षेप पथ से लाभान्वित होते हैं, इसमें कुलसेकरपट्टिनम विशेष सुविधा प्रदान करता है।
- श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) एसएचएआर से वर्तमान प्रक्षेपणों के लिए वाहन को दक्षिण की ओर उड़ान भरने से पहले श्रीलंका के चारों तरफ पूर्व की ओर जाना पड़ता है जिससे अतिरिक्त ईंधन की खपत होती है।
- कोलंबो के सापेक्ष कुलसेकरपट्टिनम का पश्चिम की ओर स्थित स्थान इस चक्कर की आवश्यकता को समाप्त कर देता है जिससे सीधे दक्षिण की ओर उड़ानें भरने पर ईंधन की बचत होती है जो एसएसएलवी मिशनों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- दोनों लॉन्च पोर्ट भूमध्य रेखा के पास दक्षिणी भारत में स्थित हैं जो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा प्रदान किए गए वेग के संदर्भ में लाभ प्रदान करते हैं।
- भूमध्य रेखा से निकटता पृथ्वी के घूर्णन द्वारा प्रदान किए गए वेग को बढ़ाती है जिससे प्रक्षेपण वाहनों के लिए पेलोड क्षमता में वृद्धि होती है, विशेष रूप से भूस्थैतिक उपग्रहों के लिए फायदेमंद होता है।

एसएसएलवी क्या है?

- एसएसएलवी इसरो द्वारा विकसित छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो 10 से 500 किलोग्राम वजन वाले छोटे उपग्रहों को निचली पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है।
- इसमें तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसका उत्थापन भार लगभग 120 टन है, जबकि इसकी लंबाई 34 मीटर और व्यास 2 मीटर है।
- उनकी लागत कम है जिससे इच्छित उपग्रह को कक्षाओं में स्थापित करने में कम उड़ान समय लगता है।

निष्कर्ष:

नया लॉन्च पोर्ट अंतरिक्ष उद्योग में प्रवेश करने के इच्छुक निजी क्षेत्रों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। ये संस्थाएं अंतरिक्ष-योग्य उप-प्रणालियों को विकसित करने, उपग्रहों का निर्माण करने तथा यहां तक कि वाहनों को लॉन्च करने, क्षेत्र के भीतर नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सुविधा का उपयोग कर सकती हैं। ऑन-डिमांड वाणिज्यिक लॉन्च पर ध्यान देने के साथ लॉन्च पोर्ट इन गतिविधियों का समर्थन करने, कुशल संचालन सुनिश्चित करने और भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु समर्पित बुनियादी ढांचे की पेशकश करेगा।

मिशन दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डीआरडीओ ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) तकनीक से लैस अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। यह देश की रक्षा क्षमताओं में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मिशन दिव्यास्त्र के बारे में:

- मिशन दिव्यास्त्र एक ऐसा मिशन है जिसमें एक ही मिसाइल को विभिन्न युद्ध स्थलों को निशाना बनाकर तैनात किया जा सकता है।
- यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणालियों और उच्च सटीकता

सेंसर से लैस है।

- मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास एमआईआरवी क्षमता है।

एमआईआरवी तकनीक के बारे में:

- मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल 'एमआईआरवी' तकनीक उस तकनीक को कहते है जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है।
- इन हथियारों से दुश्मन के अलग-अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। इसकी यह भी विशेषता है कि इसे सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
- इससे पहले की अग्नि मिसाइलों में यह सुविधा मौजूद नहीं थी लेकिन अब अग्नि-5 मिसाइल भी इस तकनीक से जुड़ गई है।

अग्नि-5 मिसाइल के बारे में:

- यह अग्नि सीरीज की 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। भारत ने दिसंबर 2022 में 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली परमाणु क्षमता से लैस अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।

मिशन दिव्यास्त्र का रणनीतिक महत्त्व:

- एमआईआरवी से सुसज्जित मिसाइलें कई लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने, दुश्मन की रक्षा पर भारी पड़ने और क्षति क्षमता को अधिकतम करने में सक्षम बनाती हैं।
- ये मिसाइलें मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण चुनौती पेश करती हैं, क्योंकि स्वतंत्र प्रक्षेप पथ वाले कई हथियार अवरोधन प्रयासों को विफल कर सकती हैं।
- भारत जैसे पहले परमाणु हथियार उपयोग न करने की नीति वाले देशों के लिए एमआईआरवी तकनीक प्रतिक्रिया हमलों की विश्वसनीयता को बढ़ाती है जो आक्रामकता के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करती है।

निष्कर्ष:

मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास एमआईआरवी (MIRV) क्षमता है। यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणालियों और उच्च सटीकता सेंसर से सुसज्जित है। यह क्षमता भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है।

उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान परियोजना को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) ने भारत के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू बहुउद्देश्यीय फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) को डिजाइन और विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के तहत एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) कार्यक्रम को निष्पादित करने तथा विमान को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। विमान का निर्माण सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया जाएगा।

एएमसीए की विशेषताएं:

- एएमसीए भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस 4.5 पीढ़ी का एकल इंजन वाला बहुद्देशीय विमान है।
- 25 टन वजनी ट्विन इंजन वाले विमान (जो भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा) में दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होंगी।
- विमान में 6.5 टन क्षमता का एक बड़ा, छिपा हुआ आंतरिक ईंधन टैंक और स्वदेशी हथियारों के लिए एक आंतरिक हथियार होगा।
- एएमसीए एमके 1 वेरिएंट में 90 किलोन्यूटन (kN) क्लास का यूएस-निर्मित GE414 इंजन होगा, जबकि अधिक उन्नत एएमसीए एमके 2 अधिक शक्तिशाली 110kN इंजन पर उड़ान भरेगा।
- विमान के इंजनों में वायु प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए डायवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट और इंजनों को रडार उत्सर्जन से बचाने हेतु एक सर्पेन्टाइन एयर इनटेक डक्ट जैसी अन्य विशेषताएं भी शामिल होंगी।

पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान क्या हैं?

- पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में आंतरिक हथियार और एक बड़े आंतरिक ईंधन टैंक जैसी छिपी क्षमताएं होती हैं जो आफ्टरबर्नर लगाए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकते हैं।
- विमान को कई संरचनात्मक घटकों पर नजर रखने और वास्तविक समय में विमान की स्थिति का आकलन करने के लिए व्यापक एकीकृत वाहन स्वास्थ्य प्रबंधन (आईवीएचएम) प्रणाली को शामिल करने में सहायता मिलेगी।
- रूस, चीन और अमेरिका के स्वामित्व वाले इन लड़ाकू विमानों के पास मल्टी-स्पेक्ट्रल कम-अवलोकन योग्य डिजाइन विशेषताएं, आत्म-सुरक्षा, रडार जैमिंग क्षमताएं और एकीकृत एवियोनिक्स हैं।
- वर्तमान समय में सेवा में विमानों की सूची में अमेरिका के एफ-22 रैप्टर और एफ-35ए लाइटनिंग II, चीन का जे-20 माइटी ड्रैगन तथा रूसी सुखोई एसयू-57 शामिल हैं।

निष्कर्ष:

भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 42 जरूरत के मुकाबले लगभग 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं। यह संख्या और कम होने की उम्मीद है क्योंकि मिग-21, मिग-29, जगुआर और मिराज 2000 के स्क्वाड्रन को अगले दशक के मध्य तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने और दुश्मनों के खिलाफ अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता के लिए भारत को एएमसीए के साथ अपनी वायु शक्ति क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

एफएओ की इन्फार रिपोर्ट जारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 2019-22 के लिए भारतीय मत्स्य पालन और पशु रोगाणुरोधी प्रतिरोध (आईएनएफएएआर) का निगरानी डेटा प्रकाशित किया है।

रिपोर्ट के बारे में:

- यह भारत में मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) निगरानी प्रवृत्तियों पर पहली रिपोर्ट है। कुल मिलाकर, भारत के 12 राज्यों के 42 जिलों में फैले 3,087 फार्मों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया था।
- मत्स्य पालन क्षेत्र के भीतर तीन प्रमुख उत्पादन प्रणालियाँ 'मीठे पानी, खारे पानी और समुद्री' शामिल थीं।
- परीक्षण किए गए एंटीबायोटिक दवाओं के पैनल में एमिकासिन, एम्पीसिलीन, एमोक्सिसिलिन-क्लैवुलैनिक एसिड, एज्ट्रोनम, सेफोटैक्सिम, सेफेपाइम, सेफोक्सिटिन, सेफ्टाजिडाइम, क्लोरैम्फेनिकॉल, को-ट्रिमोक्साजोल, एनरोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन, इमिपेनेम, मेरोपेनेम और टेट्रासाइक्लिन शामिल हैं।
- सभी तीन प्रणालियों में 'स्टैफिलोकोकस ऑरियस, कोगुलेज-नकारात्मक स्टैफिलोकोकस प्रजातियों (सीओएनएस) और एस्चेरिचिया कोली के लिए प्रतिरोध' की रूपरेखा तैयार की गई थी।
- इसके अतिरिक्त, एयरोमोनस प्रजातियों के लिए मीठे पानी की प्रणालियों का विश्लेषण किया गया, जबकि झींगा जलीय कृषि और समुद्री कृषि दोनों का मूल्यांकन विब्रियो पैराहेमोलिटिकस तथा विब्रियो एसपी के लिए किया गया।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- इस निगरानी में भारत के सभी क्षेत्रों की सीमित कवरेज को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट ने रेखांकित किया कि यह भारत में पशु खाद्य क्षेत्र में एएमआर रुझानों को समझने और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आधारभूत डेटा प्रदान करता है।
- रिपोर्ट में मत्स्य पालन और पशु दोनों क्षेत्रों में कुछ कम इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक्स (जैसे क्लोरैम्फेनिकॉल) के प्रति प्रतिरोध का निम्न स्तर दिखाया गया है।
- रिपोर्ट में जलीय कृषि मूल के 'ई-कोली आइसोलेट्स में मल्टीड्रग प्रतिरोध (एमडीआर)' पैटर्न का भी विश्लेषण किया गया जिससे पता चला कि 39 प्रतिशत आइसोलेट्स में एमडीआर प्रदर्शित हुआ जो तीन या अधिक रोगाणुरोधी वर्गों के प्रतिरोध को इंगित करता है।

आईएनएफएएआर के बारे में:

- आईएनएफएएआर, एफएओ और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के तकनीकी सहयोग के साथ, आईसीएआर के तहत स्थापित प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। यह मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्रों में एएमआर निगरानी के लिए समर्पित है।
- वर्तमान में इसमें 20 प्रयोगशालाएँ शामिल हैं जिनमें 17 आईसीएआर अनुसंधान संस्थान प्रयोगशालाएँ, एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय प्रयोगशाला, एक राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रयोगशाला और एक राज्य पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रमुख हैं।

निष्कर्ष:

खाद्य पशु उत्पादन में एंटीबायोटिक का उपयोग एएमआर के लिए एक चालक माना जाता है। इस संदर्भ में, एएमआर प्रवृत्तियों पर उत्पन्न डेटा एएमआर रोकथाम के लिए नीति और निर्णय लेने में मददगार होगा। रिपोर्ट द्वारा सुझाई गई टिप्पणियाँ जलीय कृषि और पशुधन जैसे खाद्य पशु उत्पादन प्रणालियों में विवेकपूर्ण एंटीबायोटिक उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कालापक्कम में भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत किया है।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में:

- सरकार ने 2003 में भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर-प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) के निर्माण को मंजूरी दी थी।
- पीएफबीआर को एमएसएमई सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के महत्त्वपूर्ण योगदान के साथ भाविनी द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। एक बार चालू होने के बाद भारत, रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से संचालित करने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का दूसरा देश होगा।
- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) शुरू में यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन का उपयोग करेगा। ईंधन कोर के आसपास का यूरेनियम-238 'कंबल' अधिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए परमाणु रूपांतरण से गुजरेगा जिससे इसे 'ब्रीडर' नाम मिला।
- इस चरण में कंबल के रूप में थोरियम-232 का उपयोग भी प्रस्तावित है जो अपने आप में एक विखंडनीय पदार्थ नहीं है। थोरियम विखंडनीय यूरेनियम-233 बनाएगा जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार एफबीआर कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो भारत के प्रचुर थोरियम भंडार के अंततः पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लाभ:

- पीएफबीआर एक उन्नत तीसरी पीढ़ी का रिएक्टर है जिसमें अंतर्निहित निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताएं हैं जो आपात स्थिति में संयंत्र को तुरंत और सुरक्षित रूप से बंद करना सुनिश्चित करती हैं।

चूंकि यह पहले चरण से खर्च किए गए ईंधन का उपयोग करता है, एफबीआर उत्पन्न परमाणु कचरे में महत्त्वपूर्ण कमी के मामले में भी बड़ा लाभ प्रदान करता है जिससे बड़ी भूवैज्ञानिक निपटान सुविधाओं की आवश्यकता से बचा जा सकता है।

भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम:

- तीन चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1950 में होमी जहांगीर भाभा द्वारा तैयार किया गया था।
- भारत में 3 चरण का परमाणु कार्यक्रम देश की विशाल थोरियम-232 आपूर्ति का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया था।
- गौरतलब है कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। हालाँकि, थोरियम का उपयोग प्राकृतिक अवस्था में ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- बंद परमाणु ईंधन चक्र पर आधारित 3 चरण परमाणु कार्यक्रम योजना तैयार की गई थी। इसके 3 चरण वाले परमाणु कार्यक्रम निम्न हैं:
  - प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करने वाले दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर)
  - प्लूटोनियम आधारित ईंधन का उपयोग करने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर)
  - थोरियम का उपयोग कर उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणालियाँ

निष्कर्ष:

ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विकास अनिवार्य है। उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत, परमाणु और रेडियोलॉजिकल सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत बिजली और गैर-ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ड्रोन रोधी प्रणालियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (बीबीबीएस) के साथ भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम हेतु 200 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) पहल के तहत रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित यह सबसे बड़ा अनुबंध है।

बीबीबीएस को क्यों चुना गया?

- बीबीबीएस का वज्र सेंटिनल सिस्टम एक अत्याधुनिक समाधान है जिसे असाधारण दूरी पर ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह झूठे अलार्म को खत्म करने के लिए निष्क्रिय आरएफ सेंसर तकनीक का उपयोग करता है जिसका सेंसर और जैमर संयोजन विश्वसनीयता के लिए कड़े सैन्य मानक विनिर्देशों को पूरा करता है।

क्या है एंटी ड्रोन सिस्टम?

- एंटी-ड्रोन सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो मानव रहित हवाई उपकरणों (यूएवी) को ब्लॉक या ट्रैक करती है। यह तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके दुश्मन के ड्रोन का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकती है। चूँकि संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए दुश्मनों द्वारा ड्रोन का उपयोग किया जाता है, इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम आवश्यक हैं।
- सरकारी विभागों, सैन्य स्थलों, हवाई अड्डों और ऊर्जा या औद्योगिक सुविधाओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त उनका उपयोग दुर्भावनापूर्ण और अनजाने घुसपैठियों के खिलाफ एक सुरक्षित परिधि प्रदान करके सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए किया जा सकता है।

इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पहल के बारे में:

- यह पहल अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, आर एंड डी संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा तथा एयरोस्पेस में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसने तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश के अग्रणी इनक्यूबेटरों के साथ साझेदारी किया है।

निष्कर्ष:

सरकार ने स्वदेशी उन्नत तकनीकों और जटिल प्रणाली को विकसित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को अधिकतम करने तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी 2020) प्रख्यापित की गई है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TDF) और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) परियोजनाओं के लिए सरकारी फंडिंग के प्रावधान किए गए हैं। बीबीबीएस के साथ नए सौदे से भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत होगी।

मोटापे पर लांसेट अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'द लैंसेट' पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चला है कि दुनिया भर में बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर 1990 से 2022 तक चार गुना बढ़ गई है, जबकि वयस्कों में मोटापे की दर दोगुनी से अधिक हो गई है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- यह अध्ययन विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से एनसीडी जोखिम कारक सहयोग (एनसीडी-आरआईएससी) द्वारा आयोजित किया गया था।
- 190 से अधिक देशों में मोटापा और कम वजन को लेकर 1,500

से अधिक शोधकर्ताओं ने 1990 से 2022 तक दुनिया भर में बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) का विश्लेषण करते हुए पांच साल या उससे अधिक उम्र के 220 मिलियन से अधिक लोगों के वजन तथा ऊंचाई माप का विश्लेषण किया।

- अध्ययन बताता है कि दुनिया भर में मोटापे से ग्रस्त बच्चों, किशोरों और वयस्कों की कुल संख्या एक अरब से अधिक हो गई है। 2022 में लगभग 159 मिलियन बच्चे और किशोर तथा 879 मिलियन वयस्क मोटापे से ग्रस्त पाए गये थे।

मोटापे और कम वजन के लिए पैरामीटरः

- **बॉडी मास इंडेक्सः** रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के अनुसार, बीएमआई एक व्यक्ति का किलोग्राम में वजन है जिसे मीटर में ऊंचाई के वर्ग से भाग किया जाता है।

मोटापे के लिए पैरामीटरः

- **वयस्कः** 20 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति तब मोटा माना जाता है, यदि उनका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 30 किग्रा/एम2 या अधिक है।
- **स्कूल जाने वाले बच्चे और किशोरः** 5 से 19 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त माना जाता है, यदि उनका बीएमआई औसत से दो मानक विचलन अधिक है।

कम वजन के लिए पैरामीटरः

- यदि किसी वयस्क का बीएमआई 18 किग्रा/एम2 से कम है तो उसे कम वजन का माना जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों को कम वजन वाला माना जाता है यदि उनका बीएमआई औसत से दो मानक विचलन कम है।

भारत में मोटापाः

- भारत में मोटापा और कम वजन दोनों एक साथ मौजूद हैं।
- महिलाओं में मोटापा 1990 में 1.2% से बढ़कर 2022 में 9.8% हो गया है। 2022 में भारत में 44 मिलियन महिलाएं मोटापे से ग्रस्त हैं।
- इसी अवधि के दौरान पुरुषों में मोटापा 4.9 प्रतिशत अंक बढ़कर 2022 में 26 मिलियन पुरुष मोटापे से ग्रस्त पाए गए हैं।
- लड़कियों और लड़कों में मोटापे की श्रेणी की व्यापकता के मामले में भारत 2022 में 3.1% मोटापे से ग्रस्त लड़कियों तथा 3.9% मोटापे से ग्रस्त लड़कों के साथ दुनिया में 174वें स्थान पर है।
- 13.7% महिलाएं और 12.5% पुरुष कम वजन वाले थे। दुबलापन (जो बच्चों में कम वजन का एक माप है) भारतीय लड़कियों में 20.3% की व्यापकता के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा पाया गया। भारतीय लड़कों में यह 21.7% की व्यापकता के साथ दूसरे स्थान पर था।

निष्कर्षः

मोटापे और कम वजन को अलग-अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि कम वजन तथा मोटापे का संक्रमण तेजी से होता है जिससे उनका संयुक्त बोझ अधिक हो सकता है। सभी देशों को उन कार्यक्रमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो स्वस्थ पोषण को बढ़ाते हैं। इसके अलावा स्वस्थ भोजन को सस्ता और सुलभ बनाने के साथ-साथ मोटापे से ग्रस्त लोगों के वजन घटाने में सहायता करने वाले कार्यक्रम भी होने चाहिए।

ओबिलिस्क से मानव शरीर को खतरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ओबिलिस्क की पहचान की है जो मानव शरीर के भीतर रहने वाले वायरस जैसे एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ओबिलिस्क के बारे में:

- ओबिलिस्क वायरस जैसी संस्थाओं का एक नया वर्ग है।
- ओबिलिस्क विविध आरएनए अणुओं से बने होते हैं जो मानव शरीर के भीतर रहते हैं।
- ये ओबिलिस्क जटिलता के संदर्भ में वायरस और वाइरोइड के बीच की खाई को पाटते हैं जिससे जीवन रूपों के मौजूदा स्पेक्ट्रम में एक नई श्रेणी जुड़ जाती है।
- उनके आनुवंशिक अनुक्रम लगभग 1,000 न्यूक्लियोटाइड लंबे हैं जिनमें ज्ञात जैविक एजेंटों के साथ कोई पहचानने योग्य समानता अभी तक नहीं दिखी है।
- प्रारंभिक निष्कर्ष बैक्टीरिया प्रजाति स्ट्रेप्टोकोकस संगुइनिस से एक संभावित लिंक का सुझाव देते हैं जो आमतौर पर मानव मुख में पाया जाता है।

ओबिलिस्क से संबंधित चिंताः

- ओबिलिस्क के व्यापक विकासवादी और पारिस्थितिक महत्त्व के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वे परजीवी हो सकते हैं और मेजबान कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं या वे फायदेमंद हो सकते हैं।
- यदि ओबिलिस्क मानव माइक्रोबायोम को बदलते हैं या नुकसान करते हैं, तो इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है।
- एस संगुइनिस को प्रयोगशाला में विकसित करना या प्रयोग करना आसान है। यह ओबिलिस्क जीव विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को समझने के लिए एक मूल्यवान मॉडल प्रदान कर सकता है।

वायरस और वाइरोइड्स के बारे में:

- वायरस एक सूक्ष्मदर्शी संक्रामक एजेंट है जो केवल किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही अपनी प्रतिकृति बनाते हैं। जानवरों और पौधों से लेकर सूक्ष्मजीवों तक (जिनमें बैक्टीरिया तथा आर्किया आदि शामिल हैं) वायरस सभी जीवन रूपों को संक्रमित करते हैं।
- वाइरोइड्स छोटे एकल गोलाकार आरएनए हैं जो संक्रामक रोगजनक होते हैं। वायरस के विपरीत, उनमें कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है। सभी ज्ञात वाइरोइड एंजियोस्पर्म पर रहते हैं जो अधिकांश बीमारियों का कारण बनते हैं।

- वायरस और वाइरोइड मुख्य रूप से इस मायने में भिन्न होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन कर सकते हैं। दूसरी ओर वाइरोइड्स सबसे छोटे संक्रामक एजेंट हैं जो पौधों पर हमला करते हैं। वाइरोइड आरएनए कण हैं, जबकि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन कण हैं जिनमें डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड दोनों होता है।

निष्कर्षः

ओबिलिस्क की खोज उनके जीनोम प्रतिकृति, संचरण, रोगजनकता, विकास, मानव स्वास्थ्य और बीमारी में संभावित भूमिकाओं के बारे में सवाल उठाती है। उनके पारिस्थितिक तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव को जानने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।

केरल में लाइम रोग

चर्चा में क्यों?

केरल के एर्नाकुलम जिले के कूवपाड़ी के एक 56 वर्षीय व्यक्ति में लाइम रोग का निदान किया गया है। रोगी में पिछले दिसंबर से बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे थे जिसकी पुष्टि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने किया था।

लाइम (Lyme) रोग के बारे में:

- लाइम रोग एक जीवाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित ब्लैक-लेग्ड टिक्स के काटने से मनुष्यों में फैलता है, विशेष रूप से Ixodes जीनस के टिक्स द्वारा।
- यह बैक्टीरिया बोरेलिया बर्गडॉरफेरी के कारण होता है। माइक्रोस्कोप में लाइम रोग के बैक्टीरिया कॉर्कस्क्रू के आकार के दिखाई देते हैं।
- लाइम रोग कोई संक्रामक रोग नहीं है जो मनुष्यों के बीच पालतू जानवरों से मनुष्यों में या हवा, भोजन या पानी के माध्यम से प्रसारित नहीं हो सकता है।
- यह मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध को प्रभावित करता है जहां यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीपों में मुख्य रूप से पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर विशिष्ट क्षेत्र, जैसे- ऊपरी मध्य पश्चिम, पूर्वोत्तर और मध्य-अटलांटिक राज्य, विशेष रूप से इस बीमारी से प्रभावित हैं।

लक्षण और निदानः

- लाइम रोग के सामान्य लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, थकान और एक विशिष्ट 'बुल्स-आई' दाने जैसे लक्षण शामिल हैं। यदि इन लक्षणों का उपचार नहीं किया जाता है, तो वे जोड़ों, हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली अधिक गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकते हैं।
- **एरिथेमा माइग्रेन्सः** यह एक विशिष्ट त्वचा का संक्रमण है जो अक्सर लाइम रोग से जुड़ा होता है। रोग के शुरुआती निदान के लिए एक पहचान चिह्न के रूप में कार्य करता है। ये गोलाकार या अंडाकार दाने होते हैं जिनमें एक केंद्रीय समाशोधन होता है जो बैल की आंख जैसा होता है और आमतौर पर संक्रमण के 3 से 30 दिनों के भीतर दिखाई देता है।
- बुखार, थकान और सिरदर्द जैसे फ्लू इसके साथ हो सकता है। इसका निदान अक्सर नैदानिक मूल्यांकन और प्रयोगशाला परीक्षणों पर निर्भर करता है।

उपचारः

- लाइम रोग के लिए मानक उपचार में आमतौर पर एंटीबायोटिक्स शामिल होते हैं। जैसे-डॉक्सीसाइक्लिन या एमोक्सिसिलिन, विशेष रूप से शुरुआती चरणों में। रोग के बाद के चरणों में अंतःशिरा एंटीबायोटिक्स आवश्यक हो सकते हैं। अंतःशिरा एंटीबायोटिक्स को सीधे शिरा में डाला जाता है ताकि वे रक्तप्रवाह में जल्दी से प्रवेश कर सकें।

निष्कर्षः

लाइम रोग की जटिलताओं को संबोधित करने के लिए लक्षणों की विविधता को पहचानने और नैदानिक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता होती है। इसके निदान के लिए समय पर उपचार की वकालत करने के साथ-साथ एक व्यापक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। सतर्कता बनाए रखने से लाइम रोग के लक्षणों को आसानी से कम किया जा सकता है।

भारत में सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को आधा करने के लक्ष्य के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसई) की शुरूआत की।

एनएपीएसई के बारे में:

- सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसई) भारत में सर्पदंश के प्रबंधन, रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। यह राज्यों को सर्पदंश के प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनी स्वयं की कार्य योजना 'वन हेल्थ' विकसित करने के लिए मदद करती है।
- **एनएपीएसई की दृष्टिः** 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगता के मामलों की संख्या को आधा करने के लिए इसे लाया गया है।
- **एनएपीएसई का उद्देश्यः** साँप के काटने के कारण मनुष्यों में रुग्णता, मृत्यु दर और इससे जुड़ी जटिलताओं को उत्तरोत्तर कम करना।
- एनएपीएसई का लक्ष्य सांप रोधी जहर की निरंतर उपलब्धता, क्षमता

निर्माण, रेफरल तंत्र और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से सर्पदंश के खतरे को व्यवस्थित रूप से कम करना है।

सर्पदंश का विष:

- किसी जहरीले सांप के काटने के बाद सर्पदंश विष एक संभावित जीवन-घातक बीमारी है। जहरीले सांप के काटने से घातक चिकित्सीय समस्याएं हो सकती हैं। यदि समय पर उचित उपचार नहीं दिया गया तो स्थायी हानि हो सकती है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य जांच ब्यूरो (सीबीएचआई) की रिपोर्ट (2016-2020) के अनुसार, भारत में सर्पदंश के मामलों की औसत वार्षिक आवृत्ति लगभग 3 लाख है जहां लगभग 2000 मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं।
- भारत में लगभग 90% सर्पदंश का कारण क्रॉलर कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर जैसे चार बड़े सांप हैं।

निष्कर्ष:

भारत में प्रतिवर्ष अनुमानित 3-4 मिलियन सर्पदंश से लगभग 50,000 मौतें होती हैं जो वैश्विक स्तर पर सर्पदंश से होने वाली सभी मौतों का आधा हिस्सा है। विभिन्न देशों में सर्पदंश पीड़ितों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही क्लीनिकों और अस्पतालों में रिपोर्ट करता है। इसके साथ ही सर्पदंश के रोगियों के इलाज के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी चिंता का कारण बनी हुई है। दूसरी ओर मृत्यु दर, सामाजिक-आर्थिक बोझ, उपचार पैटर्न आदि पर डेटा की अनुपलब्धता, भारत में सर्पदंश को कम करने की योजना में प्रमुख बाधाएं हैं।

भारत में डायलिसिस परिणाम पैटर्न को समझना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में हेमोडायलिसिस प्राप्त करने वाले रोगियों के अस्तित्व पर एक राष्ट्रव्यापी निजी हेमोडायलिसिस नेटवर्क 'लैंसेट रीजनल हेल्थ-साउथईस्ट एशिया' द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। इस रिपोर्ट में 23,600 रोगियों के एक अध्ययन ने जीवित रहने की दर के कारकों का पता लगाया।

डायलिसिस के बारे में:

- अंतिम चरण के गुर्दे की बीमारी (ईएसआरडी) या तीव्र गुर्दे की चोट (एकेआई) वाले व्यक्तियों के लिए डायलिसिस एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है जब गुर्दे अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को फिल्टर करने में विफल हो जाते हैं। यह गुर्दे की तरह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और द्रव संतुलन को नियंत्रित करता है।
- **हेमोडायलिसिस:** शरीर में वापस आने से पहले रक्त को डायलाइजर के माध्यम से शरीर के बाहर फिल्टर करके अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटा दिया जाता है।
- **पेरिटोनियल डायलिसिस:** पेट की परत एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती है जिसमें कैथेटर के माध्यम से पेट की गुहा में डायलीसेट डाला जाता है। अपशिष्ट उत्पाद डायलीसेट में चले जाते हैं जिसे बाद में सूखाकर अपशिष्ट हटा दिया जाता है।
- डायलिसिस साप्ताहिक रूप से कई बार होता है, हेमोडायलिसिस के लिए प्रत्येक सत्र कई घंटों तक चलता है या पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए प्रतिदिन कई बार होता है।
- किडनी फेल्योर में स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए डायलिसिस शेड्यूल का पालन महत्त्वपूर्ण है।

मृत्यु दर:

- 180 दिन तक जीवित रहने की दर 83% से 97% के बीच थी।
- ग्रामीण केंद्रों में मृत्यु दर शहरी केंद्रों की तुलना में 32% अधिक है। यह संभवतः असमान अंतर के कारण है जो ग्रामीण चुनौतियों को उजागर करता है।
- सरकारी या निजी बीमा सहायता में अपनी जेब से किए गए भुगतान की तुलना में मृत्यु दर कम होना।
- लंबे समय तक डायलिसिस की अवधि 17% कम मृत्यु दर से जुड़ा होना।
- मधुमेह की उपस्थिति से उच्च मृत्यु दर का कारण बनना।
- केंद्र-स्तरीय कारकों को शामिल करने से उत्तरजीविता में 31% की कमी आना।

भविष्य की रणनीतियां:

- बुनियादी ढांचे के विस्तार, स्वास्थ्य देखभाल स्टाफ में वृद्धि और समान संसाधन वितरण के माध्यम से देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच को मजबूत करना।
- प्रोटोकॉल को मानकीकृत करके गुणवत्ता सुधार पहल लागू करना और रोगी परिणामों को अनुकूलित करने के लिए साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।
- वित्तीय सहायता तंत्र के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, सभी रोगियों के लिए डायलिसिस उपचार की पहुंच सुनिश्चित करना।
- परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मरीजों को डायलिसिस शेड्यूल का पालन करने तथा मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी सहवर्ती बीमारियों के प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना।
- हितधारकों के बीच सहयोग द्वारा रोगी के परिणामों में सुधार के लिए नवीन उपचार के तौर-तरीकों और डायलिसिस प्रौद्योगिकी की प्रगति पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

वैश्विक स्तर पर 2018 में क्रोनिक डायलिसिस प्राप्त करने वाले लगभग 1,75,000 लोगों का अनुमान लगाया गया जिसमें भारत अग्रणी रहा। पहुंच में सुधार के लिए 2016 में राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा की शुरूआत किफायती डायलिसिस प्रणाली विकसित करने के लिए किया गया था। ये पहल देश में गुर्दे से सम्बंधित बढ़ती बीमारी को रेखांकित करती हैं।

भारत में बेरोजगारी दर की वास्तविक स्थिति पर एनएसओ का आकलन

हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी डेटा से पता चलता है कि 2022–23 में भारत की बेरोजगारी दर तीन साल के निचले स्तर 3.1% पर पहुंच गई है। इस डेटा ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार से सम्बंधित समस्या का सामना करना पड़ता है, उससे यह आंकड़ा सतही रूप से एकत्रित किया गया प्रतीत होता है।

शहरी बेरोजगारी 5.8% और ग्रामीण बेरोजगारी 2.2% दर्शाने वाला डेटा नौकरी की गुणवत्ता तथा महत्त्वपूर्ण शहरी-ग्रामीण विभाजन के बारे में चिंता पैदा करता है। यह विभाजन न केवल नौकरी की उपलब्धता में भौगोलिक असमानताओं को उजागर करता है, बल्कि इन सीमाओं के पार रोजगार की गुणवत्ता और प्रकृति के बारे में भी गंभीर सवाल उठाता है।

- सर्वेक्षण में इस्तेमाल की गई रोजगार की व्यापक परिभाषा, कम से कम एक घंटे के लिए किसी भी आर्थिक गतिविधि में लगे किसी भी व्यक्ति को नियोजित के रूप में गिनना, अल्प-रोजगार की वास्तविकताओं और विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में कम-वेतन, असुरक्षित नौकरियों के प्रसार को छिपा सकता है। इसकी आलोचनाओं में पीएलएफएस द्वारा उपयोग की जाने वाली रोजगार की व्यापक परिभाषा शामिल है जो विशेष रूप से गिग वर्कर और अनौपचारिक क्षेत्रों में अल्परोजगार, असुरक्षित और निम्न-गुणवत्ता वाली नौकरियों की व्यापकता को छिपा सकती है।
- कोविड-19 का प्रभाव, कार्यबल भागीदारी में लगातार लैंगिक असमानता और उच्च युवा बेरोजगारी ने कहानी को जटिल बना दिया है जिससे पता चलता है कि ये आंकड़े नौकरी की संतुष्टि, कार्य-जीवन संतुलन तथा क्षेत्रीय असमानताओं की चुनौतियों को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाते हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए मानव पूंजी विकास, लैंगिक समानता और युवा सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है ताकि टिकाऊ, समावेशी विकास तथा एक मजबूत श्रम बाजार सुनिश्चित किया जा सके जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ हो।

बेरोजगारी में गिरावट के निहितार्थः

बेरोजगारी में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है जिसके निम्नलिखित प्रभाव हैं:

- **महिलाएंः** महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर 2023 में घटकर 3 प्रतिशत हो गई जो 2022 में 3.3 प्रतिशत थी।
- **पुरुषः** पुरुषों में इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर गिरकर 3.2 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 3.7 प्रतिशत थी।
- **श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर):** यह श्रम बल में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कामकाजी उम्र की आबादी के अनुपात को मापता है। यह 2022 में 56.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 59.8 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि व्यक्तियों की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी को इंगित करती है।
- **शहरी बेरोजगारीः** भारत के शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी में गिरावट देखी गई। अक्टूबर-दिसंबर 2022 और अक्टूबर-दिसंबर 2023 के बीच 15 साल तथा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत हो गई। यह प्रवृत्ति शहरी रोजगार अवसरों में सकारात्मक प्रगति को दर्शाती है।

गिग अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक रोजगारः

- गिग अर्थव्यवस्था के उदय और अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार के विस्तार से भारत के श्रम बाजार में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। हालाँकि इन बदलावों ने वास्तव में बेरोजगारी के आंकड़ों में कमी लाने में योगदान दिया है, लेकिन ये नौकरी की सुरक्षा, श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार की गुणवत्ता के संबंध में चिंताओं को

प्रकाश में लाते हैं।

- ❖ हालांकि गिग अर्थव्यवस्था लचीलापन और संभावित आय के अवसर प्रदान करती है, लेकिन अक्सर पारंपरिक रोजगार से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा व स्थिरता का अभाव होता है। इसी तरह अनौपचारिक क्षेत्र (जो भारत के अधिकांश कार्यबल को रोजगार देता है) की विशेषता अनिश्चित कामकाजी स्थितियां और सीमित नियामक निरीक्षण है।

कोविड-19 का दीर्घकालिक प्रभाव:

- ❖ कोविड-19 महामारी ने निर्विवाद रूप से रोजगार परिदृश्य को प्रभावित किया है जिसके आर्थिक प्रभाव ने कई लोगों को केवल आवश्यकता के कारण अनिश्चित नौकरियों हेतु मजबूर किया है। हालाँकि तात्कालिक संकट कम हुआ है, लेकिन श्रम बाजार पर दीर्घकालिक प्रभाव को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है।
- ❖ महामारी के व्यवधान ने सबसे कमजोर लोगों के लिए रोजगार की नाजुकता को उजागर किया है जो पुनर्प्राप्ति की स्थिरता और इसके मद्देनजर नौकरियों की प्रकृति पर सवाल उठाता है।

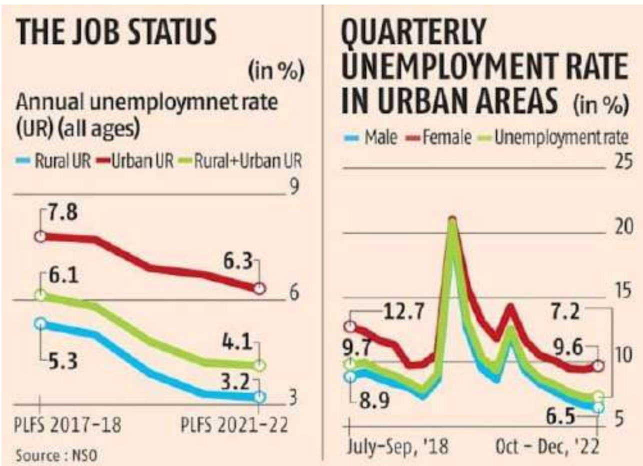

लैंगिक असमानताएँ और श्रम शक्ति:

- ❖ एनएसओ डेटा द्वारा उजागर किए गए अधिक चिंताजनक पहलुओं में से एक बेरोजगारी दर में लैंगिक असमानता है। इसके अनुसार, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ रहा है। यह आँकड़ा भारत के श्रम बाजार में गहन लैंगिक असंतुलन की स्थिति को बमुश्किल उजागर करता है जो दुनिया की सबसे कम महिला श्रम शक्ति भागीदारी दरों में से एक है।
- ❖ महिलाओं के लिए चुनौतियाँ केवल रोजगार के आंकड़ों, सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों, शिक्षा और कौशल-निर्माण के अवसरों तक पहुंच, कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश व प्रतिधारण को सक्षम करने के लिए सहायक नीतियों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता से परे फैली हुई हैं।

युवा बेरोजगारी की स्थिति:

- ❖ शायद सबसे चिंताजनक बात युवा बेरोजगारी दर है जो 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए 12.7% है। यह आंकड़ा न केवल कम क्षमता को दर्शाता है बल्कि सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण जोखिम का संकेत करता है।
- ❖ यदि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (जिसे अक्सर एक रणनीतिक लाभ के रूप में प्रचारित किया जाता है) को अर्थात युवाओं की ऊर्जा और आकांक्षाओं को उत्पादक रोजगार में नहीं लगाया जाता है, तो यह जनसांख्यिकीय दायित्व में बदल सकता है।

गुणवत्ता, संतुष्टि और क्षेत्रीय असमानताएँ:

- ❖ एनएसओ का डेटा बेरोजगारी का एक मूल्यवान मात्रात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है, लेकिन यह रोजगार के गुणात्मक पहलुओं को हल करने में विफल रहता है जिसमें नौकरी की संतुष्टि, कार्य-जीवन संतुलन और भारत के कार्यबल की समग्र भलाई शामिल है।
- ❖ इसके अतिरिक्त, रोजगार में क्षेत्रीय असमानताएं (जिनमें कुछ राज्य दूसरों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं) अवसर के असमान परिदृश्य की ओर इशारा करते हैं जिस पर समय रहते ध्यान न दिया गया तो मौजूदा असमानताएं बढ़ सकती हैं।

भारत के रोजगार क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ:

- ❖ **उच्च बेरोजगारी दर:** भारत उच्च बेरोजगारी दर से जूझ रहा है, विशेष रूप से युवाओं के बीच, जो लगभग 7% तक पहुंच गई है। यह कोविड-19 महामारी से आर्थिक गिरावट के कारण 14% पर पहुंच गई थी।
- ❖ **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** रोजगार में अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व चुनौतियां पैदा करता है क्योंकि इसमें औपचारिक अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा लाभ और नौकरी की स्थिरता का अभाव है जिससे श्रमिक आर्थिक चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- ❖ **कौशल का अभाव:** नौकरी चाहने वालों के पास मौजूद कौशल और नियोक्ताओं के लिए आवश्यक कौशल के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर होता है जिससे अल्परोजगार या बेरोजगारी बढ़ती है। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए इस अंतर को कम करना जरुरी है।
- ❖ **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** नौकरी के अवसरों के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताएं मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को सीमित संभावनाओं, कृषि संकट और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का सामना करना पड़ता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है।
- ❖ **लैंगिक असमानताएं:** महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच, वेतन अंतर व उनकी भागीदारी को प्रभावित करने वाले सामाजिक पूर्वाग्रहों से श्रम बाजार में लैंगिक असमानताएं बनी रहती हैं।
- ❖ **अल्परोजगारी:** अल्परोजगारी एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है जहां व्यक्तियों को उनके पास मौजूद नौकरियों के लिए आवश्यकता से अधिक योग्यता प्राप्त होती है जिससे कौशल और योग्यताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में अक्षमताएं पैदा होती हैं।

- **श्रम सुधारों का अभाव:** भारतीय श्रम बाजार में विकास और अनुकूलनशीलता के लिए आवश्यक व्यापक श्रम सुधारों का अभाव है जो रोजगार चुनौतियों को संबोधित करने की प्रगति में बाधा बन रहा है।
- **कुशल श्रमिकों की कमी:** इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की भारी कमी है जो निर्माताओं के लिए चुनौतियां बनकर, समग्र उत्पादकता को प्रभावित कर रही है।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें नीतिगत सुधार, कौशल विकास पहल, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ाना, सकारात्मक कार्य संस्कृति उपलब्ध कराना और समाज के सभी वर्गों के लिए अधिक समावेशी अवसर पैदा करना शामिल है। इन मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटकर, भारत एक अधिक मजबूत और समावेशी रोजगारपरक स्थिति की दिशा में काम कर सकता है जिससे नौकरी चाहने वालों तथा नियोक्ताओं दोनों को समान रूप से लाभ होगा। भारत के श्रम बाजार की बहुमुखी चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्न रणनीतियों की आवश्यकता है:
    - रोजगार की परिभाषा को परिष्कृत करने और ऐसे उपायों को अपनाने की सख्त जरूरत है जो अल्परोजगार की बारीकियों और नौकरियों की गुणवत्ता को अधिक सटीक रूप से पकड़ सकें। इसे टिकाऊ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए जिसमें विकास के लिए तैयार क्षेत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी व स्वास्थ्य देखभाल जैसे बड़े कार्यबल को सक्षम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
    - शिक्षा और कौशल विकास में निवेश यह सुनिश्चित करते हुए बढ़ाया जाना चाहिए कि कार्यबल तेजी से विकसित हो रहे नौकरी बाजार में तकनीकी कौशल के साथ-साथ सॉफ्ट कौशल सहित आवश्यक दक्षताओं से लैस है जो विभिन्न भूमिकाओं में रोजगार क्षमता को बढ़ाता है।
    - इसमें महिला उद्यमियों के लिए समर्थन, कार्यस्थलों पर लैंगिक-संवेदनशील नीतियां और चाइल्डकेयर तथा परिवहन बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल हो सकते हैं जो महिलाओं के रोजगार में कुछ व्यावहारिक बाधाओं को कम करते हैं। इस संबंध में सरकारी और निजी क्षेत्र का सहयोग महत्त्वपूर्ण है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि युवा केवल आज की नहीं, बल्कि भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हों।

निष्कर्ष:

एनएसओ के नवीनतम बेरोजगारी आंकड़े भारत के श्रम बाजार का एक विरोधाभासी दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो प्रगति और लगातार चुनौतियों दोनों की विशेषता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित सभी हितधारकों को ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे समावेशी और सतत विकास पर जोर देने की जरूरत है जो लचीला, न्यायसंगत और विविध कार्यबल की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो।

Rate for Advertisement in Perfect 7 Magazine

Size	Quater Page	Half Page	Full Page
Price	20,000	35,000	60,000

ई-किसान उपज निधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) की 'ई-किसान उपज निधि' (डिजिटल गेटवे) लॉन्च किया।

ई-किसान उपज निधि के बारे में:

- इस पहल का उद्देश्य किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाना और डब्ल्यूआरडीए पंजीकृत गोदामों पर सुरक्षा जमा शुल्क को 3% से घटाकर 1% करके किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करना है।
- यह किसी भी पंजीकृत गोदाम में किसानों के भंडारण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 6 महीने हेतु 7% प्रति वर्ष ब्याज पर एक सरल डिजिटल प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसकी कोई अतिरिक्त सुरक्षा जमा नीति न होने से किसानों द्वारा संकटपूर्ण बिक्री को रोका जा सकता है जिन्हें अक्सर फसल के बाद भंडारण के खराब अवसरों के कारण अपनी पूरी फसल सस्ती दरों पर बेचनी पड़ती है।

भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण के बारे में:

- वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी या डब्ल्यूडीआरए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसकी स्थापना गोदामों को विकसित करने, विनियमित करने, गोदाम रसीदों की नेगोशिएबल को बढ़ावा देने तथा भारत में भंडारण व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु गोदाम (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत अक्टूबर 2010 में की गई थी।

नेगोशिएबल गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) क्या हैं?

- नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्रणाली किसी गोदाम में एकत्रित अनाजों को भौतिक रूप से वितरित किए बिना उसके स्वामित्व के हस्तांतरण की अनुमति देती है। वर्ष 2011 में लॉन्च हुये एनडब्ल्यूआर को 2007 के वेयरहाउस (विकास और विनियमन) अधिनियम के माध्यम से गोदाम प्राप्तियों के वित्तपोषण को सक्षम किया गया है।
- डब्ल्यूडीआरए द्वारा जारी नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदें (एनडब्ल्यूआर) किसानों को एनडब्ल्यूआर के खिलाफ बैंकों से ऋण लेने में सहायता करती हैं जिससे कृषि उत्पादों की संकटपूर्ण बिक्री से बचा जा सकता है।
- नेगोशिएबल गोदाम रसीदें जारी करने के लिए 136 कृषि वस्तुओं की पहचान की गई है जिनमें अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, रबर, तंबाकू, कॉफी आदि के साथ-साथ कोल्ड स्टोरेज के लिए 24 बागवानी वस्तुएं और 9 गैर-कृषि वस्तुएं शामिल हैं।

निष्कर्ष:

ई-नाम की तर्ज पर 'ई-किसान उपज निधि' किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी। इससे बदले में उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकार को अपनी उपज बेचने के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में आसानी होगी।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उद्घाटन किया। डेटाबेस एक वेब-आधारित डिजिटल डैशबोर्ड है जो 8 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियों के बारे में जानकारी एकत्र करता है जिसमें 30 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं। इस दौरान 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023: एक रिपोर्ट' जारी की गई जिसमें देश में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को कम्प्यूटरीकृत करने में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया।

सहकारी समितियों के बारे में:

- सहकारी समिति समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जो सामान्य आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए साथ आते हैं।
- इसका उद्देश्य स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता सिद्धांत के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करना है।
- सहकारी आंदोलन भारत की आजादी जितना ही पुराना है।

97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011:

- इसने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) के रूप में स्थापित किया।
- इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति का एक

नया निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43-बी) शामिल किया गया था।

- इसने संविधान में 'सहकारी समितियाँ' (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) शीर्षक से एक नया भाग IX-B जोड़ा।
- यह संसद को बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के मामले में और राज्य विधानसभाओं को अन्य सहकारी समितियों के मामले में प्रासंगिक कानून स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है।

महत्त्वः

- सहकारी समितियों में विकास को पुनर्जीवित करने, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के अलावा असमानता को कम करने की काफी क्षमता है।

सहकारिता मंत्रालयः

- केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में किया गया था जिसका कार्यभार पहले कृषि मंत्रालय देखता था।
- वर्तमान में, लगभग 10 लाख सहकारी समितियाँ हैं जिनमें से 1.05 लाख वित्तीय सहकारी समितियाँ हैं।

समस्याएँः

- **क्षेत्राधिकार पर विवादः** भारतीय संविधान के निर्माताओं ने 'सहकारिता' को राज्य सूची में रखा है, जबकि 'बैंकिंग' को संघ सूची में शामिल किया गया है।
- **बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन का अभावः** कई सहकारी बैंकों की विफलता के पीछे बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन का अभाव होना, मुख्य कारण रहा है।

निष्कर्षः

सहकारी क्षेत्र के विकास में इस पहल को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि डेटाबेस व्यापक विश्लेषण के माध्यम से कमियों को पहचानने और संबोधित करने में मदद करेगा जो क्षेत्र के विकास के लिए दिशा सूचक यंत्र के रूप में कार्य करता है। डेटा बेस प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को शीर्ष निकायों, गांवों को शहरों, मंडियों को वैश्विक बाजारों और राज्य डेटाबेस को अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाएगा जिससे सहकारी समितियों के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

गिग वर्कर पर अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में गिग वर्कर मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और नियमों का अनुचित अनुपालन से पीड़ित है। अध्ययन में यह भी पता चलता है कि लगभग एक तिहाई गिग वर्कर एक दिन में लगभग 14 घंटे काम करते हैं। यह अध्ययन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय और जर्मन फाउंडेशन फ्रेडरिक-एबर्ट-स्टिफ्टंग इंडिया के तकनीकी सहयोग से किया गया है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुः

- सामाजिक असमानता का सीधा प्रभाव गिग श्रमिकों पर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति के श्रमिक 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, वहीं सामान्य वर्ग के 16 प्रतिशत लोग ही 14 घंटे से अधिक काम करते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्ययन में भाग लेने वाले 43% से अधिक प्रतिभागी अपनी सभी लागतों को काटने के बाद प्रतिदिन 500 या प्रति माह 15,000 से कम कमाते हैं। अध्ययन में पाया गया कि 34% ऐप-आधारित डिलीवरी व्यक्ति प्रति माह 10,000 से कम कमाते हैं, जबकि उनमें से 78% हर दिन काम पर 10 घंटे से अधिक समय बिता रहे हैं।
- विभिन्न जातियों के श्रमिकों के बीच मतभेदों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आय असमानताएं पहले से मौजूद सामाजिक असमानताओं को और बढ़ा देती हैं जिससे इन समुदायों के भीतर गरीबी का दुष्चक्र बना रहता है।
- अध्ययन में पाया गया कि दरवाजे पर 10 मिनट की डिलीवरी नीति के कारण ड्राइवर शारीरिक रूप से थक जाते हैं जिससे सड़क यातायात दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सामाजिक और नौकरी सुरक्षा की कमी अतिरिक्त तनाव पैदा करती है जो अन्य संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती हैं।
- सर्वेक्षण में 72% कैब ड्राइवरों ने कहा कि उन्हें खर्चों का प्रबंधन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वहीं 76% डिलीवरी व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन श्रमिकों के लिए बेहतर मुआवजे और समर्थन का आग्रह किया गया है।
- 80% से अधिक ऐप-आधारित कैब ड्राइवर कंपनियों द्वारा पेश किए गए किराए से संतुष्ट नहीं थे, जबकि 73% से अधिक ऐप-आधारित डिलीवरी व्यक्तियों ने अपनी दरों पर असंतोष दिखाया।

गिग वर्कर के बारे में:

- काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर (Gig Worker) कहा जाता है। इसमें स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, ठेका फर्म के कर्मचारी, कॉल पर काम के लिए उपलब्ध कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी शामिल होते हैं।

निष्कर्षः

रिपोर्ट में श्रमिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा की सिफारिश किया गया है। रिपोर्ट में सरकार से ऐसे श्रमिकों की निगरानी के लिए प्लेटफार्म के माध्यम से उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम और तंत्र की निष्पक्षता पर निगरानी रखने का आह्वान किया गया है ताकि इन श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

उन्नति योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल

ने 10,037 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 10 वर्षों की अवधि के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना (उन्नति-2024) को मंजूरी दी है।

योजना के बारे में:

- उन्नति (उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना), उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना है जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा। यह योजना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादक आर्थिक गतिविधि को गति प्रदान करेगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- **योजना अवधि:** यह योजना अधिसूचना की तारीख से 8 साल की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ 31 मार्च, 2034 तक प्रभावी रहेगी।
- **पंजीकरण के लिए आवेदन अवधि:** औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च, 2026 तक पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।
- **उत्पादन या संचालन की शुरूआत:** सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण की मंजूरी से 4 साल के भीतर अपना उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा।
- जिलों को दो क्षेत्रों 'जोन ए (औद्योगिक रूप से उन्नत जिले) और जोन बी (औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले)' में वर्गीकृत किया गया है।

कार्यान्वयन रणनीति:

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग राज्यों के सहयोग से इस योजना को लागू करेगा। कार्यान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निम्नलिखित समितियों द्वारा की जाएगी:

- सचिव, डीपीआईआईटी (एसआईआईटी) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति, अपने समग्र वित्तीय परिव्यय के भीतर योजना की किसी भी पहलू पर निर्णय लेगी और निष्पादन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी।
- राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए कार्यान्वयन, जांच तथा संतुलन की निगरानी करेगी।
- राज्य के वरिष्ठ सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता वाली सचिव स्तरीय समिति, पंजीकरण और प्रोत्साहन दावों की सिफारिश सहित योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी।

निष्कर्ष:

नए निवेशों को आकर्षित करने और मौजूदा निवेशों का पोषण करके रोजगार सृजन, कौशल विकास तथा सतत विकास पर जोर देने के साथ उत्तर-पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर नए सिरे से जोर देने की आवश्यकता है। हालांकि यह योजना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

भारत को लेकर क्रिसिल का अनुमान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है जिससे भारत 2031 तक उच्च मध्य आय वाले देश का दर्जा हासिल कर सकता है।

क्रिसिल रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:

- देश की आर्थिक प्रगति को घरेलू संरचनात्मक सुधारों और चक्रीय कारकों से समर्थन मिलेगा। क्रिसिल का अनुमान है कि भारत 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।
- इसमें कहा गया है कि अगले सात वित्तीय वर्ष (2025-2031) में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगी। यह वित्तीय वर्ष 2031 तक 6.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाएगी।
- भारत 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- वित्तीय वर्ष 2031 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय 4,500 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने के साथ उच्च मध्यम आय वाले देशों के क्लब

में प्रवेश करेगा। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार, निम्न-मध्यम आय वाले वे देश होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,000-4,000 अमेरिकी डॉलर के बीच है, जबकि उच्च-मध्यम आय वाले देश वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 4,000-12,000 अमेरिकी डॉलर के बीच है।

भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए प्रेरक कारक:

- उच्च क्षमता उपयोग के कारण भारत का विनिर्माण क्षेत्र का अच्छी स्थिति में होना।
- वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में विविधीकरण से अवसर उत्पन्न होना।
- उच्च बुनियादी ढांचा निवेश आना।
- भारत का हरित-संक्रमण बढ़ना।
- उधारदाताओं की मजबूत बैलेंस शीट होना।
- सरकार द्वारा लगातार सुधार करना।
- बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने से भारत की जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2031 में अनुमानित 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाएगी।

भारत के लिए चुनौतियाँ:

- भू राजनीतिक संघर्ष
- असमान वैश्विक सुधार से संभावित विकास धीमा होना
- जलवायु परिवर्तन
- तकनीकी व्यवधान होना

क्रिसिल के बारे में:

- क्रिसिल (पूर्व में क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड) एक भारतीय विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान, जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है।
- यह अमेरिकी कंपनी S&P ग्लोबल की सहायक कंपनी है।

निष्कर्ष:

क्रिसिल द्वारा दिया गया अनुमान वास्तव में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक सुधार के सरकारी प्रयास को मान्यता देता है। जीएसटी, ई-वे बिल, नोटबंदी जैसी पहल ऐसे उदाहरण हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास को आगे बढ़ाते हैं।

मानव विकास रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट 'ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड' नामक शीर्षक से 13 मार्च को जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वैश्विक मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में एक रैंक सुधार किया है।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

- **भारत की रैंकिंग:** रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2021 में 135वें स्थान पर था जो अब 2022 में 134वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके तहत जहां 2022 में कुल 193 देशों को स्थान दिया गया, वहीं जबकि 2021 में 191 देश शामिल किये गये थे।
- भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2021 में 67.2 वर्ष से बढ़कर 2022 में 67.7 वर्ष हो गई है।
- **स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (ईवाईएस):** 11.9 वर्ष से 12.6 वर्ष तक की कुल वृद्धि (5.88%) हुई है जिसके ईवाईएस पहलू पर विचार करने पर 18 स्थानों का सुधार हुआ है।
- प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) भी $6,542 से बढ़कर $6,951 हो गई।
- **लैंगिक समानता:** लैंगिक असमानता को कम करने के संबंध में भारत ने सुधार दिखाया है। 2022 के लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) में भारत 166 देशों में से 108वें स्थान पर है। जीआईआई तीन मुख्य क्षेत्रों 'प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम बाजार' में लैंगिक असमानताओं का आकलन करता है।
  - 0.437 के जीआईआई मान के साथ भारत, वैश्विक औसत 0.462 और दक्षिण एशियाई औसत 0.478 दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत का प्रजनन स्वास्थ्य प्रदर्शन मध्यम मानव विकास समूह या दक्षिण एशिया के अन्य देशों से बेहतर है।
  - 2022 में, भारत की किशोर जन्म दर 15-19 आयु वर्ग की प्रति 1,000 महिलाओं पर 16.3 जन्म तक सुधरी जो 2021 में 17.1 से कम थी।
  - हालाँकि, भारत श्रम बल भागीदारी में व्यापक लैंगिक अंतर से जूझ रहा है जिसमें महिलाओं (28.3%) और पुरुषों (76.1%) के बीच लगभग 47.8 प्रतिशत अंक का अंतर है।

भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति:

- भारत के दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका को 78वां स्थान दिया गया है, जबकि चीन 75वें स्थान पर है। इन दोनों को उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- भारत भूटान से भी नीचे है जो 125वें स्थान पर है। भारत, भूटान और बांग्लादेश तीनों मध्यम मानव विकास श्रेणी में हैं। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान दिया गया है।
- नेपाल (146) और पाकिस्तान (164) को भारत से नीचे स्थान दिया गया है।

अन्य मुख्य बातें:

- **बढ़ता मानव विकास अंतर:** रिपोर्ट वैश्विक समाजों के भीतर गहरे अंतर्संबंधों के बावजूद अमीर और गरीब देशों के बीच असमानताओं को कम करने की दो दशकों की प्रवृत्ति में बदलाव पर प्रकाश डालती है।
- जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण, गरीबी और असमानता को संबोधित करने में सामूहिक कार्यवाही की कमी न केवल मानव

विकास में बाधा डालती है, बल्कि ध्रुवीकरण को भी बढ़ाती है जो वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों तथा संस्थानों में विश्वास को कम करती है।

- दुनिया भर में 10 में से नौ लोग लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, लेकिन आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने उन नेताओं के प्रति समर्थन व्यक्त किया जो इसे कमजोर कर सकते हैं।
- सर्वेक्षण के आधे उत्तरदाताओं ने अपने जीवन पर नियंत्रण की कमी या सीमित नियंत्रण का संकेत दिया, जबकि दो-तिहाई से अधिक ने विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी सरकार के निर्णयों पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं।
- देशों के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण भी संरक्षणवादी या आंतरिक-केंद्रित नीति दृष्टिकोण को अपनाने के लिए जिम्मेदार है।

मानव विकास रिपोर्ट के बारे में:

- पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सूचकांक है। इसमें निम्न शामिल हैं:
  - बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई)
  - असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (आईएचडीआई)
  - 2010 से लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई)
  - 2014 से लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई)
- एचडीआई में अमर्त्य सेन के 'क्षमताओं' के दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है जो प्रति व्यक्ति आय जैसे साधनों के बजाय सभ्य जीवन स्तर जैसे साधनों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जिनेवा में 'प्रॉफिट्स एंड पावर्टी: इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है।

अध्ययन के मुख्य बिन्दु:

- अध्ययन में पाया गया कि जबरन श्रम से प्रति वर्ष 36 बिलियन डॉलर का अवैध मुनाफा होता है जो 2014 के बाद से इस तरह के मुनाफे में 37% की वृद्धि है। यह वृद्धि श्रम के लिए मजबूर लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पीड़ितों के शोषण से उत्पन्न होने वाले उच्च मुनाफे दोनों के कारण है।
- इसके अलावा, निजी तौर पर लगाए गए श्रम में पीड़ितों की कुल संख्या का केवल 27% होने के बावजूद, जबरन व्यावसायिक यौन शोषण कुल अवैध मुनाफे के दो-तिहाई (73%) से अधिक है।
- कुल मिलाकर US$ 35 बिलियन, जबरन श्रम से होने वाले वार्षिक अवैध मुनाफे में औद्योगिक क्षेत्र सबसे आगे है। इसके बाद सेवा क्षेत्र में US$ 20.8 बिलियन, कृषि क्षेत्र में US$ 5 बिलियन और घरेलू कार्य में US$ 2.6 बिलियन का स्थान आता है।
- **जबरन श्रम में लगे लोगों की संख्या:** रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में किसी भी दिन 27.6 मिलियन लोग जबरन श्रम में लगे हुए थे अर्थात दुनिया में प्रति 1,000 लोगों पर 3.5 लोग, जबकि 2016 और 2021 के बीच जबरन मजदूरी कराने वाले लोगों की संख्या में 2.7 मिलियन की वृद्धि हुई।

क्षेत्रवार विश्लेषण:

- जबरन श्रम से कुल वार्षिक अवैध मुनाफा यूरोप और मध्य एशिया ($84 बिलियन) में सबसे अधिक था। इसके बाद एशिया और प्रशांत क्षेत्र ($62 बिलियन), अमेरिका ($52 बिलियन), अफ्रीका ($20 बिलियन) और अरब में (यूएस$18 अरब) रिपोर्ट किया गया।

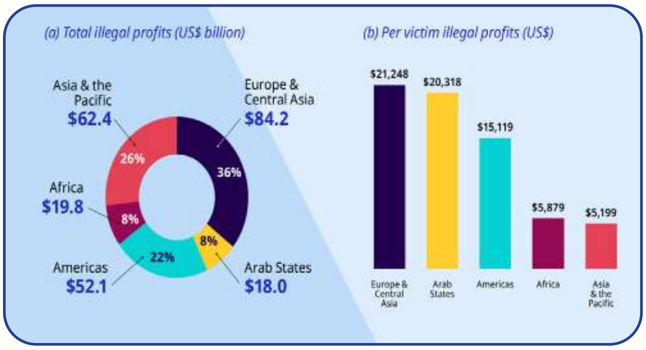

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें:

- **प्रवर्तन उपायों को मजबूत करना:** रिपोर्ट अवैध लाभ प्रवाह को बाधित करने और अपराधियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन उपायों में निवेश की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- सिफारिशों में कानूनी ढांचे को मजबूत करना, प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में श्रम निरीक्षण का विस्तार करना तथा श्रम और आपराधिक कानून प्रवर्तन के बीच समन्वय में सुधार करना शामिल है।

मूल कारणों का समाधान:

- रिपोर्ट निष्पक्ष भर्ती प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की सिफारिश यह देखते हुए करती है कि जबरन श्रम के मामलों को अक्सर भर्ती के दुरुपयोग के साथ-साथ जबरन श्रम से अवैध लाभ के स्रोत के रूप में किया जा सकता है।

श्रमिकों के अधिकार:

- जबरन श्रम जोखिमों के प्रति लचीलापन बनाने के लिए श्रमिकों को सामूहिक रूप से जोड़ने और सौदेबाजी करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

जबरन श्रम से प्राप्त अवैध मुनाफा उस मजदूरी का प्रतिनिधित्व करता है जो सही मायने में श्रमिकों का होना चाहिए, जबकि जबरदस्ती प्रथाओं के कारण उनके शोषकों द्वारा इसे बरकरार रखा जाता है। यह गरीबी

और शोषण के चक्र को कायम रखता है जो बुनियादी तौर पर मानवीय गरिमा को कमजोर करता है।

ई-वाहन नीति को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए ई-वाहन नीति को अपनी मंजूरी दिया है।

उद्देश्य:

- वैश्विक निर्माताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- भारतीय उपभोक्ताओं को अत्याधुनिक तकनीक तक सुगम पहुंच प्रदान करना।
- मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना।
- उत्पादन मात्रा बढ़ाने और उत्पादन लागत कम करने के लिए ईवी निर्माताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना।
- कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना।
- बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करना।

ई-वाहन नीति के मुख्य बिन्दु:

- न्यूनतम आवश्यक निवेश 4150 करोड़ रुपये (लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) होगा।
- निवेश पर कोई अधिकतम सीमा न होना।
- 3 वर्ष के भीतर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करके ईवी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना और 5 वर्ष के भीतर 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना है।
- घरेलू मूल्य संवर्धन (डीबीए) का लक्ष्य विनिर्माण के तीसरे वर्ष तक 25% स्थानीयकरण और पांचवें वर्ष तक 50% स्थानीयकरण प्राप्त करना होगा।
- 35,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक के न्यूनतम सीआईएफ मूल्य वाले वाहनों के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 15% सीमा शुल्क लागू है जो 3 वर्ष के भीतर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने पर निर्भर करेगा।
- किए गए निवेश पर रियायत अधिकतम सीमा या 6484 करोड़ (पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन के बराबर) जो भी कम हो। यदि निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है तो प्रति वर्ष 8,000 से अधिक की दर पर 40,000 ईवी का अधिकतम आयात होना चाहिए तभी सीमा शुल्क से रियायत मिल सकती है अन्यथा नहीं।
- यह निवेश बैंक गारंटी की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवश्यक है जिसे डीवीए और न्यूनतम निवेश मानदंड पूरा न करने की स्थिति में लागू किया जाता है।

भारत में ई-वाहनों को बढ़ावा देने की पहल:

- **फेम I और II:** यह पहल ईवी खरीद और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- **एनईएमएमपी:** इसके माध्यम से वर्ष 2030 तक भारतीय सड़कों पर 30% इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **कर लाभ:** ईवी ऋण के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती का प्रस्ताव किया गया है।
- **पीएलआई योजना:** इसके माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है।
- **एनटीटीएम:** ईवी उद्योग सहित तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन आरम्भ किया गया है।
- **बैटरी विनिर्माण इकाइयां:** ईवी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है।
- **सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा:** इलेक्ट्रिक बस खरीद (उदाहरण के लिए, दिल्ली में ई-बस) के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दिया जा रहा है।
- **लास्ट माइल कनेक्टिविटी:** लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कई बेड़े की तैनाती (उदाहरण के लिए, चेन्नई का 5,000 से अधिक वाहनों का बेड़ा) की जा रही है।
- **सरकारी सेवाओं में ई-वाहन:** सरकारी वाहनों को ईवी से प्रतिस्थापन किया जा रहा है।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी):** यह कार्यक्रम स्वदेशी ईवी विनिर्माण और उसके घटकों की असेंबली प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।
- **परिवर्तनकारी गतिशीलता और भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन:** यह मिशन ईवी पटकों के निर्माण के लिए परिवर्तनकारी रणनीतियाँ चलाता है।

13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) 26 फरवरी से 2 मार्च, 2024 तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में सम्पन्न हुआ। डब्ल्यूटीओ के भविष्य पर चर्चा करने और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्यों की यह मीटिंग हुई। डब्ल्यूटीओ का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जिसकी आमतौर पर हर दो साल में बैठक होती है। एमसी13 में, डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने एक मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया।

मंत्रिस्तरीय घोषणा के बारे में:

- **विशेष और विभेदक उपचार (एस एंड डीटी):** इन प्रावधानों

का उपयोग विकासशील और अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के विकास का समर्थन करने के लिए किया जाएगा।

- **विवाद निपटान प्रणाली:** सदस्य देशों ने 2024 तक पूरी तरह कार्यात्मक प्रणाली के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
- **ई-कॉमर्स शुल्क:** वर्ष 2026 तक इसे होल्ड रखने पर सहमति।
- **पर्यावरण:** डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने विषयगत उप-समूहों में पर्यावरण पर विचार किया।
- **परिग्रहण:** कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते डब्ल्यूटीओ में शामिल होने वाले नए सदस्य हैं।
- एमसी13 का व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण परिणाम सेवाओं के घरेलू विनियमन के लिए नए विषयों को लागू करने और उन्हें डब्ल्यूटीओ ढांचे में एकीकृत करने पर सहमत हुए।

डब्ल्यूटीओ की वर्तमान चुनौतियां:

- बढ़ते व्यापार विवादों और हाल के समय में एकतरफा व्यापार कार्यवाहियों में वृद्धि के साथ बहुपक्षवाद का क्षरण होना।
- एमसी13 मत्स्य पालन सब्सिडी जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी प्रगति करने में विफल रहा जो 166 सदस्य देशों के बीच गंभीर विभाजन को दर्शाता है।
- डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र को हाल के वर्षों में संकट का सामना करना पड़ा है।
- अल्प-विकसित देशों (एलडीसी) के पास अक्सर व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक संसाधनों और तकनीकी सहायता की कमी होती है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनका हाशिए पर रहना जारी रहता है।
- डब्ल्यूटीओ को सभी सदस्य देशों हेतु समान अवसर सुनिश्चित करते हुए डिजिटल व्यापार की उभरती प्रकृति को समायोजित करने के लिए अपने नियमों और समझौतों को अपनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- एमसी13 भी सदस्य कृषि वार्ता के दायरे, संतुलन और समयसीमा पर आम सहमति तक पहुंचने में फिर से विफल रहे।

निष्कर्ष:

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को तेजी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी वैधता और केंद्रीय भूमिका को बनाए रखने के लिए दूरदर्शी सुधार करने चाहिए। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए समावेशिता को प्राथमिकता देनी चाहिए कि सभी सदस्य देशों की आवाज सुनी जाए। आधुनिकीकरण और नवाचार के माध्यम से उभरती चुनौतियों तथा अवसरों को तेजी से अपनाया जाए जिससे हितधारकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही को बरकरार रखा जा सके।

आरबीआई की विनियमित संस्थाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities) के लिए स्व- नियामक संगठनों (SROs) को मान्यता देने के लिए सर्वव्यापी ढांचे के पूरा होने की घोषणा की है।

प्रावधान:

- फिन-टेक जैसी विनियमित संस्थाओं (आरई) के प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग एसआरओ होंगे।
- ढांचे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आरबीआई एसआरओ का दर्जा चाहने वाली संस्थाओं से आवेदन स्वीकार करेगा।
- आरबीआई नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने के कारण स्व-नियमन हेतु बेहतर उद्योग मानकों की आवश्यकता महसूस की गई।
- एसआरओ की संख्या और सदस्यता मानदंडों जैसे क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश, प्रत्येक क्षेत्र के लिए रिजर्व बैंक के संबंधित विभागों द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।
- एसआरओ से अपेक्षा की जाती है कि वह नियामक अनुपालन को बढ़ाने और सतत क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए नियामक निगरानी के तहत विश्वसनीयता, निष्पक्षता तथा जिम्मेदारी के साथ काम करें।

आरबीआई द्वारा विनियमन:

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार देता है।
- आरम्भ में, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (DBOD) विनियामक तथा पर्यवेक्षी दोनों कार्यों का संचालन करता था।
- उसके बाद 1993 में, वाणिज्यिक बैंक पर्यवेक्षण की देखरेख के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (DBS) की स्थापना की गई जिसके परिणामस्वरूप 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS) का निर्माण हुआ।
- तत्पश्चात अगस्त 1997 में, पर्यवेक्षण विभाग केंद्रित निरीक्षण के लिए DBS और गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (DNBS) में विभाजित हो गया।

ऑन-साइट निरीक्षण:

- बैंकों के वार्षिक ऑन-साइट निरीक्षण में मुख्य कार्यालय, नियंत्रक कार्यालय और विशिष्ट शाखाएँ शामिल होते हैं ताकि अग्रिमों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।
- निरीक्षण CAMELS मॉडल (पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, तरलता और नियंत्रण) के आधार पर सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी व परिचालन स्वास्थ्य पर केंद्रित है।

ऑफ-साइट निगरानी:

- 1995 में आरंभ किये गए ऑफ-साइट निगरानी ऑन-साइट निरीक्षणों के बीच बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करती है।
- आवधिक ऑफ-साइट रिटर्न परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन, लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम को चिन्हित करते हैं।

कॉरपोरेट प्रशासन:

- कॉरपोरेट प्रशासन का कार्य समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली, स्वतंत्र

लेखा परीक्षा समितियाँ और बैंक बोर्ड में आरबीआई के नामिती की नियुक्ति सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रशासन को मजबूत करना है।

- वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर जिलानी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।

पर्यवेक्षी पहल:

- तिमाही निगरानी परीक्षण, निगरानी अधिकारियों की नियुक्ति और प्रत्यक्ष निगरानी पर्यवेक्षी प्रभावशीलता को बढ़ाती है।
- यह विभाग BFS को सचिवीय सहायता प्रदान करता है, लेखा परीक्षकों की नियुक्तियां करता है, शिकायतों का निपटारा करता है तथा धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी करता है।

मुख्य सिद्धांतों का कार्यान्वयन:

- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) द्वारा उल्लिखित प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के 25 मुख्य सिद्धांतों के साथ विनियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं को संरेखित करने के प्रयास चल रहे हैं।

वित्तीय संस्थाओं (FI) पर पर्यवेक्षण:

- वर्ष 1994 में आरबीआई द्वारा वित्तीय संस्थाओं को विवेकपूर्ण विनियमन के अधीन लाया गया था।
- वित्तीय संस्थाओं को विनियमित करने के लिए CAMELS दृष्टिकोण को लागू किया जाता है जिसमें उनके विकासात्मक और पर्यवेक्षी भूमिकाओं पर विचार किया जाता है।
- एक समर्पित प्रभाग दस अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की देखरेख करता है जो निरंतर निगरानी के लिए एक ऑफ-साइट निगरानी प्रणाली को लागू करता है।

भारत में बढ़ती आय असमानता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब द्वारा जारी एक रिसर्च के अनुसार, भारत के शीर्ष 1% आय और धन का हिस्सा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है जो विश्व स्तर पर सर्वाधिक है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु:

- रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 तक भारत में शीर्ष 1% की आय हिस्सेदारी 22.6% तथा संपत्ति हिस्सेदारी 40.1% थी जो दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका से अधिक थी।
- भारत में संपत्ति का संकेन्द्रण उल्लेखनीय रूप से उच्च स्तर पर है जिसमें शीर्ष 1% के पास 39.5% संपत्ति है।
- भारत में आय असमानता भी बहुत अधिक है क्योंकि शीर्ष 1% औसत भारतीय की तुलना में 23 गुना अधिक आय अर्जित करता है, जबकि निचले 50% और मध्य 40% काफी कम आय अर्जित करते हैं।

प्रवृत्ति और विश्लेषण:

- भारत की ऐतिहासिक यात्रा स्वतंत्रता के बाद 1980 के दशक की शुरुआत तक आय असमानता में कमी का संकेत देती है, लेकिन इसके बाद इसमें तीव्र वृद्धि हुई।
- शीर्ष-स्तर की असमानता, विशेष रूप से धन संकेन्द्रण, 2014-15 से काफी बढ़ गई है जिसका असर धन के वितरण पर पड़ा है।
- शीर्ष 10% शेयरों में वृद्धि निचले 50% और मध्य 40% के शेयरों में गिरावट के साथ हुई है जो बढ़ते अंतर को दर्शाता है।

नीतिगत सिफारिशें:

- इन असमानताओं को दूर करने के लिए इस रिपोर्ट में आय और संपत्ति दोनों की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए कर संहिता के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है।
- इसमें औसत भारतीय को लाभ पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में व्यापक सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।
- 167 सबसे धनी परिवारों की शुद्ध संपत्ति पर प्रस्तावित 2% सुपर टैक्स ऐसे निवेशों के लिए राजकोषीय स्थान बना सकता है।

चिंताएँ और चुनौतियाँ:

- रिपोर्ट में भारत की आयकर प्रणाली की शुद्ध संपत्ति के प्रति प्रतिगामी प्रकृति के बारे में संवेदनशीलता दिखाई गई है।
- संस्थागत अखंडता के साथ समझौता किए जाने से संबंधित समस्याएं अभी भी व्याप्त हैं जो संभावित रूप से भारत के धनिक तंत्र की ओर बढ़ने का कारण बन सकती हैं।

निष्कर्ष:

इस रिपोर्ट में भारत में आर्थिक डेटा की खराब गुणवत्ता को स्वीकार किया गया है जिसमें हाल ही में आई गिरावट को भी दर्शाया गया है। रिपोर्ट यह भी सुझाव देती है कि भविष्य में सरकार को आय समानता के लिए व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है।

नई टोल संग्रह प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद को सूचित किया है कि सरकार वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित एक नई राजमार्ग टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने की योजना बना रही है।

नई राजमार्ग टोलिंग प्रणाली के बारे में:

- नई टोलिंग प्रणाली में एक ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) या एक ट्रैकिंग डिवाइस शामिल होगी जो वाहन के अंदर फिट की जाएगी। इसे GAGAN का उपयोग करके लगभग 10 मीटर की सटीकता के साथ मैप किया जा सकता है।
- टोल दरें निर्धारित करने और टोल राशि की गणना करने के लिए सरकार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्देशांक लॉग करने हेतु डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग करेगी। सॉफ्टवेयर तब वाहन द्वारा तय

की गई दूरी के आधार पर टोल की गणना करेगा और इसे लिंक किए गए OBU वॉलेट से काट लेगा।

- इस प्रणाली में प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरों के साथ गैंट्री या मेहराब भी होंगे।
- इस प्रणाली का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को राजमार्ग पर केवल वास्तविक दूरी के लिए ही टोल का भुगतान करने या उपयोग के अनुसार भुगतान करने का लाभ प्रदान करना है। सरकार को यह भी उम्मीद है कि इस प्रणाली द्वारा वह अंततः बाधा-मुक्त आवागमन को संचालित करने में सक्षम होगी।

चुनौतियाँ:

- **अवैतनिक टोल संकलन (collection):** यदि कोई सड़क उपयोगकर्ता यात्रा के बाद टोल का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसे कि जब उसका ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) से जुड़ा डिजिटल वॉलेट खाली हो जाता है, तो टोल राशि का संकलन सरकार के लिए एक चुनौती होगी।
- **गैर-अनुपालन वाहन के साथ चुनौतियाँ:** गैर-अनुपालन मुद्दे में वे मुद्दे शामिल हैं जिनमें कोई वाहन बिना लिंक किए OBU के साथ यात्रा करता है, जब भुगतान से बचने के लिए OBU को जानबूझकर बंद कर देता है या जब कार के लिए बनाया गया OBU कम टोल का भुगतान करने हेतु ट्रक पर लगाया जाना आदि चुनौतियां प्रमुख हैं।
- गैंट्री-माउंटेड ऑटोमैटिक नंबर-प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR)-आधारित सिस्टम ऐसे उल्लंघनों को पकड़ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में पूरे भारत में इस तरह के बुनियादी ढांचे की कमी है।
- **नियमों में संशोधन:** सरकार को अवैतनिक टोल वसूलने, अपराधों को परिभाषित करने और वाहनों में ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) होना आवश्यक बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों (National Highway Fee Rules) को बदलने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम फास्टैग की तुलना में उपयोग करने में सस्ता है क्योंकि इसमें टोल प्लाजा या टोल संग्रह के लिए कई संस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती है। गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार GPS (जिसका स्वामित्व अमेरिका के पास है) के बजाय GAGAN सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करेगी। इसके अतिरिक्त, पिछले साल संसद में पारित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 भी गोपनीयता संबंधी चिंताओं को संबोधित करेगा।

पीएम-सूरज पोर्टल लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (PM-SURAJ)' पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करना है।

पीएम-सूरज के बारे में:

- 'प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (PM-SURAJ)' एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल है।
- इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
- पोर्टल को वन-स्टॉप पॉइंट के रूप में स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया है जहां समाज के वंचित वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं।
- वे अपने लिए पहले से उपलब्ध सभी ऋण और क्रेडिट योजनाओं की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं जो सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- इसके माध्यम से देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।

गरीब और वंचित लोगों के उत्थान के लिए सरकार की पहल:

- पिछड़े समुदायों के उत्थान और उनके अधिक लक्षित प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- पिछले 10 वर्षों में विभिन्न संस्थानों द्वारा उन्हें दी जाने वाली सहायता दोगुनी की गई है।
- पिछले एक वर्ष में सरकार ने एससी समुदाय के कल्याण हेतु लगभग एक लाख 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया है।
- **मुद्रा योजना:** एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों सहित गरीबों को लगभग 30 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- सरकार ने एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंडअप इंडिया तथा वेंचर कैपिटल फंड योजना शुरू की गई।
- इसके अतिरिक्त, सरकार ने दलितों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन भी शुरू किया है।

निष्कर्ष:

वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए दलितों, पिछड़ों, वंचितों और आदिवासियों सहित सभी को आवश्यक मानवीय सुविधाएं, जैसे- गैस कनेक्शन, बैंक खाते, रोजगार, आवास, अनाज, पानी और शौचालय उपलब्ध कराना होगा। सतत और समावेशी समाज ही विकसित देश बनाने में मदद कर सकता है जिसके लिए विविधता में एकता हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

समुद्री डकैती से निपटने में इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो की भूमिका का मूल्यांकन

दुनिया के सागरों तथा महासागरों की अहमियत सभी देशों के लिए है। बड़ा देश हो या कोई छोटा देश सभी को समंदर के रास्ते व्यापार करना होता है। इसीलिए कहते हैं कि सागर सुरक्षित है तो समृद्धि सुरक्षित है। क्या हमने कभी ये गौर किया है कि मध्य पूर्व के देशों से अमेरिका, चीन या फिर भारत को ऊर्जा व्यापार किस तरीके से होता है? लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर के रास्ते यूरोप को सामानों की आपूर्ति कैसे होती है? अरब सागर के रास्तों से तेल या कोयले से भरे जहाज भारत के पश्चिमी तटों पर कैसे पहुंचते हैं? इसका जवाब है 'महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों' के जरिए। इन समुद्री व्यापारिक मार्गों को 'इंटरनेशनल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन' के नाम से जाना जाता है जो वैश्विक कानूनों के मुताबिक हर देश के लिए खुला रहता है यानी महासागरों के हर हिस्से में हर देश को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन दिया गया है लेकिन इन अधिकारों को छीनने या कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो चीन के बाद समुद्री डाकुओं ने ही किया है। हिंद महासागर के कई इलाकों में समुद्री डकैती आज भी जारी है।

सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती जैसे देशों के समुद्री डकैत समंदर में सामानों से भरे जहाज लूटने में लगे हैं, लेकिन इनके लिए भारतीय नौसेना एक काल बनकर उभरी है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर और अदन की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में मैरीटाइम सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 35 समुद्री लुटेरों को पकड़कर उन्हें मुंबई लेकर आई। इस कार्यवाही को आईएनएस कोलकाता ने अंजाम दिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती रोधी अभियान (एंटी सी पायरेसी) के तहत अफ्रीकी देश सोमालिया के तट से इन 35 समुद्री डाकुओं को पकड़ा और आगे की कार्यवाही के लिए इन समुद्री डाकुओं को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। इंडियन नेवी ने यह अभियान 'ऑपरेशन संकल्प' नाम से चलाया जिसके तहत अपने जहाजों को अरब सागर और अदन की खाड़ी में तैनात किए।

इसके बाद से लगातार भारतीय नौसेना की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। अमेरिकी नौसेना ने भी भारत के नौसेना की बहुत प्रशंसा किया है। निश्चित रूप से यह भारत की नेवी पर गर्व करने वाला क्षण है। यहां इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि इंडियन नेवी के आधुनिकीकरण और जरूरी सुधारों से भारत सरकार ने किसी प्रकार का कोई समझौता पिछले 10 सालों में नहीं किया है जिसके चलते आज नेवी की ताकत निखर कर सामने आई है। इंडियन नेवी को और साथ ही देश को गौरवान्वित महसूस कराने का अवसर मार्कोस कमांडोज ने दिया है। मार्कोस कमांडोज ने इंडियन नेवी के स्पेशल विंग के रूप में समुद्री आपदाओं के बीच सबसे बड़े रक्षक के रूप में काम किया है, जबकि समुद्री डकैतों और अन्य अपराधियों के लिए भक्षक की भूमिका निभाई है।

भारतीय नौसेनाः आक्रामक और मानवतावादी दोनों

- भारतीय नौसेना ने हाल के समय में समुद्री लुटेरों के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 100 से अधिक लोगों को बचाया है। इनमें से 27 पाकिस्तानी और 30 ईरानी भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना इस समय अरब सागर में समुद्री डकैती रोधी अभियान 'ऑपरेशन संकल्प' भी चला रही है। इंडियन नेवी ने अन्य मिशनों के साथ ही हमले की 13 घटनाओं का जवाब देकर 110 लोगों की जान बचाई है जिनमें 45 भारतीय और 65 अंतरराष्ट्रीय नागरिक शामिल थे। अरब सागर में अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती या ड्रोन हमलों को विफल करने के लिए इस क्षेत्र में निगरानी विमानों के साथ ही 10 युद्धपोतों की भी तैनाती की है।
- भारतीय नौसेना ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो ट्रैफिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अरब सागर तथा आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन रोधी अभियान चलाने के लिए पी-8आई निगरानी विमान, सी गार्डियन ड्रोन और बड़ी संख्या में कर्मियों के साथ युद्धपोतों को तैनात किया है।

इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज की भूमिकाः

- मार्कोस कमांडोज इंडियन नेवी का विशेष विंग है जिसे पानी के साथ साथ हवा और जमीन पर भी मारक कार्यवाही के लिए तैयार किया गया है। दुश्मनों को निशाना बनाने का इनका तरीका नायाब है। ये अपने को किसी भी रूप में ढाल लेने में सक्षम हैं। इन्हें समंदर का सिकंदर और चलता फिरता प्रेत जैसे नाम से भी जाना जाता है। कुछ ही समय पहले मार्कोस कमांडोज ने अरब सागर में लाइबेरिया के झंडे वाला एक कार्गो शिप एमवी लीला नोरफोक पर फंसे लोगों को बचाया था। ये शिप ब्राजील में रियो डी जिनेरियो से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट तक यात्रा करने वाला था जिसमें लौह अयस्क लदा हुआ था। एमवी लीला जब सोमालिया के तट से गुजर रहा था तभी उस पर 5 से 6 हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने हमला किया और जहाज पर कब्जा कर लिया। इस जहाज पर सवार 21 में से 15 क्रू मेंबर्स भारतीय थे। लिहाजा एक्शन में आई इंडियन नेवी और नेवी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहे जाने वाले मार्कोस कमांडोज। मार्कोस के शिप पर पहुंचने और रेस्क्यू करने तक सारे समुद्री लुटेरे जहाज छोड़कर भाग चुके थे।

मार्कोस कमांडोज से घबराते हैं लुटेरेः

- मार्कोस कमांडोज की तुलना अमेरिका के नेवी सील्स से किया जाता है जो कुछ मामलों में तो यूएस नेवी कमांडो से भी बेहतर कार्य करते हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी सेना की एक एलीट फोर्स है नेवी सील्स। नेवी सील्स ने ही 2011 में ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में उसके घर में घुसकर मारा था। सील्स का मतलब है सी, एयर एण्ड लैन्ड यानि वे सैनिक जो 'जमीन, आसमान और पानी' तीनों में लड़ने में सक्षम होते हैं। नेवी सील्स की ही तर्ज पर भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास अपनी एलीट फोर्स है। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेज 'पैरा स्पेशल फोर्स, एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोज और इंडियन नेवी के लिए मार्कोस' हैं। मार्कोस यानी मरीन कमांडो फोर्स का निकनेम क्रोकोडाइल होता है क्योंकि ये किसी मगरमच्छ की तरह ही पानी के अंदर मिशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। इनका ध्येय वाक्य 'दि फ्यू, दि फीयरलेस' है।
- मार्कोस कमांडो देश के शक्तिशाली कमांडो बल में से एक होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, पैरा कमांडो, गरुड़, फोर्स वन जैसे सुरक्षा बल का ही हिस्सा होते हैं। भारत में मार्कोस का गठन साल 1987 में हुआ था। मार्कोस कमांडो सबसे खतरनाक लड़ाके इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि भारतीय नौसेना के मार्को या मरीन कमांडो फोर्स में सबसे कठिन ट्रेनिंग से तैयार सैनिक शामिल किए जाते हैं। इन कमांडो को अमेरिकी नेवी सील्स की तर्ज पर तैयार किया जाता है जो तेज और गुप्त रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं। मार्कोस कमांडो बेहद खतरनाक ट्रेनिंग करके मार्कोस का हिस्सा बनते हैं, इसीलिए मार्कोस कमांडो को समंदर का सिकंदर भी कहा जाता है। पानी में मौत को मात देने में इन कमांडोज को महारथ हासिल है। पानी में स्पेशल ऑपरेशन्स के लिए ही इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। मार्कोस कमांडो को अनकंवेंशनल वॉरफेयर, होस्टेज रेस्क्यू, पर्सनल रिकवरी जैसी कई मुहिम में शामिल किया जाता रहा है। मार्कोस कमांडो हर परिस्थिति में ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन

लीच, ऑपरेशन पवन के साथ ही ऑपरेशन साइक्लोन में भी मार्कोस कमांडो ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। खासतौर पर इन कमांडो ने 26/11 के हमलों के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। मार्कोस ने 2008 में ताज होटल में हुए हमले में शुरुआती चरणों में भी मदद किया था।

समुद्री डकैती के लिए चर्चित है हॉर्न ऑफ अफ्रीकाः

- हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है। अफ्रीकी मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में स्थित यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह लाल सागर की दक्षिणी सीमा पर स्थित है जो गार्डाफुई चैनल, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से समान दूरी पर है। हॉर्न में इथियोपियाई पठार, ओगाडेन रेगिस्तान, इरिट्रिया और सोमालियाई तटों के ऊँचे इलाकों के जैवविविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देशों को दर्शाता है। इस क्षेत्र ने साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, जातीय संघर्ष, अंतर-अफ्रीकी संघर्ष, गरीबी, बीमारी, अकाल आदि का अनुभव किया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों (सोमालिया, इथियोपिया इरिट्रिया और जिबूती) में अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते समुद्री डकैती बहुत से लोगों के लिए एक व्यवसाय सा बन गई है।

हॉर्न ऑफ अफ्रीका का महत्त्वः

- अफ्रीका में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से भारत की दिलचस्पी बढ़ रही है, विशेष रूप से 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' उपक्षेत्रों में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य-पूर्व के तेल उत्पादक क्षेत्र के निकट है। मध्य-पूर्व में उत्पादित तेल का लगभग 40% लाल सागर की शिपिंग लेन से होकर गुजरता है। जिबूती इस शिपिंग रूट का मुख्य बिंदु है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस और चीन जैसे देशों का जिबूती में सैन्य अड्डा है। भारत के आर्थिक विकास के लिये संचार की नई समुद्री लाइनों पर निर्भरता के साथ दिल्ली ने घोषणा किया कि उसके राष्ट्रीय हित अब उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि 'अदन से मलक्का तक' विस्तृत हैं।

समुद्री डकैती के कारण और समाधानः

- समुद्री डकैती को कई कारक बढ़ावा देते हैं जिनमें अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, विकास का अभाव आदि शामिल हैं। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन और समुद्री अपराध के बीच संबंध होने की बात भी सामने आई है। शोधकर्ताओं ने समुद्र के तापमान और दक्षिण चीन सागर तथा पूर्वी अफ्रीका के समुद्री क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों के दौरान हुई समुद्री डकैती की घटनाओं का विश्लेषण किया है। ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़े पैमाने पर समुद्री डकैतियों की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि इन दोनों क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एकदम उलट है। जहां समुद्र में बढ़ता तापमान पूर्वी अफ्रीका में मछली उत्पादन में गिरावट के साथ जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ यह दक्षिण चीन सागर में मछलियों के वृद्धि की वजह है। कई शोधों में पता चला है कि बढ़ते तापमान के कारण मछलियों के उत्पादन में गिरावट आई है जिससे पूर्वी अफ्रीका में समुद्री डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है जिसके कारण आर्थिक अवसरों को नुकसान पहुंचा है। इसके विपरीत दक्षिण चीन सागर में वाणिज्यिक रूप से पकड़ी जाने वाली मछलियों की कुछ प्रजातियां गर्म पानी में कहीं बेहतर फल-फूल रहीं हैं। वहां मछली उत्पादन में वृद्धि से मछली पकड़ने से जुड़े परिवारों की आय में वृद्धि हुई है जिससे अपराधों में गिरावट हुई है। पहले किए गए शोध भी इस ओर इशारा करते हैं कि आर्थिक असुरक्षा किसी व्यक्ति को अपराध की राह पर जाने की सोच को प्रभावित कर सकती है, वहीं मछली पकड़ने जैसे व्यवसायों को देखें (जो सीधे तौर पर पर्यावरण से जुड़े हैं) तो उन पर जलवायु परिवर्तन के व्यापक असर पड़ने की आशंका है।
- शोधकर्ता बो जियांग का कहना है कि 'परिणामों से पता चलता है कि जैसे-जैसे जलवायु में बदलाव जारी है, वैसे-वैसे हिंसा और आपराधिक व्यवहार पर इसका जटिल प्रभाव होगा।' बो जियांग के अनुसार इससे यह भी सामने आता है कि कौन अपराधी है या हो सकता है। बो जियांग के अनुसार, जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो ये मछुआरे अपराध का सहारा लेने लगते हैं, वहीं जैसे ही स्थिति सुधरती है, वे इससे बाहर निकल जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह परिणाम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले एक और गंभीर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। प्रोफेसर गैरी लाफ्री ने जानकारी दी है कि वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों से होता है जो कई अरबों डॉलर का है। अगर इसे ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया जाए, तो इन क्षेत्रों में समुद्री डकैती का एक बड़ा आर्थिक प्रभाव हो सकता है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डकैती से निपटना जरूरीः

- हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वैश्विक समुद्री व्यापार की धुरी हैं, अतः इस क्षेत्र को समुद्री डकैती से बचाने के लिए ठोस कार्यवाही करनी आवश्यक है। ऑपरेशन ओसियन शील्ड, ऑपरेशन अटलांटा, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन जैसे अभियान समुद्री डकैतों और अन्य अराजक समुद्री अपराधियों के खिलाफ चलाए गए हैं। ऐसा करना आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है।
- मात्रा के हिसाब से देश का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार और मूल्य के हिसाब से 68 प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। इसीलिए भारत सरकार ने मल्टी-एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप (एमएएमएसजी) का गठन किया है जो समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रयास है। एमएएमएसजी की पहली बैठक में तय किया गया था कि गिनी की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की सरकारें नियमित आधार पर मिलने तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर खुफिया जानकारी साझा करने का काम करेंगी।

विविध संक्षिप्त मुद्दे

महिला, व्यवसाय और कानून रिपोर्ट, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने 'महिला, व्यवसाय और कानून' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वैश्विक कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश में बाधा डालने वाली चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट उन चुनौतियों को साझा करती है जो महिलाओं, उनके परिवारों और उनके समुदायों के लिए उनकी समृद्धि में बाधा बन रही है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार शुरुआती अनुमान से काफी कम हैं। हिंसा और बच्चों की देखभाल से संबंधित कानूनी भेदों पर महिलाओं के पास पुरुषों द्वारा प्राप्त अधिकारों का दो-तिहाई या 64 प्रतिशत से भी कम अधिकार पाया गया।
- नए सूचकांक 10 संकेतकों (सुरक्षा, गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व, बच्चे की देखभाल, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन) में कानूनी ढांचे के प्रदर्शन को मापता है।
- विश्व बैंक ने बताया कि इनमें से दो संकेतक 'हिंसा से सुरक्षा और बाल देखभाल सेवाओं तक पहुंच' महत्त्वपूर्ण थे।
- रिपोर्ट में महिलाओं को काम करने या व्यवसाय शुरू करने से रोकने वाले भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को खत्म करने पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस कदम के परिणामस्वरूप वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- 2023 में विश्व की सरकारों ने तीन श्रेणियों 'वेतन, माता-पिता के अधिकार और कार्यस्थल सुरक्षा' में कानूनी समान अवसर सुधारों को आगे बढ़ाने में प्रगति की। हालाँकि दो नई श्रेणियों 'बच्चों की देखभाल तक पहुँच और महिला सुरक्षा' में प्रदर्शन खराब रहा।
- महिलाओं की सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण कमजोरी के रूप में उभरी है जिसका वैश्विक औसत स्कोर केवल 36 है। यह दर्शाता है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह और स्त्री-हत्या के खिलाफ आवश्यक कानूनी सुरक्षा का एक तिहाई हिस्सा प्राप्त है।
- भले ही कई देशों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानून बनाए हैं, लेकिन इन देशों में कानूनों और महिलाओं के वास्तविक अनुभवों के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर है।
- 98 देशों ने महिलाओं के लिए समान वेतन अनिवार्य करने वाला कानून बनाया है, फिर भी केवल 35 देशों (प्रत्येक पांच में से एक से भी कम) ने वेतन अंतर को दूर करने के लिए वेतन-पारदर्शिता उपायों को अपनाया है।

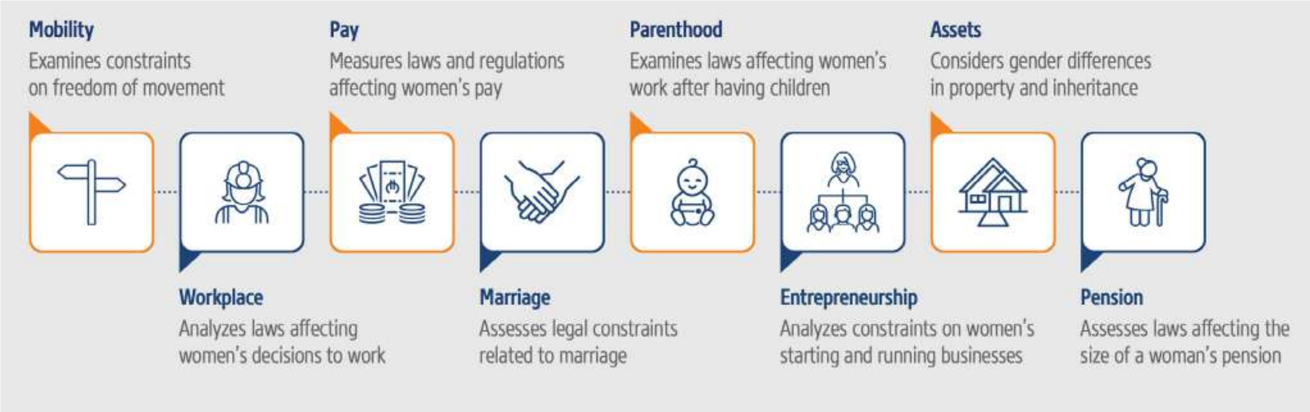

भारत के संबंध में मुख्य बातें:

- नवीनतम रिपोर्ट में पाया गया है कि सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं सहित कोई भी देश महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित नहीं करता है।
- हालाँकि, 74.4 प्रतिशत स्कोर के साथ भारत की रैंक मामूली सुधार के साथ 113 हो गई है, जबकि देश का स्कोर 2021 से स्थिर बना हुआ है। भारत की रैंकिंग 2021 में 122 से घटकर 2022 में 125 और 2023 में 126 हो गई।
- भारतीय महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 60 प्रतिशत कानूनी अधिकार हैं जो वैश्विक औसत 64.2 प्रतिशत से थोड़ा कम है।
- हालाँकि, भारत ने अपने दक्षिण एशियाई देशों से बेहतर प्रदर्शन किया जहाँ महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 45.9 प्रतिशत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।
- जब आवाजाही की स्वतंत्रता और विवाह से संबंधित बाधाओं की बात आती है, तो देश को पूर्ण अंक मिले। भारत ने सहायक ढाँचे में वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत दोनों से अधिक अंक प्राप्त किये।
- महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों का मूल्यांकन करने वाले संकेतक में भारत को सबसे कम अंकों में से एक

प्राप्त हुआ है। फ्रेमवर्क में सबसे कम संकेतक चाइल्डकेयर को प्राप्त हुआ।

निष्कर्षः

रिपोर्ट में उद्यमिता में महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं, वेतन असमानताओं और सेवानिवृत्ति की आयु असमानताओं को रेखांकित किया गया है। महिलाओं को काम करने और व्यवसाय में शामिल होने के लिए नीतिगत सुधार करने की आवश्यकता है।

जीरो फूड चिल्ड्रेन की बढ़ती संख्या

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जेएएमए ओपन नेटवर्क जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में भारत में 'बिना भोजन वाले बच्चे' (Zero-food Children) की व्यापकता 19.3% पाई गई जो बच्चों में अत्यधिक भोजन की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

प्रमुख बिन्दुः

- अध्ययन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 2019-2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग करते हुए अनुमान लगाया गया है कि भारत में बिना भोजन वाले बच्चों की व्यापकता 19.3 प्रतिशत है जो गिनी के 21.8 प्रतिशत और माली के 20.5 प्रतिशत के बाद तीसरा सबसे बड़ा है। बांग्लादेश (5.6 प्रतिशत), पाकिस्तान (9.2 प्रतिशत), डीआर कांगो (7.4 प्रतिशत), नाइजीरिया (8.8 प्रतिशत) और इथियोपिया (14.8 प्रतिशत) में ये आंकड़े बहुत कम हैं।

जीरो फूड चिल्ड्रेन क्या है?

- बिना-भोजन वाले बच्चे 6 महीने से 24 महीने की उम्र के वे शिशु या बच्चे हैं जिन्हें 24 घंटे की अवधि में बिना दूध या ठोस या अर्धठोस भोजन नहीं मिला है।
- छह माह की उम्र होने के बाद स्तनपान से शिशुओं को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता है। स्तनपान के साथ-साथ ठोस या अर्ध-ठोस खाद्य पदार्थों की शुरूआत बचपन की वृद्धि और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, 9 से 11 महीने की उम्र के बच्चों के लिए कैलोरी आवश्यकताओं में योगदान देने वाले अन्य भोजन का हिस्सा लगभग 50% (अर्थात, 700 किलो कैलोरी / दिन में से 300) होना चाहिए, जबकि छह-आठ महीने वाले बच्चों के लिए मां के दूध का हिस्सा (यानी 600 किलो कैलोरी/दिन में से 400) अन्य भोजन से अधिक होना चाहिए।

जिम्मेदार परिस्थितियाँः

- **सहयोग का अभावः** छोटे बच्चों को भोजन खिलाने में समय और ऊर्जा लगती है, आमतौर पर घरों में महिलाओं को पूरक आहार के लिए पर्याप्त समर्थन तथा सहयोग का अभाव होता है।
- **आर्थिक नुकसानः** कई आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की माताओं को, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों में हों या शहरी मलिन बस्तियों में, अपने घरेलू काम-काज संभालने के साथ-साथ मजदूरी कमाने के लिए भी काम करना पड़ता है।
- **अपर्याप्त पहुंचः** सरकार पोषण अभियान के साथ-साथ मातृत्व अधिकार और शिशु देखभाल सेवाओं जैसी कई योजनाएं चला रही है। हालांकि कई महिलाओं को ऐसी सेवाओं तक पहुंच नहीं है।

निष्कर्षः

भारत में बाल पोषण के मुद्दों से परिचित स्वास्थ्य विशेषज्ञों का जीरो फूड चिल्ड्रेन से संबंधित डेटा भोजन तक पहुंच की कमी को नहीं, बल्कि कई बार कई माताओं द्वारा अपने शिशुओं को उचित आहार देखभाल प्रदान करने में असमर्थता को दर्शाता है। अंतर्निहित कारणों, इष्टतम पर्याप्त बाल-आहार प्रथाओं में बाधा और सामाजिक-आर्थिक कारकों द्वारा बाल-आहार व्यवहार को प्रभावित करने वाले तरीकों पर अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है।

प्रवासियों पर आईओएम रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 प्रवासियों के लिए रिकॉर्ड पर सबसे घातक वर्ष रहा जिसमें लगभग 8,565 मौतें हुई। यह दुखद आंकड़ा 2022 की तुलना में 20% की वृद्धि दर्शाता है जो जीवन की हानि को रोकने के लिए कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रवासी मृत्यु पर डेटा 2014–2023:

- 2023 में प्रवासी मौतों की कुल संख्या 2016 के पिछले रिकॉर्ड वर्ष को पार कर गई जिसमें 8,084 मौतें हुई थी। 2014 में मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद से, आधे से अधिक मौतें डूबने के कारण हुई जिनमें से 9% वाहन दुर्घटनाओं के कारण और 7% हिंसा के कारण शामिल थी।

सबसे घातक प्रवासन मार्गः

- वर्ष 2023 में भूमध्यसागरीय क्रॉसिंग पर लगभग 3,129 रिकॉर्ड मौतें होने से यह प्रवासियों के लिए सबसे घातक मार्ग बना रहा जो 2017 के बाद से इस क्षेत्र में सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है।
- पूरे अफ्रीका (1,866) और एशिया (2,138) में भी प्रवासी मौतों की अभूतपूर्व संख्या दर्ज की गई। अफ्रीका में अधिकांश मौतें सहारा रेगिस्तान और कैनरी द्वीप समूह के समुद्री मार्ग में होती हैं। एशिया में अफगान और रोहिंग्या शरणार्थियों की सैकड़ों मौतें एशिया में दर्ज की गई।

मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट के बारे में:

- 2014 से मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट उन लोगों को रिकॉर्ड करती है जो किसी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य की ओर प्रवास की प्रक्रिया में मर जाते हैं, चाहे उनकी कानूनी स्थिति कुछ भी हो।

मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट का महत्त्वः

- मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट सतत विकास लक्ष्यों और सुरक्षित, व्यवस्थित तथा नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट में प्रवासन की 'सुरक्षा' के स्तर को मापने वाले संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसकी आगामी रिपोर्ट 2023 से लापता प्रवासियों के डेटा और पिछले दस वर्षों के प्रमुख तथ्यों व आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के बारे में:

- यह प्रवासन के क्षेत्र में काम करने वाला प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संबंधित संगठन है। 1951 में स्थापित आईओएम एक प्रमुख अंतरसरकारी संगठन है जो सरकारी, अंतरसरकारी और गैर-सरकारी भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। 175 सदस्य देशों और 8 राज्यों के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा, जबकि 171 देशों में कार्यालय रखने वाला आईओएम सभी के लाभ के लिए समर्पित है। यह सरकारों और प्रवासियों को सलाह भी प्रदान करके ऐसा करता है।

प्रारंभिक बचपन के लिए राष्ट्रीय ढांचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि वह तीन से छह साल की उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तथा जन्म से तीन साल तक के बच्चों के प्रारंभिक बचपन प्रेरणा के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा शुरू करेगा। यह दस्तावेज राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (NIPCCD) द्वारा एक आंतरिक समिति तथा विकास भागीदारों के सहयोग से तैयार किया गया है।

पाठ्यक्रम के बारे में:

- चूंकि मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास छह साल की उम्र से पहले होता है, इसलिए मंत्रालय बच्चों के विकास में प्रारंभिक वर्षों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचानकर प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) परिदृश्य को मजबूत करने का प्रयास करता है।
- तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के संबंध में ईसीसीई 2024 का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फाउंडेशन स्टेज 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार विकास के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है।
- इसका उद्देश्य सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से प्रस्तुत योग्यता-आधारित पाठ योजनाओं तथा गतिविधियों को प्राथमिकता देकर आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित ईसीसीई की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- पाठ्यक्रम को एक साप्ताहिक कैलेंडर में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें 36 सप्ताह की सक्रिय शिक्षा, आठ सप्ताह का सुदृढीकरण और चार सप्ताह की शुरुआत के साथ-साथ 5+1 दिन की खेल-आधारित शिक्षा शामिल हैं।
- यह गतिविधियों का एक संयोजन प्रदान करता है जिसमें केंद्र में और घर में, इनडोर व आउटडोर, बच्चों के नेतृत्व वाली और शिक्षक के नेतृत्व वाली गतिविधियां शामिल हैं।
- जन्म से तीन साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन प्रेरणा 2024 हेतु राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का उद्देश्य बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों के इष्टतम विकास को बढ़ावा देना, उत्तरदायी देखभाल तथा प्रारंभिक सीखने के अवसरों के माध्यम से समग्र प्रारंभिक बचपन प्रेरणा का पोषण करना है।
- यह प्रारूप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के बढ़ने और विकसित होने, मस्तिष्क के विकास के महत्त्व तथा पोषण संबंधी देखभाल की आवश्यकता की बुनियादी समझ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रारंभिक बाल देखभाल के लिए मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमः

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), पालना, मिशन आधारित आंगनबाड़ी तथा पोषण 2.0 और मिशन शक्ति के माध्यम से माताओं तथा उनके छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सशक्त करता है।
- इसका उद्देश्य प्रशिक्षित कर्मियों, शैक्षिक संसाधनों, पोषण संबंधी सहायता और समग्र बाल विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण में पूरे दिन व्यापक बाल देखभाल सहायता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय देश भर में 13.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्र चलाता है जो छह साल से कम उम्र के आठ करोड़ से अधिक बच्चों की देखभाल करता है।

निष्कर्षः

यह पहल यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने वाला एक जीवंत शिक्षण केंद्र बन सके।

भारत को मिला खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत को वाशिंगटन डी.सी. में अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में 'द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप' द्वारा प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

भारत को यह पुरस्कार क्यों दिया गया?

- भारत बच्चों में खसरा और रूबेला के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। यह खसरा और रूबेला उन्मूलन कार्यक्रम को क्षेत्रीय नेतृत्व प्रदान करने में भारत की भूमिका को मान्यता देता है।
- भारत ने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से खसरा और रूबेला के

मामलों को कम करने तथा इसके प्रकोप को रोकने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें शामिल मुख्य पहल निम्न हैं:

- » उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में एमआर टीकाकरण अभियान
- » वंचित आबादी तक पहुंचने के लिए नवीन रणनीतियाँ
- » मजबूत निगरानी प्रणालियों का प्रयोग
- » प्रभावी जन-जागरूकता पहल

- ➢ पिछले 12 महीनों में 50 जिलों में खसरे का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि 226 जिलों में रूबेला का कोई मामला सामने नहीं आया है।
- ➢ खसरा और रूबेला टीका-निवारक रोग (वीपीडी) हैं तथा एमआर टीका 2017 से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। भारत सरकार ने 2023 तक देश से खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा था।

खसरा क्या होता है?

- ➢ खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो विश्व स्तर पर छोटे बच्चों में मृत्यु का कारण है।
- ➢ यह एकल आरएनए वायरस के कारण होता है।
- ➢ इसे पैरामाइक्सोविरिडे परिवार में जीनस मॉर्बिलीवायरस के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रूबेला क्या होता है?

- ➢ रूबेला एक संक्रामक और आम तौर पर हल्का वायरल संक्रमण है जो अक्सर बच्चों तथा युवा वयस्कों में होता है।
- ➢ यह रूबेला वायरस के कारण होता है जो एक घिरा हुआ एकल आरएनए वायरस है।
- ➢ रूबेला खसरे के समान नहीं है, लेकिन दोनों बीमारियों में कुछ लक्षण समान होते हैं। जैसे लाल चकत्ते।

खसरा और रूबेला साझेदारी के बारे में:

- ➢ खसरा और रूबेला पार्टनरशिप (एम एंड आरपी) अमेरिकन रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), गावी, वैक्सीन एलायंस, बिल एंड मेलिंडा फ्रेंच गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ तथा डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में एक साझेदारी है।
- ➢ वर्ष 2001 में शुरू की गई खसरा और रूबेला पहल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी बच्चा खसरे से न मरे या जन्मजात रूबेला सिंड्रोम के साथ पैदा न हो। यह साझेदारी देशों को खसरे और रूबेला को स्थायी रूप से रोकने के प्रयासों की योजना बनाने, वित्त पोषण करने तथा मापने में मदद करती है।

निष्कर्ष:

यह पुरस्कार स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष रूप से वैक्सीन क्षेत्र में भारत के प्रयास को मान्यता देता है। कोविड-19 के दौरान भारत के विश्व में सबसे बड़े वैक्सीन अभियान की दुनिया ने प्रशंसा की। यह पुरस्कार भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है।

याउंडे घोषणा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा के लिए 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा याउंडे घोषणा को अपनाया गया था। वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की कुल संख्या 2019 में 233 मिलियन से बढ़कर 2022 में 249 मिलियन हो गयी।

याउंडे घोषणा क्या है?

- ➢ घोषणापत्र मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए मजबूत नेतृत्व प्रदान करने और घरेलू वित्तपोषण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। डेटा प्रौद्योगिकी में निवेश सुनिश्चित करने और मलेरिया नियंत्रण तथा उन्मूलन में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करने पर सहमत हुए।
- ➢ मंत्रियों ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने या बहु-क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना और फंडिंग, अनुसंधान तथा नवाचार के लिए साझेदारी बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है।

याउंडे घोषणा पत्र का महत्त्व:

- ➢ अफ्रीका आज भी मलेरिया संकट का केंद्र बना हुआ है। यह सभी वैश्विक मलेरिया मामलों का 94 प्रतिशत और वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों का 95 प्रतिशत है।
- ➢ गौरतलब है कि जिन 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने याउंडे सम्मेलन में हिस्सा लिया था, उन पर वैश्विक मलेरिया संक्रमण और मौतों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। यह घोषणा वैश्विक मलेरिया से होने वाली मौतों से निपटने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

मलेरिया के बारे में:

- ➢ मलेरिया मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलने वाली एक जानलेवा बीमारी है जो अधिकतर उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है। यह रोकथाम और इलाज योग्य है। यह संक्रमण प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। यह परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के 5 अलग-अलग प्रकार हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनते हैं।

भारत का मलेरिया परिदृश्य:

- ➢ वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 1.7% मामले और 1.2% मौतें भारत में हुईं। 2022 में, WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के आश्चर्यजनक 66% मामले भारत में थे।
- ➢ प्लाज्मोडियम विवैक्स (जो एक प्रोटोजोअल परजीवी है) ने इस क्षेत्र में लगभग 46% मामलों में योगदान दिया।

निष्कर्ष:

घोषणा के बावजूद विशेषज्ञ जमीनी स्तर पर ठोस कार्यवाही की जरूरत पर बल देते हैं। 2030 तक मलेरिया को नियंत्रित करने के अफ्रीकी संघ के लक्ष्य में महत्त्वपूर्ण फंडिंग अंतराल का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी बुनियादी मलेरिया सेवाओं को बनाए रखने और स्वास्थ्य क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन के लिए अतिरिक्त फंडिंग हेतु 1.5 बिलियन अमेरिकी

डॉलर की आवश्यकता है।

फार्मास्युटिकल फर्म के लिए मार्केटिंग कोड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फार्मास्युटिकल विभाग ने फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी) 2024 की समान संहिता को अधिसूचित किया है जिसका उद्देश्य फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं पर अंकुश लगाना है।

प्रमुख बिन्दु:

- यह कोड फार्मा कंपनियों को स्वास्थ्य पेशेवरों या उनके परिवार के सदस्यों को उपहार और यात्रा सुविधाएं देने से रोकता है।
- फार्मास्युटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस (यूसीपीएमपी) 2024 के लिए समान संहिता उन लोगों को मुफ्त नमूनों की आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगाती है जो ऐसे उत्पाद को निर्धारित करने के लिए योग्य नहीं हैं।
- किसी कंपनी द्वारा वितरित नमूनों का मौद्रिक मूल्य प्रति वर्ष उसकी घरेलू बिक्री के 2% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- किसी दवा का प्रचार उसके विपणन अनुमोदन की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी से विपणन अनुमोदन प्राप्त करने से पहले प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए।
- दवाओं के बारे में जानकारी संतुलित, अद्यतन, सत्यापन योग्य और भ्रामक नहीं होनी चाहिए।
- चिकित्सा प्रतिनिधियों को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में नैतिक आचरण का उच्च मानक बनाए रखना चाहिए ताकि संहिता की सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं का पालन हो सके।

नियामक उपाय:

- प्रत्येक कंपनी को एक नैतिक समिति गठित करने की आवश्यकता है जो कंपनी की नैतिक संभावनाओं की देखरेख करेगी।
- फर्म के सीईओ को समान फार्मास्युटिकल कोड का पालन करना आवश्यक है।
- यदि किसी सदस्य द्वारा संहिता का उल्लंघन किया जाता है, तो आचार समिति सदस्यों को निलंबित या निष्कासित कर सकती है।

यह कोड आवश्यक क्यों है?

- यह स्पष्ट रूप से उद्योग संघों और फार्मास्युटिकल्स विभाग दोनों को शामिल करते हुए एक शिकायत प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है। वास्तव में, यह उद्योग की उन्नति की दिशा में एक कदम है जो बेहतर रोगी देखभाल को प्राथमिकता देकर स्थापित मानदंडों का पालन करता है।

भारतीय फार्मा उद्योग के बारे में:

- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है जिसमें 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य निर्यात से आता है। जेनेरिक दवाओं में वैश्विक निर्यात का लगभग 20% भारत द्वारा पूरा किया जाता है। भारत के फार्मास्युटिकल्स उद्योग का बाजार आकार 2024 तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का वर्तमान बाजार आकार 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में इसकी हिस्सेदारी 1.5% होने का अनुमान है।

निष्कर्ष:

फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी) 2024 की समान संहिता फार्मास्युटिकल उद्योग में नैतिक विपणन प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अनैतिक लाभों पर रोक लगाने और सख्त दिशानिर्देशों को लागू करके संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर अपने निर्धारित निर्णयों में दवा कंपनियों से अनुचित रूप से प्रभावित न हों।

जीआई टैग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला है।

नरसापुर क्रोशिया लेस क्राफ्ट के बारे में:

- यह शिल्प भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में पश्चिम गोदावरी के 19 मंडलों में फैला है।
- इस क्षेत्र के कृषक समुदाय की महिलाओं ने लगभग 150 साल पहले रंगीन फीते से बेहद आकर्षक कलाकृतियाँ बनाना शुरू किया था।
- **कलाकृतिः** फीते का काम पतले धागों का उपयोग करके किया जाता है और इन्हें फिर से अलग-अलग आकार की पतली क्रोकेट सुइयों से बुना जाता है।
- उत्पाद नारंगी, हरा, नीला, सफेद और बेज जैसे जीवंत रंगों में उपलब्ध हैं।
- क्रोशिया लेस उत्पाद यूके, यूएसए, फ्रांस आदि देशों में भी निर्यात किए जाते हैं।

माजुली मास्कः

- **क्षेत्रः** असम के माजुली मुखौटे और असम की माजुली पांडुलिपि पेंटिंग दोनों की जड़ें राज्य के नदी द्वीप जिले माजुली में पाई जाती हैं।
- माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम की नव-वैष्णव परंपरा का केंद्र है।
- **कला कार्यः** ये हस्तनिर्मित मुखौटे हैं जो पारंपरिक रूप से नव-वैष्णव परंपरा के तहत भाओना या भक्ति संदेशों के साथ नाटकीय

प्रदर्शन में पात्रों को चित्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- मुखौटों में देवी-देवताओं, राक्षसों, जानवरों और पक्षियों को चित्रित किया जाता है।
- इसके मास्क बांस, मिट्टी, गोबर, कपड़ा, कपास और लकड़ी से बने होते हैं।
- **पृष्ठभूमि:** इसे 15वीं-16वीं सदी के सुधारक संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा पेश किया गया था।
- माजुली में 22 सत्र हैं, जबकि मुखौटा बनाने की परंपरा मोटे तौर पर उनमें से चार (समागुरी सत्र, नतुन समागुरी सत्र, बिहिमपुर सत्र और अलेंगी नरसिम्हा सत्र) में केंद्रित है।
- संत शंकरदेव और उनके शिष्यों द्वारा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधार के केंद्र के रूप में स्थापित मठवासी संस्थाएं हैं।

माजुली पांडुलिपि पेंटिंग:

- यह पेंटिंग का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भी 16वीं शताब्दी में हुई थी जो घर में बनी स्याही का उपयोग करके सांची पट या सांची या अगर पेड़ की छाल से बनी पांडुलिपियों पर बनाई गई थी।
- विशिष्टता पांडुलिपि लेखन शैलियों 'गर्गायन लिपि, कैथल और बामुनिया' में निहित है।
- ये पेंटिंग्स हिंदू महाकाव्य कहानियों, विशेष रूप से भगवान कृष्ण की भागवत पुराण कथाओं को दर्शाती हैं जो सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक विशिष्टता का प्रदर्शन करती हैं।

जीआई टैग क्या है?

- भौगोलिक संकेत (जीआई) उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है जिनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा है जो औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत आते हैं।
- भारत में, भौगोलिक संकेत पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- भौगोलिक संकेत आमतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, वाइन और स्पिरिट पेय, हस्तशिल्प तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भौगोलिक संकेतक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इससे पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग रुकता है, साथ ही यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है।

भारत शक्ति अभ्यास

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को राजस्थान के पोखरण में त्रि-सेवा अभ्यास 'भारत शक्ति' में प्रतिभाग किया। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। त्रि-सेवा अभ्यास में भारत के त्रि-सशस्त्र बल 'भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना' की भागीदारी तय की गई। त्रि-सेवा अभ्यास को भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित किया गया था।

भारत शक्ति अभ्यास के बारे में:

- यह एक विशाल त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास है जिसके तहत त्रि-सेवा लाइव फायर और युद्धाभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक समन्वित प्रदर्शन किया गया।
- इस दौरान एलसीए तेजस, एएलएच एमके-IV, मोबाइल एंटी-ड्रोन सिस्टम, टी90 टैंक, धनुष, के9 वज्र, पिनाका रॉकेट और सैटेलाइट सिस्टम प्रदर्शित किए गए।

उच्च प्रौद्योगिकी प्रणाली का प्रदर्शन:

- इस दौरान 'ई-तरंग' सॉफ्टवेयर टूल, जीआईएस-संबंधित सिस्टम, स्थलाकृतिक मानचित्र, हाइड्रोग्राफिक चार्ट का विश्लेषण और परिचालन योजना क्षमताओं के साथ हवाई नेविगेशन चार्ट का भी प्रदर्शन किया गया।
- अभ्यास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग से सम्बंधित एकीकृत प्रणाली और प्लेटफार्म का भी प्रदर्शन हुआ।
- भारत की साइबर और मल्टी-डोमेन संचालन क्षमताओं के विभिन्न पहलुओं को भी तीनों सेवाओं के संचालन के साथ जोड़ने का अभ्यास किया गया।

अभ्यास का महत्त्व:

- भारत शक्ति ने भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और देश की आत्मनिर्भरता पहल की ताकत को प्रदर्शित करने वाली स्वदेशी हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया।
- यह रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण था।
- इसने भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले यथार्थवादी, समन्वित तथा बहु-डोमेन संचालन का अनुकरण किया।

निष्कर्ष:

यह रक्षा में आत्मनिर्भरता के विचार को साकार करने की दिशा में वैश्विक मंच पर भारत की घरेलू रक्षा क्षमताओं के लचीलेपन, नवाचार और ताकत पर प्रकाश डालता है। इसमें लाइव मारक क्षमता और युद्धाभ्यास के माध्यम से स्वदेशी क्षमता विकसित होने तथा वैश्विक उथल-पुथल के समय किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए त्रि-सेवाओं की परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इससे भविष्य में भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा।

पांडवुला गुट्टाः तेलंगाना में पहला भू-विरासत स्थल चयनित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पांडवुला गुट्टा को तेलंगाना के एकमात्र भू-विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिया है।

पांडवुला गुट्टा के बारे में:

- तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित यह भूवैज्ञानिक आश्चर्य, हिमालय के पहाड़ों से भी पुराना है जो कई प्रागैतिहासिक स्थलों की मेजबानी करता है।
- इसकी खोज 1990 में की गई थी जो एक समृद्ध इतिहास का दावा करता है जिसमें मध्यपाषाण काल से लेकर मध्ययुगीन युग तक फैले चट्टानी आश्रय और निवास स्थान शामिल हैं।
- यह क्षेत्र गुफा चित्रों से प्रचुर है जो हरे, लाल, पीले और सफेद सहित विभिन्न रंगों में जटिल ज्यामितीय डिजाइन तथा छापों को प्रदर्शित करते हैं।
- ये गुफा चित्र प्रागैतिहासिक जीवन और प्रागैतिहासिक मनुष्य से जुड़ी कलाकृतियों के बारे में एक अनोखी जानकारी प्रदान करते हैं। इन चित्रों की पहचान दीवारों, छतों, गुफाओं और शैलाश्रयों की पृथक शिलाओं पर की जाती है।
- इन चित्रों में बाइसन, मृग, बाघ और तेंदुए जैसे वन्यजीवों के चित्रण के साथ-साथ स्वास्तिक, वृत्त, वर्ग तथा धनुष, तीर, तलवार और भाले जैसे हथियार प्रमुखता से चित्रित किए गए हैं।

भू-विरासत स्थल के बारे में:

- भू-विरासत एक व्यापक शब्द है जो वैज्ञानिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्य को समाहित करने वाली महत्त्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विशेषताओं वाले स्थलों या क्षेत्रों को दर्शाता है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) मूल निकाय है जो देश में भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों/राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की पहचान और संरक्षण की दिशा में प्रयास कर रहा है।
- यह सुरक्षा और रखरखाव के लिए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल/राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित करता है।

निष्कर्ष:

भू-विरासत स्थल विविध प्रकार की विशेषताओं को समाहित करते हैं जिनका वैज्ञानिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सौंदर्य संबंधी महत्त्व हैं। वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक रूप से ये साइटें भूवैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती हैं। सांस्कृतिक रूप से वे भूगर्भीय विशेषताओं को ऐतिहासिक या सांस्कृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं जिससे मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ समृद्ध होती है। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा आकार दिए गए उनके सौंदर्यपूर्ण रूप से मनमोहक परिदृश्य पर्यटकों को आकर्षित करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करते हैं।

तवी महोत्सव सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

जम्मू और कश्मीर में 1 से 4 मार्च, 2024 तक तवी महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में साहित्य, लोकगीत, कला और भोजन के माध्यम से क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक अतीत को दर्शाया गया। यह महोत्सव जम्मू शहर से होकर बहने वाली तवी नदी के तट पर केंद्रित था। इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग, जम्मू नगर निगम और शहर की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

महोत्सव का उद्देश्य:

- वर्तमान प्रशासन के तहत सांस्कृतिक उत्थान पर जम्मू-कश्मीर के फोकस को उजागर करना।
- जम्मू के युवाओं में सांस्कृतिक गौरव और संरक्षण की भावना पैदा करना।
- माता वैष्णो देवी जैसे प्रमुख स्थलों के अतिरिक्त सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना।
- जम्मू की समग्र विरासत के लिए घरेलू और विदेशी आगंतुकों के बीच दृश्यता बढ़ाना।

महोत्सव का महत्त्व:

- पर्यटन हितधारक इस आयोजन को जम्मू राज्य के बहुआयामी सांस्कृतिक सार की धुरी के रूप में स्थापित करने का एक उपयुक्त अवसर मानते हैं। जम्मू अपनी भौगोलिक केंद्रीयता के कारण कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- त्रिकुटा पर्वत की तलहटी में हरे-भरे जंगलों के बीच स्थित होने के कारण यहाँ डोगरी, पहाड़ी, गोजरी और पंजाबी प्रभावों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। तवी उत्सव जम्मू की इस मिश्रित क्षेत्रीय पहचान को समेटने का प्रयास करता है।
- स्थानीय व्यवसायों के लिए यह उत्सव, सांस्कृतिक पर्यटन को पुनर्जीवित करके नए सिरे से आजीविका के स्रोत प्रदान करता है। भोजन, कला, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी पर्यटन प्रमुख रुझानों के रूप में उभर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर की संस्कृति के बारे में:

- जम्मू-कश्मीर (J-K) एक समृद्ध और विविध विरासत का दावा करता है जिसमें संगीत, नृत्य, त्योहार, साहित्य तथा भोजन शामिल हैं। यह एक ऐसा राज्य है जिसकी संस्कृति बौद्ध धर्म, सूफीवाद और हिंदू धर्म से प्रभावित है। यह क्षेत्र दक्षिण एशियाई (उत्तरी भाग) और मध्य एशियाई संस्कृति का मिश्रण प्रदर्शित करता है जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख तथा बौद्ध दर्शन शामिल हैं।
- जम्मू की डोगरा संस्कृति और परंपरा पंजाब व हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से मिलती-जुलती है।
- **त्योहारः** जम्मू और कश्मीर के लोग ईद, शिवरात्रि तथा बौद्ध त्योहारों को उत्साहपूर्वक मनाते हैं जिसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। जम्मू में चैत्र चौदस और कश्मीर में भांड पाथर जैसे

विभिन्न क्षेत्रीय त्योहार प्रत्येक क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक पहचान में योगदान करते हैं।

- **कला और शिल्पः** राज्य अपनी कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है जिसमें बुने हुए कालीन, रेशमी कालीन, गलीचे, ऊनी शॉल तथा मिट्टी के बर्तन शामिल हैं।
- **भाषा विविधताः** जम्मू और कश्मीर की भाषा आधुनिक इंडो-आर्यन भाषाओं में अद्वितीय है। कश्मीरी भाषा में फारसी और संस्कृत के प्रभाव के साथ दर्दी व शिना मूल है। क्षेत्र की अन्य महत्त्वपूर्ण भाषाओं में डोगरी, लद्दाखी, पश्तो, गोजरी, बाल्टी, उर्दू और पहाड़ी शामिल हैं।

वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी की गई जिसमें भारत को 143 देशों में से 126वें स्थान पर रखा गया।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- फिनलैंड लगातार सातवें साल दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष पर रहा, जबकि शीर्ष दस में शामिल अन्य देशों में डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लक्जमबर्ग, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अफगानिस्तान सूची में सबसे नीचे रहा।
- रिपोर्ट में आयु समूहों के अनुसार अलग-अलग रैंकिंग भी दी गई है जो समग्र रैंकिंग से काफी अलग है।
- 30 वर्ष से कम आयु के अमेरिकियों की खुशहाली में उल्लेखनीय गिरावट आने के कारण, 2012 के बाद पहली बार शीर्ष 20 से बाहर होकर अमेरिका 23वें स्थान पर पहुंच गया।
- फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और जापान में भी खुशहाली में आयु का अंतर उल्लेखनीय रहा है।

भारत के संदर्भ में निष्कर्ष:

- भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वृद्ध आबादी है जिसमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 140 मिलियन लोग रहते हैं जो चीन से केवल 250 मिलियन से पीछे है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीयों की औसत वृद्धि दर देश की समग्र जनसंख्या वृद्धि दर से तीन गुना अधिक है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वृद्धावस्था उच्च जीवन संतुष्टि से जुड़ी है। भारत में वृद्ध पुरुष वृद्ध महिलाओं की तुलना में अपने जीवन से अधिक संतुष्ट हैं।
- इसके अतिरिक्त, माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त वृद्ध वयस्क और प्रमुख सामाजिक जातियों के लोग औपचारिक शिक्षा के बिना समकक्षों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की तुलना में उच्च जीवन संतुष्टि रिपोर्ट करते हैं।

वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के बारे में:

- यह गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के संपादकीय बोर्ड की साझेदारी है।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए 2012 में शुरू की गई इस पहल को भूटान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।
- 143 देशों में लोगों को शून्य से 10 के पैमाने पर अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है जिसमें 10 उनके सर्वोत्तम संभव जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। रैंकिंग पिछले तीन वर्षों के परिणामों के औसत से बनाई गई है।
- यह तीन मुख्य संकेतकों 'जीवन मूल्यांकन, सकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं' को मापता है।
- रिपोर्ट छह प्रमुख कारकों 'सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति' पर विचार करती है।

निष्कर्ष:

रिपोर्ट में 'खुशी और जीवन संतुष्टि' जैसे शब्दों का परस्पर उपयोग किया गया है। इसे व्यक्तियों की आर्थिक और सामाजिक संसाधनों तक पहुँच से जोड़ा गया है। चूंकि अध्ययन में जीवन संतुष्टि की स्व-रिपोर्ट की गई है, इसलिए सामाजिक कलंक के बारे में चिंताओं के कारण गलत रिपोर्टिंग की संभावना है।

राज्य आधारित करेंट अफेयर्स

उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स

प्रदेश में आगामी 6 महीनों के लिए विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध

- उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी, 2024 में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ईएसएमए) लागू किया जिससे सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा छह महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा आहूत किसानों की हड़ताल के दौरान आया। इससे पहले यह अतीत में उत्तर प्रदेश सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान प्रयोग किया था।
- उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966 की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।
- यह अधिनियम पुलिस को किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देता है जिसके तहत एक साल की सजा या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

सीएसआर फंड का उपयोग विकास परियोजना में करने का निर्णय

- उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए राज्य की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) फंड का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
- उत्तर प्रदेश शीर्ष पांच राज्यों में से एक है जो कंपनियों से सबसे अधिक सीएसआर फंड प्राप्त करता है। इस सूची में अन्य राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 कुछ कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों से अपने औसत मुनाफे का 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित करने का आदेश देती है।
- राज्य ने सीएसआर फंड के माध्यम से बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों-वेदांता ग्रुप, एचसीएल, एनसीएल, रिलायंस फाउंडेशन, शिव नादर फाउंडेशन, आईटीसी लिमिटेड और एनटीपीसी के योगदान को भी स्वीकार किया है।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में यूपी को केवल 148 करोड़ रुपये मिले जो 2017-18 में बढ़कर 435 करोड़ रुपये हो गए। यह राजस्व 2021-22 में 1,321 करोड़ रुपये, जबकि 2022-23 में बढ़कर लगभग 1,500 करोड़ रुपये हो गया।
- भारत में संचयी सीएसआर खर्च 2 ट्रिलियन रुपये से अधिक होने का अनुमान है। भले ही यूपी के सीएसआर राशि में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन एकत्र की गई राशि इसके भौगोलिक आकार और जनसंख्या आधार की तुलना में बहुत कम है।

उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डे वाला होगा देश का पहला राज्य

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए यूपी 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिये तैयार है।
- वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में जहाँ केवल 6 हवाई अड्डे थे, वहीं अब राज्य में 10 हवाई अड्डे और निर्मित होने से इसकी संख्या बढकर 16 हो गयी है।
- इसके अलावा यूपी में 5 अन्य हवाई अड्डे बन रहे हैं जिनमें आजमगढ़, अलीगढ, मोरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट शामिल हैं।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हेतु 1,150 करोड़ रुपए आवंटित किया।
- यह प्रस्तावित धनराशि भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS-UDAN) और उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन संवर्धन नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है।
- भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये शुरू की गई थी।

उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन की बढ़ती संभावना

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानपुर के साढ़ में रक्षा गलियारा में अडाणी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया।
- इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्षा गलियारे के सभी छह नोड रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिये आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया।
- मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि नोएडा की स्थापना के 46 वर्ष बाद बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में एक नया

औद्योगिक शहर स्थापित करने पर सरकार जोर दे रही है।

- रक्षा औद्योगिक गलियारा एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है जिसमें 6 नोड्स 'अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झाँसी और लखनऊ' शामिल होंगे।
- बढ़ता रक्षा उत्पादन 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा दे रहा है जिससे आयात कम होगा और अन्य देशों में इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन मिलेगा जो एमएसएमई और स्टार्ट-अप सहित निजी घरेलू निर्माताओं के विकास को बढ़ावा देगा।

तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने की योजना

- हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से 38 फायर स्टेशनों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया।
- उत्तर प्रदेश राज्य में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना 1944 में हुई थी। उसके बाद से वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 288 फायर स्टेशन स्थापित किये गये जो अब बढ़कर 358 हो गए हैं।
- अधिक फायर स्टेशन बनाने से जन-धन की हानि को कम करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (A) के तहत प्रदेश में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की भी स्थापना की जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।
- भारत सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये SDRF आवंटन का 75%, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) हेतु 90% का योगदान करती है।

उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी

- उत्तर प्रदेश सरकार ने पाँच-वर्षीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दिया जिसमें वर्ष 2028 तक पर्याप्त क्षमता को प्रोत्साहित करने हेतु 50.4 बिलियन रुपए (608 मिलियन अमेरिकी डॉलर) सब्सिडी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
- ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत सरकार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति स्टार्टअप 5 वर्षों तक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त इंक्यूबेटर को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सरकार की इस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख 20 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में यूपीनेडा नोडल एजेंसी होगी।
- ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकार 30 वर्ष की अवधि के लिए ग्राम समाज तथा सरकारी भूमि को लीज पर उपलब्ध कराएगी। सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए लीज का मूल्य एक रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा तथा निजी निवेशकों के लिए यह 15 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा।
- ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन लागत घटाने एवं नवीनतम तकनीकी विकास करने हेतु 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी जिसमें शासकीय शैक्षणिक संस्थानों को 100 प्रतिशत एक मुश्त वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम 50 करोड़ रुपए दिया जाएगा।
- प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया एक मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। कुल 5 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन इस नीति के क्रियान्वयन में किया जाएगा।

बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश का नया ऊर्जा हब बनाने की योजना

उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को प्रदेश का नया ऊर्जा हब बनाने पर जोर दे रही है। यहां स्थापित होने वाली अधिकतर परियोजनाएं सौर ऊर्जा के उत्पादन पर आधारित हैं। इन परियोजनाओं के जरिए करीब तीन हजार मेगावाट से अधिक का विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में चल रही ऊर्जा परियोजनाएं:

- बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी मंडल में 600 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है जिससे अनेकों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 1200 करोड़ से 100 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना करेगा जिससे 1000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- सन सोर्स एनर्जी 600 करोड़ से 135 मेगावाट ओपन एक्सेस सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा जिससे 2000 रोजगार का सृजन होगा।
- ललितपुर जिले में 600 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट को स्थापित किया जा रहा है।
- सूर्य ऊर्जा फोर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 150 करोड़ की लागत से 10-15 मेगावाट सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।
- बांदा में अवाडा इंड सोलर प्राइवेट लिमिटेड 350 करोड़ की लागत से 750 मेगावाट सोलर पॉवर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा।
- इसके अलावा 62 करोड़ की लागत से सनश्योर सोलर पार्क एट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 15 मेगावाट सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना

की जा रही है।

टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन

उत्तर प्रदेश में सूखे की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों की तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन (TWS) की स्थापना की जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

- इसके तहत बुंदेलखंड के सात जिलों के अतिरिक्त सोनभद्र और मिर्जापुर को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि यहां पर हर साल सूखे की संभावना बनी रहती है।
- इन सात जिलों में 'बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा और जालौन' शामिल हैं।
- प्रदेश में हर साल सूखे से किसानों को होने वाली समस्या के कारण पहले चरण में प्रदेश के सौ तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों की समस्त तहसीलों में टीडब्ल्यूएस को स्थापित किया जाएगा।
- इसके लिये 10 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है। इसको लेकर सभी जिलों के अपर जिलाधिकारियों को जमीन चिह्नीकरण के लिए आवश्यक गाइड लाइन जारी की गयी है।

उत्तराखंड करेंट अफेयर्स

होम गार्ड के लिए ट्रांजिट हॉस्टल स्थापित करने की योजना

- दिसंबर, 2023 में होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्डों को ट्रांजिट हॉस्टल की सुविधा देने की घोषणा किया था।
- ऊधमसिंह नगर सहित आठ जिलों में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण के लिए शासन से 13.50 करोड़ रुपये की मंजूरी भी मिल गई है।
- प्रदेश में होमगार्ड जवानों के लिए चयनित भूमि में सबसे अधिक जमीन हरिद्वार में चयनित की गई है। यहां करीब 50 बीघा भूमि पर ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण होगा।
- वीआईपी कार्यक्रमों या फिर किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए होमगार्ड जवान भी डयूटी में लगाए जाते हैं।
- ऐसे में उनके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मूवमेंट पर उनके रुकने की ट्रांजिट हॉस्टल में पूरी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा हॉस्टल पर ऑफिस भवन भी तैयार किया जाएगा।

उत्तराखंड सरकार के 2024-25 बजट के प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 89,230.07 करोड़ का बजट पेश किया।
- इस बजट में युवा शक्ति, अंत्योदय कार्ड धारकों, सब्सिडी, पर्यटन और राष्ट्रीय खेलों पर खास फोकस दिया गया।
- धामी सरकार ने बजट में सरकारी डिग्री कॉलेजों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने हेतु 10 करोड़ और एनईपी के तहत अनुसंधान योजना के लिए 2 करोड़ का आवंटन किया है।
- बजट में विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- उदीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रशिक्षण शिविर के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन के लिए दो करोड़ का बजट रखा गया है।
- धामी सरकार ने बजट में 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलिंडर की रिफिल नि:शुल्क देने के लिए 54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
- खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है।
- पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ का बजट दिया गया है।
- राज्य आंदोलकारियों के कल्याण और कोर्प्स फंड के लिए 44 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 4737.13 करोड़ रूपये का राजस्व सरप्लस होने की संभावना है, जबकि 9416.43 करोड़ रूपये का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.38 प्रतिशत है।

उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक

- उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा बनाए गए संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए कानून की तर्ज पर एक विधेयक पेश किया।
- इस विधेयक के तहत विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों के दौरान हुए सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी।
- सरकार के शिकायत के बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता

वाला एक न्यायाधिकरण पहचाने गए आरोपियों के खिलाफ आरोपों की जांच करेगा।

- ❖ नुकसान की वसूली के लिए आकलन और आदेश को सरकार व प्रभावित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किए जाएंगे।
- ❖ यह विधेयक उत्तराखंड के हलद्वानी में हुई हिंसा के बाद लाया गया जिसमें कई लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक घायल हो गए।
- ❖ जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान में नजूल (सरकारी) भूमि पर बनी एक मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने के बाद हिंसा भड़क उठी।

बिहार करेंट अफेयर्स

आयुष मंत्रालय की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक संपन्न

- ❖ केन्द्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार की राजधानी पटना में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित छह राज्यों 'बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश' की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- ❖ आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अपने संबंधित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उनके प्रयासों में सहयोग कर रहा है।
- ❖ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 तक एनएएम के एक घटक के रूप में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से आयुष मंत्रालय द्वारा 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एएचडब्ल्यूसी) के संचालन को मंजूरी दी है।
- ❖ आयुष मंत्रालय ने 2014-15 से अब तक एनएएम के तहत 07 राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) को 1712.54 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- ❖ एनएएम के तहत मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान अयोध्या में एक नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वाराणसी में नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए भी सहयोग दिया है।

बिहार लघु उद्यमी योजना 2024

- ❖ हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू किया गया है जिसके तहत लगभग 94 लाख लाभार्थियों को 2 लाख रूपये की सहायता की गयी थी।
- ❖ बिहार सरकार द्वारा आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को व्यवसाय में मदद के लिए यह सहायता दी गयी है।
- ❖ इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया था जिसकी अंतिम सूची 04 मार्च 2024 को जारी की गयी।
- ❖ इस योजना के तहत 50 लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर रैंडमाइजेशन प्रणाली के माध्यम से किया गया था।
- ❖ इन सभी लाभार्थियों का चयन हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कराये गये आर्थिक जनगणना के आधार पर किया गया है।

बिहार के जल प्रबंधन में विश्व बैंक की सहायता

- ❖ केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बिहार सरकार द्वारा चलायी जा रही एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से लेने की स्वीकृति दे दिया है।
- ❖ बिहार सरकार की चल रही पहल 'हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय' तथा 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' के साथ संरेखित BIWRMP को छह वर्ष की अवधि में लागू करने का लक्ष्य है।
- ❖ इसके तहत लगभग 4,415 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे जिसमें से 30% बिहार वहन करेगा, जबकि शेष 70% के लिये विश्व बैंक ऋण प्रदान करेगा।
- ❖ यह काफी समय से लंबित पश्चिमी कोसी नहर प्रमुख सिंचाई परियोजना को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- ❖ इसके माध्यम से नदियों को जोड़कर बाढ़ और सूखा दोनों कम करने में मदद मिल सकती है जिसमें गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती आदि नदियों के किनारे संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल करने की योजना है।

आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड

- ❖ हाल ही में 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PMJAY)' के तहत बिहार सरकार द्वारा चलाये गये छह दिवसीय विशेष अभियान के दौरान एक करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जारी करके रिकॉर्ड बनाया गया।
- ❖ इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल पांच किलो चावल और पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
- ❖ वर्तमान समय में राज्य में लगभग 1.2 करोड़ लोग एबी पीएमजेएवाई

की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

- राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 5,99,609 आयुष्मान भारत कार्ड सीवान जिले में जारी किए गए जिसके बाद मुजफ्फरपुर (5,44018), पटना (5,00292) और मधुबनी (4,72,977) का नंबर आता है।
- सितम्बर, 2018 में लॉन्च की गयी आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य देश में कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है।

झारखण्ड करेंट अफेयर्स

झारखण्ड में भी जाति जनगणना की मंजूरी

- हाल ही में बिहार के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दिया है।
- मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा तैयार करके इसे मंजूरी देने के लिये कैबिनेट के समक्ष रखने का निर्देश दिया है।
- यह जाति आधारित सर्वेक्षण 7 जनवरी से 2 अक्तूबर 2023 के बीच एकत्र किये गए आँकड़ों के आधार पर होगा।
- भारत में पहली बार जनगणना 1872 में तत्कालीन वायसराय लार्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी जिसके बाद दशकीय जनगणना वर्ष 1881 से नियमित की गयी थी।
- सामाजिक-आर्थिक और जाति-जनगणना का आंकड़ा पहली बार वर्ष 1931 में एकत्रित किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार के बारे में जानकारी लेना था।
- जनगणना के तहत जनसंख्या का वर्णन किया जाता है, जबकि सामाजिक-आर्थिक और जाति-जनगणना में राज्य सरकार द्वारा समर्थित लाभार्थियों की पहचान होती है।

'शहरी आजीविका पर राष्ट्रीय कार्यशाला'

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से रांची (झारखंड) में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- इस आयोजित कार्यशाला में देश भर से लगभग 150 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, शहरी आजीविका में नवीन रुझानों और अवसरों पर उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रस्तुत किया गया।
- इस कार्यक्रम द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एनएमपीआई) और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा नवोन्मेष वित्तीय निवेशों की पहचान के माध्यम से शहरी गरीबी की समस्या के निवारण में धर्मार्थ सहायता की भूमिका जैसे अन्य विषयों से भी अवगत कराया गया।
- इस कार्यशाला ने राज्यों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में शहरी आजीविका और आर्थिक वृद्धि से संबंधित सर्वोत्तम प्रणालियों को साझा करने, सहकर्मियों से सीखने तथा अन्य राज्यों द्वारा सफल मॉडलों की सहज पुनरावृत्ति की गई।

पेसा के सुदृढ़ीकरण पर दो दिवसीय सम्मेलन संपन्न

- पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने 4 और 5 मार्च, 2024 को रांची (झारखंड) में पेसा के सुदृढ़ीकरण पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- पेसा पर दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में जनजातीय मामलों के मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, राज्य विभागों और अन्य प्रमुख हितधारकों समेत पांच भाग लेने वाले राज्यों 'आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एवं तेलंगाना' के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी किया।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अर्थात पीईएसए अधिनियम 1996 को भारत में जनजातीय समुदायों की अधिक स्वायत्तता देने तथा स्वयं के मामलों पर नियंत्रण की चली आ रही मांग के बाद लाया गया जिसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया गया था।
- भारत में आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा की राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों से हाशिए पर रखा गया जिससे उन्हें विस्थापन, भूमि तथा संसाधनों की हानि और सांस्कृतिक पतन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स

'क्वीन ऑन द व्हील' पहल संपन्न

- हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने 'क्वीन ऑन द व्हील' महिला बाइकिंग टूर की शुरुआत किया जो राज्य की विविधता, सुंदरता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1,400

किलोमीटर की यात्रा रही।

- महिला बाइकर्स ने राज्य भर में कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया और 8 मार्च को राज्य की राजधानी भोपाल में यह समाप्त हुआ। इस बाइकिंग अभियान में शामिल होने के लिए देश भर से 25 महिला बाइकर्स के एक समूह को आमंत्रित किया गया जिसमें ब्राजील की एक महिला भी शामिल रही।
- यह मध्य प्रदेश को महिला यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और सशक्त विकल्प के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, साथ ही महिला सशक्तीकरण तथा साहसिक पर्यटन की भी वकालत करता है।

'विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश' कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश' कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया।
- इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 करोड़ रुपये की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।
- ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति, कोयला और उद्योग सहित कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना की भी शुरुआत की।
- प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू की गई 'दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण परियोजना' की चर्चा की। इसके अन्तर्गत आने वाले दिनों में हजारों बड़े गोदामों का निर्माण होगा जिससे देश में 700 लाख मीट्रिक टन की नई भंडारण क्षमता बढ़ेगी।
- प्रधानमंत्री ने सहकारिता के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के संकल्प को भी दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण संपत्ति विवादों का स्थायी समाधान खोजा जा रहा है।
- मध्य प्रदेश के 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना की शुरुआत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि यह नाम हस्तांतरण और रजिस्ट्री से संबंधित मुद्दों के लिए डिजिटल समाधान प्रदान करेगा जिससे लोगों का समय तथा खर्च बचेगा।

छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स

नियाद नेल्लानार योजना

- हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने नियाद नेल्लानार योजना को शुरू करने की घोषणा किया।
- इसके तहत नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं को सभी लाभार्थी तक पहुँचाया जायेगा।
- स्थानीय दंडामी बोली में नियाद नेल्लानार का अर्थ 'आपका अच्छा गाँव' या 'योर गुड विलेज' होता है जो प्रायः दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली भाषा है।
- इन गाँवों में केंद्र के पीएम-जनमन कार्यक्रम के समान सुविधाएँ मिलेंगी जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई है।
- इसमें लगभग 25 बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत चार नि:शुल्क गैस सिलेंडर, नि:शुल्क चावल, चना-नमक, गुड़ और चीनी, राशन कार्ड, सिंचाई पंप, नि:शुल्क बिजली, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी आदि प्रमुख हैं।

छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना लॉन्च

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना को लॉन्च किया।
- इसके पहले चरण में 211 स्कूलों में प्रत्येक को 2 करोड़ रूपये की सहायता देकर 'हब एंड स्पोक' मॉडल पर अपग्रेड किया जायेगा।
- इसके तहत 'हब' नामक सलाहकार संस्थान को केंद्रीकृत किया जायेगा। इसके माध्यम से 'स्पोक' की माध्यमिक शाखाओं द्वारा सलाहकार संस्थान का मार्गदर्शन किया जायेगा।
- अगस्त 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के अनुसार, छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने हेतु पर्याप्त समय और अवसर देने के लिए बोर्ड परीक्षाएँ वर्ष में कम-से-कम दो बार आयोजित की जाएंगी।
- इसके अतिरिक्त बच्चों को सर्वश्रेष्ठ स्कोर बरकरार रखने का विकल्प भी मिलेगा।
- पीएम श्री योजना सम्पूर्ण देश में लगभग 15 हजार स्कूलों के उन्नयन और विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करना है।

कोरबा में एल्युमीनियम पार्क परियोजना का नवीनीकरण

- हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा में एल्युमीनियम पार्क परियोजना का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया।
- सरकार ने सभी लघु उद्योगों को रियायती दर पर कच्चे एल्युमीनियम की आपूर्ति करने के लिये वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी

भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

- इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा बाल्को टाउनशिप के पास रुखबहारी गाँव की जमीन की पहचान करने और ग्रामीणों की सहमति लेने हेतु एक सहमति सभा आयोजित किया गया।
- कोरबा में एल्युमिनियम पार्क की मांग को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में उद्योग विभाग के बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया।
- बाल्को को वर्ष 1965 में भारत में पहले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के रूप में शामिल किया गया था जिसके बाद से भारतीय औद्योगिक विकास में यह एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- वर्ष 2001 में सरकार ने वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) के 51% शेयरों का विनिवेश किया।

छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024

- हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बड़े खतरे के कारण प्रकृति को बचाने हेतु और अधिक उपाय तथा प्रयास करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखे, चक्रवाती बारिश और मौसमी बदलावों की गंभीरता को रेखांकित किया।
- इस दौरान मुख्यमंत्री ने 'जलवायु परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना' भी लॉन्च किया, साथ ही बस्तर में पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं पर एंशियंट विजडम नामक पुस्तक का अनावरण किया।
- अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने 2015 के पेरिस समझौते को जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण मानते हुए वैश्विक स्तर पर सहयोग जारी रखने का आग्रह किया।
- छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पारिस्थितिक सुरक्षा फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों, नीति निर्माताओं और आदिवासी समुदायों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।

नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष एजेंसी का गठन

- छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद तथा वामपंथी उग्रवाद के विशेष मामलों में त्वरित और प्रभावी जांच के लिए राज्य जांच एजेंसी (SIA) के गठन का निर्णय लिया।
- राज्य जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ समन्वय के लिए राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक समेत कुल 74 नये पद सृजित किये गये हैं।
- जनवरी, 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर रायपुर में हितधारकों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किया था जहां उन्होंने नक्सली खतरा को अगले तीन वर्षों में समाप्त करने की योजना पर कार्य करने का आदेश दिया था।
- सरकार ने वर्ष 1975 से 1977 तक आपातकाल की अवधि में आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (MISA), 1971 के तहत जेल गए लोगों हेतु पेंशन योजना की बहाली भी शुरू किया।

महतारी वंदना योजना का शुभारंभ

- छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महतारी वंदना योजना शुरू किया जिसके तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारा 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई है।
- यह योजना राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। इस योजना से लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था।

राजस्थान राज्य करेंट अफेयर्स

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की 300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बरसिंगसर में एनएलसी इंडिया लिमिटेड की 300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य में अन्य सौर परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया।
- सार्वजनिक क्षेत्र में एनएलसी इंडिया की सौर परियोजना की कुल

लागत 1,756 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसे सितंबर में चालू करने की योजना है।

- यह परियोजना मौजूदा बरसिंगसर तापीय बिजलीघर के पास स्थित है। इससे बिजली पारेषण नेटवर्क के जरिए बिजली निकासी तथा सामान्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
- कंपनी ने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ 300 मेगावाट की पूरी क्षमता के लिए 2.52 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली इस्तेमाल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- उल्लेखनीय है कि एनएलसी इंडिया कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है।

सड़क बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण हेतु नवीन वित्तीय विकल्पों पर फोकस

- राजस्थान की भाजपा सरकार ने राज्य में सड़क निर्माण की बढ़ती लागत को ध्यान रखते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी(पीपीपी) मॉडल सहित कुछ नए वित्तीय विकल्पों पर फोकस करने का निर्णय लिया है ताकि राजस्व आपूर्ति बाधित न हो।
- राजस्थान राजमार्गों के मामले में देश में सातवें रैंक पर है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण ने बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु नये निवेश की सुविधा के लिये नए उपाय अपनाना शुरू किया है।
- लोक निर्माण विभाग (PWD) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) प्रोजेक्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से 'सड़क बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये वित्तपोषण मॉडल' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- आईआईएफसीएल एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का बुनियादी ढाँचा वित्तीय संस्थान है जो देश की राष्ट्रीय राजमार्ग क्षमता का लगभग 21% वित्त पोषित करता है जिसमें लगभग 30,000 किमी. सड़कें आती हैं।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल, सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक सेवाओं के लिए सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है जिसके तहत बड़े पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं को निजी वित्तपोषण के साथ पूरा करने की अनुमति होती है।

भारत-जापान संयुक्त अभ्यास 'धर्म गार्जियन' राजस्थान में संपन्न

- भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन' का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया गया।
- अभ्यास 'धर्म गार्जियन' एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत और जापान में किया जाता है। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा और भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की बटालियन द्वारा किया गया।
- अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत अर्ध-शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना है।
- अभ्यास 'धर्म गार्जियन' दोनों देशों को सामरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपने श्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करने में सक्षम बनाएगा जिससे दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच अंतर-संचालन क्षमता, सौहार्द्र तथा सहयोग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट की सरकारी नौकरियों हेतु राजस्थान के 2 बच्चों के नियम को हरी झंडी

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार पाने के लिए राजस्थान सरकार के दो बच्चों की पात्रता मानदंड को बरकरार रखते हुए कहा है कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही संविधान का उल्लंघन करता है। राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने से रोकता है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।
- शीर्ष अदालत ने दो-बच्चों के मानदंड को बरकरार रखते हुए पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जिन्होंने 2017 में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया था।
- पीठ ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) में कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 1 जून, 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हों। यह भेदभाव रहित है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।
- अदालत ने माना कि यह वर्गीकरण (जो दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है) गैर-भेदभावपूर्ण और संविधान के दायरे में है, क्योंकि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था।

भारत में जहाज निर्माण उद्योग

चर्चा में क्यों?

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति ने 'देश में जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और शिप ब्रेकिंग उद्योगों की स्थिति' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में पिछले एक दशक में वैश्विक स्तर पर जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योगों के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी में गिरावट के कारणों पर चर्चा की गयी है।

1. भारत में जहाज निर्माण

- भारत में पुरातन काल से ही समुद्री परंपरा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही जहाज निर्माण गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया गया है।
- गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे तटीय क्षेत्र सदियों से जहाज निर्माण के केंद्र रहे हैं।
- एक औद्योगिक गतिविधि के रूप में आधुनिक काल में जहाज निर्माण ने स्वतंत्रता के बाद के युग में गति पकड़ी है।

2. जहाज निर्माण उद्योग का महत्व

- जहाज निर्माण उद्योग ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा में अपनी भूमिका और अधिकांश अन्य अग्रणी उद्योगों के साथ इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के कारण रणनीतिक महत्व रखता है।
- निवेश और टर्नओवर पर उच्च गुणक प्रभाव के कारण जहाज निर्माण उद्योग का बुनियादी ढांचा क्षेत्र के समान प्रभाव पड़ता है।
- उद्योग में दूरदराज, तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता है।
- भारत को 'ब्लू इकोनॉमी' बनाने में शिपिंग उद्योग प्रमुख घटक है।

3. मैरीटाइम इंडिया विजन 2030

- भारत में वैश्विक मानक के बंदरगाहों को विकसित करने हेतु मैरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2030 के अंतर्गत निम्न पहल की गयी है:
  - » विश्व स्तरीय मेगा बंदरगाहों का विकास करना।
  - » ट्रांसशिपमेंट हब।
  - » बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण।
- विजन के अंतर्गत भारतीय बंदरगाहों पर क्षमता वृद्धि और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1-1.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।
- विझिंजम (केरल) और वधावन (महाराष्ट्र) के बंदरगाह अल्ट्रा लार्ज कंटेनर और मालवाहक जहाजों को बंदरगाहों तक लाने में सक्षम बनाएंगे, जिससे कंटेनर और कार्गो थ्रूपुट में सुधार करके भारत को 'विश्व का कारखाना' बनाने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
- एमआईवी 2030 ने भारत को शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में ले जाने का लक्ष्य रखा है।

4. वित्तीय सहायता नीति

- घरेलू जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करने और विदेशी शिपयार्डों की तुलना में समान अवसर प्रदान करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09 दिसंबर, 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति को मंजूरी दी।
- यह पॉलिसी 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू है।
- पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय सहायता में वृद्धि यह दर्शाती है कि भारत में जहाज निर्माण में लगातार वृद्धि हो रही है।

ब्रेन बूस्टर

5. ग्रीन शिप बिल्डिंग

- जहाज निर्माण के लिए अब जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हाइब्रिड या हरित ईंधन का उपयोग हो रहा है। हरित जहाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो प्रणोदन के लिए मेथनॉल/अमोनिया/हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसे हरित ईंधन का उपयोग करेंगे।
- भारत आईएमओ जीएचजी कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए मौजूदा जहाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की ऊर्जा दक्षता आवश्यकताओं और अपने सभी जहाजों पर कार्बन तीव्रता आवश्यकताओं को लागू कर रहा है।

6. भारतीय जहाज उद्योग की क्षमताएं

भारत की भू-रणनीतिक स्थिति:

- भारत की तटरेखा लगभग 7516 किलोमीटर लंबी है।
- देश का विशाल तटीय विस्तार, जिसमें वर्षभर उपलब्ध रहने वाले कई बंदरगाह हैं तथा जो विषम मौसम स्थितियों से सुरक्षित हैं।
- यह प्रमुख व्यापार और शिपिंग मार्गों पर रणनीतिक रूप से स्थित है, वैश्विक व्यापार का 7 से 9% हिस्सा इसके समुद्र तट के 300 समुद्री मील के भीतर से गुजरता है।
- यह जहाज-मरम्मत व्यवसाय के लिए बढ़ती बाजार क्षमता को दर्शाता है, क्योंकि शिपिंग लाइनें अपने व्यापार मार्गों से विचलित हुए बिना अपने जहाजों की मरम्मत कराना पसंद करती हैं।
- भारत भारतीय नौसेना और हिंद महासागर एवं अरब सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें और 7वें बेड़े के लिए मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है।

श्रम की प्रचुरता

- जहाज-मरम्मत-इकाइयों को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधनों में श्रम बाजार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत में अकुशल श्रमिक से लेकर उच्च कुशल श्रमिक तक श्रम के सभी क्षेत्रों के मामले में एक बड़ा अप्रयुक्त क्षमता भंडार है।

प्रतिस्पर्धी श्रम दरें

- श्रम की प्रचुरता के अलावा, भारत में उपठेका श्रम दरें सस्ती हैं और इंडोनेशिया और वियतनाम में श्रम दरों के बराबर हैं।

7. बाधाएँ

- अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तुलना में अधिक टर्नअराउंड समय।
- कार्य प्रक्रिया में दक्षता का अभाव।
- प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत यार्डों की उपस्थिति।
- जीएसटी, जहाज मरम्मत उद्योग के लिए एक प्रमुख बाधा है।
- जहाजों के रखरखाव और मरम्मत के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और पार्ट्स के आयात पर अतिरिक्त कर।

8. जहाज की मरम्मत

- वैश्विक जहाज मरम्मत बाजार लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और 2030 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने की उम्मीद है।
- जहाज की मरम्मत और रखरखाव के वैश्विक बाजार पर वर्तमान में चीन, सिंगापुर और मध्य पूर्व के शिपयार्डों का वर्चस्व है।
- वैश्विक जहाज मरम्मत बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 1% से भी कम है।

9. जहाज मरम्मत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की पहल

जहाज मरम्मत हेतु क्लस्टर का विकास:

- दो प्रस्तावित प्रारंभिक जहाज मरम्मत क्लस्टर हैं:
  - » दक्षिणी क्लस्टर (कोच्चि)
  - » पश्चिमी क्लस्टर (मुंबई / वाडिनार)

अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा और नई ड्राई डॉक का विकास:

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा और नई ड्राई डॉक विकसित कर रहा है।

10. जहाज पुनर्चक्रण

जहाज पुनर्चक्रण समुद्री उद्योग के जीवन चक्र में एक अभिन्न भूमिका निभाता है, जो जहाजों के जीवनकाल के अंतिम चरण को संबोधित करता है।

ब्रेन बूस्टर

11. जहाज पुनर्चक्रण के लाभ

- जहाज पुनर्चक्रण उद्योग, अनुपयोगी जहाजों को विभिन्न उद्योगों, घरों और छोटे व्यवसायों के लिए उपयोग योग्य उत्पादों में परिवर्तित करता है।
- जहाजों को नए उत्पादों में बदलने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे लौह अयस्क निकालने से बचा जाता है जो अत्यधिक ऊर्जा-गहन प्रक्रिया है।
- जहाजों से निकाले गए लौह स्क्रैप का उपयोग, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के उपयोग को बढ़ावा देता है जो आमतौर पर ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में प्रति टन उत्पादित स्टील हेतु कम मात्रा में CO_2 उत्सर्जित करता है।

12. जहाज पुनर्चक्रण का इतिहास

- आधुनिक जहाज तोड़ने का इतिहास 1960 और 1970 के दशक का है।
- तब जहाज तोड़ने का काम बड़े पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों के बड़े जहाज निर्माण यार्डों में किया जाता था।
- कड़े पर्यावरण नियमों के विकास के साथ, किसी जहाज को सुरक्षित और सुदृढ़ तरीके से ध्वस्त करने में उच्च लागत लगती है।
- इसके कारण 1990 के दशक की शुरुआत में जहाज पुनर्चक्रण व्यवसाय बांग्लादेश, भारत, चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे दक्षिण एशियाई देशों में स्थानांतरित हो गया।
- UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में, भारत (30.98%), बांग्लादेश (38.13%), पाकिस्तान (17.23%) और तुर्की (6.33%) वैश्विक ज्ञात जहाज स्क्रैपिंग के 92.66% भाग कर रहे हैं।

13. जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019

- जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 जहाजों पर खतरनाक सामग्रियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, भले ही वे पुनर्चक्रण के लिए अभिप्रेत हों या नहीं।
- खतरनाक सामग्रियों से संबंधित ये प्रतिबंध या निषेध सरकार द्वारा संचालित युद्धपोतों और गैर-वाणिज्यिक जहाजों पर लागू नहीं होते हैं।

14. जहाज पुनर्चक्रण के दौरान चुनौतियाँ

- यदि जहाज का पुनर्चक्रण उचित और सुरक्षित तरीके से नहीं किया जाए तो यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए उच्च जोखिम पैदा करता है, जिससे मृत्यु, चोटें और काम से संबंधित बीमारियाँ होती हैं।
- जहाजों में पीसीबी, पीवीसी, पीएएच, टीबीटी, पारा, सीसा और एस्बेस्टस जैसे कई जहरीले पदार्थ होते हैं, जो श्रमिकों में मतिभ्रम उत्पन्न कर सकते हैं और मिट्टी एवं तटीय जल में फेंके जाने पर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
- जहाज पुनर्चक्रण मूल्यवान सामग्रियों को पुनर्चक्रित करके एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता है, परन्तु यदि इसे ठीक से नहीं किया जाता है, तो यह पर्यावरणीय क्षरण के साथ-साथ उद्योग में श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

15. नीली अर्थव्यवस्था

- विश्व बैंक के अनुसार, नीली अर्थव्यवस्था 'समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग' है।

16. एसडीजी 14

- **SDG14:** महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग
- लक्ष्य 14 महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के बारे में है। स्वस्थ महासागर और समुद्र मानव अस्तित्व और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं।
- महासागर पृथ्वी पर हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पृथ्वी की सतह के तीन-चौथाई हिस्से को कवर करते हुए, इसमें पृथ्वी का 97 प्रतिशत पानी शामिल है, और मात्रा के हिसाब से ग्रह पर रहने की जगह का 99 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।

ब्रेन बूस्टर

स्मार्ट सिटी मिशनः एक मूल्यांकन

चर्चा में क्यों?

आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति ने 'स्मार्ट सिटी मिशनः एक मूल्यांकन' विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) नागरिकों को बुनियादी ढाँचा और स्वच्छ एवं सतत वातावरण प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। मिशन की अवधि जून 2024 तक बढ़ा दी गई है।

1. स्मार्ट सिटी की परिभाषा

स्मार्ट सिटी ऐसे शहरों को समझा जाता है जो अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। भारतीय स्मार्ट सिटी निम्नलिखित 6 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है:

- **मूल में समुदायः** योजना और कार्यान्वयन के मूल में समुदाय।
- **कम से अधिक प्राप्त करनाः** कम संसाधनों के उपयोग से अधिक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता।
- **सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवादः** प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शहरों का चुनाव; परियोजनाओं को लागू करने में लचीलापन।
- **एकीकरण, नवप्रवर्तन, सतततः** नवोन्मेषी तरीके, एकीकृत और सतत समाधान।
- **प्रौद्योगिकी साधन के रूप में, लक्ष्य के रूप में नहीं:** शहरों के संदर्भ में प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों का सावधानीपूर्वक चयन।
- **अभिसरणः** क्षेत्रीय और वित्तीय अभिसरण।

2. स्मार्ट सिटी की आवश्यकता

- भारत सहित हर देश की अर्थव्यवस्था के लिए शहर विकास के इंजन हैं।
- भारत की वर्तमान आबादी का लगभग 31% शहरी क्षेत्रों में रहता है और भारत की जीडीपी में 63% का योगदान (जनगणना 2011 के अनुसार) देता है।
- बढ़ते शहरीकरण के साथ, 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की 40% आबादी रहने और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 75% योगदान करने की उम्मीद है।
- इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है।
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और शहर में लोगों और निवेश को आकर्षित करने, वृद्धि और विकास के एक अच्छे चक्र को गति देने में सभी महत्वपूर्ण हैं।
- स्मार्ट सिटी का विकास उसी दिशा में एक कदम है।

3. स्मार्ट सिटी की विशेषताएं

स्मार्ट सिटी में मुख्य बुनियादी ढांचे के तत्वों में शामिल होंगे:

- पर्याप्त जल आपूर्ति।
- सुनिश्चित बिजली आपूर्ति।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता।
- कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन।
- किफायती आवास, विशेषकर गरीबों के लिए।
- मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण।
- सुशासन, विशेषकर ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी।
- सतत पर्यावरण।
- नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और संरक्षा।
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा।

4. रणनीति

- क्षेत्र-आधारित विकास मलिन बस्तियों सहित मौजूदा क्षेत्रों (रेट्रोफिट और पुनर्विकास) को बेहतर नियोजित क्षेत्रों में बदल देगा, जिससे शहर में लोगों के रहने की क्षमता में सुधार होगा।
- इस प्रकार व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार उत्पन्न होगा और सभी, विशेषकर गरीबों और वंचितों की आय में वृद्धि होगी, जिससे समावेशी शहर बनेंगे।
- क्षेत्र-आधारित स्मार्ट सिटी विकास के तीन मॉडल हैं:
  - **रेट्रोफिटिंग** मौजूदा क्षेत्र को अधिक कुशल और रहने योग्य बनाने के लिए, अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ स्मार्ट सिटी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा विकसित क्षेत्र में योजना शुरू की गयी है।
  - **पुनर्विकास** मौजूदा निर्मित संरचना के प्रतिस्थापन को प्रभावित करेगा और मिश्रित भूमि उपयोग और बढ़े हुए घनत्व का उपयोग करके उन्नत बुनियादी ढांचे के साथ एक नए लेआउट के सह-निर्माण को सक्षम करेगा।
  - **ग्रीनफील्ड विकास** विशेष रूप से गरीबों के लिए किफायती आवास के प्रावधान के साथ नवीन योजना, योजना वित्तपोषण और योजना कार्यान्वयन उपायों का उपयोग करके रिक्त क्षेत्र में विकास हेतु स्मार्ट समाधान पेश करेगा।

5. एससीएम के तहत कार्यान्वयन हेतु एजेंसियां

स्पेशल पर्पस वेहिकल्स (एसपीवीज)

- स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देशों में इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक स्पेशल पर्पस वेहिकल्स (एसपीवी) द्वारा शहर स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।
- वे अपनी विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, संचालित करने और निगरानी करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

स्मार्ट सिटी सलाहकार फोरम (एससीएएफ)

- एससीएम जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है।
- प्रत्येक स्मार्ट सिटी से एक स्मार्ट सिटी सलाहकार फोरम गठित करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें सांसद, विधायक, मेयर, जिला कलेक्टर, एसपीवी के सीईओ, स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ और क्षेत्र से कम से कम एक सदस्य शामिल होगा।

6. वित्तपोषण के स्रोत

- भारत सरकार पांच साल की मिशन अवधि में 100 स्मार्ट शहरों को 48,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, अर्थात प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये जो कि फंडिंग का लगभग 45% है।
- राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा समान आधार पर समान राशि का योगदान किया जा रहा है।
- 13 हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए साझाकरण अनुपात को संशोधित कर 90:10 कर दिया गया है।
- शेष भाग इस प्रकार है:
  - अन्य मिशनों/कार्यक्रमों (अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास, सभी के लिए आवास) के साथ अभिसरण के माध्यम से 21% वित्त पोषण का प्रस्ताव किया गया है।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी से 21%।
  - ऋण से 5%।
  - शेष राशि अन्य स्रोतों से।
- प्रत्येक शहर के लिए भारत सरकार का हिस्सा अधिकतम 500 करोड़ रुपये होगा।

7. स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति को प्रभावित करने वाले मुद्दे और चुनौतियाँ

- स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को बार-बार बदलना।
- पर्याप्त वित्तीय प्रगति का अभाव।
- स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की भौतिक प्रगति में इंटरसिटी असमानता।
- अभिसरण परियोजनाओं के लिए एकीकृत निगरानी तंत्र का अभाव।
- क्रॉस-लर्निंग का अभाव।
- स्मार्ट सिटी सीईओ का बार-बार स्थानांतरण।
- एसपीवी की परिभाषित शासन संरचना और निगरानी क्षमता का अभाव।
- जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श का अभाव।
- हिमालय और उत्तर-पूर्व क्षेत्र एवं छोटे केंद्र शासित प्रदेशों के स्मार्ट शहरों में निष्पादन क्षमता का अभाव।
- मुख्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कम ध्यान।

ब्रेन बूस्टर

वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल

चर्चा में क्यों?

12 मार्च को, मध्य भारत में भारत के वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण (ART-CI) के पहले चरण का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सिलखेड़ा में किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा वित्त पोषित इस सुविधा में मध्य भारत के मानसून कोर जोन (एमसीजेड) पर मानसून से जुड़ी महत्वपूर्ण बादल प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए 25 उच्च-स्तरीय मौसम संबंधी उपकरण होंगे।

1. वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल के बारे में

- एआरटी सिलखेड़ा में एक ओपन-फील्ड, केंद्रित अवलोकन और विश्लेषणात्मक अनुसंधान कार्यक्रम है।
- इस सुविधा का उद्देश्य जून से सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव वाले क्षेत्रों और अवसादों जैसे क्षणिक सिनोप्टिक सिस्टम के मौसम मापदंडों और इन-सीटू अवलोकनों का जमीनी स्तर पर अवलोकन करना है।
- इन प्रणालियों और उनसे जुड़े क्लाउड मापदंडों का अध्ययन लंबी अवधि में उच्च मात्रा में डेटा उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा।
- उत्पन्न डेटा की तुलना मौजूदा मौसम मॉडल से की जा सकती है ताकि सटीक वर्षा पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए सुधार किया जा सके।
- एआरटी में सेटअप का उपयोग विभिन्न उपग्रह-आधारित अवलोकनों, मौसम की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के हिस्से को कैलिब्रेट करने और मान्य करने के लिए भी किया जाएगा।

2. वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का महत्व

- वर्तमान में, भारत की 45% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।
- भारतीय कृषि का अधिकांश हिस्सा वर्षाजल पर आधारित है, जैसे कि मानसून कोर जोन में खेती होती है, जो मध्य भारत क्षेत्र में गुजरात से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है।
- देश की वार्षिक औसत वर्षा (880 मिमी) का 70% दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में होता है।
- पूरे भारत में, खरीफ की अधिकांश खेती जुलाई और अगस्त के बीच की जाती है, जिसमें क्रमश: 280.4 मिमी और 254.9 मिमी (औसत 1971-2020) की औसत मासिक वर्षा होती है।
- इस चार महीने लंबे मौसम के दौरान, बंगाल की खाड़ी में कई वर्षा-असर वाली सिनोप्टिक प्रणालियाँ, अर्थात् निम्न दबाव या अवसाद विकसित होते हैं।
- ये प्रणालियाँ पश्चिम/उत्तर-पश्चिम की ओर भारतीय मुख्य भूमि की ओर बढ़ती हैं और एमसीजेड से होकर गुजरती हैं, जिससे प्रचुर वर्षा होती है।

3. मध्य प्रदेश में एआरटी की स्थापना के कारण

- सिलखेड़ा प्रमुख वर्षा-वाहक सिनोप्टिक प्रणालियों के पथ के सीधे अनुरूप पड़ता है। इससे सीधी निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी।
- यह इलाका प्राचीन है और मानवजनित और अन्य प्रदूषकों से मुक्त है, जो इसे डेटा रिकॉर्डिंग के लिए संवेदनशील, उच्च-स्तरीय मौसम संबंधी उपकरणों और वेधशालाओं की स्थापना के लिए मध्य भारत में सबसे उपयुक्त साइट बनाता है।

4. मध्य भारत के मानसून डेटा को रखने का महत्व

- अध्ययनों ने अखिल भारतीय वर्षा प्रदर्शन को मध्य भारत क्षेत्र में प्राप्त वर्षा से सहसंबद्ध किया है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग देश के चार सजातीय क्षेत्रों – उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है।
- आईएमडी एमसीजेड के लिए एक विशेष वर्षा पूर्वानुमान भी जारी करता है, जिसे भारत का भोजन का कटोरा माना जाता है।
- हालाँकि, इन सिनोप्टिक प्रणालियों की भूमिका, उनसे जुड़े बादल भौतिकी, बादल गुणों और मानसूनी वर्षा को बढ़ाने में उनकी समग्र भूमिका के बारे में अभी भी सीमित समझ है।
- इसलिए मध्य भारत, भारतीय मानसून का व्यावहारिक अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों और मौसम विज्ञानियों के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।
- वे डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और संबद्ध प्रणालियों, बादलों और अन्य संबंधित भौतिक और वायुमंडलीय मापदंडों के बारे में अवलोकन कर सकते हैं।
- जलवायु परिवर्तन के कारण भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अनियमित वर्षा हो रही है।
- जलवायु परिवर्तन ने निम्न दबाव प्रणालियों को भी मजबूत किया है, जिन्हें उच्च तापमान से सहायता मिलती है जिसके परिणामस्वरूप मानसून के दौरान बहुत भारी वर्षा होती है।
- एआरटी की मदद से, वैज्ञानिक कई अन्य मापदंडों के अलावा क्लाउड माइक्रोफिजिक्स, वर्षा, संवहन और भूमि-सतह गुणों पर दीर्घकालिक ऑब्जरवेशन जेनेरेट करने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- पूर्वानुमान आउटपुट, विशेष रूप से वर्षा पूर्वानुमान को बढ़ाने के लिए इस जानकारी को समेकित किया जाएगा और संख्यात्मक मौसम मॉडल में डाला जाएगा।

5. सटीक मौसम भविष्यवाणी का महत्व

- मौसम का पूर्वानुमान देश के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसके सही इनपुट कृषि, सड़क और रेल परिवहन, उड़ान संचालन, बिजली संयंत्रों से ऊर्जा उत्पादन के प्रबंधन और पर्यटन के लिए आवश्यक हैं।
- आपदा प्रबंधन पर निर्णय लेने के लिए बारिश, चक्रवात, लू और सूखे की सटीक भविष्यवाणी करना भी महत्वपूर्ण है।

6. एआरटी में प्रयुक्त उपकरण

- संवहन, बादलों और वर्षा के निरंतर अवलोकन प्राप्त करने और परिवर्तनशीलता के प्रमुख तरीकों की निगरानी करने के लिए, एआरटी दो दर्जन से अधिक उच्च-स्तरीय उपकरणों, रडार और अन्य उपकरणों से सुसज्जित है।
- 72 मीटर की ऊंचाई पर, एआरटी में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान टावर होगा।
- एआरटी में प्रयुक्त उपकरण:
  - » एरोसोल अध्ययन करने के लिए एक एथलोमीटर।
  - » एक बादल संघनन नाभिक काउंटर।
  - » बादलों के आकार को मापने के लिए एक लेजर सीलोमीटर।
  - » वर्षा की बूंदों के आकार और उसके वितरण की गणना करने के लिए एक सूक्ष्म वर्षा रडार।
  - » इस क्षेत्र में वर्षा-वाहक प्रणालियों की गति को ट्रैक करने में मदद के लिए एक केए-बैंड क्लाउड रडार और एक सी-बैंड डॉपलर मौसम रडार।

7. चरम मौसमी घटनाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- तापमान में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप दुनिया भर में अधिक बार और अधिक तीव्र चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं।
- इन घटनाओं में हीट वेव्स, सूखा, बाढ़, तूफान और जंगल की आग शामिल हैं।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण 1961 से 2021 के बीच भारत में हीट वेव्स की अवधि लगभग 2.5 दिन बढ़ गई है।
- जलवायु मॉडल से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक हीट वेव्स लगभग 12 गुना अधिक हो सकती हैं।
- औसत तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए, वातावरण लगभग 7% अधिक नमी धारण कर सकता है।
- यह तूफानों को और अधिक खतरनाक बना देता है क्योंकि इससे वर्षा की तीव्रता, अवधि और/या आवृत्ति में वृद्धि होती है, जो अंततः गंभीर बाढ़ का कारण बन सकती है।

ब्रेन बूस्टर

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक 4 वर्षों की अवधि में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 6000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना 'प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई)' को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन देना है।

1. मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में

- मत्स्य पालन क्षेत्र राष्ट्रीय आय, निर्यात, खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ साथ रोजगार सृजन में योगदान करता है।
- मत्स्य पालन क्षेत्र की एक उभरते क्षेत्र के तौर पर पहचान बनी है और यह देश के करीब 30 मिलियन, विशेष तौर पर सीमांत और वंचित समुदायों की आजीविका बनाये रखने का साधन बना है।
- वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन रिकार्ड मछली उत्पादन के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है और वैश्विक उत्पादन में उसका 8% हिस्सेदारी है।
- देश के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में इसका 1.09% और कृषि क्षेत्र की जीवीए में इसका 6.724% से अधिक योगदान रहा है।

2. मत्स्य पालन क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- सेक्टर की प्रकृति अनौपचारिक है।
- फसल जोखिम शमन का अभाव।
- कार्य आधारित पहचान का अभाव।
- संस्थागत ऋण की कम उपलब्धता।
- उप-इष्टतम सुरक्षा।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा बेची जाने वाली मछली की गुणवत्ता।

3. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2020 को 20,050 करोड़ रूपये के निवेश वाली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को मंजूरी दी थी।
- इसके बाद 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के कोविड-19 राहत पैकेज (आत्मनिर्भर भारत पैकेज) के एक हिस्से के तौर पर पीएमएमएसवाई की शुरूआत की जिसे वित्त वर्ष 2020-21 से 2024- 25 के दौरान पांच वर्ष में अमल में लाया जाना है।

4. पीएमएमएसवाई के लक्ष्य

मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता

- मत्स्य उत्पादन को 2018-19 में 13.75 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन करना।
- जलीय कृषि उत्पादकता को 3 टन के वर्तमान राष्ट्रीय औसत से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना।
- घरेलू मछली की खपत को 5 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना।

आर्थिक मूल्यवर्धन (जीवीए)

- कृषि जीवीए में मात्स्यिकी क्षेत्र का योगदान 2018-19 के 7.28% से बढ़कर 2024-25 तक लगभग 9% करना।
- निर्यात आय 2018-19 के 46,589 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 तक 1,00,000 करोड़ रुपये करना।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में निजी निवेश और उद्यमिता के विकास को सुविधाजनक बनाना।
- पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को 20-25% से घटाकर लगभग 10% करना।

आय और रोजगार सृजन में वृद्धि

- मूल्य श्रृंखला के साथ 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना।
- मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करना।

5. पीएम-एमकेएसएसवाई के उद्देश्य

- राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मछुआरों, मत्स्यपालकों और सहायक श्रमिकों के स्व-पंजीकरण के माध्यम से असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक औपचारिककरण, जिसमें बेहतर सेवा वितरण के लिए मत्स्य श्रमिकों की कार्य आधारित डिजिटल पहचान का निर्माण शामिल है।
- मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान करना।
- जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना।
- रोजगार सृजन सहित मत्स्य पालन क्षेत्र की मूल्य-श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए प्रदर्शन-अनुदान के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि से सम्बंधित सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
- रोजगार सृजन सहित रखरखाव, मत्स्य और मत्स्य उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने और विस्तार के लिए प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करना।

6. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि

- मत्स्यपालन क्षेत्र की बुनियादी सुविधा जरूरतों को पूरा करने के लिये मत्स्य पालन विभाग ने 2018- 19 में 7,522.48 करोड़ रूपये की कुल लागत से मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआइडीएफ) नामक समर्पित कोष बनाया।
- एफआईडीएफ मत्स्य पालन अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिये पात्र इकाइयों को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। यह सुविधा निम्न कर्ज देने वाली नोडल इकाइयों (एनएलई) के जरिये दी जाती है:
  - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
  - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)
  - सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

8. मछली पकड़ने वाले 5 प्रमुख बंदरगाहों का विकास

वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट घोषणा के मुताबिक 199.75 करोड़ रूपये के केन्द्र के हिस्से के साथ कुल 518.68 करोड़ रूपये की लागत से पांच प्रमुख फिशिंग हार्बर (चेन्नई, कोच्चि, पारादीप, पेटुआघाट और विशाखापत्तनम) को विकसित करने का काम किया जा रहा है।

7. पीएमएमएसवाई की रणनीतिक प्राथमिकताएं

समुद्री मत्स्य पालन

- 5.31 मिलियन टन समुद्री उत्पादन की क्षमता को अनलॉक करने के लिए, पीएमएमएसवाई निम्नलिखित में वृद्धि करेगा:
  - गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की संख्या।
  - मौजूदा जहाजों को अपग्रेड करने में।
  - यंत्रीकृत उपकरणों में जैव शौचालयों का निर्माण करने में।
  - खुले समुद्री पिंजरों की स्थापना करने में।

अंतर्देशीय मत्स्य पालन

- पीएमएमएसवाई का उद्देश्य प्रौद्योगिकी निवेश, नए मीठे पानी की हैचरी और ब्रूड बैंकों की स्थापना, नए पालन तालाबों का निर्माण, जलाशयों में पिंजरों और पेन का निर्माण करके अंतर्देशीय मत्स्य पालन का विस्तार करना, उनमें तेजी और विविधता लाना है।

बुनियादी ढांचा और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन

- आधुनिक मछली पकड़ने के बंदरगाहों और लैंडिंग केंद्रों को विकसित और आधुनिक बनाया जाएगा।
- मछली और मत्स्य पालन उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण, मूल्य वर्धन, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे को पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश के माध्यम से बढ़ाया जाएगा।

जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन

- जलीय जानवरों के स्वास्थ्य में सुधार और गुणवत्ता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, पीएमएमएसवाई रोग नैदानिक और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और मोबाइल क्लीनिकों की स्थापना का समर्थन करेगा।

सजावटी मत्स्य पालन

- घरेलू मांग बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पीएमएमएसवाई सजावटी मछली की खेती को प्रोत्साहन देगा।

मछुआरों का कल्याण

- पीएमएमएसवाई के माध्यम से, भारत सरकार सुरक्षा किट, प्रतिस्थापन नौका और जाल, मछली पकड़ने वाले जहाजों और मछुआरों के लिए बीमा, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध और कम उत्पादन अवधि के दौरान मछुआरा परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करके मछुआरों और मत्स्यपालकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

पीएमएमएसवाई में माध्यम से निम्न रणनीतिक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जायेगा:

- मछली कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीपीओ) का विकास,
- एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना
- एकीकृत मॉडल तटीय गांव की स्थापना।

कृषि वानिकी द्वारा भारत की बंजर भूमि को हरा-भरा बनाना

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग द्वारा 'कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा-भरा करना और उसका जीर्णोद्धार करना' (GROW) रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया गया। नीति आयोग के नेतृत्व में इस बहु-संस्थागत प्रयास द्वारा भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग कियागया है। विषयगत डेटासेट का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकता के लिए एक कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक (एएसआई) विकसित किया गया है। रिपोर्ट राज्य-वार एवं जिला-वार विश्लेषण प्रदान करती है, जिससे हरित क्षेत्र विकास हेतु सरकारी विभागों और उद्योगों का समर्थन करती है।

1. उद्देश्य

- जैव-भौतिकीय मापदंडों और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के आधार पर देश भर में उपयुक्त क्षेत्रों, विशेष रूप से बंजर भूमि के चित्रण और प्राथमिकता के लिए एक कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक (एएसआई) तैयार करना।
- राज्यों और जिलों हेतु हरित परियोजनाओं की योजना बनाने के दौरान जिला स्तर पर उपयुक्त क्षेत्रों, आंकड़ों, मानचित्रों की हितधारकों द्वारा विवेचना के लिए एक सार्वभौमिक मंच विकसित करना।

2. राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति

- भारत कृषि वानिकी नीति विकसित करने और अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (2014), उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता को बढ़ाने का प्रयास करती है।
- कृषि वानिकी को एक प्रकृति आधारित समाधान (एनबीएस) माना जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक सीमाओं के भीतर काम करता है जिससे समाज को विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का स्थायी तरीकों से समाधान करने में मदद मिल सके।
- भारत में कृषिवानिकी के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 28.42 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8.65% है।
- यह क्षेत्र देश के 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों (एसीजेड) में स्थित है और ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक है।

3. कृषि वानिकी प्रणाली का वर्गीकरण

- **संरचनात्मक आधार:** घटकों की संरचना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वुडी घटक का स्थानिक मिश्रण, घटक मिश्रण का ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण और विभिन्न घटकों की अस्थायी व्यवस्था शामिल है।
- **कार्यात्मक आधार:** यह सिस्टम के विभिन्न घटकों, मुख्य रूप से वुडी घटकों के प्रमुख कार्य या भूमिका पर आधारित है।
- **सामाजिक आर्थिक आधार:** प्रबंधन के इनपुट के स्तर (कम इनपुट, उच्च इनपुट) या प्रबंधन और वाणिज्यिक लक्ष्यों (निर्वाह, वाणिज्यिक, मध्यवर्ती) की तीव्रता या पैमाने पर विचार करता है।
- **पारिस्थितिक आधार:** इस धारणा पर पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखता है कि कुछ प्रकार की प्रणालियाँ कुछ पारिस्थितिक स्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती हैं।

4. कृषि वानिकी प्रणालियों के प्रकार

- **फार्म वानिकी:** फार्म वानिकी उन कार्यक्रमों को दिया गया नाम है जो किसानों द्वारा अपनी भूमि पर व्यावसायिक वृक्ष उगाने को बढ़ावा देते हैं। इसे खेतों या गाँव की भूमि के आसपास सभी प्रकारों में वानिकी के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया गया है जो अन्य कृषि कार्यों के साथ एकीकृत होता है।
- **विस्तार वानिकी:** यह वृक्षादित क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से पारंपरिक वन क्षेत्रों से दूर स्थित, वृक्ष और अन्य वनस्पति से रहित क्षेत्रों में वानिकी का प्रयास है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **मिश्रित वानिकी:** यह बंजर भूमि, पंचायत भूमि और गाँव के सार्वजनिक स्थानों पर बिखरे हुए चारे के उपयुक्त वृक्षों, फलदार वृक्षों और ईंधन की लकड़ी के पेड़ों के साथ चारा-घास उगाने के लिए वानिकी का प्रयास है।
  - **आश्रय बेल्ट:** आश्रय बेल्ट को हवा, धूप, बर्फ के बहाव आदि से आश्रय के उद्देश्य से बनाए गए पेड़ों और झाड़ियों की बेल्ट के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - **रैखिक पट्टी वृक्षारोपण:** इसके अंतर्गत भूमि की रैखिक पट्टियों पर तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जाता है।
- **नष्ट हुए वनों का पुनर्वास:** वनों के अंतर्गत नष्ट हुए क्षेत्र पर पारिस्थितिक बहाली तथा ऐसे क्षेत्रों एवं उसके आसपास रहने वाले समुदायों की सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **मनोरंजन वानिकी:** यह मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए मनोरंजन वनों के रूप में काम करने के लिए फूल उत्पन्न करने वाले वृक्षों और झाड़ियों को बढावा देने के उद्देश्य से वानिकी का अभ्यास है। इस प्रकार की वानिकी को सौंदर्यात्मक वानिकी के रूप में भी जाना जाता है जिसे उच्च प्राकृतिक मूल्य वाले जंगल को विकसित करने या बनाए रखने के उद्देश्य से वानिकी के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया गया है।

5. कृषि वानिकी के लाभ

पर्यावरणीय लाभ:
- वनों पर दबाव कम होना।
- साइट पर गहरी जड़ों वाले पेड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अधिक कुशल पुनर्चक्रण।
- पारिस्थितिक तंत्र की बेहतर सुरक्षा।
- इन प्रक्रियाओं के कारण पेड़ों की जड़ों और तनों के आसन्न प्रभाव के माध्यम से सरफेस रन-ऑफ, पोषक तत्वों के निक्षालन और मिट्टी के कटाव को कम करना।
- माइक्रॉक्लाइमेट में सुधार, जैसे कि मिट्टी की सतह के तापमान को कम करना और मल्चिंग और छायांकन के संयोजन के माध्यम से मिट्टी की नमी के वाष्पीकरण को कम करना।
- कूड़े-कचरे के विघटन के माध्यम से मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि।
- विघटित कूड़े से कार्बनिक पदार्थ के निरंतर समावेश के माध्यम से मृदा की गुणवत्ता में सुधार।

आर्थिक लाभ:
- भोजन, ईंधन लकड़ी, चारा, उर्वरक और लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि।
- एकल-फसल या मोनोकल्चर प्रणाली में होने वाली कुल फसल विफलता की घटनाओं में कमी।
- बेहतर और निरंतर उत्पादकता के कारण कृषि आय के स्तर में वृद्धि।

सामाजिक लाभ:
- निरंतर रोजगार और उच्च आय से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार।
- खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता और विविधता में वृद्धि के कारण पोषण और स्वास्थ्य में सुधार।
- कृषि गतिविधियों के स्थलों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता को समाप्त करके उच्चभूमि समुदायों का स्थिरीकरण और सुधार।

6. कृषि वानिकी की सीमाएँ

पर्यावरण संबंधी पहलू:
- स्थान, धूप, नमी और पोषक तत्वों के लिए खाद्य फसलों एवं पेड़ों की संभावित प्रतिस्पर्धा, जिससे खाद्य फसलों की पैदावार कम हो सकती है।
- पेड़ों की कटाई के दौरान खाद्य फसल को नुकसान।
- खाद्य फसलों के लिए हानिकारक कीटों के मेजबान के रूप में पेड़ों की क्षमता।

सामाजिक आर्थिक पहलू:
- अधिक श्रम आदानों की आवश्यकता, जो कई बार अन्य कृषि गतिविधियों में कमी का कारण बन सकती है।
- खाद्य और वृक्ष फसलों के बीच प्रतिस्पर्धा, जिसके कारण कुल पैदावार में कमी हो सकती है।
- वृक्षों को परिपक्व होने और आर्थिक मूल्य प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है।
- किसानों द्वारा खाद्य फसलों का वृक्षों से प्रतिस्थापन करने का विरोध, विशेषकर जहां भूमि दुर्लभ है।
- एकल-फसल वाले खेत की तुलना में कृषिवानिकी अधिक जटिल, कम अच्छी तरह से समझी जाने वाली और लागू करने में अधिक कठिन है।

ब्रेन बूस्टर

7. ग्रो (GROW) उपयुक्तता मानचित्रण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं

- कृषिवानिकी के लिए बंजर भूमि क्षेत्र की जिला स्तरीय जानकारी प्रदान करता है।
- क्षेत्र प्राथमिकता अर्थात कृषिवानिकी के लिए अत्यधिक उपयुक्त क्षेत्र, मध्यम और कम उपयुक्त क्षेत्र की व्यवस्था प्रदान करता है।
- उपयुक्तता व्यवस्थाओं के आधार पर राज्य-वार और जिला-वार क्षेत्र विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करता है।
- संभावित कृषि वानिकी प्रणाली, पारगमन के लिए छूट प्राप्त वृक्ष प्रजातियों की सूची और कटाई परमिट जैसी जानकारी प्रदान करता है।

8. बंजर भूमि

- बंजर भूमि को निम्नीकृत भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे उचित प्रयास द्वारा वनस्पति आवरण के तहत लाया जा सकता है एवं जो वर्तमान में कम उपयोग में है और उचित जल तथा मृदा प्रबंधन की कमी या प्राकृतिक कारणों के कारण खराब हो रही है।

9. बंजर भूमि को हरा-भरा करने की आवश्यकता

- पारंपरिक भूमि उपयोग प्रथाओं, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, भोजन की मांग आदि के कारण भूमि पर दबाव बढ़ रहा है जो इसकी वहन क्षमता से अधिक हो गया है और जिसके परिणामस्वरूप भूमिक्षरण हो रहा है।
- भारत में विश्व की आबादी का 18% और वैश्विक भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता में कमी आई है। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 0.12 हेक्टेयर है जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 0.29 हेक्टेयर है।
- भारत में 12 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य बंजर भूमि भी है जो पर्यावरण, पारिस्थितिकी और सततता के साथ-साथ लकड़ी की घरेलू मांग को पूरा करने में सहायता कर सकती है।

10. बंजर भूमि निर्माण के कारण

- तेज गति की हवा और पानी के कारण मिट्टी का कटाव।
- लवणीकरण, क्षारीकरण, भूमि क्षेत्रों का जलप्लावन।
- प्राकृतिक कारक जैसे सुनामी, बाढ़ और ज्वारीय क्रियाएँ।
- उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, मोनो क्रॉपिंग, औद्योगिक कचरे के अनुचित निपटान, खनिजों के अवैध और अंधाधुंध खनन, झूमिंग खेती आदि के संदर्भ में अनुचित कृषि पद्धतियों जैसी मानवजनित गतिविधियाँ।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जैसे वर्षा पैटर्न में बदलाव (शुष्क, अर्धशुष्क परिस्थितियाँ)।
- प्रबंधन की बाधाएँ।

11. बंजर भूमि का महत्त्व

- ग्रामीण लोगों के लिए आय का स्रोत।
- क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद।
- स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को बनाए रखने में मदद।
- स्थानीय उपयोग के लिए ईंधन, चारे और लकड़ी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- मिट्टी की उर्वरता में सुधार।

12. बंजर भूमि का सुधार

- यह बंजर भूमि को कृषि और वनस्पति के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि में बदलने की प्रक्रिया है। सुधार का अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण के लिए भूमि की भौतिक संरचना को पुनः प्राप्त करना। इन भूमियों को तीन तरीकों से सुधारा जा सकता है:
  - स्थलाकृति और मृदा प्रबंधन
  - जल प्रबंधन
  - फसल प्रबंधन

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

नैनटियु द्वीप

हाल ही में श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी, श्रीलंका सरकार और भारतीय कंपनी यू सोलर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन ने जाफना प्रायद्वीप के पास डेल्फ्ट या नेहुनधीवु, नैनटियु और अनालाइटियु द्वीपों में 'हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स' के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

नैनटियु द्वीप (Nainativu Island) के बारे में:

- नैनटिव द्वीप श्रीलंका के उत्तरी भाग में जाफना प्रायद्वीप के पास स्थित है।
- पाक जलडमरूमध्य में स्थित यह द्वीप इस क्षेत्र के कई छोटे द्वीपों में से एक है जो श्रीलंका को भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है।
- यह अपने धार्मिक महत्त्व के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि नागपूषणी अम्मन कोविल नामक हिंदू मंदिर, जो देवी नागपूषणी (जिसे भुवनेश्वरी के नाम से भी जानी जाती है) को समर्पित है, इसी द्वीप पर स्थित है।
- यह द्वीप अपने पुरातात्विक स्थलों के लिए भी जाना जाता है जिसमें प्राचीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष सहित अनेक प्राचीन समय के धार्मिक खंडहर शामिल हैं।

कैटलहोयुक

हाल ही में तुर्की के कैटलहोयुक में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे पुरानी ब्रेड लॉफ (Bread Loaf) की खोज की है।

कैटलहोयुक:

- कैटलहोयुक अनातोलिया (विशेष रूप से तुर्की के एशियाई भाग के भीतर, कोन्या प्रांत के कुमरा जिले) में स्थित है।
- दक्षिणी अनातोलिया में कैटलहोयुक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे संरक्षित नवपाषाण स्थलों में से एक है।
- 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित कैटलहोयुक, नवपाषाण काल के दौरान प्रारंभिक मानव बस्तियों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

ब्रेड लॉफ (Bread Loaf):

- यह कैटलहोयुक में 'मेकन 66' के रूप में पहचानी जाने वाली भट्टी जैसी संरचना के भीतर पाई गई थी।
- विश्लेषण से पता चला कि यह गेहूं, जौ और मटर के मिश्रण से बनाया गया था।
- वैज्ञानिकों ने ब्रेड के अवशेषों पर रेडियोकार्बन डेटिंग की जिससे इसकी पहचान 6600 ईसा पूर्व की बताई गई जो लगभग 8,600 वर्ष पहले का संकेत देती है।
- इसे पानी और आटे को मिलाकर तैयार किया जाता था और किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता था।
- गेहूं (ट्रिटिकम एस्टिवम) और जौ (होर्डियम वल्गारे) दोनों को पहली बार 10,000 ईसा पूर्व के आसपास उपजाऊ क्रिसेंट में मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया था जो शिकारी-संग्रहकर्ता से बसे हुए कृषक समुदायों में एक महत्त्वपूर्ण संक्रमण का प्रतीक था।

पावर पैक्ड न्यूज

पेय जल सर्वेक्षण पुरस्कार

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित पहला पेय जल सर्वेक्षण पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति ने 5 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रदान किया।

पेय जल सर्वेक्षण पुरस्कार के बारे में:

- पेय जल सर्वेक्षण (पीजेएस) पुरस्कार अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 का एक अभिन्न अंग है।
- प्राथमिक लक्ष्य शहरों के भीतर जल आपूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकाय संरक्षण से संबंधित सेवा स्तर की उपलब्धियों का आकलन करना करना है।
- ये पुरस्कार शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं जिससे उन्हें अपनी जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
- इसके अंतर्गत 130 पुरस्कार प्रदान किए गये जिनमें पेय जल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सिटी अवाड्र्स शामिल हैं जो विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को दिए गये।
- सर्वश्रेष्ठ जल निकाय, स्थिरता चैंपियन, पुनः उपयोग चैंपियन, जल गुणवत्ता, शहर संतृप्ति और वर्ष की प्रतिष्ठित अमृत 2.0 रोटेटिंग ट्रॉफी के लिए अतिरिक्त सम्मान दिए गये।
- यह पहल न केवल जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाती है, बल्कि अमृत 2.0 के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के साथ भी निकटता से मेल खाती है।

मेलानोक्लेमिस द्रौपदी

हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड-शील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मेलानोक्लेमिस द्रौपदी नाम दिया गया है।

मेलानोक्लेमिस द्रौपदी के बारे में:

- मेलानोक्लेमिस द्रौपदी नाम की यह प्रजाति पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर खोजी गई थी।
- रूपात्मक लक्षणों में छोटा, कुंद, चिकनी पृष्ठीय सतह वाला बेलनाकार शरीर है।
- यह एक छोटा अकशेरुकी प्राणी है जिसकी अधिकतम लंबाई 7 मिमी तक होती है और रंग भूरा काला होता है। इसके पीछे के सिरे पर एक प्रमुख माणिक्य लाल धब्बा होता है।
- यह प्रायः ज्वार भाटे वाले क्षेत्रों में पाया जाता है जो रेतीले समुद्र तटों पर रेंगने के निशान छोड़ता है।
- मेलानोक्लेमिस द्रौपदी का प्रजनन चक्र नवंबर और जनवरी के महीनों के बीच होता है।
- इस समूह की प्रजातियाँ आम तौर पर इंडो-पैसिफिक महासागरीय क्षेत्र के समशीतोष्ण क्षेत्रों में वितरित होती हैं, लेकिन तीन प्रजातियाँ वास्तव में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वितरित होती हैं: 1- थाईलैंड की खाड़ी से मेलानोक्लेमिस पैपिलता, 2- पश्चिम बंगाल से मेलानोक्लेमिस बंगालेंसिस, 3- ओड़िशा तट से मेलानोक्लेमिस द्रौपदी।

मुदुमलाई टाइगर रिजर्व

हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में किए गए एक हर्पेटोफॉनल सर्वेक्षण में उभयचर और सरीसृपों की 82 प्रजातियां दर्ज की गई।

मुदुमलाई टाइगर रिजर्वः

- मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (एमटीआर) तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रि-जंक्शन पर स्थित है।
- यह रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 1986 में स्थापित किया गया था।
- इसकी सीमा पश्चिम में केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व से लगती है।
- **वनस्पतिः** वनस्पतियों में 'हाथी घास', विशाल बांस, सागौन और रोजवुड जैसी मूल्यवान लकड़ी की प्रजातियां शामिल हैं।
- **जीव-जंतुः** इसमें बाघ, हाथी, भारतीय गौर, पैंथर, सांभर, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, माउस हिरण, मैंगोज, मालाबार विशाल गिलहरी आदि प्रमुख हैं।

वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS)

हाल ही में भारत ने ओडिशा के तट से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) का सफल परीक्षण किया है।

VSHORADS मिसाइल के बारे में:

- वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) भारत द्वारा विकसित चौथी पीढ़ी का मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम (MANPADS) है।
- इसे अनुसंधान केंद्र इमारत (Research Centre Imarat) द्वारा अन्य रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रयोगशालाओं तथा भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया गया था।
- इस मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली (RCS) और एकीकृत एवियोनिक्स सहित कई नवीन प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है जो लक्ष्यों पर हमला करने में इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
- यह एक डुअल थ्रस्ट ठोस मोटर द्वारा संचालित है जो हवाई खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए आवश्यक जोर प्रदान करता है।

वैदिक घड़ी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 'विक्रमोत्सव' के अवसर पर उज्जैन में वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया।

वैदिक घड़ी के बारे में:

- विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दुनिया की पहली 'वैदिक घड़ी' है जिसे प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग समय गणना प्रणाली के अनुसार समय प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर के भीतर 85 फुट ऊंचे टॉवर पर स्थित यह घड़ी, समय निर्धारण में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में कार्य करती है।
- घड़ी न केवल समय दिखाती है बल्कि ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है।
- यह भारतीय मानक समय (IST) और ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) दोनों को इंगित करता है।
- घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय की गणना करती है। यह दो सूर्योदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित करती है।
- भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार प्रत्येक घंटे में 60 मिनट न होकर 48 मिनट होते हैं।

जूस जैकिंग (Juice Jacking)

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक चेतावनी संदेश जारी करके मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को 'जूस जैकिंग' नामक साइबर हमले से जुड़े सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए सार्वजनिक चार्जर का उपयोग करके मोबाइल फोन को चार्ज न करने की सलाह दिया है।

जूस जैकिंग के बारे में:

- 'जूस जैकिंग' शब्द का प्रयोग पहली बार 2011 में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रायन क्रेब्स द्वारा किया गया था।
- जूस जैकिंग एक साइबर हमले की विधि है जहां हैकर्स मैलवेयर इंस्टॉल करने या हार्डवेयर में बदलाव करने के लिए सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट में हेरफेर करते हैं जिससे वे कनेक्टेड डिवाइस से डेटा चुरा सकते हैं।
- हैकर्स हवाई अड्डों, होटलों और शॉपिंग सेंटरों जैसे स्थानों में सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें मैलवेयर से संक्रमित करते हैं या हार्डवेयर में संशोधन करते हैं।
- यह व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है क्योंकि हैकर्स कनेक्टेड डिवाइसों से संवेदनशील जानकारी तक दूरस्थ रूप से पहुंच कर उसे चुरा सकते हैं।
- जूस जैकिंग के जोखिम को कम करने के लिए मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत चार्जर का उपयोग करने और अपने उपकरणों को सार्वजनिक यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करने से बचने की सलाह दी जाती है।
- इसके अतिरिक्त, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) को नियोजित करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की जाती है कि उपकरणों में नवीनतम सुरक्षा अपडेट हों।

धारीदार मार्लिन

करंट बायोलॉजी में प्रकाशित एक नए अध्ययन में समुद्र में सबसे तेज तैरने और शिकार करने वाली खतरनाक धारीदार मार्लिन के बारे में वैज्ञानिकों ने एक अनोखे रहस्य का पता लगाया है।

धारीदार मार्लिन के बारे में:

- धारीदार मार्लिन (टेट्राप्टुरस आडेक्स) को समुद्र में सबसे तेज जानवरों में से एक और शीर्ष शिकारी के रूप में जाना जाता है।
- यह उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण महासागरों में पाया जाता है जो 13.8 फीट लंबा तथा 490 पाउंड तक वजनी हो सकता है।
- इसका शरीर टारपीडो जैसा है जिसका शीर्ष गहरा नीला या काला है, जबकि निचला भाग चांदी-सफेद है।
- समूहों में शिकार करते समय यह हमले की एक अलग-अलग शैली प्रदर्शित करता है।
- तीव्र रंग परिवर्तन इस समन्वय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमले के दौरान हमलावर मार्लिन चमकीला हो जाता है, जबकि बाद में अपने सामान्य रंग में लौट आता है।
- रंग परिवर्तन हमले की प्रेरणा का संकेत देने और शिकार को भ्रमित करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा कर सकता है।
- इसे IUCN द्वारा 'खतरे के निकट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कार्ल गुस्ताफ एम

स्वीडिश डिफेंस फर्म साब (Saab) ने कार्ल गुस्ताफ एम हथियारों के लिए हरियाणा के झज्जर शहर में नई विनिर्माण यूनिट शुरू किया।

कार्ल-गुस्ताफ एम हथियार:

- कार्ल-गुस्ताफ एम4 भारतीय सेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली हथियार प्रणाली है।
- यह एक बहुउद्देश्यीय, हल्का और उच्च प्रभाव वाला हथियार है जो सभी वातावरण में प्रयोग किया जा सकता है।
- यह एक रिकॉइललेस राइफल है जो 1976 से सेवा में है।
- यह विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद का उपयोग करता है जिसमें एंटी-आर्मर, एंटी-स्ट्रक्चर, मल्टी-रोल, एंटी-कार्मिक जैसे सहायक राउंड शामिल हैं।
- यह प्रणाली मानक क्लिप-ऑन टेलीस्कोपिक दृष्टि से जुड़ी हुई है जिसमें अतिरिक्त विकल्प शामिल हैं। जैसे-ओपन साइट, रेड डॉट साइट और उन्नत अग्नि नियंत्रण उपकरण आदि।

भारतीय फार्माकोपिया

हाल ही में निकारागुआ स्पैनिश भाषा बोलने वाली दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है जिसने भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता दी है।

भारतीय फार्माकोपिया के बारे में:

- इंडियन फार्माकोपिया (आईपी) भारत में दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक है जिसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।
- यह भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसे अब तक पाँच देशों 'अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरीशस और सूरीनाम' द्वारा मानक पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारत में आयात, निर्मित और वितरित की जाने वाली सभी दवाओं को भारतीय फार्माकोपिया में संहिताबद्ध मानकों के अनुरूप किया जाता है।

भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो रेल सेवा

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कोलकाता में भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया।

भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो रेल सेवा के बारे में:

- नई मेट्रो लाइन (जिसे हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड खंड कहा जाता है) किसी प्रमुख नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग होगी।
- यह हुगली नदी के नीचे से गुजरती है जो कोलकाता और हावड़ा शहरों को इसके पूर्वी व पश्चिमी तट पर अलग करती है।
- इस नई लाइन का हिस्सा हावड़ा मेट्रो स्टेशन, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होने का गौरव प्राप्त करेगा।
- हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड खंड 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का दूसरा खंड बनाता है जो हावड़ा मैदान को आईटी हब साल्ट लेक सेक्टर-5 से जोड़ता है।
- ईस्ट-वेस्ट मेट्रो के 16.6 किलोमीटर में से 10.8 किलोमीटर में हावडा मैदान और फूलबागान के बीच एक भूमिगत गलियारा शामिल है जिसमें हुगली नदी के नीचे सुरंग भी शामिल है।
- यह परियोजना भारत की एक तकनीकी उपलब्धि है जिसमें ट्रेनें नदी की सतह से लगभग 16 मीटर नीचे यात्रा करती हैं।

'गैर–घातक' सैन्य उपकरण

मालदीव ने राष्ट्रीय स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए मुफ्त 'गैर-घातक' सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए चीन के साथ पहले सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

गैर-घातक हथियारों के बारे में:

- गैर-घातक हथियार (एनएलडब्ल्यू) ऐसे हथियार हैं जो चोट या मृत्यु को कम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं।
- इनका उपयोग कानून प्रवर्तन और सेना द्वारा रक्षा व सुरक्षा मिशनों के लिए किया जाता है।
- इन हथियारों में बीन बैग, रबर की गोलियां, काली मिर्च स्प्रे, इलेक्ट्रिक स्टन गन, पुलिस के डंडे, आंसू गैस, वॉटर कैनन और ध्वनिक हथियार शामिल हैं।
- यह आत्मरक्षा के लिए प्रभावी हो सकता है लेकिन ये घातक हथियारों जितना प्रभावी नहीं है।

मेंढा गांव ग्रामदान के लिए अधिसूचित

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली जिले के एक गांव मेंढा को 'महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, 1964' के तहत एक अलग ग्राम पंचायत के रूप में अधिसूचित किया है।

ग्रामदान के बारे में:

- ग्रामदान 1951 में गांधीवादी विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन का विस्तार है जिसका लक्ष्य भूमिहीनों को भूमि का पुनर्वितरण करना है।
- यह समाज में सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए समुदायों को स्व-शासन और प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकारों के लिए सशक्त बनाता है। ग्रामदान के तहत सम्पूर्ण गाँव अपनी भूमि को एक आम ट्रस्ट के अधीन रख देते हैं जिससे समुदाय के बाहर इसकी बिक्री पर रोक लग जाती है।
- किसी गांव में कम से कम 75% भूमि मालिकों को ग्रामदान का दर्जा पाने के लिए समुदाय को भूमि स्वामित्व सौंपना होगा जिसमें गांव की कम से कम 60% भूमि शामिल हो।
- महाराष्ट्र सहित भारत के सात राज्यों में कुल 3,660 ग्रामदान गाँव हैं जिनमें सबसे अधिक संख्या ओडिशा (1309) में है।
- सितंबर 2022 में, असम ने भूमि अतिक्रमण के मुद्दों का मुकाबला करने के लिए अपने ग्रामदान अधिनियमों को रद्द कर दिया।
- मेंढा सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) हासिल करने के लिए जाना जाता है, जबकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बाद इसे प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला गांव है।

लिक्विड फंड

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के आंकड़ों से पता चला है कि लिक्विड फंड्स प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो जनवरी से 69% बढ़कर फरवरी में 83,642.33 करोड़ हो गई है।

लिक्विड फंड के बारे में:

- लिक्विड फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो 91 दिनों तक की परिपक्वता अवधि के साथ ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और सावधि जमा जैसे अल्पकालिक बाजार उपकरणों में निवेश करता है।
- लिक्विड फंड का प्राथमिक उद्देश्य निवेशकों को अल्पावधि में न्यूनतम जोखिम और स्थिर रिटर्न के साथ एक सुरक्षित एवं तरल निवेश विकल्प प्रदान करना है।
- लिक्विड फंड की विशेषता उच्च तरलता, उच्च-रेटेड ऋण उपकरणों में अल्पकालिक निवेश से उत्पन्न होने वाला कम जोखिम और प्रति यूनिट का स्थिर शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) है जो निवेशकों को पूंजी संरक्षण आश्वासन प्रदान करता है।
- लिक्विड फंड को म्यूचुअल फंड विनियमों के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- सेबी निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए निवेश उद्देश्यों, पोर्टफोलियो संरचना और जोखिम प्रबंधन के संबंध में दिशानिर्देश लागू करता है।

ग्रेट बैरियर रीफ (जीबीआर) में व्यापक कोरल ब्लीचिंग

हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने रीफ प्राधिकरण और ऑस्ट्रेलियाई समुद्री विज्ञान संस्थान (एआईएमएस) द्वारा किए गए हवाई सर्वेक्षणों के

माध्यम से देखे गए ग्रेट बैरियर रीफ (जीबीआर) में व्यापक कोरल ब्लीचिंग घटना की पुष्टि किया है जो संभावित कोरल मृत्यु का संकेत देती है।

ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में:

- ग्रेट बैरियर रीफ (जीबीआर) ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट से दूर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है।
- यह उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में 2,000 किलोमीटर से अधिक विस्तृत है। इसकी तट से दूरी 16 से 160 किलोमीटर तक और चौड़ाई 60 से 250 किलोमीटर तक है।
- यह अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है जो हजारों प्रजातियों की मछलियों, प्रवालों और अन्य समुद्री जीवों का वास स्थल है। इसमें डुगोंग और हरे समुद्री कछुए जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं।
- ग्रह पर सबसे विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक के रूप में अपने उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के कारण इसे 1981 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
- जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्री तापमान के चलते हाल के वर्षों में इसने कई बार कोरल ब्लीचिंग का सामना किया है।
- जब प्रवाल सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, तब कोरल ब्लीचिंग होती है जो लंबे समय तक चलने या गंभीर होने पर प्रवालों की मृत्यु का कारण बनती है।

सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए नामित

हाल ही में सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2024 को राज्यसभा के लिए नामित किया गया।

सुधा मूर्ति के बारे में:

- 19 अगस्त 1950 को उत्तरी कर्नाटक के हावेरी जिले के शिगगाँव में जन्मीं सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका, लेखिका, समाजसेवी और इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्षा हैं।

योगदान:

- इंफोसिस के सह-संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति 'टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (TELCO)' में पहली महिला इंजीनियर हैं।
- उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में 'हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड' (मैंने अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया), 'वाइज एंड अदरवाइज' (समझदार और अन्यथा) और 'डॉलर बहु' शामिल हैं।

पुरस्कार और सम्मान:

- उन्हें 2006 में पद्म श्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
- 2006 में उन्हें साहित्य के लिए आर. के. नारायण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- उन्हें उनके साहित्यिक योगदान के लिए राजा-लक्ष्मी पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

सुनहरे लंगूर

प्राइमेट रिसर्च सेंटर एनई इंडिया, असम वन विभाग, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, सैकॉन और कंजर्वेशन हिमालयी द्वारा किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में सुनहरे लंगूरों की अनुमानित आबादी 7,396 है।

सुनहरे लंगूर के बारे में:

- सुनहरा लंगूर (जिसे वैज्ञानिक रूप से ट्रैकिपिथेकस गी (Trachypithecus geei) के नाम से जाना जाता है) सर्कोपिथेसिडे (Cercopithecidae) परिवार और ट्रैकिपिथेकस (Trachypithecus) जीनस से संबंधित है।
- यह मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर (विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय राज्यों में) क्षेत्र में पाया जाता है।
- यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनों सहित वनाच्छादित क्षेत्रों में रहता है।
- इसकी लंबी पूंछ, अच्छी तरह विकसित अंग और छोटे से चेहरे के साथ अपेक्षाकृत छोटा सिर होता है।
- यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों वनों के साथ ही नदियों व नालों से लगे क्षेत्रों में भी रहता है।
- यह मुख्य रूप से वृक्षीय (Arboreal) है जो अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताता है, लेकिन भोजन के लिए जमीन पर भी खाना खाता है।
- सुनहरा लंगूर मुख्य रूप से पत्तियां खाने वाला (Flavorous) जंतु है जो विभिन्न प्रकार की पत्तियों, फलों, फूलों और बीजों को खाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में लुप्तप्राय (Endangered) प्रजाति के रूप में सुनहरे लंगूर को वर्गीकृत किया गया है।

गोर्शाम कोरा उत्सव

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में गोर्शाम कोरा उत्सव मनाया गया।

गोर्शाम कोरा उत्सव के बारे में:

- गोर्शाम कोरा उत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो भारत और भूटान के बीच मित्रता का उत्सव मनाता है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और बौद्ध अनुष्ठान शामिल होते हैं।
- यह उत्सव गोर्शाम चोर्टेन में होता है जो एक 93 फुट ऊंचा स्तूप है जिसे 13वीं शताब्दी में एक स्थानीय भिक्षु द्वारा बनवाया गया था।
- हजारों भक्त (जिनमें भूटानी नागरिक और बौद्ध भिक्षु भी शामिल है) इस उत्सव में शामिल होते हैं।
- उत्सव की शुरुआत थेत्से रिनपोछे के नेतृत्व में हुई जिसके बाद खिन्जेमने पवित्र वृक्ष पर प्रार्थना की गई।
- ऐसा माना जाता है कि खिन्जेमने पवित्र वृक्ष को 14वें दलाई लामा द्वारा 1959 में तब लगाया गया था, जब वे तवांग में खिन्जेमने-जेमीथांग मार्ग से भारत की यात्रा कर रहे थे।
- इस वर्ष का उत्सव 'जीरो वेस्ट फेस्टिवल' (कचरा मुक्त उत्सव) होने पर केंद्रित था जिसमें फरदर एंड बिऑन्ड फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया था।

कर्नाटक में रोडामाइन बी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रूई की बंवारी (कॉटन कैंडी) और गोभी मंचुरियन में हानिकारक रंगीन पदार्थ 'रोडामाइन बी' के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है।

रोडामाइन बी के बारे में:

- रोडामाइन बी (रूबी) पानी में घुलनशील रासायनिक यौगिक है जो जैथीन डाई के परिवार से संबंधित है।
- यह एक चमकदार गुलाबी से लाल रंग का फ्लुओरेसेंट रंग है जो प्रायः औद्योगिक अनुप्रयोगों (कपड़ा, कागज, चमड़ा और पेंट उद्योगों), सौंदर्य प्रसाधन, स्याही, खाद्य रंग तथा विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों में रंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है।
- यह पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश के तहत बेहतर प्रदीप्ति का प्रदर्शन करता है जो इसे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, प्रवाह साइटोमेट्री और विभिन्न नैदानिक परीक्षणों में उपयोगी बनाता है।
- इसका उपयोग कोशिका संरचनाओं को देखने के लिए जैविक धुंधलापन तकनीकों और विशिष्ट जैव अणुओं का पता लगाने हेतु चिकित्सा निदान में भी किया जाता है।
- यदि नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए, तो यह मस्तिष्क में सेरिबैलम ऊतक और मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने वाले ब्रेनस्टेम को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।
- खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत शादी समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोडामाइन बी युक्त खाद्य पदार्थों को तैयार करना, पैक करना, आयात करना और बेचना दंडनीय है।

निजी नियोजन (Private Placement)

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निजी प्लेसमेंट मार्ग के माध्यम से प्रतिभूतियों के आवंटन से संबंधित कुछ परिपत्रों को निरस्त करने का एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है।

निजी नियोजन के बारे में:

- निजी प्लेसमेंट एक कंपनी द्वारा सार्वजनिक पेशकश किए बिना निवेशकों के चुनिंदा समूह को प्रतिभूतियां जारी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- यह प्लेसमेंट 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है।
- 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत निजी प्लेसमेंट की सीमा 49 लोगों को प्रतिभूति जारी करने की थी।
- इसे 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत 200 निवेशकों तक बढ़ा दिया गया था।
- इसका इस्तेमाल प्रायः कंपनियों द्वारा विस्तार, ऋण चुकौती या कार्यशील पूंजी जरूरतों जैसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है।
- निजी प्लेसमेंट में शामिल कंपनियों को पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

- निजी प्लेसमेंट को नियंत्रित करने वाले विनियमों का पालन न करने पर सेबी या अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड लगाया जा सकता है।
- कुछ मामलों में सेबी विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद निर्धारित निवेशकों की सीमा से अधिक प्रतिभूतियां जारी करने वाली कंपनियों के लिए रियायत प्रदान कर सकता है, जैसे कि निवेशकों को वापसी या उच्च रिटर्न के विकल्प प्रदान करना।

कोचराब आश्रम

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती में महात्मा गांधी आश्रम में पुनर्विकसित कोचराब आश्रम का उद्घाटन और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया।

कोचराब आश्रम के बारे में:

- कोचराब आश्रम, गुजरात के कोचराब गांव में स्थित एक औपनिवेशिक शैली की सफेद रंग की इमारत है।
- शुरुआत में इसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा गया था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के दर्शन को दर्शाता है।
- यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी पर महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था।
- यह आश्रम विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक जीवन के प्रयोगों का केंद्र था।
- एक साथी वकील और सहयोगी 'जीवनलाल देसाई' ने गांधीजी को कोचराब आश्रम स्थापित करने में सहायता की।
- यह सत्य, अहिंसा और सादगी के गांधी के सिद्धांतों का प्रतीक है जो आज भी विश्व स्तर पर लोगों को प्रेरित करता है।

संगीत कलानिधि पुरस्कार

हाल ही में कर्नाटक गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता टी. एम. कृष्णा को 2024 के संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है।

संगीत कलानिधि पुरस्कार:

- संगीत कलानिधि मद्रास संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक संगीतकार को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है।
- पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक बिरुदु पत्र (उद्धरण) शामिल है।
- यह 1942 से अस्तित्व में है। शीर्षक का अनुवाद 'संगीत, कला, खजाना या महासागर' है।
- संगीत कलानिधि को कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर के समकक्ष माना जाता है।
- यह ललित कला के इतिहास में एक ऐतिहासिक संस्थान है।

कर्नाटक संगीत:

- कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का एक विशेष प्रकार का संगीत है जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। यह संगीत परंपरा पड़ोसी देश श्रीलंका तक भी अपना प्रभाव फैलाती है।
- कर्नाटक संगीत में सुंदर धुनें और लयबद्ध पैटर्न हैं जिसमें कलाकार प्रायः मौके पर ही संगीत बनाते हैं।
- कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति दक्षिण भारत में प्राचीन हिंदू परंपराओं से हुई। यह हिंदुस्तानी संगीत के समान है जो उत्तर में फारस और इस्लाम के प्रभाव से विकसित हुआ।

सखी (SAKHI) ऐप

हाल ही में तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की सुविधा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) ने एक सखी (SAKHI) ऐप विकसित किया है।

सखी ऐप के बारे में:

- सखी (क्रू इंटरेक्शन के लिए अंतरिक्ष-जनित सहायक और नॉलेज हब) गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता हेतु विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा विकसित एक बहुउद्देश्यीय ऐप है।
- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने सखी की विशेषता वाले कस्टम-निर्मित, हाथ से पकड़े जाने वाले स्मार्ट डिवाइस के इंजीनियरिंग मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
- यह अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण तकनीकी जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है।

- यह समन्वय और सूचना साझा करने के लिए चालक दल के सदस्यों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है।
- यह मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करता है।
- यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उनके आहार कार्यक्रम के बारे में सचेत करता है।

फ्लैटवर्म परजीवी (लिवर फ्लूक)

हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में कोलोराडो नदी में कुत्तों को मारने वाले फ्लैटवर्म परजीवी (लिवर फ्लूक) की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसे पहले दक्षिणपूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तक ही सीमित माना जाता था लेकिन अब यह पश्चिमी भागों में पाया जाता है।

लिवर फ्लूक परजीवी के बारे में:

- हेटेरोबिलहार्जिया अमेरिकाना (जिसे लिवर फ्लूक परजीवी के रूप में भी जाना जाता है) एक चपटा कृमि है जो स्तनधारियों, विशेष रूप से कुत्तों और रैकून को संक्रमित करता है।
- कुत्ते तब संक्रमित हो जाते हैं जब वे संक्रमित घोंघे वाले मीठे पानी के आवास में जाते हैं या तैरते हैं जो परजीवी के लिए मिडिल होस्ट के रूप में कार्य करते हैं।
- परजीवी त्वचा के माध्यम से कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है तथा आंतों की नसों में चला जाता है, जहां यह एक वयस्क के रूप में परिपक्व होता है और प्रजनन करता है।
- वयस्क परजीवी द्वारा दिए गए अंडे यकृत, प्लीहा और हृदय जैसे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- एच. अमेरिकाना के संक्रमण से कैनाइन शिस्टोसोमियासिस हो सकता है जिसमें लिवर की क्षति, आंतों की समस्याएं, दुर्बलता और गंभीर मामलों में मृत्यु जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

बुगुन जनजाति

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित बुगुन जनजाति ने राज्य के वन विभाग को 1,470 हेक्टेयर वन भूमि दान की है। यह दान गंभीर रूप से लुप्तप्राय बुगुन लायोकिचला गाने वाले पक्षी की रक्षा के लिए किया गया है।

बुगुन जनजाति के बारे में:

- बुगुन जनजाति (जिन्हें पहले खोवा के नाम से जाना जाता था) भारत के सबसे पहले मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों में से एक है।
- ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कर्मेंग जिले के सिंगचुंग उप-मंडल में निवास करते हैं।
- कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है, साथ ही वे मछली पकड़ने, शिकार करने और मवेशी पालन का भी काम करते हैं।
- बुगुन जनजाति की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिसमें लोककथाएँ, गीत, नृत्य, संगीत और अनुष्ठान शामिल हैं।
- बुगुन भाषा को खो-ब्वा भाषाओं के अंतर्गत बगुनिश/का-मेनिक भाषाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसे यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय माना जाता है जिसके लगभग 10,000 बोलने वाले लोग हैं जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के कमेंग जिले में रहते हैं।
- बुगुन परंपरागत रूप से जीववादी मान्यताओं का पालन करते थे, लेकिन वर्तमान समय में बौद्ध धर्म (महायान) और हिंदू धर्म से प्रभावित हुए हैं, विशेष रूप से शेरडुकपेन जैसे पड़ोसी जातीय समूहों से।

युगुन लायोकिचला गाने वाला पक्षी:

- बुगुन लायोकिचला (लियोकिचला बुगुनोरम) एक छोटा, जैतून-ग्रे रंग का गौरैया है जिसके सिर पर काली टोपी होती है जो केवल 20 सेमी लंबा होता है। यह इमेई शान लायोकिचला से निकटता से संबंधित है।
- इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि माना जाता है कि आवास के नुकसान और क्षरण के कारण इसकी आबादी घट रही है।
- इसे पहली बार 1995 में ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया था और 2006 में डॉ. रमना अथरेया द्वारा इसे एक नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया था।

भाषानेट पोर्टल

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 21 मार्च 2024 को नई दिल्ली के

डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस (UA) दिवस पर भाषानेट पोर्टल का अनावरण किया।

भाषानेट पोर्टल के बारे में:

- भाषानेट पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है कि व्यक्ति, भाषा या लिपि की परवाह किए बिना डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से भाग ले सकें।
- यह पहल पूरे देश में डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ाने और सार्वभौमिक स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) तथा MeitY की संयुक्त प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
- **थीम**– 'भाषानेट: सार्वभौमिक स्वीकृति की ओर प्रोत्साहन' है जो भाषाई विभाजन को समाप्त करने और सभी नागरिकों के लिए डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल के समर्पण पर प्रकाश डालती है।
- यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस (UA) दिवस आज के डिजिटल परिदृश्य में हितधारकों को संगठित करने और सार्वभौमिक स्वीकृति तत्परता के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- इस पोर्टल से कई भाषाओं और लिपियों में डिजिटल सामग्री निर्माण, स्थानीयकरण तथा पहुंच का समर्थन करने के लिए संसाधन और उपकरण प्रदान करने की संभावना है।
- विभिन्न भाषाओं में डिजिटल संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके पोर्टल में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने और देश भर में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की क्षमता है।

पेबनिस्टा याकुरुना

हाल ही में ज्यूरिख विश्वविद्यालय (यूजेडएच) के शोधकर्ताओं ने पेरू के अमेजन बेसिन में 16 मिलियन वर्ष पुरानी सबसे बड़ी नदी डॉल्फिन प्रजाति के अस्तित्व का पता लगाया।

पेबनिस्टा याकुरुना के बारे में:

- पेबनिस्टा याकुरुना प्लैटैनिस्टोइडिया समूह से संबंधित है।
- 'पेबनिस्टा याकुरुना' नाम एक पौराणिक जलीय जीव के लिए उत्तरी क्वेशुआ शब्द से लिया गया है जिसके बारे में माना जाता है कि यह अमेजन बेसिन में रहता है।
- इसकी पहचान की पुष्टि एक जीवाश्म खोपड़ी की खोज से हुई जिसकी लंबाई 3.5 मीटर थी जो इसे अपनी तरह का सबसे बड़ा बनाती है।
- यह अपने निकटतम जीवित समूहों को दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन के साथ साझा करता है जिसमें गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन शामिल हैं।
- उल्लेखनीय रूप से ये डॉल्फिन इकोलोकेशन के लिए विशेष रूप से विकसित अत्यधिक विकसित चेहरे की शिखाओं जैसी साझा विशेषताओं का प्रदर्शन करती हैं।
- इसके पूर्वज मूल रूप से समुद्री स्तनधारी थे जो झीलों और दलदलों की पेबास प्रणाली में पनपते हुए प्रोटो-अमेजोनिया में मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनुकूलित हुए थे।
- पेबनिस्टा याकुरुना के पास नेविगेशन और शिकार का पता लगाने के लिए अत्यधिक विकसित इकोलोकेशन क्षमताएं थीं।

साउंड लेजर

हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व चमकीला साउंड लेजर बनाया है जो प्रकाश के बजाय ध्वनि के कणों को शूट करता है।

साउंड लेजर के बारे में:

- साउंड लेजर एक पारंपरिक प्रकाश लेजर के समान है जो लेजरों में प्रकाश के प्रवर्धन के समान, विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन (एसएएसईआर) द्वारा ध्वनि प्रवर्धन के सिद्धांतों का उपयोग करता है।
- SASER तकनीक पहली बार 2009 में विकसित की गई थी जो ध्वनि की फेरबदल के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुई।
- यह एक नई लेजर तकनीक है जो सिलिका बीड को ऊपर उठाने और फोनन बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों का उपयोग करती है। ये ध्वनि के कण-जैसे टुकड़े होते हैं।
- यह उत्तोलन प्रवर्धित फोनन के उत्पादन की ओर ले जाता है जिससे ध्वनि लेजर किरण बनती है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय ने सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया है।
2. जनवरी 2024 में आठ प्रमुख उद्योगों की विकास दर गिरकर 3.6% पर आ गई जो 15 महीने का निचला स्तर है।
3. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा 'कोयला रसद योजना और नीति' पहल शुरू की गई।
4. 29 फरवरी 2024 को चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) 2023 का गुवाहाटी में समापन हुआ।
5. पीएम मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मॉरीशस के अगालीगा द्वीप में विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
6. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,021 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी।
7. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जेवी और महाजेनको के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ।
8. वित्त सचिव टीवी सोमनाथन यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर (केवाईसी) पर समिति का नेतृत्व करेंगे।
9. सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने के तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी।
10. ओडिशा सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया।
11. आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत पांच करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है।
12. कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलोनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
13. 1 मार्च को मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार चापचर कुट पूरे राज्य में पारंपरिक उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया।
14. एफआईयू-इंड ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
15. पीएम मोदी ने औरंगाबाद और बेगुसराय में आयोजित कार्यक्रमों में बिहार में कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया।
16. भारत द्वारा 'एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वैलिटी' शुरू किया गया है।
17. 1 मार्च को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने धर्म पथ का शिलान्यास किया।
18. डीआरडीओ द्वारा बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
19. आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
20. केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने प्रोजेक्ट ओडीआईसर्व लॉन्च किया।
21. 3 मार्च को शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने।
22. पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर लार्सन एंड टुब्रो (L-T) द्वारा गुजरात के हजीरा में हरित हाइड्रोजन संयंत्र में चालू किया गया।
23. भारत और मलेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया।
24. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया।
25. लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने मुंबई में 'स्वैलोइंग द सन-Swallowing the Sun' नामक अपनी पुस्तक लॉन्च की।
26. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफकनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया।
27. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली बार मेड-इन-इंडिया एएसटीडीएस टग राष्ट्र को समर्पित किया।
28. लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन डीपीआईआईटी और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
29. फ्रांस संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला पहला देश बन गया।
30. स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार (हरियाणा) में किया गया है।
31. बी. साई प्रणीत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है।
32. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयुष-आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया।
33. इंटरनेट बैंकिंग के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों की इंटरऑपरेबिलिटी 2024 में लॉन्च की जाएगी।
34. केई पनयोर (Keyi Panyor) अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया।
35. केरल ने भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

36. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया।
37. चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने कटक रूपा ताराकासी (सिल्वर फिलिग्री) को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया है।
38. पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया।
39. पुनेरी पल्टन ने पीकेएल सीजन 10 का खिताब जीता।
40. विश्व बैंक समूह द्वारा 'महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024' रिपोर्ट जारी की गई है।
41. 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने पहला पुरस्कार जीता।
42. एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 3.1% होने की उम्मीद है।
43. छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने वाली कंपनी है।
44. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए 'ई-किसान उपज निधि' लॉन्च की।
45. रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग का 'नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
46. खेलो इंडिया के एथलीटों को अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र बना दिया गया है।
47. डॉ. एस जयशंकर ने सियोल में 10वीं भारत-दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
48. महिला दिवस पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया।
49. स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है।
50. जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है।
51. कर्नाटक और विश्व आर्थिक मंच ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया।
52. आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने।
53. देवेन्द्र झाझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है।
54. ओपेनहाइमर को ऑस्कर में छह पुरस्कार मिले जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिलियन मर्फी, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए क्रिस्टोफर नोलन प्रमुख हैं।
55. भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन गया है।
56. सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता।
57. नेपाल की फोनेपे भुगतान सेवा और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
58. केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू कर दिया है।
59. एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
60. वडोदरा नगर निगम द्वारा एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बांड जारी किया गया है।
61. संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिकों के लिए एक नवीन बीमा योजना शुरू की गई है।
62. अश्विनी वैष्णव ने 2.4 टीबीपीएस क्षमता वाला भारत का सबसे तेज राउटर लॉन्च किया।
63. उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सीएम योगी द्वारा 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA)' योजना शुरू की गई।
64. रिकेन यामामोटो ने प्रित्जकर पुरस्कार 2024 जीता।
65. पीएम मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ में 'महतारी वंदना योजना' शुरू की गई है।
66. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सी-डैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचरलैब्स केंद्र का उद्घाटन किया।
67. जनवरी में 5.1% की तुलना में फरवरी में मुद्रास्फीति 5.09% पर स्थिर रही।
68. अमिताव घोष ने इरास्मस पुरस्कार 2024 जीता है।

69. केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई।
70. 7 मार्च से 10 मार्च तक 'गोरसम कोरा महोत्सव' अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में मनाया गया।
71. 11 मार्च, 2024 को किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष का पदभार संभाला।
72. पीएम नरेंद्र मोदी ने 205 रेलवे स्टेशनों पर 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (OSOP) स्टॉल का उद्घाटन किया।
73. नौसेना अभ्यास 'कटलैस एक्सप्रेस' - 24 पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स में आयोजित किया गया।
74. खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
75. भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
76. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ई-परिवहन संवर्द्धन योजना 2024) की घोषणा की गई है।
77. भारत ने अहमदाबाद के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
78. भारत-इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
79. एमएसआईएल की भारत की पहली ऑटो इन-प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का पीएम मोदी ने अनावरण किया।
80. जस्टिस सत्येन्द्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है।
81. थाईलैंड में आठ आँखों और पैरों वाली एक नई बिच्छू प्रजाति की खोज की गई है।
82. भारतीय वायु सेना (आईएएफ) 1-10 अप्रैल तक गगन शक्ति-2024 अभ्यास किया।
83. पीआर श्रीजेश और कैमिला कैरम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नई एफआईएच एथलीट समिति के सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
84. यूएनईपी और डब्ल्यूआरएपी ने संयुक्त रूप से खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी की।
85. फ्रांस बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बनने वाला है।
86. गिफ्ट आईएफएससी को 'ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब' के रूप में विकसित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा आईएफएससीए को रिपोर्ट सौंपी गई।
87. एस. रमन ने 'फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड' नामक पुस्तक लिखी है।
88. फरवरी 2023 के सूचकांक की तुलना में फरवरी 2024 में आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 6.7% (अनंतिम) बढ़ गया।
89. आर्मेनियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल और भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय बैठक की।
90. संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए भारत द्वारा एक डेटाबेस लॉन्च किया गया।
91. हंसा मिश्रा (आईए एंड एएस) को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया।
92. न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली।
93. सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
94. कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है।
95. चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट का नाम 'शिव शक्ति' को आईएयू द्वारा मंजूरी दी गई है।
96. भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान 'ऑपरेशन संकल्प' 23 मार्च को समाप्त हो गया।
97. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और मानव विकास संस्थान (आईएचडी) ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की है।
98. अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है।
99. डब्ल्यूटीटी फीडर बेरूत II 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब श्रीजा अकुला ने जीता।
100. इसरो के POEM-3 मिशन द्वारा शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा किया गया।

प्री स्पेशल- विविध

विषय सूची

- ☑ रिपोर्ट और सूचकांक
- ☑ प्रमुख पुरस्कार
- ☑ भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए प्रमुख ऑपरेशन
- ☑ चर्चा में रहे प्रमुख व्यक्तित्व
- ☑ चर्चित स्थान
- ☑ महत्त्वपूर्ण विज्ञान शब्दावली
- ☑ भारत में खेती की तकनीक
- ☑ महत्त्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली
- ☑ महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन
- ☑ महत्त्वपूर्ण समितियां
- ☑ प्रमुख देशों के साथ युद्धाभ्यास

रिपोर्ट और सूचकांक

विश्व बैंक:
- प्रेषण रिपोर्ट
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक
- सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक
- जीवन सुगमता सूचकांक
- वैश्विक आर्थिक संभावना (जीईपी) रिपोर्ट
- विश्व विकास रिपोर्ट

विश्व आर्थिक मंच:
- वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट
- वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट
- मानव पूंजी रिपोर्ट
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
- यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक
- वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट
- समावेशी वृद्धि एवं विकास रिपोर्ट
- पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए):
- विश्व ऊर्जा आउटलुक (WEO)
- 2050 तक नेट जीरो: वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक रोडमैप

अंकटाड:
- प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट
- विश्व निवेश रिपोर्ट
- सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट
- व्यापार एवं विकास रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र पर्यावास
- विश्व शहरों की रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन:
- विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक
- वैश्विक वेतन रिपोर्ट
- विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम:
- उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट
- वैश्विक पर्यावरण आउटलुक

खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट:
- विश्व वन स्थिति रिपोर्ट

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन:
- विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट (डब्ल्यूआईपीआर)

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई):
- वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स:
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम):
- लैंगिक असमानता सूचकांक

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ):
- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र-सतत विकास समाधान नेटवर्क (एसडीएसएन):
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:
- औद्योगिक विकास रिपोर्ट

नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी):
- विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को):
- वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट
- लैंगिक समानता सूचकांक

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल:
- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
- वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट (जीसीआर)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ):
- परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस):
- वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट

वित्तीय कार्यवाही कार्य बल (एफएटीएफ):
- वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ):
- विश्व आर्थिक आउटलुक
- वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

आर्थिक विकास संगठन (ओईसीडी):
- अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए)

प्रमुख पुरस्कार

साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2023:
- अंग्रेजी लेखिका नीलम सरन गौड़ और हिंदी उपन्यासकार संजीव सहित चौबीस लेखकों को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार साहित्यिक कार्यों के लिए दिए गए जिनमें कविता की नौ पुस्तकें, छह उपन्यास, लघु कथाएँ की पाँच, तीन निबंध और एक साहित्यिक कृतियाँ शामिल हैं।
- साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी।
- यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है
- यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है।
- साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।
- साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता आर.के. नारायण थे जिन्हें 1960 में उनके उपन्यास 'द गाइड' के लिए पुरस्कार दिया गया था।

इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023:
- 2023 के शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से डैनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अव्वाद को इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान में इजराइल और अरब दुनिया के लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों हेतु प्रदान किया गया है।
- भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023:
- चिराग चन्द्रशेखर शेट्टी - बैडमिंटन
- रंकीरेड्डी सात्विक साई राज - बैडमिंटन
- 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
- इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-1992 में हुई थी। इसकी पुरस्कार राशि 25 लाख रुपये है।

नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023:
- स्वाति नायक को रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले फील्ड रिसर्च और एप्लिकेशन के लिए नॉर्मन ई. बोरलॉग पुरस्कार 2023 के रूप में नामित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए प्रमुख ऑपरेशन

- सूडान में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अप्रैल 2023 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया।
- भारत सरकार द्वारा 2022 में ऑपरेशन गंगा द्वारा यूक्रेन से भारतीयों

को निकाला गया।

- अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 2021 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया।
- भारत सरकार द्वारा 2020 में कोरोना वायरस के बीच विदेश में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया।
- कोरोना वायरस के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया।
- यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया गया।
- भूकंप के बाद नेपाल की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था।

चर्चा में रहे प्रमुख व्यक्तित्व

- कैप्टन गीतिका कौल दिसंबर 2023 में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं।
- दिसंबर 2023 में कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान (मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना) से सम्मानित किया गया।
- कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक बनीं।
- 13 दिसंबर 2023 को अरुंधति रॉय को पी. गोविंदा पिल्लई मेमोरियल नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- कैप्टन फातिमा वाशिम सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनीं।
- पोलैंड की संसद ने मध्यमार्गी नेता डोनाल्ड टस्क को प्रधानमंत्री चुना है।
- नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की पहली महिला महानिदेशक बनीं।
- डॉ. सवीरा प्रकाश पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) के प्रांतीय चुनाव में भाग लेने वाली अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की पहली महिला बन गई हैं।
- साइमा वाजेद को 1 नवंबर, 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया था।
- शीतल महाजन 13 नवंबर, 2023 को माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूदने वाली दुनिया की पहली महिला बनीं।
- शकुंतला भाया को 15 नवंबर, 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

चर्चित स्थान

कोझिकोड और ग्वालियर:

- केरल के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने क्रमशः साहित्य व संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को की प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में जगह बनाई है।

कोंगथोंग गांव:

- विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के 'कोंगथोंग गांव' ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, 2023 में 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023' (कांस्य) का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

भायखला रेलवे स्टेशन:

- मुंबई में स्थित ऐतिहासिक भायखला रेलवे स्टेशन को प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया-प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला।

जांजीबार:

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने अक्टूबर 2023 में तंजानिया के जांजीबार में अपना पहला विदेशी परिसर खोला।

भोपाल:

- मध्य प्रदेश का भोपाल संयुक्त राष्ट्र-शासित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है।

हिंगोली:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर को मंजूरी दी।

डेथ वैली में बैडवाटर बेसिन:

- अपनी शुष्क क्षेत्रीय पहचान के विपरीत, डेथ वैली में बैडवाटर बेसिन ने लंबी अवधि के लिए एक अल्पकालिक झील (लेक मैनली) को समायोजित किया है।

अरल सागर:

- नासा ने एक रिपोर्ट में बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अरल सागर का विनाश तेजी से हो रहा है।

सीन नदी:

- 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर आयोजित किया जाएगा।

रेटबा झील:

- रेटबा झील को प्रदूषण और खनन के प्रभाव के कारण लुप्त होने का खतरा है।

जेमिथांग:

- 'नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन' 17 अप्रैल, 2023 को गोरसमस्तूप, जेमीथांग, तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में भारतीय हिमालयी बौद्ध परंपरा परिषद द्वारा आयोजित किया गया था।

ओगास्वरा द्वीप शृंखला:

- हाल ही में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जापान की ओगास्वरा द्वीप शृंखला के पास एक नए द्वीप का निर्माण हुआ।
- ओगासावारा द्वीप समूह (जिसे बोनिन द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है) प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों की एक शृंखला है जो लगभग 1000 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और प्रशासनिक रूप से टोक्यो का हिस्सा है।

बेलगोरोड क्षेत्र:

- रूस की वायु रक्षा प्रणालियों ने सीमा के पास बेलगोरोड क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा प्रक्षेपित 12 मिसाइलों को नष्ट कर दिया।

उबिनास ज्वालामुखी:

- पेरू सरकार ने उबिनास ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण मोकेगुआ के दक्षिणी भाग में 60 दिनों की आपात स्थिति की घोषणा की।

लिथियम त्रिकोण:

- लिथियम ट्राइएंगल एंडीज का एक क्षेत्र है जो लिथियम भंडार से समृद्ध है और अर्जेंटीना, बोलीविया व चिली की सीमाओं से घिरा हुआ है।

सोमालीलैंड का बर्बेरा बंदरगाह:

- इथियोपिया ने शिपिंग के लिए सोमालीलैंड के अलग हुए क्षेत्र में बर्बेरा बंदरगाह का उपयोग करने हेतु एक ऐतिहासिक समझौता किया है।

अफार त्रिकोण:

- अफ्रीकी महाद्वीप अफार त्रिभुज (जिसे अफार डिप्रेशन भी कहा जाता है) में एक महत्त्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटना से गुजर रहा है जिससे एक नए महासागर का निर्माण हो सकता है। यह घटना क्षेत्र में विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम माना जा रहा है।

टिटिकाका झील:

- विशेषज्ञों ने पाया है कि टिटिकाका झील जलवायु परिवर्तन के कारण संकुचित हो रही है। एंडीज पर्वत में पेरू और बोलीविया के बीच की सीमा पर फैली टिटिकाका झील, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक होने के अतिरिक्त दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य जलराशि है।

तुवालू:

- डूबते हुए देश तुवालु ने शरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये। तुवालु, दक्षिण प्रशांत में, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत एक स्वतंत्र द्वीपीय राष्ट्र है।

कोकोस (कीलिंग) द्वीप समूह:

- भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के विमानों ने कोकोस द्वीप का दौरा किया। कोकोस (कीलिंग) द्वीप हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया का एक सुदूर क्षेत्र है।

कुरील द्वीप समूह:

- कुरील द्वीप समूह में रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। कुरील द्वीप समूह एक ज्वालामुखीय द्वीपसमूह है जो रूसी सुदूर पूर्व में सखालिन ओब्लास्ट के हिस्से के रूप में प्रशासित है।

अंगोला:

- हाल ही में अंगोला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) को छोड़ दिया। अंगोला अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है।

एस्सेक्विबो क्षेत्र:

- एस्सेक्विबो क्षेत्र में गुयाना का लगभग पश्चिमी दो-तिहाई हिस्सा शामिल है, जिस पर वेनेजुएला भी दावा करता है। गुयाना-वेनेजुएला विवाद एस्सेक्विबो क्षेत्र को लेकर गुयाना और वेनेजुएला के बीच चल रहा क्षेत्रीय विवाद है।

अवदीवका और रोबोटिन:

- रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर अवदीवका और दक्षिणी गांव रोबोटिन पर तीव्र हमले किया।

गिनी की खाड़ी:

- भारतीय नौसेना ने अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में दूसरी समुद्री डकैती रोधी गश्त पूरी की। गिनी की खाड़ी, गैबॉन में केप लोपेज से लेकर उत्तर और पश्चिम लाइबेरिया में केप पालमास तक उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तरपूर्वी हिस्सा है।

लाल सागर:

- गैलेक्सी लीडर नामक भारत जाने वाले मालवाहक जहाज को यमन के बंदरगाह शहर होदेइदा और इरिट्रिया के तट के पास लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। लाल सागर हिंद महासागर का एक समुद्री प्रवेश द्वार है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। समुद्र से इसका संबंध दक्षिण में बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से है।

महत्त्वपूर्ण विज्ञान शब्दावली

कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों, विशेषकर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव इंटेलिजेंस प्रक्रियाओं का अनुकरण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मशीनों या सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता है और कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो मानव जैसी बुद्धि वाली मशीनें व सॉफ्टवेयर विकसित करती है। एआई अनुसंधान के केंद्रीय कार्यों (या लक्ष्यों) में तर्क, ज्ञान, योजना, सीखना, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (संचार), धारणा और वस्तुओं को स्थानांतरित करने की क्षमता शामिल है।

3डी प्रिंटिग:

- 3डी प्रिंटिंग (जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है) को जेरेमी रिफकिन ने तीसरी औद्योगिक क्रांति के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया है।
- इंटरनेट प्रौद्योगिकी के साथ संयुक्त 3डी प्रिंटिंग (जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है) कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करके परत-दर-परत तीन आयामी वस्तु बनाने की एक विधि है।

जीन थेरेपी:

- जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जो बीमारी का इलाज करने के लिए किसी व्यक्ति के जीन को संशोधित करती है। एडेनोसिन डेमिनमिनस की कमी के लिए जीन थेरेपी को पहली बार 1990 के अंत/1991 की शुरुआत में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था।

नैनोटेक्नोलॉजी:

- नैनोटेक्नोलॉजी विज्ञान और इंजीनियरिंग की उस शाखा को संदर्भित करती है जो नैनोस्केल पर परमाणुओं व अणुओं में हेरफेर करके संरचनाओं, उपकरणों और प्रणालियों को डिजाइन करने, उत्पादन करने तथा उपयोग करने के लिए समर्पित है।
- प्रौद्योगिकी चिकित्सा, उपभोक्ता उत्पाद, ऊर्जा, सामग्री और विनिर्माण जैसे कई क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति का वादा करती है।
- नैनोटेक्नोलॉजी लागत कम करने के साथ ही मजबूत और हल्के उत्पादों का उत्पादन करती है जिससे ईंधन दक्षता में सुधार होता है।

स्टेम-सेल थेरेपी:

- स्टेम-सेल थेरेपी किसी बीमारी या स्थिति के इलाज या रोकथाम के लिए स्टेम सेल का उपयोग करती है। इसमें क्षतिग्रस्त ऊतकों की जगह नई वयस्क स्टेम कोशिकाओं का विकास किया जाता है। कई चिकित्सा शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टेम सेल उपचार में मानव रोग को खत्म करने की क्षमता है।

सीएआरटी-सेल थेरेपी:

- यह एक प्रकार का उपचार है जिसमें रोगी की टी कोशिकाओं (एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका) को प्रयोगशाला में बदल दिया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं से जुड़कर उन्हें मार दें। सीएआर टी कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं पर एक एंटीजन से जुड़ने और उन्हें मारने में सक्षम होती हैं।

डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन:

- डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) परिसंपत्तियों के लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल प्रणाली है जिसमें लेनदेन और उनके विवरण एक ही समय में कई स्थानों पर दर्ज किए जाते हैं। पारंपरिक डेटाबेस के विपरीत, वितरित लेजर में कोई केंद्रीय डेटा स्टोर या प्रशासन कार्यक्षमता नहीं होती है।

समुद्री जल ग्रीनहाउस:

- यह एक ग्रीनहाउस संरचना है जो शुष्क क्षेत्रों में फसलों की वृद्धि और ताजे पानी के उत्पादन को सक्षम बनाती है। यह पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। यह वैश्विक जल की कमी और नमक-संक्रमित मिट्टी के समाधान में सक्षम है।

तकनीकी विलक्षणता:

- यह समय का एक काल्पनिक बिंदु है जिस पर तकनीकी विकास अनियंत्रित और अपरिवर्तनीय हो जाता है जिससे मानव सभ्यता में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं।

एक्सास्केल कंप्यूटिंग:

- एक्सास्केल कंप्यूटिंग सुपरकंप्यूटिंग का एक नया स्तर है जो अभिसरण मॉडलिंग, सिमुलेशन, एआई और एनालिटिक्स के व्यापक कार्यभार का समर्थन करने के लिए प्रति सेकंड कम से कम एक एक्साफ्लॉप फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने में सक्षम है।

LiFi:

- LiFi एक दृश्यमान प्रकाश संचार प्रणाली है जो बहुत तेज गति से वायरलेस इंटरनेट संचार प्रसारित करती है। प्रौद्योगिकी एक एलईडी लाइट बल्ब से प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित करती है। LiFi ट्रांसमिशन की गति 100 Gbps से अधिक हो सकती है जो WiGig से 14 गुना तेज है जिसे दुनिया का सबसे तेज वाईफाई भी कहा जाता है।

रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी):

- रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) एक वायरलेस सिस्टम को संदर्भित करता है जिसमें दो घटक 'टैग और रीडर' शामिल होते हैं। रीडर एक उपकरण है जिसमें एक या अधिक एंटेना होते हैं जो रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं और आरएफआईडी टैग से सिग्नल वापस प्राप्त करते हैं।
- इसका उपयोग आपूर्ति श्रृंखला के साथ वस्तुओं पर नजर रखने से

लेकर पुस्तकालय से चेक की गई वस्तुओं पर नजर रखने तक कई वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है।

क्वांटम कम्प्यूटिंग:

- क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है जो क्वांटम के सिद्धांतों का उपयोग करता है। क्वांटम सिद्धांत परमाणु और उपपरमाण्विक स्तरों पर ऊर्जा तथा सामग्री के व्यवहार की व्याख्या करता है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग उपपरमाण्विक कणों, जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन का उपयोग करती है। क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स, इन कणों को एक ही समय में एक से अधिक अवस्थाओं (अर्थात 1 और 0) में मौजूद रहने की अनुमति देते हैं।
- क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा, वित्त, सैन्य मामले और खुफिया, दवा डिजाइन तथा खोज, एयरोस्पेस डिजाइनिंग, उपयोगिताओं (परमाणु संलयन), पॉलिमर डिजाइन, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), बिग डेटा खोज और डिजिटल के क्षेत्र में बहुत योगदान दे सकती है।

क्वांटम क्रिप्टोग्राफी:

- क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एन्क्रिप्शन की एक विधि है जो डेटा को सुरक्षित और प्रसारित करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के स्वाभाविक रूप से होने वाले गुणों का उपयोग करती है जिसे हैक नहीं किया जा सकता है।
- क्रिप्टोग्राफी डेटा को एन्क्रिप्ट और संरक्षित करने की प्रक्रिया है ताकि केवल वहीं व्यक्ति जिसके पास सही गुप्त कुंजी हो, वह इसे डिक्रिप्ट कर सके।

इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी:

- इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता को पूर्ण रूप से कंप्यूटर जनित दुनिया का अनुभव कराना है जिससे उपयोगकर्ता को यह आभास हो कि उन्होंने सिंथेटिक दुनिया के 'अंदर कदम रखा है'। इसे या तो हेड-माउंटेड डिस्प्ले (एचएमडी) या एकाधिक अनुमानों की प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके किया जाता है।

संवर्धित वास्तविकता:

- संवर्धित वास्तविकता एक इंटरैक्टिव अनुभव है जिसमें वास्तविक दुनिया के वातावरण को कंप्यूटर-जनित दृश्य तत्वों, ध्वनियों और अन्य उत्तेजनाओं के साथ बढ़ाया जाता है। यह उपयोगकर्ता को अन्यथा अनुभव की तुलना में एक उन्नत, अधिक गहन अनुभव प्रदान कर सकता है जो उपयोगकर्ता के आनंद या समझ को बढ़ाता है।

आभासी वास्तविकता:

- आभासी वास्तविकता एक उद्दीपन (सिमुलेशन) अनुभव है जो उपयोगकर्ता को आभासी दुनिया का एक गहन अनुभव देने के लिए पोज अनुवर्तन (ट्रैकिंग) और 3D नियर-आई डिस्प्ले (नेत्र-निकट प्रदर्श) का उपयोग करता है।

4डी प्रिंटिंग:

- 4डी प्रिंटिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक 3डी प्रिंटेड वस्तु बाहरी ऊर्जा इनपुट जैसे तापमान, प्रकाश या अन्य पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के प्रभाव में खुद को एक अन्य संरचना में बदल देती है।

संभावित अनुप्रयोग:

- स्व-मरम्मत पाइपिंग प्रणाली
- स्व-संयोजन फर्नीचर

क्रायोजेनिक उपचार:

- क्रायोजेनिक उपचार अवशिष्ट तनाव को दूर करने और स्टील तथा एल्यूमीनियम जैसे अन्य धातु मिश्र धातुओं में लगाये गए लेप के प्रतिरोध में सुधार करने के लिए वर्कपीस को क्रायोजेनिक तापमान (आमतौर पर लगभग(300°F–310 °F) तक उपचारित करने की प्रक्रिया है। क्रायोजेनिक उपचार मिश्रधातु, धातु, कार्बाइड, पॉलिमर, कंपोजिट और सिरेमिक जैसी कई सामग्रियों पर लागू होता है।

कार्बन नैनोट्यूब:

- कार्बन नैनोट्यूब शुद्ध कार्बन के लंबे और पतले अणु होते हैं जो ट्यूब के आकार के होते हैं। व्यक्तिगत अणुओं के रूप में नैनोट्यूब स्टील से 100 गुना अधिक मजबूत होते हैं और इसका वजन इसका छठा हिस्सा होता है।

उपयोग:

- ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन-क्षेत्र उत्सर्जक, रासायनिक/इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर, बायोसेंसर, लिथियम-आयन बैटरी, हाइड्रोजन भंडारण सेल, सुपरकैपेसिटर और विद्युत परिरक्षण उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है।

ग्राफीन:

- ग्राफीन कार्बन का एक अपररूप है जिसमें हेक्सागोनल नैनोस्ट्रक्चर में व्यवस्थित परमाणुओं की एक परत होती है। अपने असाधारण यांत्रिक, विद्युत और तापीय गुणों के कारण ग्राफीन के संभावित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत शृंखला है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा भंडारण, सेंसर, कोटिंग्स, कंपोजिट, बायोमेडिकल उपकरणों आदि में किया जाता है।

चुंबकीय नैनोकण:

- यह नैनोकणों का एक वर्ग है जिसे चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके हेरफेर किया जा सकता है। ऐसे कणों में आमतौर पर दो घटक

होते हैं। एक चुंबकीय सामग्री जिसमें लोहा, निकल और कोबाल्ट आता है और दूसरा रासायनिक घटक जिसमें कार्यक्षमता होती है।

- चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग पृथक्करण प्रक्रियाओं में चुंबकीय वाहक के रूप में आणविक पहचान घटनाओं का पता लगाने के लिए बायोसेंसर और चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग हेतु कंट्रास्ट एजेंटों के रूप में किया जाता है।

क्वांटम डॉट्स (क्यूडी):

- क्वांटम डॉट्स (क्यूडी) मानव निर्मित नैनोस्केल क्रिस्टल होते हैं जो अद्वितीय ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुणों का प्रदर्शन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों को परिवहन करने तथा यूवी प्रकाश के संपर्क में आने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता शामिल है। इनमें संभावित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें कंपोजिट, सौर सेल, फ्लोरोसेंट जैविक लेबलिंग, डिस्प्ले, प्रकाश व्यवस्था और चिकित्सा इमेजिंग में उपयोग शामिल है।

सिलिसीन:

- सिलिसीन सिलिकॉन का एक द्वि-आयामी अलॉट्रोप है जिसमें हेक्सागोनल संरचना होती है। ट्रांजिस्टर से लेकर फोटोडिटेक्टर तक कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डिजाइन करने के लिए सिलिसीन का उपयोग किया जाता है।

आनुवंशिक प्रदूषण:

- आनुवंशिक प्रदूषण जंगली आबादी में अनियंत्रित जीन प्रवाह के लिए एक शब्द है। इसे आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए जीवों से प्राकृतिक जीवों में दूषित परिवर्तित जीन के फैलाव के रूप में परिभाषित किया गया है। यह गैर-लक्ष्य जीवों को प्रभावित करके पारिस्थितिक तंत्र को भी बदल सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक वस्त्र:

- इलेक्ट्रॉनिक वस्त्र पारंपरिक कपड़ों और रेशों को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ते हैं। ई-टेक्सटाइल्स डेटा के हस्तांतरण को सक्षम करते हैं जिसमें गर्मी, प्रकाश, गति और अन्य स्थानीय स्थितियों पर सेंसर डेटा शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकीकृत वस्त्र मुख्य रूप से पहनने योग्य कंप्यूटिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं जिसके कई अन्य अनुप्रयोग भी हैं।

स्मार्ट कपड़ा:

- स्मार्ट टेक्सटाइल या स्मार्ट फैब्रिक, एक ऐसा कपड़ा है जो बाहरी उत्तेजनाओं (गर्मी, रसायन, चुंबकत्व या यांत्रिक उत्तेजना) पर प्रतिक्रिया करता है लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक हो। स्मार्ट टेक्सटाइल का एक उदाहरण जो 'ई-टेक्सटाइल' की परिभाषा को पूरा नहीं करता है, वह थर्मोक्रोमिक फैब्रिक है। यह ऐसा कपड़ा है जो तापमान के अनुसार अपना रंग बदलता है।

जीनोम संपादन:

- जीनोम संपादन किसी कोशिका या जीव के डीएनए में विशिष्ट परिवर्तन करने की एक विधि है।

भारत में खेती की तकनीक

आदिम खेती:

- इस प्रकार की खेती में, एक किसान अपने परिवार के सदस्यों की मदद से सरल उपकरणों और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करके भूमि पर खेती करता है। आदिम निर्वाह खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि या झूम खेती भी कहा जाता है।

निर्वाह कृषि:

- निर्वाह खेती कृषि का एक रूप है जहां लगभग सभी उपज परिवार को खिलाने और समर्थन करने के लिए जाती है। यह एक प्रकार की कृषि है जिसमें किसान अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल पैदा करता है और जानवरों को पालता है, न कि बाजार के लिए।

वाणिज्यिक खेती:

- यह तकनीक एक आधुनिक कृषि पद्धति है जहां किसान अधिशेष लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के नए-पुराने उपकरणों का उपयोग करते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि उगाई जाने वाली फसलें भूमि के बड़े टुकड़ों में फैली होती हैं।

वृक्षारोपण खेती:

- वृक्षारोपण कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है जहाँ भूमि के एक बड़े क्षेत्र पर एक ही फसल उगाई जाती है। वृक्षारोपण आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां की जलवायु नकदी फसलें, जैसे कॉफी, चाय, गन्ना और रबर उगाने के लिए उपयुक्त है। उगाई जाने वाली फसलों की प्रकृति के कारण इसमें कृषि और उद्योग दोनों शामिल हैं।

एरोपोनिक्स प्रणाली:

- एरोपोनिक्स वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों को मिट्टी के उपयोग के बिना हवा या धुंध वाले वातावरण में उगाया जाता है। यह हाइड्रोपोनिक्स का सबसेट है जिसमें पौधे की जड़ को हवा में लटका दिया जाता है। यह हाइड्रोपोनिक्स से भिन्न है जहां पौधों की जड़ें पानी और पोषक तत्वों के घोल में डूबी होती हैं।

एक्वापोनिक्स:

- एक्वापोनिक्स पौधों और मछलियों के बीच एक सहयोग है जो पौधों को ग्रो बेड में उगाया जाता है और मछलियों को मछली टैंक

में रखा जाता है। मछली टैंक पोषक तत्वों से भरपूर पानी है जिसमें मछली का अपशिष्ट होता है।

हाइड्रोपोनिक्स:

- हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बजाय पानी आधारित पोषक तत्व समाधान का उपयोग करके पौधे उगाने की तकनीक है। इस प्रक्रिया में खनिज युक्त पानी के घोल सहित पोषक तत्वों का उपयोग करके ठोस माध्यम को शामिल किए बिना स्वस्थ पौधों को उगाना शामिल है।

शून्य-बजट प्राकृतिक खेती:

- भारत सरकार ने बजट 2019-20 में शून्य-बजट प्राकृतिक खेती का पेश किया। इसका प्रचार सबसे पहले सुभाष पालेकर ने किया था। शून्य-बजट प्राकृतिक खेती न तो रसायन युक्त है और न ही जैविक है। इसका उद्देश्य रासायनिक और निर्मित इनपुट से परहेज करके किसानों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक उत्पादों पर भरोसा करने के लिए इनपुट लागत को शून्य तक कम करना है।

मिश्रित फसल:

- मिश्रित फसल या विविध फसल में एक ही समय में एक खेत में दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। यदि संयोग से एक फसल विफल हो जाती है, तो दूसरी फसलें पूरी फसल विफलता के जोखिम को कवर कर सकती हैं। विविध या मिश्रित फसल पद्धतियों में अपनाई जाने वाली विभिन्न योजनाएँ हैं:
  - » बहुभिन्नरूपी खेती जहां एक ही फसल की कई आनुवंशिक किस्में लगाई जाती हैं।
  - » अंतरफसल जहां दो या दो से अधिक अलग-अलग फसलें एक साथ उगाई जाती हैं।
  - » पॉलीकल्चर (जिसमें विभिन्न समय पर परिपक्व होने वाले विभिन्न पौधों को एक साथ लगाया जाता है) का प्रयोग करना।

मिश्रित खेती:

- मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुधन पालना दोनों शामिल होते हैं। एक ही कृषि कार्य में फसलों और पशुधन को एकीकृत करके इष्टतम विविधता प्राप्त की जा सकती है।

फैक्टरी खेती:

- फैक्टरी खेती बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन की एक विधि है जिसमें सर्वोत्तम संभव लाभ प्राप्त करने के लिए जानवरों को बहुत सीमित क्षेत्रों में रखा जाता है।
- यह खेती विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय विकसित देशों में केंद्रित है।

खड़ी खेती:

- ऊर्ध्वाधर खेती खड़ी परतों में फसल उगाने की प्रथा है। इसमें अक्सर नियंत्रित-पर्यावरणीय कृषि को शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य पौधों की वृद्धि को अनुकूलित करना और हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स व एरोपोनिक्स जैसी मिट्टी रहित कृषि तकनीकों को शामिल करना है। ऊर्ध्वाधर कृषि प्रणालियों को रखने के लिए संरचनाओं के कुछ सामान्य विकल्पों में इमारतें, शिपिंग कंटेनर, सुरंगें और परित्यक्त खदान शाफ्ट शामिल हैं।

महत्त्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली

अप्रत्याशित लाभ:

- यह आय में एक अप्रत्याशित लाभ है जो लॉटरी जीतने, अप्रत्याशित विरासत या आपूर्ति की कमी के कारण हो सकता है। अप्रत्याशित लाभ प्रकृति में क्षणिक होते हैं।

बेरोजगारी जाल:

- बेरोजगारी जाल वह स्थिति है जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करते हैं। लोगों को काम पर जाने की अवसर लागत बहुत अधिक लगती है जबकि कोई बिना कुछ किए केवल लाभों का आनंद ले सकता है।

वास्तविक लागत अर्थशास्त्र:

- वास्तविक लागत अर्थशास्त्र एक आर्थिक मॉडल है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी नकारात्मक बाह्यताओं की लागत शामिल होती है।

बैंक रन:

- किसी संकट में, बैंक जमाकर्ताओं को संदेह होने लग सकता है कि उन्हें अपना पैसा वापस मिलेगा या नहीं, इसलिए वे इसे वापस लेने की मांग करते हैं। चूंकि बैंकों ने यह पैसा उधार दिया है, इसलिए उनके लिए सभी जमाकर्ताओं को तुरंत चुकाना असंभव है जिससे बैंक विफल हो सकता है।

विल ऑफ एक्सचेंज:

- एक अल्पकालिक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता था। सामान खरीदने वाले विक्रेता को खरीद के मूल्य के बराबर एक हस्ताक्षरित बिल देगा, जिसे विक्रेता बैंकर से भुना सकता है।
- वर्तमान समय में ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक बिल जैसे अल्पकालिक ऋण के लिए बिल एक प्रचलित शब्द है।

क्राउडिंग आउट इफेक्ट:

- यदि सरकार बहुत अधिक उधार लेती है और ब्याज दरें बढ़ाती है, तो निवेशकों के पास व्यवसायों की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती है।
- इस प्रकार निजी फर्म अपनी फर्म को दूसरे गंतव्य पर स्थानांतरित कर देती हैं जिसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाता है।

अवस्फीतिः

- अवस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी होता है। यह समय के साथ किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि दर में मंदी का संकेत करता है।

डिमिनिशिंग रिटर्नः

- घटते रिटर्न का नियम एक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि जैसे-जैसे किसी विशेष क्षेत्र में निवेश बढ़ता है, तो एक निश्चित बिंदु के बाद उस निवेश से लाभ की दर में वृद्धि जारी नहीं रह सकती है, यदि अन्य चर स्थिर रहते हैं।

विदेशी विनिमय दरः

- विदेशी विनिमय दर को किसी अन्य मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा की कीमत के रूप में परिभाषित किया जाता है। विदेशी विनिमय दर का उद्देश्य उनके सापेक्ष मूल्यों को दिखाने के लिए एक मुद्रा की दूसरे से तुलना करना है।

राजकोषीय बाधा (Fiscal Drag):

- राजकोषीय ड्रैग एक आर्थिक शब्द है जिसके तहत मुद्रास्फीति या आय वृद्धि करदाताओं को उच्च कर ब्रैकेट में ले जाती है। यह वास्तव में कर दरों में वृद्धि किए बिना सरकारी कर राजस्व को बढ़ाता है।

फ्लोटेशनः

- यह शब्द तब उपयोग किया जाता है जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में अपने शेयर सूचीबद्ध करती है। इसे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आईपीओ के रूप में भी जाना जाता है।

गिग अर्थव्यवस्थाः

- यह शब्द उन श्रमिकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी नौकरियाँ अंशकालिक या अस्थायी होती हैं और जिनके पास नौकरी की सुरक्षा का अभाव होता है।

गिनी गुणांकः

- आय और धन की असमानता को मापने के लिए डिजाइन किया गया एक संकेतक है। यह शून्य से लेकर (जो पूर्ण समानता को इंगित करता है) एक तक (जो पूर्ण असमानता को दर्शाता है) होता है।

ग्रेट कम्प्रेशनः

- 20वीं सदी के मध्य की अवधि जब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और सीमांत कराधान की उच्च दरों के कारण आय का अंतर कम हो गया था।

महामंदीः

- 1930 के दशक का वह युग जब आर्थिक उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में गिरावट आई। मंदी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिए एक चुनौती थी जिसका मानना था कि बाजार की ताकतें अंततः अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर वापस ले आएंगी।
- इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कीनेसियन अर्थशास्त्र को अपनाया गया।

ग्रेट मॉडरेशनः

- 1980 के दशक के मध्य से 2007 तक की अवधि जब विकसित दुनिया में मंदी दुर्लभ थी, मुद्रास्फीति ज्यादातर कम थी जिसके बाद ब्याज दरों में लगातार गिरावट आने से परिसंपत्ति बाजार बढ़ गए। इस घटना को ग्रेट मॉडरेशन कहते है।

हेयरकटः

- वित्तीय व्यवस्था में हेयरकट किसी परिसंपत्ति के मौजूदा बाजार मूल्य और नियामक पूंजी या ऋण संपार्श्विक की गणना के प्रयोजनों हेतु उस परिसंपत्ति के लिए निर्धारित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

हॉट मनीः

- अर्थशास्त्र में ब्याज दर के अंतर या प्रत्याशित विनिमय दर बदलाव पर अल्पकालिक लाभ कमाने के लिए हॉट मनी एक देश से दूसरे देश में धन का प्रवाह है।

अदृश्य हाथः

- 'अदृश्य हाथ' की अवधारणा का आविष्कार एडम स्मिथ ने किया था। यह उस अदृश्य बाजार शक्ति को संदर्भित करता है जो स्व-रुचि वाले व्यक्तियों के कार्यों द्वारा एक मुक्त बाजार को आपूर्ति और मांग के स्तर के साथ संतुलन बनाता है।

जे-वक्रः

- जे-वक्र प्रभाव उस प्रभाव को संदर्भित करता है जो किसी मुद्रा के अवमूल्यन का किसी देश के व्यापार संतुलन पर पड़ता है।

लाफर वक्रः

- लाफर कर्व अर्थशास्त्र में एक सैद्धांतिक अवधारणा है जो कर दरों और परिणामी सरकारी कर राजस्व के बीच संबंध का प्रस्ताव करती है।

तरलता जालः

- जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा पेश की गई अवधारणा तरलता जाल की

एक ऐसी स्थिति है जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति (पैसे की आपूर्ति में वृद्धि) ब्याज दर, आय में वृद्धि नहीं करती है और इसलिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करती है।

सीमांत लागत:

- किसी चीज की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत। जब उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन की सीमांत लागत उत्पादन की औसत लागत से काफी कम हो सकती है।

मध्य-आय जाल:

- मध्यम-आय का जाल एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां एक मध्यम-आय वाला देश अब मानकीकृत, श्रम-गहन वस्तुओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है क्योंकि मजदूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक है, लेकिन यह व्यापक पैमाने पर उच्च मूल्य वर्धित गतिविधियों में भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है क्योंकि उत्पादकता अपेक्षाकृत बहुत कम है।

मोनोप्सनी:

- मोनोप्सनी में एक प्रमुख खरीददार होता है।

मोरल हजार्ड:

- अर्थशास्त्र में, नैतिक खतरा एक ऐसी स्थिति है जहां एक आर्थिक अभिकर्ता को जोखिम के प्रति अपना जोखिम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि वह उस जोखिम की पूरी लागत वहन नहीं करता है।

नायरू (बेरोजगारी की गैर-त्वरित मुद्रास्फीति दर):

- वेतन वृद्धि और मुद्रास्फीति में अत्यधिक वृद्धि के बिना बेरोजगारी की कम दर हासिल करने को बेरोजगारी की गैर-त्वरित मुद्रास्फीति दर कहते हैं। यह मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा विकसित एक अवधारणा है।

नकारात्मक आयकर:

- गरीबी कम करने के उपाय के रूप में कम आय वाले लोगों को किया जाने वाला भुगतान। यह दृष्टिकोण कल्याणकारी भुगतानों का एक विकल्प हो सकता है।

नवउदारवाद:

- 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगेन द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों को नवउदारवाद नाम दिया गया है। मोटे तौर पर इन सुधारों में कम कर, सार्वजनिक खर्च पर प्रतिबंध, निजीकरण और विनियमन शामिल थे।

फिलिप्स वक्र:

- अर्थशास्त्री विलियम फिलिप्स द्वारा विकसित यह अवधारणा बताती है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी विपरीत रूप से संबंधित हैं जब मुद्रास्फीति अधिक होती है, तो बेरोजगारी कम होती है।

पिगौवियन कर:

- 20वीं सदी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री आर्थर पिगौ के नाम पर रखा गया था। पिगौवियन कर उन गतिविधियों पर लगाया जाता है जिनके नकारात्मक दुष्प्रभाव या बाहरी प्रभाव होते हैं। उदाहरणों में प्रदूषण, तंबाकू या प्लास्टिक बैग की बिक्री पर लगाने वाला कर।

यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण:

- ऐसे प्रयोग जिनमें किसी नीति परिवर्तन को उसके आर्थिक प्रभावों को अलग करने के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित लोगों पर परीक्षण किया जाता है। अधिकांश उदाहरण विकासशील देशों में देखे जाते हैं। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को आरसीटी पर उनके काम के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

रिफ्लेशन:

- यह करों को कम करके या धन आपूर्ति को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने की एक प्रक्रिया होती है।

रेंट सीकिंग:

- रेंट सीकिंग एक आर्थिक अवधारणा है जो तब घटित होती है जब कोई इकाई उत्पादकता के किसी भी पारस्परिक योगदान के बिना धन प्राप्त करना चाहती है।

से का नियम (Say's Rule):

- यह विचार 19वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन-बैप्टिस्ट द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है। से का तात्पर्य व्यक्तिगत उत्पादों के बजाय समग्र मांग से था।

सिग्नियोरेज:

- पैसे के अंकित मूल्य और उसके उत्पादन की लागत के बीच का अंतर।

मुद्रास्फीति जनित मंदी:

- उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी का एक संयोजन।

आपूर्ति और मांग वक्र:

- कुछ विलासिता की वस्तुओं को छोड़कर (जिन्हें वेब्लेन सामान और बहुत ही बुनियादी गिफेन सामान के रूप में जाना जाता है) कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ जाती है, जबकि कीमत गिरने पर मांग बढ़ जाती है।

टोबिन कर:

- टोबिन कर बाजार को स्थिर करने और अटकलों को हतोत्साहित करने हेतु अल्पकालिक मुद्रा व्यापार को दंडित करने के लिए व्यापार पर प्रस्तावित एक शुल्क है।

वेब्लेन गुड्स:

- विलासिता के सामान जिनकी मांग उनकी कीमत के अनुरूप बढ़ती है। इनका नाम थोरस्टीन वेब्लेन के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में 'विशिष्ट उपभोग' की घटना का वर्णन किया था।

अप्रत्याशित कर:

- अप्रत्याशित कर लाभ पर एक उच्च कर दर है जो किसी विशेष कंपनी या उद्योग को अचानक अप्रत्याशित लाभ से प्राप्त होता है।
- सबसे हालिया उदाहरण ऊर्जा कंपनियों पर कर है जब 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उनका मुनाफा बढ़ गया।

महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन

7वां संविधान संशोधन:

- 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान शामिल किया गया। इसके तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 7वें संवैधानिक संशोधन में उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया।

9वां संविधान संशोधन:

- 1960 के नौवें संशोधन अधिनियम ने भारत-पाकिस्तान समझौते के परिणामस्वरूप मामूली क्षेत्रीय समायोजन प्रदान किया।

10वां संविधान संशोधन:

- भारतीय संविधान के 10वें संशोधन (जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 के रूप में जाना जाता है) ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके दादरा और नगर हवेली को भारत के सातवें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया।

12वां संविधान संशोधन:

- भारतीय संविधान के 12वें संशोधन (जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (बारहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 के रूप में जाना जाता है) ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के आठवें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया।

13वां संविधान संशोधन:

- 1962 के 13वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया और इसके लिए विशेष प्रावधान किए गये।

21वां संविधान संशोधन:

- भारतीय संविधान के 21वें संशोधन (जिसे 1967 के संविधान अधिनियम के रूप में जाना जाता है) ने सिंधी को एक भाषा के रूप में शामिल करने के लिए आठवीं अनुसूची को बदल दिया और अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़ाकर पंद्रह कर दी गई।

26वां संविधान संशोधन:

- भारतीय गणराज्य में शामिल रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स की समाप्ति।

36वां संविधान संशोधन:

- भारतीय संविधान का 36वां संशोधन दो बदलाव लेकर आया। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया और दसवीं अनुसूची हटा दी गई।

42वां संविधान संशोधन:

- भारतीय संविधान के 42वें संशोधन ने न्यायालय की शक्तियों को सीमित करके डीपीएसपी में बदलाव द्वारा संविधान की संरचना को बदलने की कोशिश की। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में तीन प्रमुख शब्द अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शामिल किए।

44वां संविधान संशोधन:

- 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की विभिन्न शक्तियों को बहाल किया। इस अधिनियम ने राष्ट्रपति, राज्यपालों और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी।

52वां संविधान संशोधन:

- दलबदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में पारित किया गया जिसके तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया।

61वां संविधान संशोधन:

- भारतीय संविधान के 6वें संशोधन (जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 के रूप में जाना जाता है) ने लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

71वां संविधान संशोधन:

- 1992 में अधिनियमित 71वें संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा और उन्हें भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी।

73वां संविधान संशोधनः

- 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। यह अधिनियम भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के निर्माण का प्रावधान करता है जिसमें शक्ति विकेंद्रीकृत है जो जमीनी स्तर पर योजना और विकास को सक्षम बनाती है।

74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियमः

- 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा है। इस भाग को 'नगर पालिकाएँ' कहा जाता है जिसमें अनुच्छेद 243-पी से 243-जेडजी तक प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम ने संविधान में एक नई बारहवीं अनुसूची भी जोड़ी।

86वां संविधान संशोधनः

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 21ए (जिसे 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा शामिल किया गया था) 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है।

92वां संविधान संशोधनः

- भारतीय संविधान के 92वें संशोधन (जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (नब्बेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के रूप में जाना जाता है) ने संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया जिसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया।

97वां संविधान संशोधनः

- इस संवैधानिक संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया और अनुच्छेद 43बी के तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु एक नया निदेशक सिद्धांत भी पेश किया गया।

101वां संवैधानिक संशोधनः

- 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पूरे भारत में एक समान कराधान ढांचे की स्थापना करते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत की। इसने केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को बदल दिया है जिससे अधिक सहकारी व सहयोगी ढांचा तैयार हुआ है।

102वां संवैधानिक संशोधनः

- संसद ने 11 अगस्त, 2018 को 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया। इस आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी।

103वां संवैधानिक संशोधनः

- 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने केंद्र सरकार और निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तथा केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हेतु पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण प्रस्तावित किया।

महत्त्वपूर्ण समितियां

सप्रू समिति (1945):

- रियासतों और भारतीय संघ के बीच संबंधों की जांच करके उनके एकीकरण के लिए सिफारिशें कीं।

धर आयोग (1948):

- 17 जून 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए या नहीं, यह सिफारिश करने के लिए भाषाई प्रांतीय आयोग (धर आयोग) की स्थापना की।

शाह आयोग (1977):

- शाह आयोग भारतीय आपातकाल (1975 - 77) में हुई सभी ज्यादतियों की जांच के लिए 1977 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग था।

सरकारिया आयोग (1983):

- सरकारिया आयोग की स्थापना जून 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसका चार्टर देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच शक्ति संतुलन की जांच करना तथा भारत के संविधान के भीतर बदलाव का सुझाव देना था।

एम. एम. पुंछी आयोग (2007):

- पुंछी आयोग का उद्देश्य केंद्र-राज्य संबंधों में नए मुद्दों की जांच करना और उनका समाधान करना था। इसका उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना था। आयोग ने विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों और राज्यपालों की भूमिका सहित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया।

जस्टिस वर्मा समिति (2012):

- जस्टिस वर्मा समिति का गठन आपराधिक कानून में संशोधन की सिफारिश करने हेतु किया गया था ताकि महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपी अपराधियों के लिए त्वरित सुनवाई करना ताकि बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया जा सके।

अशोक मेहता समिति (1977):

- अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में की गई थी। इसने सिफारिश किया था कि त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली के स्थान पर दो-स्तरीय प्रणाली स्थापित की जाए। इस सिफारिश को नहीं अपनाया गया। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को सभी स्तरों पर चुनाव में खड़ा होना चाहिए।

आर. एन. मल्होत्रा समिति (1994):

- वर्ष 1993 में सरकार ने बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर आर. एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों को पूरक बनाना था।

विजय केलकर समिति (2002):

- भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार का सुझाव देना था।

वोहरा समिति (1993):

- वर्ष 1983 में वोहरा समिति का गठन राजनीतिक-आपराधिक सांठगांठ की सीमा की पहचान करने और राजनीति के अपराधीकरण से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों की सिफारिश करने के उद्देश्य से किया गया था।

बी. एन. श्रीकृष्ण समिति (2010):

- बी. एन. श्रीकृष्ण (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) समिति को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने या राज्य को वर्तमान स्वरूप, आंध्र प्रदेश में एकजुट रखने की मांग पर विचार करने के लिए गठित किया गया था।

फजल अली आयोग (1953):

- फजल अली आयोग (जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में भी जाना जाता है) का गठन 1953 में विभिन्न राज्यों की मांगों पर विचार करने के लिए किया गया था। आयोग ने लगभग दो वर्षों के शोध के बाद 1955 में सुझाव दिया कि भारत की राज्य सीमाओं को 14 राज्यों और छह क्षेत्रों में पुनर्गठित किया जाए।

चेलैया समिति (1991):

- सरकार ने केंद्रीय करों में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर राजा जे. चेलैया की अध्यक्षता में अगस्त 1991 में कर सुधार समिति (टीआरसी) का गठन किया।

श्याम बेनेगल समिति (2016):

- श्याम बेनेगल समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक पैनल था। इसकी स्थापना 2016 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और इसकी कार्यप्रणाली में बदलाव की सिफारिश करने के लिए की गई थी।

टीएसआर सुब्रमण्यम समिति (2016):

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कामकाज की समीक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार का सुझाव देने हेतु इसका गठन हुआ था।

विजय केलकर समिति (2015):

- भारत में मौजूदा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए गठित एक समिति थी।

सच्चर समिति (2006):

- सच्चर समित ने भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

डॉ. बिमल जालान समिति:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2018 में मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे (ECF) की समीक्षा के लिए पूर्व गवर्नर डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया था।

रघुराम राजन समिति (2008):

- वित्तीय सुधारों पर रघुराम राजन समिति को उन नए मुद्दों की पहचान करने का दायित्व सौंपा गया था जिन्हें वित्तीय क्षेत्र को अगले दस वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण मांगों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता होगी।

तारापोर समिति (1997):

- भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए एक रोडमैप प्रस्तावित करने हेतु पूंजी खाता परिवर्तनीयता समिति (सीएसी) या तारापोर समिति की स्थापना की।

सुरेश तेंदुलकर समिति (2005):

- गरीबी आकलन की पद्धति की समीक्षा करने और पिछले तरीकों की कमियों को दूर करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह 'तेंदुलकर समिति' की स्थापना की गई थी जिसने दिसंबर 2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

नचिकेत मोर समिति (2013):

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 2013 में RBI बोर्ड के सदस्य नचिकेत मोर की अध्यक्षता में नचिकेत मोर समिति की स्थापना की। नचिकेत मोर समिति को छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर सिफारिश देने हेतु नियुक्त किया गया था।

संथानम समिति (1962):

- भ्रष्टाचार निवारण समिति (जिसमें अध्यक्ष के रूप में सांसद के. संथानम, चार अन्य सांसद और दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे) को 1962 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इसे

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए कहा गया था।

नरसिम्हम समिति (1991):

- नरसिम्हम समिति की स्थापना भारत के बैंकिंग क्षेत्र की जांच करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए की गई थी जब 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के दौरान बैंक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे।

पी.जे. नायक समिति (2014):

- पी जे नायक समिति की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में बैंकों के प्रशासन की समीक्षा करने के लिए की गई थी। समिति का गठन जनवरी 2014 में किया गया था।

दीपक पारेख समिति (2007):

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था।

शांता कुमार समिति (2014):

- भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु गठित की गई। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि एफसीआई गेहूं, धान तथा चावल सभी खरीद कार्यों को उन राज्यों को सौंप दे जिन्होंने इस संबंध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है और खरीद के लिए उचित बुनियादी ढांचा तैयार किया है।

तपन रे समिति (2019):

- भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य निवेश कंपनियों (CICs) पर लागू नियामक दिशानिर्देशों और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा के लिए तपन रे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

नारायण समिति (2003):

- भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था।

उर्जित पटेल समिति (2013):

- मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने पर सिफारिशें देने के लिए उर्जित पटेल समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति का गठन वर्ष 2013 में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन द्वारा किया गया था।

न्यायमूर्ति एम. बी. शाह समिति (2011):

- भारत के विभिन्न राज्यों में अवैध खनन के मामलों की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था।

प्रमुख देशों के साथ युद्धाभ्यास

देश	युद्धाभ्यास
• भारत-ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रा हिंद, ऑसिन्डेक्स, पिच ब्लैक
• भारत-बांग्लादेश	संप्रति, आईएन-बीएन कॉर्पेट, आईएन-बीएन बिलाट, आईएन-बीएन एसएफ, टेबल टॉप
• भारत-चीन	हैण्ड इन हैण्ड
• भारत-मिस्र	साइक्लोन
• भारत - फ्रांस	शक्ति, वरुण, गरुड़
• भारत-इंडोनेशिया	गरुड़ शक्ति, इंड-इंडो कॉरपेट, इंड-इंडो बिलाट
• भारत-इजरायल	ब्लू फ्लैग
• भारत-जापान	धर्मा गार्डियन, जिमेक्स
• भारत-कजाखस्तान	काजिंद
• भारत-किर्गिस्तान	खंजर
• भारत-मलेशिया	हरिमाउ शक्ति, इन-आरएमएन बिलाट, हॉप एक्स
• भारत-मालदीव	एकुवेरिन
• भारत-मंगोलिया	नोमेडिक एलीफैंट
• भारत-नेपाल	सूर्य किरण
• भारत-ओमान	अल नागाह, नसीम-अल-बहर, ईस्टर्न ब्रिज
• भारत-कतर	जायर अल बहर
• भारत-रूस	इंद्रा, अविइंद्रा
• भारत-सेशेल्स	लैमिटिये
• भारत-सिंगापुर	सिम्बेक्स
• भारत-श्रीलंका	मित्र शक्ति, स्लिनेक्स, इन-एसएलएन एसएफ
• भारत-थाईलैंड	मैत्री, इंडो-थाई कॉरपेट, सियाम भारत
• भारत-यूएई	डेजर्ट ईगल
• भारत-ब्रिटेन	अजय वारियर, कोंकण, इंद्रधनुष
• भारत-अमेरिका	युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, संगम (इन-यूएसएन ईओडी), रेड फ्लैग, कोप इंडिया
• भारत-उज्बेकिस्तान	डस्टलिक
• भारत-वियतनाम	विन्बैक्स, आईएन-वीपीएन बिलाट

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. न्यायालय की अवमानना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है।
2. एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया था।
3. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

2. फार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा उद्योग में अनैतिक प्रथाओं को नियंत्रित करने में मदद के लिए फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी) 2024 के लिए यूनिफॉर्म कोड जारी किया गया।
2. फार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों या उनके परिवारों के लिए प्रायोजित उपहार, मौद्रिक अनुदान या विदेशी यात्राओं की अनुमति नहीं देती है।
3. जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक एसोसिएशन के भीतर गठित फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेज के लिए आचार समिति द्वारा संहिता के उल्लंघन को नियंत्रित किया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. कोई नहीं

3. खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए भारत को 'खसरा और रूबेला चैंपियन' पुरस्कार मिला।
2. यह पुरस्कार खसरा और रूबेला पार्टनरशिप द्वारा दिया गया था जिसमें अमेरिकन रेड क्रॉस, बीएमजीएफ, जीएवीआई, यूएस सीडीसी, यूएनएफ, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ सहित एक बहु-एजेंसी योजना समिति शामिल है, जो वैश्विक खसरे से होने वाली मौतों को कम करने और रूबेला को रोकने के लिए समर्पित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

4. भारत शक्ति संयुक्त अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत शक्ति संयुक्त अभ्यास एक त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास है जो भारत के स्वदेशी रक्षा उपकरणों की शक्ति को प्रदर्शित करता है।
2. यह अभ्यास राजस्थान के पोखरण के शुष्क इलाके में आयोजित किया जाता है।
3. यह भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।
4. इस बार यह अभ्यास सेना के विशेष बलों, भारतीय नौसेना के मार्कोस और भारतीय वायु सेना के गरूड़ के साथ शुरू हुआ।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. सभी चारों

5. रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

A. रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है जब सूक्ष्मजीव उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है।
B. एएमआर सेप्सिस जैसी जीवन-घातक स्थितियों के इलाज में एक बड़ी चुनौती पेश करता है।
C. एएमआर दशकों से की गई चिकित्सा प्रगति को कमजोर करता है, खासकर तपेदिक और विभिन्न कैंसर जैसी बीमारियों के लिए।
D. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) एएमआर को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नंबर एक खतरा मानता है।
E. रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को अक्सर सुपरबग कहा जाता है।

6. उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के डिजाइन और

विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी।

2. यह भारत का पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू मल्टीरोल फाइटर जेट है।
3. एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) कार्यक्रम को क्रियान्वित करने और विमान को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी होगी।
4. इसका निर्माण राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल दो
B. केवल तीन
C. चारों
D. कोई नहीं

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलसेकरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के दूसरे रॉकेट लॉन्चपोर्ट की आधारशिला रखी।
2. कुलसेकरपट्टिनम लॉन्चपोर्ट भविष्य के छोटे लॉन्च मिशन की वास्तविक लागत को कम करके इसरो के भविष्य के लॉन्च के लिए एक प्राकृतिक लाभ प्रदान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक उन्नत नौसैनिक अड्डा आईएनएस जटायु की स्थापना की गई।
2. हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव के संदर्भ में यह भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण विकास का प्रतीक है।
3. यह बेस हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की परिचालन पहुंच का विस्तार करता है जिससे समुद्री डकैती, मादक द्रव्य विरोधी और निगरानी कार्यों के लिए इसकी क्षमताओं में वृद्धि होती है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प, माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला है।
2. भौगोलिक संकेत (जीआई) उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है।
3. भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा हैं जो औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत आते हैं।
4. भारत में, भौगोलिक संकेत पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. चारों

10. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, IOM ने कहा कि 2023 प्रवासियों के लिए रिकॉर्ड पर सबसे घातक वर्ष रहा है, जिसमें कम से कम 8,565 मौतें हुईं।
2. यह आंकड़ा 2022 की तुलना में 20% की वृद्धि दर्शाता है, जो जीवन की और हानि को रोकने के लिए कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

11 डी-8 संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डी-8 सदस्य देशों के लिए सामान्य मुद्रा का सुझाव दिया है।
2. डी-8 आर्थिक सहयोग संगठन बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक संगठन है।
3. इसकी स्थापना 15 जून 1997 को हुई थी।
4. डी-8 संगठन का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में सदस्य देशों की स्थिति में सुधार करना, व्यापार संबंधों में विविधता लाना और नए अवसर पैदा करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. चारों

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि ऑनलाइन ड्रग तस्करी का उभरता परिदृश्य ड्रग नियंत्रण के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहा है।
2. आईएनसीबी एक स्वतंत्र, अर्ध-न्यायिक निकाय है जिस पर अंतरराष्ट्रीय दवा नियंत्रण सम्मेलनों के सरकारी अनुपालन को बढ़ावा देने और निगरानी करने की जिम्मेदारी है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

13. प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था।
2. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है जो नामित बाघ अभयारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
3. इसमें बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ओबिलिस्क की पहचान किया है जो मानव शरीर के भीतर रहने वाले वायरस जैसी संस्थाओं के एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. ये ओबिलिस्क जटिलता के संदर्भ में वायरस और वाइरोइड के बीच की खाई को पाटते हैं जिससे जीवन रूपों के मौजूदा स्पेक्ट्रम में एक नई श्रेणी जुड़ जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रामनाथ कोविन्द समिति ने हाल ही में 'एक देश, एक चुनाव' का मसौदा राष्ट्रपति को सौंपा है।
2. समिति ने 2029 में देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया है।
3. पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव, जबकि दूसरे चरण में नगर निगम स्तर के चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में केरल ने मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है।
2. एक बार जब समस्या को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया जाता है, तो इससे निपटने की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर आ जाती है।
3. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अन्य सभी मानदंडों को दरकिनार करते हुए त्वरित निर्णय और कार्रवाई कर सकता है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

17. भारत के संबंध में क्रिसिल की प्रेडिक्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8 फीसदी रहने का अनुमान है।
2. भारत 2031 तक उच्च मध्यम दर्जा हासिल कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

18. वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024 रिपोर्ट 'कचरे के एक युग से परे: कचरे को एक संसाधन में बदलना' शीर्षक के तहत जारी की गई थी।
2. यह रिपोर्ट UNEP और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन (ISWA) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है।
3. रिपोर्ट 2020 से वैश्विक अपशिष्ट उत्पादन, कचरे की लागत और इसके प्रबंधन पर एक अद्यतन प्रदान करती है।
4. रिपोर्ट में कहा गया है कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन 2023 में 2.3 बिलियन टन से बढ़कर 2050 तक 3.8 बिलियन टन होने का अनुमान है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. चारों

19. उच्च समुद्री संधि पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार (उच्च समुद्री संधि) से परे जैव विविधता पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम 7 मार्च, 2024 को बेल्जियम में आयोजित किया गया था।
2. कार्यक्रम राष्ट्रों से उच्च समुद्रों को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाने के लिए एक नई संधि की पुष्टि करने का आग्रह करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

20. नागरिकता (संशोधन) नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में केंद्र सरकार नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया।
2. ये नियम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत लाए गए हैं।
3. इन नियमों का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,037 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 10 वर्षों की अवधि के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति - 2024) को मंजूरी दी।
2. उन्नति उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा और गिग श्रमिकों से संबंधित नियमों के अनुचित अनुपालन के कारण गिग श्रमिकों को नुकसान होता है।
2. अध्ययन से यह भी पता चलता है कि लगभग एक तिहाई गिग कर्मचारी दिन में लगभग 14 घंटे काम करते हैं।
3. यह अध्ययन पीपुल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा जारी किया गया है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

23. TEPA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए।
2. पहली बार, भारत ने यूरोप के एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक (चार विकसित देशों) के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. संधि के तहत, ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्टॉक को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और ऐसे निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है।
4. निवेश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. चारों

24. याउंडे घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा के लिए 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा याउंडे घोषणा को अपनाया गया था।
2. घोषणापत्र मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए मजबूत नेतृत्व प्रदान करने और घरेलू वित्तपोषण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
3. वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की कुल संख्या 2019 में 233 मिलियन से बढ़कर 2022 में 249 मिलियन होने का अनुमान है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि वह तीन से छह साल की उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शुरू करेगा।
2. दस्तावेज राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (NIPCCD) द्वारा एक आंतरिक समिति और विकास भागीदारों के सहयोग से तैयार किया गया हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस भारत द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान शुरू किया गया एक मेगा वैश्विक गठबंधन है।
2. गठबंधन का लक्ष्य दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है जिसमें बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता शामिल हैं।
3. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की कल्पना 96 बड़ी बिल्ली श्रेणी के देशों, बड़ी बिल्ली संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-श्रेणी देशों के एक बहु-देश, बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (बीबीबीएस) के साथ भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए 200 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. यह इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) पहल के तहत MoD द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़ा अनुबंध है।
3. एंटी-ड्रोन सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो मानव रहित हवाई उपकरणों (यूएवी) को ब्लॉक या ट्रैक करती है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

28. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में तमिलनाडु के कालापक्कम में भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग शुरू की है।
2. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर-प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) का निर्माण और संचालन करेगी।
3. पीएफबीआर को एमएसएमई सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के महत्त्वपूर्ण योगदान के साथ भाविनी द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
4. एक बार चालू होने के बाद, भारत रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. चारों

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में स्वीडिश थिंक टैंक SIPRI ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण, 2023 पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

2. स्वीडिश थिंक टैंक SIPRI ने कहा कि भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ जो 2014-2018 और 2019-2023 के बीच इसका आयात 4.7 प्रतिशत बढ़ा है।
3. रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहा।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल को राष्ट्र को समर्पित किया।
2. सुरंग रणनीतिक रूप से स्थित तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जिससे सीमा क्षेत्र में सैनिकों की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है।
2. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है।
3. यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर पैकेज से सुसज्जित है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उद्घाटन किया।
2. डेटाबेस एक वेब-आधारित डिजिटल डैशबोर्ड है जो 8 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियों के बारे में जानकारी एकत्र करता है, जिसमें 30 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है।
2. मालदीव चागोस-लैकाडिव रिज पर स्थित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए जी4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया है।
2. मॉडल में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नए स्थायी सदस्य शामिल हैं।
3. जी4 (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) 2004 में बनाया गया था जो सुरक्षा परिषद सुधार को बढ़ावा दे रहा है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

35. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वाशिंगटन में अपनी परिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है।
2. नाटो अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है।
3. नाटो का मूल लक्ष्य राजनीतिक और सैन्य तरीकों से मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

36. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) रेल,

समुद्री, सड़क, ऊर्जा और दूरसंचार लिंक का एक नियोजित नेटवर्क है।
2. इसका उद्देश्य एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप में आर्थिक विकास में सुधार करना है।
3. यह गलियारा भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस से होते हुए यूरोप तक जाएगा।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

37. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत-ब्राजील ने हाल ही में पहली '2+2' रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न की है।
2. भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन और रूस के मंत्रियों के साथ 2+2 बैठकें की हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

38. पर्पल फेस्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
2. इसका उद्देश्य विभिन्न विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

39. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए नियामक निकाय है।
2. यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है।
3. इसकी स्थापना 2003 में भारत सरकार OASIS रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
4. यह भारतीय राष्ट्रीय पेंशन योजना की स्थापना का हिस्सा था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. सभी चार

40. निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है।
2. इसमें आसान सूचना पहुंच के लिए एआई-आधारित संवादी मंच 'स्टार्टअप जीपीटी' जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

41. डाउन सिंड्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

A. यह एक्स क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन के कारण होता है।
B. यह एक आनुवंशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है।
C. यह आमतौर पर किसी माता-पिता से विरासत में मिलता है।
D. इसका निदान केवल जन्म के बाद शारीरिक विशेषताओं के माध्यम से किया जा सकता है।

उत्तर

1.	(C)	12.	(C)	23.	(D)	34.	(C)
2.	(C)	13.	(C)	24.	(C)	35.	(C)
3.	(C)	14.	(C)	25.	(C)	36.	(C)
4.	(D)	15.	(C)	26.	(C)	37.	(C)
5.	(D)	16.	(C)	27.	(C)	38.	(B)
6.	(C)	17.	(C)	28.	(D)	39.	(D)
7.	(C)	18.	(D)	29.	(C)	40.	(B)
8.	(C)	19.	(C)	30.	(C)	41.	(B)
9.	(D)	20.	(C)	31.	(C)		
10.	(C)	21.	(C)	32.	(C)		
11.	(D)	22.	(C)	33.	(C)		

प्रीलिम्स आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. सूचकांक खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तिमाही परिवर्तन का सूचक है।
   2. सूचकांक खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की एक पहल है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

2. खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है, उन वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करती है जो अपने दैनिक उपभोग के लिए घरेलू खरीददारी करते हैं।
   2. सीपीआई की गणना वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी के लिए की जाती है जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर बदला भी जा सकता है और नहीं भी।

   उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

3. 'जैव विविधता' से परे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार संधि (बीबीएनजे) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
   1. इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल में मछली पकड़ने, खनन और तेल निष्कर्षण को विनियमित करना है।
   2. यह हाई सी को कवर करता है जो पृथ्वी की सतह का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं।
   3. यह समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए) स्थापित करता है और समुद्री संरक्षण के लिए धनराशि प्रदान करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
   (a) केवल एक
   (b) केवल दो
   (c) सभी तीन
   (d) कोई भी नहीं

4. भारत की बंजर भूमि को कृषि वानिकी से हरा-भरा करने (GROW) रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. रिपोर्ट हरियाली और बहाली परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों तथा उद्योगों का समर्थन करने के लिए राज्य-वार और जिला-वार विश्लेषण प्रदान करती है।
   2. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

5. कुरील द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. ये द्वीप रूस के सुदूर पूर्व में स्थित हैं।
   2. यह जापान और उत्तर कोरिया के बीच एक विवादित क्षेत्र है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

6. सोलोमन द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. यह पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह है।
   2. 1978 से पहले यह फ्रांस का उपनिवेश था।
   3. सोलोमन द्वीप की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है।
   4. अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

   उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
   (a) केवल एक
   (b) केवल दो
   (c) केवल तीन
   (d) सभी चार

7. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

टाइगर रिजर्व	स्थान
1. पलामू टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ़
2. कमलांग टाइगर रिजर्व	मिजोरम
3. रानीपुर टाइगर रिजर्व	उत्तर प्रदेश

   उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
   (a) केवल एक
   (b) केवल दो

(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सभी स्कैंडिनेवियाई देश नाटो के सदस्य हैं।
2. स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित है और पूर्व में इसकी सीमा नॉर्वेजियन सागर से लगती है।
3. स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा यूरो है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

9. निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय विश्व में खारे पानी का सबसे बड़ा विस्तार है?
(a) बाल्टिक सागर
(b) चिल्का झील
(c) लेक वान
(d) हडसन की खाड़ी

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जल, जंगल, जमीन का नारा उन्हीं का दिया हुआ था।
2. उन्होंने अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ने के लिए एक गुरिल्ला सेना का गठन किया।
3. वह गोंड आदिवासी समुदाय से थे।
उपर्युक्त कथनों का उपयोग करके व्यक्तित्व की पहचान कीजिए:
(a) तिलका माझी
(b) बिरसा मुंडा
(c) कोमाराम भीम
(d) अल्लूरी सीता राम राजू

11. निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए:
1. बरिन्द्र कुमार घोष
2. जोगेश चंद्र चटर्जी
3. रासबिहारी बोस
उपर्युक्त में से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा था/थे?
(a) 1 और 2
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) केवल 3

12. राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य विधानसभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है।
2. एकल हस्तांतरणीय मत बहु-सदस्यीय जिलों का उपयोग करता है, जिसमें मतदाता केवल एक वोट डालते हैं लेकिन व्यक्तिगत उम्मीदवारों को रैंकिंग देते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

13. प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्तूप की अवधारणा मूलत: बौद्ध है।
2. स्तूप सामान्यत: अवशेषों का भण्डार था।
3. बौद्ध परंपरा में स्तूप एक पूजार्पित और स्मारक संरचना थी।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

14. प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	साहित्यिक कार्य	**लेखक**
1.	देवीचन्द्रगुप्त	बिल्हाना
2.	हम्मीर-महाकाव्य	नयचन्द्र सूरी
3.	मिलिंद-पन्हा	नागार्जुन
4.	नीतिवाक्यमृत	सोमदेव सूरि

उपर्युक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

15. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	साइट	**उसका संबंध**
1.	बेसनगर	शैव गुफा मंदिर
2.	भाजा	बौद्ध गुफा मंदिर
3.	सित्तनवासल	जैन गुफा मंदिर

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अजंता की गुफाएँ वाघोरा नदी के घाट पर स्थित हैं।
2. सांची स्तूप चंबल नदी के घाटी में स्थित है।
3. पांडु-लेना गुफा तीर्थस्थल नर्मदा नदी के घाट पर स्थित हैं।
4. अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाट में स्थित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

17. भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

पद	विवरण
1. एरीपट्टी	– भूमि, जिसका राजस्व गांव के तालाब के रखरखाव के लिए किया जाता था।
2. तनियूर	– गाँवों को एक ब्राह्मण या ब्राह्मणों के समूह को दान दिया।
3. घटिका	– सामान्यत: मंदिरों से जुड़े शैक्षिक संस्थान होते थे।

उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है?
(a) 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 2 और 3
(d) 1 और 3

18. शांतिनिकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में शांतिनिकेतन की स्थापना की।
2. 2023 में, शांतिनिकेतन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की।
3. शांतिनिकेतन की संरचनाएं स्थानीय जनजातीय वास्तुकला से प्रेरणा लेती हैं, जो पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन लोकाचार को प्रदर्शित करती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

19. संगीत वाद्ययंत्र सुरसिंगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. सुरसिंगार सरोद के समान एक तारयुक्त वाद्ययंत्र है।
2. यह यंत्र मुख्यत: चमड़े का बना होता है।
3. सुरसिंगार आमतौर पर हिंदुस्तानी गायन की शैली ध्रुपद के साथ प्रयुक्त होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

20. ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
(a) इस काल में तांबे और पत्थर की वस्तुएं व्यापक तौर पर प्रचलित थीं।
(b) इस काल में स्टीटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और कार्नेलियन जैसे अर्ध-कीमती पत्थरों से बने मोतियों का उत्पादन किया जाता था।
(c) ताम्रपाषाण काल के निवासी वस्त्र निर्माण में निपुण थे।
(d) इस काल में चित्रित धूसर मृदभांड मिट्टी के बर्तनों के प्रमुख प्रकार के रूप में सामने आए।

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वाकाटक कांस्य मूर्तियां मथुरा कलात्मक शैली का उल्लेखनीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं।
2. चोलों को पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत में लॉस्ट-वैक्स तकनीक मूर्तिकला शुरू करने का श्रेय दिया जाता है।
3. वहनीय गुप्त कांस्य मूर्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा के दौरान भिक्षुओं द्वारा ले जाया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अजंता की गुफाओं में दो मंजिला गुफाएँ हैं, जबकि एलोरा की गुफाएँ विशिष्ट तीन मंजिला गुफाओं का समूह है।
2. पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं, किन्तु वे एलोरा की गुफाओं में उल्लेखनीय रूप से

अनुपस्थित हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

23. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
2. INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है।
3. इसकी स्थापना 1999 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

24. वरली चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इन चित्रों में मुख्य रूप से वृत्त, त्रिकोण और वर्ग जैसी बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का प्रभुत्व है।
2. यह ओडिशा की सौरा जनजातियों द्वारा प्रचलित है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

25. कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका निर्माण 1244 में पूर्वी गंग राजवंश के नरसिम्ह देव प्रथम द्वारा कराया गया।
2. इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया।
3. सरकार ने मंदिर के सौ प्रतिशत सौर्यीकरण के लिए एक योजना शुरू की है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

26. निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए:
एक अग्रणी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा, समानता और न्याय के लिए दमनकारी सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, उन्हें औपचारिक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है। वह महाराष्ट्र की एक समाज सुधारक, शिक्षाविद् और कवयित्री थीं। 1852 में, उन्होंने महिला अधिकारों की वकालत करने वाली संस्था, महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उन्होंने 1892 में बावन काशी सुबोध रत्नाकर ('द ओशन ऑफ प्योर जेम्स') प्रकाशित किया।
उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है?
(a) सावित्रीबाई फुले
(b) दुर्गाबाई देशमुख
(c) अहिल्याबाई होल्कर
(d) सरोजिनी नायडू

27. बबल बेबी सिंड्रोम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बबल बेबी सिंड्रोम', जिसे चिकित्सकीय रूप से गंभीर संयुक्त इम्यूनोडेफिशियेंसी (SCID) के रूप में जाना जाता है, एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ जीवन-घातक समस्याओं का कारण बनता है।
2. SCID बच्चों में एक चिकित्सीय आपात स्थिति है। यदि शिशुओं का इलाज नहीं किया जाये तो उनके पहले जन्मदिन के बाद जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

28. स्काई ड्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1.स्काई ड्यू फूले हुए एयरक्राफ्ट के आकार की एक विशाल गुब्बारे जैसी संरचना है।
2.यह दुनिया की सबसे बड़ी हवाई खतरा चेतावनी प्रणालियों में से एक है।
3.यह तकनीक इजराइल और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

29. सर्पिल आकाशगंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I:
सर्पिल आकाशगंगाएँ तारों और गैसों का दोहरा संग्रह हैं, जो अक्सर सुंदर आकार और गर्म, युवा तारों से बने होते हैं।

कथन II:
मंदाकिनी आकाशगंगा, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौर मंडल शामिल है, सर्पिल आकाशगंगा का एक उदाहरण है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I के लिए सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
(d) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

30. यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह केरल में लोकप्रिय एक पारंपरिक लोक नृत्य है।
2. यह नृत्य, संगीत, गीत, विद्वतापूर्ण संवाद और रंगीन वेशभूषा का एक दुर्लभ संयोजन है।
3. यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

31. मोमेंटम निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह निवेश की एक शैली को संदर्भित करता है, जिसमें निवेशक ऐसे स्टॉक या बॉन्ड संपत्तियां खरीदते हैं जिनकी कीमत लगातार बढ़ रही होती है जबकि ऐसी संपत्तियां बेचते हैं जिनकी कीमतें गिर रही होती हैं।
2. मोमेंटम निवेशक आम तौर पर उन परिसंपत्तियों के मौलिक या आंतरिक मूल्य का गहन विश्लेषण करते हैं जिनमें वे अपना पैसा निवेश करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह पश्चिम-मध्य अफ्रीका की एक नदी है और इसे जायरे नदी भी कहा जाता है।
2. यह नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी और दुनिया की नौवीं सबसे लंबी नदी है।
3. यह विश्व की सबसे गहरी नदी है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियाँ उबांगी, संघा और कसाई हैं।

उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित हैं?
(a) जम्बेजी नदी
(b) नाइजर नदी
(c) लिम्पोपो नदी
(d) कांगो नदी

33. VIPER रोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह चंद्रमा पर नासा का पहला मोबाइल रोबोटिक मिशन है।
2. यह भिन्न-भिन्न गहराई और तापमान की स्थिति में चंद्रमा की सतह और उपसतह पर बर्फ का सीधे विश्लेषण करेगा।
3. यह 2024 के अंत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

34. हरित रुपया सावधि जमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक पहल है।
2. यह जमा योजना निवासी व्यक्तियों, गैर-व्यक्तियों और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) ग्राहकों के लिए है।
3. योजना के तहत समय-पूर्व निकासी की अनुमति नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

35. 'अनुभव' पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह उन सेवानिवृत्त अधिकारियों के योगदान के लिए सम्मान है, जिन्होंने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों या विभागों में कार्यरत रहते हुए देश के विकास में योगदान दिया है।
2. यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय और नीति आयोग की संयुक्त पहल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

36. नई पीढ़ी की आकाश (AKASH-NG) मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक नई पीढ़ी, अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) है, जिसे भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए उच्च गतिशीलता, कम रडार क्रॉस सेक्शन तीव्र हवाई खतरों को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है।
2. यह 40 किमी तक लक्ष्य को भेद सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

37. निम्नलिखित में से कौन से देश थर्टी मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी) परियोजना का हिस्सा हैं?

(a) भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान और चीन
(b) यूएसए, ब्राजील, इजराइल, भारत और चीन
(c) रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया
(d) फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल

38. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU IND) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है।
2. यह एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद (ईआईसी) को रिपोर्ट करता है।
3. FINnet 2.0 मिशन गुणवत्तापूर्ण वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए FIU IND की एक पहल है।

उपर्युक्त में से कितने कथन **गलत** हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

39. स्क्वायर किलोमीटर अरे वेधशाला (SKAO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अर्जेंटीना के रेडियो-शांत क्षेत्र में स्थापित एकल दूरबीन है।
2. SKAO अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का निरीक्षण और मानचित्रण करेगा।
3. भारत दुनिया के इस सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

40. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

किसी ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का उपयोग रहने योग्य क्षेत्रों के संकेत के रूप में किया जा सकता है।

कथन-II:

ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड में कमी का तात्पर्य है कि इसका कुछ हिस्सा समुद्र में घुल रहा है या शायद ग्रह-स्तरीय बायोमास द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है-

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(c) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
(d) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

41. ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLEP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह हिम तेंदुए और उसके पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए 12 हिम तेंदुए श्रेणी के देशों, संगठनों और समुदायों के बीच एक गठबंधन है।
2. इसका उद्देश्य बैलेचले घोषणा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

3. भारत 12 हिम तेंदुआ श्रेणी के देशों में से एक है और GSLEP का सदस्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

42. एक्सेस, वॉच और रिजर्व (AWaRe) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एंटीबायोटिक खपत की निगरानी के लिए एक उपकरण है जिसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा विकसित किया गया था।
2. यह लक्ष्यों को परिभाषित करता है और प्रबंधन नीतियों के प्रभावों की निगरानी करता है जिसका उद्देश्य एंटीबायोटिक उपयोग को अनुकूलित करना और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर अंकुश लगाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

43. वेटलैंड सिटी प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक स्वैच्छिक प्रणाली है जो उन शहरों को मान्यता देती है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं।
2. इसकी स्थापना रामसर कन्वेंशन के तहत की गई है।
3. वेटलैंड सिटी एक्रिडिटेशन में किसी भी भारतीय शहर को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने **गलत** हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

44. निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए:

बनवासी इस शासकों की प्राचीन राजधानी थी। इस राजवंश ने तीसरी शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक में सातवाहन साम्राज्य का स्थान लिया। गोवा में वे कल्याण के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। इस राजवंश का शिलालेख कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया था।

उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस राज्य या राजवंश का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) कालभ्रस
(b) ईक्ष्वाकुओं
(c) कदंबस
(d) राष्ट्रकूट

45. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	स्थान		देश
1.	करमन	–	ईरान
2.	बेरुत	–	लेबनान
3.	हाइफा	–	इजराइल

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जनगणना सबसे पहले ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन शुरू की गई थी।
2. भारत में पहली समकालिक जनगणना 1951 में हुई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

47. गाजा पट्टी, पश्चिमी एशिया में एक स्वशासित क्षेत्र है, की भू-सीमाएँ किनके साथ साझा करती है:

1. इजराइल
2. मिस्र
3. लेबनान

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

48. निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए:

1. तेल अवीव
2. हाइफा

3. येरूशलम
4. गाजा

सही उत्तर चुनिए:

(a) 1-2-4-3
(b) 2-1-3-4
(c) 1-2-3-4
(d) 2-1-4-3

49. पडियेंधाल, अलमपाडी और कोम्बाइकाडु नामक स्थानों में क्या समानता है?

(a) प्राचीन गुफा चित्र
(b) जल भंडार
(c) सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र (वन)
(d) हाल ही में खोजे गए दुर्लभ भू-तत्वों का भंडार

50. भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

संस्था		संस्थापक
1. बनारस संस्कृत कॉलेज	-	विलियम जोन्स
2. कलकत्ता मदरसा	-	वारेन हेस्टिंग्स
3. फोर्ट विलियम कॉलेज	-	आर्थर वेलेस्ली

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

51. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है।
2. CERT-In भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

52. शी-बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है।
2. यह राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की एक पहल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

53. भारत में अनुसूचित बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में अनुसूचित बैंक उन बैंकों को संदर्भित करते हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
2. अनुसूचित बैंक स्वचालित रूप से क्लियरिंग हाउस की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

54. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में व्यक्तियों की विदेशी फंडिंग को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत विनियमित किया जाता है।
2. FCRA वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

55. घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIB) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. RBI केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक घोषित करता है।
2. बैंक अपने आकार, अंतर-क्षेत्राधिकार गतिविधियों और अंतर्संबंध के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
3. जिन बैंकों की संपत्ति जीडीपी के 2% से अधिक है, उन्हें इस समूह का हिस्सा माना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

56. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा सकता है।
2. सभी उम्मीदवारों को चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर अपना व्यय विवरण ECI को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

57. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत किया गया है।
2. इसकी स्थापना पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में की जाती है।
3. यह राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अलावा, टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण हेतु मानक और दिशानिर्देश तय करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

58. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एशियाई चीता को IUCN रेड लिस्ट द्वारा 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और माना जाता है कि यह केवल अफ्रीका में ही जीवित रह सकता है।
2. चीता शुष्क जंगलों, घास के मैदानों और सवाना की एक कीस्टोन प्रजाति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

59. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरि पहाड़ी से निकलती है।
2. इसकी कुछ सहायक नदियाँ कुमारधारा, शिशिला होल और गुंडिया होल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

60. संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक तदर्थ निकाय है।
2. इसका उद्देश्य एक विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करना है।
3. यह इच्छुक पार्टियों को पूछताछ के लिए आमंत्रित कर सकता है और लोगों को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारत के चुनाव आयोग को पार्टी चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है।
2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी विवाद या राजनीतिक दलों के विलय के मुद्दों का निर्णय करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

62. भारत में, 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' को निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पेश किया गया था?

(a) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1998
(b) पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक (विनिर्माण और उपयोग) नियम, 1999
(c) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011
(d) खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011

63. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में राजनीतिक दल संविधानेतर संस्थाएं हैं।
2. भारत में, भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को

मान्यता देता है और उनके वोटिंग शेयर के आधार पर उन्हें कुछ लाभ प्रदान करता है।

3. राजनीतिक दल बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

64. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी)
2. वन्य वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
3. मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीसीडी)
4. ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) उपर्युक्त में से किस सम्मेलन के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

65. OSIRIS-REx (उत्पत्ति, स्पेक्ट्रल व्याख्या, संसाधन पहचान, सुरक्षा, रेगोलिथ एक्सप्लोरर) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह नासा का क्षुद्रग्रह-अध्ययन और नमूना-वापसी मिशन है।
2. जूनो और न्यू होराइजन्स के बाद यह न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम में चुना गया तीसरा ग्रह विज्ञान मिशन है।
3. बेन्नू को अध्ययन के लक्ष्य के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसकी सतह पर तरल पानी की उपलब्धता थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

66. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित और संचालित किया जा रहा है।
2. मिशन में 70 से अधिक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं से युक्त एक विशाल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करके देश भर में फैले राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

67. 'विश्वास और सुरक्षा के लिए पेरिस कॉल' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(a) जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा
(b) सतत विकास लक्ष्य
(c) वैश्विक जैव आतंकवाद का खतरा
(d) साइबरस्पेस के विनियमन से

68. GSLV Mk-III के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. GSLV Mk III को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) और लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) दोनों में उपग्रहों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।
2. गगनयान जैसे मिशन को GSLV Mk-III पर लॉन्च किया जाएगा।
3. GSLV Mk-III ऊपरी चरण में रूस द्वारा विकसित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 2
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

69. TRAFFIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह WWF और IUCN का एक संयुक्त कार्यक्रम है
2. यह UNEP द्वारा संचालित कार्यक्रम है।
3. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

70. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है।
2. यह ताइवान जलडमरूमध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लूज़ॉन जलडमरूमध्य द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

71. कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित जेनोट्रांसप्लांटेशन क्या है?

(a) जीनोम संपादन में उपयोग किए जाने वाले एंजाइमों की एक श्रृंखला
(b) जीन अभिव्यक्ति के तंत्र का विवरण
(c) कोशिकाओं में होने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तन का एक तंत्रें
(d) विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच अंगों के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया

72. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लोक सभा अध्यक्ष को किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार है, लेकिन इस आदेश को रद्द करने का अधिकार उसमें निहित नहीं है।
2. लोक सभा अध्यक्ष के विपरीत, राज्यसभा सभापति के पास किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

73. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
2. यदि चुनाव केवल राज्य विधानमंडल के लिए हो रहे हैं, तो व्यय पूरी तरह से संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

74. 'छठे व्यापक विलुप्ति/छठे विलुप्ति' शब्द का उल्लेख अक्सर समाचारों में किसके संदर्भ में किया जाता है?

(a) दुनिया के कई हिस्सों में रसायनों के अंधाधुंध उपयोग के साथ कृषि और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खेती का अभ्यास है, जिसके परिणामस्वरूप अच्छे देशीय पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान हो सकता है।
(b) निकट भविष्य में पृथ्वी के साथ एक उल्कापिंड की संभावित टक्कर की आशंका।
(c) दुनिया के कई हिस्सों में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की बड़े पैमाने पर खेती और दुनिया के अन्य हिस्सों में उनकी खेती को बढ़ावा देना जिससे अच्छी देशी फसल के पौधे विलुप्त हो सकते हैं और खाद्य जैव विविधता का नुकसान हो सकता है।
(d) मानव जाति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन/दुरुपयोग, विखंडन/नुकसान, प्राकृतिक आवास, पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन।

75. भारत के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. यह अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है।
2. यह उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है।
3. इसमें शुष्क पर्णपाती वन और खुली घास के मैदान हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

76. अल नीनो मौसम की घटनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अल नीनो घटना के दौरान, भूमध्य रेखा पर पश्चिम की ओर बहने वाली व्यापारिक हवाएँ कमजोर हो जाती हैं।
2. अल नीनो दक्षिण अमेरिका में वर्षा और इंडोनेशिया में सूखा लाता है।
3. तीव्र अल नीनो घटनाएँ वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को बाधित करती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

77. एसिनेटोबैक्टर बाउमानी, एंटरोकोकस फेकेलिस, एस्चेरिचिया कोलाई हैं:

(a) गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के एजेंट

(b) ऐसे रोगजनक जिनमें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित करने की क्षमता होती है।

(c) पशुओं को दर्द निवारक/सूजनरोधी दवाओं के रूप में दी जाने वाली दवाएं।

(d) वेक्टर जो मलेरिया का कारण बनते हैं।

78. ब्लैक कार्बन (बीसी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ब्लैक कार्बन कणीय वायु प्रदूषक का एक रूप है, जो अधूरे दहन से उत्पन्न होता है।
2. ब्लैक कार्बन कई महीनों से लेकर सालों तक वायुमंडल में उपस्थित रहता है।
3. ब्लैक कार्बन सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषक है और हवा को सीधे गर्म करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

79. प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र (KBAs) एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर उन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किया जाता है जो जैव विविधता की वैश्विक स्थिरता में योगदान करते हैं।
2. किसी साइट को KBAs के रूप में नामित करने के मानदंड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा वर्णित किए जाते हैं।
3. विश्व स्तर पर KBAs को पांच व्यापक श्रेणियों के तहत परिभाषित 11 मानदंडों के आधार पर नामित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

80. भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. श्री रामानुजाचार्य वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपसंप्रदाय के प्रमुख प्रस्तावक हैं।
2. श्री रामानुजाचार्य को कवि-संत सुंदरमूर्ति द्वारा भक्ति आध्यात्मिकता में दीक्षित किया गया था।
3. संत चोखामेला और श्री रामानुजाचार्य समकालीन हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1

(d) केवल 2 और 3

81. यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका क्या निहितार्थ है?

(a) उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

(b) ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती।

(c) यह एक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल पौधा है।

(d) ऐसा पौधा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आक्रामक और हानिकारक है।

82. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, सिविल अवमानना का अर्थ है:

1. न्यायालय के किसी निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करना
2. न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन
3. किसी भी न्यायालय के अधिकार को कम करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

83. भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा शासित होता है:

(a) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(b) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(c) निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960

(d) उपर्युक्त सभी

84. भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PSLV पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रहों को लॉन्च करते हैं जबकि जीएसएलवी को मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है।
2. PSLV द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से देखने पर आकाश में उसी स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं।
3. GSLV MK III एक चार चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 2 और 3
(c) 1 और 2
(d) केवल 3

85. लिथियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक कठोर, काली-सफेद धातु है।
2. इसकी विशिष्ट ताप क्षमता किसी भी ठोस तत्व की तुलना में सबसे अधिक होती है।
3. यह ज्वलनशील है और हवा और पानी के संपर्क में आने पर विस्फोट हो सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

86. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. रूस
2. नॉर्वे
3. फिनलैंड
4. स्वीडन

बाल्टिक सागर की सीमा उपर्युक्त में से किस देश के साथ लगती है?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

87. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. काउंटरवेलिंग और एंटी-डंपिंग उपाय
2. शून्यीकरण
3. नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सब्सिडी
4. जुआ

विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय संस्था उपर्युक्त में से किन मामलों से निपट सकती है?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

88. चुनावी बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चुनावी बांड एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित कंपनी खरीद सकती है।
2. चुनावी बांड हर साल की शुरुआत में 10 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं।
3. चुनावी बांड पर दानकर्ता का नाम नहीं होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

89. अलास्का, कनाडा और उत्तरी यूरोप के निकट के क्षेत्र लगातार 'उच्च ज्वार श्रृंखला' का अनुभव करते हैं

1. अक्षांशीय प्रभाव के कारण
2. उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की स्थिति एवं विन्यास के कारण

सही विकल्प चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

90. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण केवल सरकारी सेवा में प्रवेश के समय प्रदान किया जा सकता है, लेकिन पदोन्नति के मामलों में नहीं।
2. नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य पदोन्नति में एससी और एसटी के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

91. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक मध्य अक्षांशीय चक्रवात है जिसकी तीव्रता तेजी से बढ़ती है।
2. इसके केंद्र पर निम्न दबाव होता है।
3. यह तब होता है जब तूफान के बीच में वायुमंडलीय दबाव 24 घंटों में कम से कम 24 मिलीबार गिर जाता है।

'बम चक्रवात' के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

92. संसद में प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया जाता है, जहां केवल मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं।
2. तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
3. प्रश्नों के कारण आयोग या जांच न्यायालय की नियुक्ति भी हो सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

93. भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CEA भारत की संसद को रिपोर्ट करता है।
2. यह पद भारत में सचिव के समकक्ष है।
3. CEA आर्थिक मामलों के विभाग का प्रमुख है जो वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

94. कभी-कभी समाचारों में रहा आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (IEBR) है:

(a) आईएफसी मसाला बांड से प्राप्त वित्तपोषण
(b) सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ऋण और इक्विटी के माध्यम से जुटाए गए संसाधन
(c) विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से घाटे का मुद्रीकरण
(d) बेसल III वाणिज्यिक बैंकों का पूंजीकरण

95. जब कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विभाजित हो जाता है, तो निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को प्रतीक चिन्ह निर्दिष्ट करने पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है?

(a) भारत का सर्वोच्च न्यायालय
(b) भारत के उच्च न्यायालय
(c) भारत का चुनाव आयोग
(d) दोनों (a) और (c)

96. चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्थापना के बाद से, चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें तीन चुनाव आयुक्त शामिल हैं।
2. चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

97. उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बहुत अधिक वार्षिक वर्षा
2. उच्च औसत तापमान
3. पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी
4. प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3
(b) 1, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

98. चीड़, स्प्रूस और देवदार के पेड़ पाए जाते हैं:

(a) भूमध्यरेखीय सदाबहार वन
(b) सवाना वन
(c) टैगा वन
(d) शीतोष्ण पर्णपाती वन

99. प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अंतर है?
(a) प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी अत्यधिक उत्पादक है, जबकि उत्तरी भारत की मिट्टी काफी हद तक क्षारीय और अनुत्पादक है।
(b) उत्तरी भारत की मिट्टी ज्वालामुखी मूल की है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी भू-सिंक्लाइन मूल की है।
(c) प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी मुख्य रूप से चट्टानों के यथास्थान अपघटन से बनी है, जबकि उत्तरी भारत की मिट्टी मुख्य रूप से नदियों के निक्षेपण से बनी है।
(d) उपर्युक्त सभी

100. महाद्वीपों के आंतरिक भागों में तापमान की वार्षिक सीमा तटीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होने के कारण है
1. भूमि और जल के बीच तापीय अंतर
2. तटों की तुलना में आंतरिक भागों में भारी वर्षा
3. आंतरिक भाग में तेज हवाओं की उपस्थिति
उपर्युक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर

1.	(b)	21.	(a)	41.	(b)	61.	(d)	81.	(a)
2.	(c)	22.	(a)	42.	(b)	62.	(d)	82.	(a)
3.	(c)	23.	(a)	43.	(d)	63.	(c)	83.	(b)
4.	(a)	24.	(a)	44.	(c)	64.	(a)	84.	(a)
5.	(a)	25.	(c)	45.	(c)	65.	(a)	85.	(b)
6.	(b)	26.	(a)	46.	(a)	66.	(b)	86.	(c)
7.	(a)	27.	(c)	47.	(b)	67.	(d)	87.	(d)
8.	(d)	28.	(d)	48.	(b)	68.	(b)	88.	(a)
9.	(a)	29.	(b)	49.	(a)	69.	(c)	89.	(b)
10.	(c)	30.	(a)	50.	(a)	70.	(c)	90.	(a)
11.	(d)	31.	(a)	51.	(c)	71.	(d)	91.	(d)
12.	(c)	32.	(d)	52.	(a)	72.	(c)	92.	(c)
13.	(b)	33.	(c)	53.	(b)	73.	(b)	93.	(b)
14.	(b)	34.	(a)	54.	(a)	74.	(d)	94.	(b)
15.	(b)	35.	(a)	55.	(c)	75.	(d)	95.	(c)
16.	(a)	36.	(c)	56.	(a)	76.	(d)	96.	(b)
17.	(d)	37.	(a)	57.	(d)	77.	(b)	97.	(d)
18.	(c)	38.	(a)	58.	(b)	78.	(c)	98.	(c)
19.	(b)	39.	(a)	59.	(a)	79.	(c)	99.	(c)
20.	(d)	40.	(b)	60.	(d)	80.	(c)	100.	(a)

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

20 Years of Trust

Success is Our Tradition

4500+ Selections in IAS & PCS

ADMISSIONS OPEN FOR

Offline / Online Courses

GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS

MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

- Expert lectures from experienced subject specialists
- Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions
- Special lectures from top experts in the field
- Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam
- Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends
- Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE

Available Optional Subjects

- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

UPSC PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

UP-PCS PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

BPSC PRELIMS & MAINS
GS & OPTIONAL TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

FORTNIGHTLY AVAILABLE PERFECT 7 MAGAZINE FOR COMPREHENSIVE COVERAGE OF CURRENT AFFAIRS

FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: 9289580074/75 • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: 9205212500/9205962002 • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: 9205336037/38 • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: 9506256789/7570009002 • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: 7234000501/ 7234000502 • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: 7518373333/7518573333 • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: 0551-2200385/7080847474

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4700+ SELECTIONS IN IAS & PCS

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029, **Varanasi :** Ph: 7408098888, 9898529010